31 मार्च 2021 के अनुसार समेकित तुलन–पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
	परिसंपत्तियां			
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	नकदी एवं नकदी के समतुल्य	6	1,179.24	1,717.71
(ख)	उपरोक्त (ए) के अलावा अन्य बैंक शेष	7	2,223.58	2,257.45
(ग)	ट्रेड प्राप्य	8	140.07	109.07
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9	2,311.22	3,318.85
(च)	ऋण	10	365,261.49	312,083.50
(छ)	निवेश	11	1,723.68	2,127.11
(ज)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,419.88	22,101.32
	कुल–वित्तीय परिसंपत्तियां (1)		**397,259.16**	**343,715.01**
(2)	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**			
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	13	168.92	409.94
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	14	2,461.03	2,050.57
(ग)	निवेश संपत्ति	15	0.01	0.01
(घ)	संपत्तियां, संयंत्र एवं उपस्कर	16	260.70	156.97
(च)	पूंजीगत चालू कार्य	16	335.67	287.62
(छ)	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	16	0.77	0.77
(ज)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	16	6.15	8.82
(झ)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	17	102.67	132.37
(i)	इक्विटी विधि के उपयोग के लिए लेखाकृत निवेश	11	257.74	258.47
	कुल – गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां (2)		**3,593.66**	**3,305.54**
(3)	**बिक्री के लिए वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	18	**14.05**	**9.53**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)		**400,866.87**	**347,030.08**
	देयताएं और इक्विटी			
	देयताएं			
(1)	**वित्तीय देयताएं**			
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	9	846.31	1,325.73
(ख)	ट्रेड प्राप्य			
	(i) एमएसएमई का कुल बकाया देय	19	0.01	0.15
	(ii) एमएसएमई से भिन्न ऋणकर्ताओं का कुल बकाया देय	19	61.50	46.00
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	20	237,269.11	219,918.25
(घ)	उधारियां (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	85,507.36	61,550.66
(च)	अधीनस्थ देयताएं	22	6,946.89	4,819.65
(छ)	अन्य वित्तीय देयताएं	23	26,222.35	23,782.21
	कुल–वित्तीय देयताएं (1)		**356,853.53**	**311,442.65**
(2)	गैर–वित्तीय देयताएं			
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	24	14.40	-
(ख)	प्रावधान	25	104.68	107.09
(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	26	130.25	83.23
	कुल–गैर–वित्तीय देयताएं (2)		**249.33**	**190.32**
(3)	**बिक्री के लिए धारित वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएँ**	18	**0.08**	**0.68**
(4)	**इक्विटी**			
(क)	इक्विटी शेयर पूंजी	27	1,974.92	1,974.92
(ख)	लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	28	558.40	-
(ग)	अन्य इक्विटी	29	41,230.61	33,421.51
	कुल – इक्विटी (4)		**43,763.93**	**35,396.43**
	कुल – देयताएं और इक्विटी (1+2+3+4)		**400,866.87**	**347,030.08**
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखा नीतियां	**1 से 5**		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ 1 से 70

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव	अजय चौधरी निदेशक (वित्त) डीआईएन–06629871	संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन–00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 001135एन	कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी. सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091
गौरव मित्तल भागीदार सदस्यता सं. : 099387	अतुल अग्रवाल भागीदार सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई 2021

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का समेकित विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	टिप्पणी संख्या	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष
	प्रचालनों से राजस्व			
(i)	ब्याज आय	30	34,693.35	29,671.78
(ii)	लाभांश आय	31	27.97	36.94
(iii)	शुल्क एवं कमीशन आय	32	95.38	38.95
(iv)	उचित मूल्य परिवर्तन पर निवल लाभ/(हानि)	38	572.33	(25.85)
(v)	सेवाओं की बिक्री	33	163.65	182.11
I.	**प्रचालनों से कुल राजस्व (i से v)**		**35,552.68**	**29,903.93**
II.	अन्य आय	34	22.72	77.27
III.	**कुल आय (I+II)**		**35,575.40**	**29,981.20**
	व्यय			
(i)	वित्तीय लागतें	35	21,489.05	18,991.30
(ii)	निवल अनुवाद/लेन–देन विनिमय हानि	36	330.26	2,357.90
(iii)	शुल्क एवं कमीशन व्यय	37	9.95	25.44
(iv)	वित्तीय दस्तावेजों संबंधी हानि	39	2445.94	919.49
(v)	प्रदान की गई सेवाओं की लागत	40	88.51	71.61
(vi)	कर्मचारी हितलाभ व्यय	41	163.62	193.15
(vii)	मूल्यह्रास एवं परिशोधन	42	10.86	11.77
(viii)	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	43	146.27	259.29
(ix)	अन्य व्यय	44	109.38	130.41
IV.	**कुल व्यय (i से ix)**		**24,793.84**	**22,960.36**
V.	**कर पूर्व लाभ (III–IV)**		**10,781.56**	**7,020.84**
VI.	**इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम के लाभ/हानि का हिस्सा**		**(1.97)**	**9.14**
VII	**कर पूर्व लाभ (III–IV+V)**		**10,779.59**	**7,029.98**
VIII.	**कर व्यय**	45		
(i)	वर्तमान कर		2,920.97	1,645.06
(ii)	आस्थगित कर		(519.62)	412.65
	कुल कर व्यय (i+ii)		**2,401.35**	**2,057.71**
IX.	**अवधि के लिए लाभ**		**8,378.24**	**4,972.27**
X.	**अन्य व्यापक आय/हानि)**			
(i)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत नहीं किया जाएगा			
(क)	परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		(14.26)	(2.87)
(ख)	एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		166.53	(129.20)
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा		(0.05)	(0.12)
(घ)	इन मदों से संबंधित आय कर			
	– परिभाषित हितलाभ योजनाओं संबंधी पुनःमापन लाभ/(हानि)		3.59	0.72
	– एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेजों के अंकित मूल्य में परिवर्तन		(6.01)	12.39
	उप–जोड़ (i)		**149.80**	**(119.08)**
(ii)	ऐसी मदें जिन्हें लाभ या हानि के लिए वर्गीकृत किया जाएगा			
(क)	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		80.81	(302.12)
(ख)	हेजिंग आरक्षण की लागत		329.00	(273.61)
(ग)	इक्विटी पद्धति का उपयोग करने के लिए संयुक्त उद्यम की अन्य व्यापक आय/हानि का हिस्सा		1.29	(3.94)
(घ)	इन मदों से संबंधित आयकर			
	– नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी हिस्सा		(20.34)	76.04
	– हेजिंग आरक्षण की लागत		(82.80)	68.86
	उप–जोड़ (ii)		**307.96**	**(434.77)**
	अवधि के लिए अन्य व्यापक आय/(हानि) (i+ii)		**457.76**	**(553.85)**
XI.	**अवधि के लिए कुल व्यापक आय (VIII+X)**		**8,836.00**	**4,418.42**
XII.	**प्रत्येक 10 रुपये प्रति इक्विटी शेयर बेसिक और डाइल्यूटेड अर्जन (₹ में)**	46		
(1)	जारी प्रचालनों के लिए		**42.42**	**25.18**
(2)	जारी एवं बंद प्रचालनों के लिए		**42.42**	**25.18**
	कंपनी सिंहावलोकन और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां	1 से 5		

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियाँ **1 से 70**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं
कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 099387

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित इक्विटी में परिवर्तन का विवरण

क इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	1,974.92	1,974.92
वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	-	-
अंतिम शेष	1,974.92	1,974.92

विवरण के नोट 27 देखें

ख लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	-	-
वर्ष के दौरान लिखत में परिवर्तन की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है	558.40	-
अंतिम शेष	558.40	-

विवरण के नोट 28 देखें

ग अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

विवरण	रिजर्व एवं अधिशेष										इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के कारण संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(हानि) का हिस्सा	एफवीओसीआई – इक्विटी दस्तावेज	नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	हेजिंग हुए रिजर्व की लागत	कुल
	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व	आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiक) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत रिजर्व निधि	डिबेंचर मोचन रिजर्व	प्रतिभूति प्राथमिक खाता	पूंजीगत रिजर्व	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अनुवाद अंतर खाता	सामान्य रिजर्व	हानि रिजर्व	प्रतिधारित अर्जन					
31 मार्च, 2019 को शेष	**15,136.78**	**3,034.72**	**1,153.00**	**1,318.13**	**2,236.54**	**-**	**(764.82)**	**5,230.54**	**-**	**5,088.19**	**1.46**	**136.88**	**-**	**-**	**32,571.42**
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,972.27	-	-	-	-	4,972.27
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनःमापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2.15)	-	-	-	-	(2.15)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.12)	(3.94)	(116.81)	(226.08)	(204.75)	(551.70)
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4,970.00**	**(3.94)**	**(116.81)**	**(226.08)**	**(204.75)**	**4,418.42**
अन्य समायोजन															
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	1,522.32	336.52	978.00	49.15	-	-	-	-	793.29	(3,679.28)	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में अंतरण	-	(378.41)	-	(1,367.28)	-	-	-	1,745.69	-	-	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(86.19)		86.19	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि	-	-	-	-	-	-	(1,630.51)	-	-	-	-	-	-	-	(1,630.51)
ईईएसएल की हिस्सेदारी में वृद्धि पर लाभ	-	-	-	-	-	4.70	-	-	-	-	-	-	-	-	4.70
वर्ष के दौरान ऋणशोधन	-	-	-	-	-	-	675.95	-	-	-	-	-	-	-	675.95
कुल – अन्य समायोजन	**1,522.32**	**(41.89)**	**978.00**	**(1,318.13)**	**-**	**4.70**	**(954.56)**	**1,745.69**	**793.29**	**(3,765.47)**	**-**	**86.19**	**-**	**-**	**(949.86)**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,172.41)	-	-	-	-	(2,172.41)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(446.06)	-	-	-	-	(446.06)
कुल – स्वामियों के साथ लेन–देन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,618.47)	-	-	-	-	(2,618.47)
31 मार्च, 2020 को शेष	**16,659.10**	**2,992.83**	**2,131.00**	**-**	**2,236.54**	**4.70**	**(1,719.38)**	**6,976.23**	**793.29**	**3,674.25**	**(2.48)**	**106.26**	**(226.08)**	**(204.75)**	**33,421.51**
अवधि के लिए लाभ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,378.24	-	-	-	-	8,378.24
परिभाषित हितलाभ योजनाओं का पुनः मापन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(10.67)	-	-	-	-	(10.67)
अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(0.05)**	**1.29**	**160.52**	**60.47**	**246.20**	**468.43**
कुल व्यापक आय	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**8,367.52**	**1.29**	**160.52**	**60.47**	**246.20**	**8,836.00**
प्रतिधारित अर्जन में/(से) अंतरण	2,563.13	288.13	1,673.00	-	-	-	-	981.10	-	(5,505.36)	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में/(से) अंतरण	-	(1,152.55)	-	-	-	-	-	1,945.83	(793.29)	-	-	-	-	-	(0.01)
एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.71	-	(242.71)	-	-	-
वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद हानि	-	-	-	-	-	-	437.65	-	-	-	-	-	-	-	437.65
वर्ष के दौरान ऋणशोधन	-	-	-	-	-	-	708.57	-	-	-	-	-	-	-	708.57
मियादी ऋण लिखत पर जारी व्यय	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(0.70)	-	-	-	-	(0.70)
कुल – अन्य समायोजन	**2,563.13**	**(864.42)**	**1,673.00**	**-**	**-**	**-**	**1,146.22**	**2,926.93**	**(793.29)**	**(5,263.35)**	**-**	**(242.71)**	**-**	**-**	**1,145.51**
लाभांश	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(2,172.41)	-	-	-	-	(2,172.41)
लाभांश वितरण कर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
कुल – स्वामियों के साथ लेन–देन	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,172.41)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**(2,172.41)**
31 मार्च, 2021 को शेष	**19,222.23**	**2,128.41**	**3,804.00**	**-**	**2,236.54**	**4.70**	**(573.16)**	**9,903.16**	**-**	**4,606.01**	**(1.19)**	**24.07**	**(165.61)**	**41.45**	**41,230.61**

रिजर्व से आहरण/अंतरण से संबंधित विस्तृत ब्यौरों के लिए नोट संख्या 29.1 देखें और हानि रिजर्व से अंतरण के लिए नोट संख्या 29.8 देखें।

वित्तीय विवरण के साथ संलग्न टिप्पणियां **1 से 70**

हमारी इसी तारीख की रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. रू000018एन/एन500091

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. :099387

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00992744

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई 2021

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
क. प्रचालनात्मक क्रियाकलापों से नकदी प्रवाहः				
कर पूर्व निवल लाभ	10,779.59		7,029.98	
निम्नलिखित के लिए समायोजनः				
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर (निवल) के मान्यता समाप्त करने पर हानि	4.69		1.69	
2. अवमूल्यन एवं परिशोधन	10.86		11.78	
3. वित्तीय परिसंपत्तियों पर हानि से संबंधित क्षति	2,445.94		919.48	
4. ऋण के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	32.61		53.02	
5. उधार के मामले में प्रभावी ब्याज दर के प्रति समायोजन	152.19		62.31	
6. व्युत्पन्न में उचित मूल्य परिवर्तन	(545.92)		47.72	
7. एफवीटीपीएल इन्स्ट्रुमेंट में उचित मूल्य परिवर्तन	(2.43)		(6.40)	
8. कमर्शियल पेपर पर ब्याज	35.32		463.66	
9. जीरो कूपन बॉण्ड पर उपचित ब्याज	81.78		105.29	
10. विनिमय दर घटने–बढ़ने पर हानि/(लाभ)	526.71		2,342.27	
11. निवेशों की बिक्री पर हानि/(लाभ)	-		(3.16)	
12. अग्रिम आय कर पर ब्याज के लिए किया गया प्रावधान	22.71		-	
13. इक्विटी मेथड प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यमों के लाभ/हानि का शेयर	1.97		(9.14)	
प्रचालनात्मक परिसंपत्तियों और देयताओं में परिवर्तन से पूर्व प्रचालनात्मक लाभ	**13,546.02**		**11,018.50**	
निम्नलिखित के कारण अंतर्प्रवाह/(बहिर्प्रवाह):				
1. ऋण परिसंपत्तियां	(56,522.42)		(41,664.59)	
2. व्युत्पन्न	711.20		(407.70)	
3. अन्य प्रचालनात्मक परिसंपत्तियां	(1,827.24)		(5,112.80)	
4. प्रचालनात्मक देयताएं	3,264.58		5,485.70	
प्रचालनों से नकदी प्रवाह	**(40,827.86)**		**(30,680.89)**	
1. भुगतान किया गया आयकर (टीडीएस सहित)	(2,696.20)		(1,777.35)	
2. आयकर वापसी	11.73		16.67	
प्रचालनात्मक गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**(43,512.33)**		**(32,441.57)**
ख. निवेशात्मक गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर की बिक्री	0.35		0.11	
2. संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर में निवेश (सीडब्ल्यूआईपी और पूंजीगत अग्रिम राशि सहित)	(73.30)		(97.51)	
3. अमूर्त परिसंपत्तियों में निवेश (विकास के अंतर्गत अमूर्त परिसंपत्तियों सहित)	(0.95)		(2.75)	
4. पूंजीकृत वित्त लागतें	(22.04)		(15.79)	
5. संयुक्त उपक्रम (ईईएसएल) के इक्विटी शेयरों में निवेश	-		(71.60)	
6. इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के इक्विटी शेयरों की बिक्री	249.92		4.23	
7. सहायक कंपनियों (निवल) के शेयर की/में बिक्री/(निवेश)	(0.40)		0.30	
8. ऋण प्रतिभूतियों (निवल) में विमोचन/(निवेश)	1,357.65		50.31	
9. सरकारी प्रतिभूतियों (निवल) में विमोचन/(निवेश)	(647.78)		-	
10. कारपोरेट और आवधिक जमाओं की/में परिपक्वता/(निवेश)	(2.93)		(18.31)	
11. इक्विटी पद्धति का प्रयोग करके करके निवेशों की वसूली का लेखांकन	-		2.10	
निवेश गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**860.52**		**(148.91)**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी......)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
ग. वित्त संबंधी गतिविधियों से नकदी प्रवाह				
1. रूपे ऋण प्रतिभूतियां(निवल) का निर्गम/(विमोचन)	15,499.66		21,293.39	
2. कमर्शियल पेपर (निवल) का निर्गम/(विमोचन)	(2,925.00)		(5,270.30)	
3. सरकार/बैंकों/वित्तीय संस्थानों (निवल) से रूपे अवधि ऋण/डब्ल्यूसीडीएल प्राप्त करना/(चुकौतियां)	26,270.47		7,904.65	
4. विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं उधार (निवल) प्राप्त करना/(चुकौतियां)	2,884.39		12,617.57	
5. अधीनस्थ देयताओं (निवल) को प्राप्त करना/(विमोचन)	1,999.50		-	
6. प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम	558.40		-	
7. प्रकृति में पूरी तरह से इक्विटी मियादी ऋण लिखत का निर्गम व्यय	(0.94)		-	
8. इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान	(2,172.41)		(2,172.41)	
9. कारपोरेट लाभांश कर का भुगतान	-		(446.06)	
10. पट्टा देयता के संबंध में पुनर्भुगतान	(0.73)		(0.64)	
वित्त संबंधी गतिविधियों से निवल नकदी प्रवाह		**42,113.34**		**33,926.20**
नकदी एवं नकदी समतुल्यता में निवल वृद्धि/कमी		**(538.47)**		**1,335.72**
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी समतुल्यता		1,717.71		381.99
वर्ष के अंत में नकदी एवं नकद समतुल्यता		1,179.24		1,717.71

वर्ष के दौरान, समूह को ₹27.97 करोड़ (पिछले वर्ष ₹36.94 करोड़) का लाभांश प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ₹150.31 करोड़ (पिछले वर्ष ₹259.29 करोड़) की राशि का भुगतान किया।

वर्ष के अंत में नकदी एवं नकदी समतुल्यता के घटक निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– हस्तगत रोकड़ (डाक एवं अग्रदाय सहित)	0.12	0.06
– बैंको में शेष	247.82	1,195.40
–अनुसूचित बैंकों में अल्पावधि जमा	931.30	522.25
कुल नकदी और नकदी समतुल्यता	**1,179.24**	**1,717.71**

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का समेकित नकदी प्रवाह विवरण (जारी......)

वित्त संबंधी गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली देयताओं का मिलान

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	अवधि के दौरान नकदी प्रवाह (निवल)	उपचित ब्याज में संचलन*	अन्य समायोजन		अंतिम शेष
				विनिमय अंतर	ईआईआर समायोजन	
31–03–2021 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	194,964.01	15,499.66	657.70	-	87.34	**211,208.71**
कमर्शियल पेपर	2,889.68	(2,925.00)	-	-	35.32	**-**
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	32,983.45	26,270.47	27.44	-	-	**59,281.36**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं अन्य उधारियां	50,629.65	2,884.39	16.81	(1,392.24)	147.74	**52,286.35**
अधीनस्थ देयताएं	4,819.65	1,999.50	128.90	-	(1.16)	**6,946.89**
कुल	**286,286.44**	**43,729.02**	**830.85**	**(1,392.24)**	**269.24**	**329,723.31**
31–03–2020 को समाप्त वर्ष						
रुपे ऋण प्रतिभूतियां	172,899.12	21,293.39	729.78	-	41.72	**194,964.01**
कमर्शियल पेपर	7,696.32	(5,270.30)	-	-	463.66	**2,889.68**
रुपे आवधिक ऋण/डब्ल्यूसीडीएल	24,884.25	7,904.65	194.55	-	-	**32,983.45**
विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां एवं बाण्ड	33,950.25	12,617.57	73.78	3,930.12	57.93	**50,629.65**
अधीनस्थ देयताएं	4,818.76	-	0.61	-	0.28	**4,819.65**
कुल	**244,248.70**	**36,545.31**	**998.72**	**3,930.12**	**563.59**	**286,286.44**

**उपचित ब्याज में संचलन को प्रचालन संबंधी क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह के रूप में "प्रचालन संबंधी देयताओं" में विचारा गया है।*

टिप्पणी: जहां आवश्यक है, पिछले वर्ष के आंकड़ों को फिर से व्यवस्थित किया गया है और उसे फिर से समूह में रखा गया है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 099387

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

1. कंपनी सिंहावलोकन

आरईसी लिमिटेड ("आरईसी" या "कंपनी" या "धारक कंपनी") की स्थापना वर्ष 1969 में की गई थी। यह कंपनी भारत में अधिवासित है एवं शेयरों द्वारा सीमित है और इसका पंजीकृत कार्यालय एवं कारोबार का मुख्य स्थान कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, भारत में स्थित है। कंपनी के पंजीकृत कार्यालय के अलावा, लेखा बहियों और वित्तीय विवरणों का रखरखाव प्लॉट संख्या आई–4, सेक्टर–29, गुरुग्राम, हरियाणा में किया जाता है। कंपनी के देश भर में फैले राज्यों में कार्यालय, मुख्यतः राज्यों की राजधानी में हैं तथा इसका एक प्रशिक्षण केंद्र हैदराबाद में है।

यह कंपनी एक सरकारी कंपनी है, जो संपूर्ण विद्युत क्षेत्र की मूल्य श्रृंखला को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है तथा यह भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के साथ व्यवस्थित ढंग में एक महत्वपूर्ण (नॉन–डिपोसिट एक्सेप्टिंग या होल्डिंग) गैर–बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है।

आरईसी, भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक अवसंरचना वित्त कंपनी है और आरईसी के प्रमुख उत्पादों में राज्य विद्युत बोर्डों, राज्य विद्युत यूटिलिटियों/राज्य विद्युत विभागों एवं निजी क्षेत्र को विद्युत अवसंरचना के सभी अंगभूतों के लिए ब्याज–युक्त ऋण प्रदान करना शामिल है।

कंपनी के शेयर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध हैं। इसके अलावा कंपनी की विभिन्न ऋण प्रतिभूतियां भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है।

अपनी अनुषंगी कंपनियों के साथ कंपनी को यहां इसके उपरांत 'समूह' के रूप में संदर्भित किया गया है।

2. अनुपालन का विवरण और तैयार करने का आधार

ये समेकित वित्तीय विवरण, कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक, कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए समेकित वित्तीय विवरणों को जारी करने हेतु निदेशक मंडल द्वारा 28 मई, 2021 को अधिकृत एवं अनुमोदित किया गया।

इन समेकित वित्तीय विवरणों को लेखाकरण की निम्नलिखित उपचित प्रणाली के जारी सरोकार के आधार पर तैयार किया गया है तथा ये कंपनी (भारतीय लेखाकरण मानक) नियम, 2015 (यथा संशोधित) के तहत अधिसूचित भारतीय लेखाकरण मानक ("इंड एएस" के रूप में संदर्भित), कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू उपबंधों और अन्य लागू नियामक मानदंडों/दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

3. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

समेकित वित्तीय विवरणों के तैयारी में प्रयुक्त महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों को नीचे दिया गया है:

3.1 समेकन का आधार

अनुषंगी

अनुषंगी कंपनी ऐसा निकाय है, जो समूह द्वारा होता है। समूह किसी निकाय अथवा इकाई को तब नियंत्रित करता है जब उसके पास निवेशकर्ता परअधिकार (शक्ति) होती है, वह उस निकाय के साथ अपनी भागीदारी के माध्यम से परिवर्तनशील (चर) लाभ रिटर्न के बारे में परिचित होता है या उसका अधिकार उसके पास होता है और इकाई पर अपनी अधिकार के माध्यम से उन रिटर्न को प्रभावित करने की क्षमता रखता है। अनुषंगी कंपनी के वित्तीय विवरणों को उस तारीख से समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल किया जाता है जिससे उस पर उसका नियंत्रण शुरू होता है और जिससे उस पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है। समूह धारक कंपनी और अपनी अनुषंगी कंपनीके वित्तीय विवरणों को परिसंपत्तियों, देयताओं, इक्विटी, आय और व्यय की समान मदों को लाइन बाई लाइन जोड़ कर समेकित करता है।

इक्विटी खाते में निवेशकर्ता

इक्विटी में समूह के हितों की गणना ऐसे निवेशकर्ताओं के लिए की जाती है, सहयोगी प्रतिष्ठानों और संयुक्त उद्यम में जिनके हित शामिल होते हैं।

एक सहयोगी प्रतिष्ठान, जिसमें एक गैर–निगमित इकाई भी शामिल है, एक ऐसी इकाई अथवा निकाय है, जिसके ऊपर कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है और यह न तो एक अनुषंगी कंपनी है और न ही किसी संयुक्त उद्यम में उसका कोई हित निहित होता है। सहयोगी प्रतिष्ठानों में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। इन हितों को शुरू में ऐसी लागत में मान्यता दी जाती है, जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी–अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है। हालांकि, अगर यह आकलन किया जाता है कि सहयोगी प्रतिष्ठानों में निवेश/हित बिक्री के लिए रखा गया है, तो ऐसे मामलों में सहयोगी प्रष्ठिानों में हित की गणना भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 105 के तहत की जाएगी।

एक संयुक्त उद्यम एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें समूह का संयुक्त नियंत्रण होता है और उसे अपनी देनदारियों के लिए अपनी परिसंपत्तियों और अपनी देयताओं की बाध्यताओं के अधिकारों के बजाय व्यवस्था की निबल परिसंपत्तियों पर अधिकार होता है।

संयुक्त उद्यम में हितों की गणना इक्विटी पद्धति का उपयोग करके की जाती है। उन्हें शुरू में ऐसी लागत के रूप में मान्यता दी जाती हैं जिसमें लेनदेन लागतें शामिल होती हैं। प्रारंभिक मान्यता के बाद, समेकित वित्तीय विवरणों में इक्विटी–अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के समूह के लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय (ओसीआई) का उस तारीख तक की हिस्सेदारी शामिल होती है, जिस तारीख तक महत्वपूर्ण प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

समेकन पर समाप्त हो गए लेनदेन

3.2 समूह के भीतर (इंट्रा–ग्रुप) बकाया राशियों और लेनदेनों और समूह के भीतर लेनदेनों से होने वाली किसी भी अघोषित आय और खर्च को समाप्त कर दिया जाता है। इक्विटी अकाउंटेड निवेशकर्ताओं के साथ लेन–देन से उत्पन्न होने वाले अघोषित लाभ को निवेशकर्ता में समूह के हित की सीमा तक निवेश के विरुद्ध समाप्त कर दिया जाता है। अघोषित लाभ की तरह ही अघोषित हानि को भी उसी तरीके से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन केवल इस हद तक कि यहां क्षतिपूर्ति का कोई सबूत नहीं है।

3.3 तैयारी और मापन का आधार

समेकित वित्तीय विवरणों को ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है। इसमें कुछ वित्तीय परिसंपत्तियों एवं वित्तीय देनदारियां शामिल नहीं हैं, जिन्हें संबंधित लेखाकरण नीतियों में यथा स्पष्टीकृत उचित मूल्यों पर मापा जाता है। इन नीतियों को समेकित वित्तीय विवरणों में प्रस्तुत सभी अवधियों के लिए सतत् रूप से लागू किया गया है।

कार्यात्मक एवं प्रस्तुत मुद्रा

समेकित वित्तीय विवरणों को भारतीय रुपयों ('आईएनआर'), जोकि समूह की कार्यात्मक मुद्रा भी है, में प्रस्तुत किया जाता है।

3.4 आय मान्यता

ब्याज आय

ब्याज आय की पहचान, बकाया राशि और लागू दर को ध्यान में रखते हुए समय अनुपात के आधार पर की गई है।

जब तक कि अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है, ऋणकर्ताओं से वसूलियों को निम्नलिखित क्रम में विनियोजित किया जाता है: (i) आरईसी की लागत और खर्चे (ii) ब्याज कर, यदि सहित कोई है, विलंबित और दांडिक ब्याज (iii) ब्याज कर सहित, यदि कोई है, अतिदेय ब्याज और (iv) मूलधन का पुनर्भुगतान; क्रेडिट क्षतिपूरित ऋण और वापस मांगे गए ऋणों को छोड़कर, सबसे पुराने होने के नाते उन्हें पहले समायोजित किया जा रहा है, जहां मूलधन की राशि को ब्याज कर, यदि कोई है, सहित अन्य लागतों, खर्चों, विलंबित और दंडात्मक ब्याज और अतिदेय ब्याज की पूर्ण वसूली के बाद ही विनियोजित किया जाता है। वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही के तहत वसूली को पहले मूलधन की बकाया राशि और शेष वसूली के मद में विनियोजित किया जाता है, उसके बाद ब्याज और अन्य प्रभारों, यदि कोई हैं के मद में विनियोजित किया जाता है।

परिशोधन लागत पर मापी गई सभी वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए, ब्याज आय को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) का उपयोग करके दर्ज किया जाता है, अर्थात वह दर जो वित्तीय परिसंपत्तियों के निवल वहन राशि के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्याशित अवधि के माध्यम से भविष्य की नकद प्राप्तियों का अनुमान लगाती है।

लाभ और हानि के जरिए उचित मूल्य पर मापी गई उत्तरवर्ती वित्तीय परिसंपत्तियों पर ब्याज को मान्यता संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार उपचित आधार पर दी जाती है और शीर्ष ब्याज के तह अलग से प्रकट किया जाता है।

उधारकर्ताओं द्वारा ब्याज के सामयिक भुगतान के कारण छूट को मान्यता, संबंधित अनुबंध की शर्तों के अनुसार, संपूर्ण ब्याज राशि का समय पर प्राप्त होने पर दी जाती है और यह तदनुरूपी ब्याज आय के समक्ष शुद्ध आय है।

सरकारी योजनाओं से आय

सरकारी योजनाओं पर एजेंसी शुल्क की आय को मान्यता प्रस्तुत सेवाओं पर आधारित उपचित आधार पर दी जाती है।

लाभांश आय

कारपोरेट निकायों के शेयरों पर लाभांश और म्युच्युअ फंड की यूनिटों से आय को, आरईसी को भुगतान प्राप्ति का अधिकार स्थापित होने पर, उपचित आधार पर खाते में लिया जाता है।

बशर्ते कि अंतिम लाभांश के मामले में, भुगतान प्राप्त करने के अधिकार को, केवल वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों द्वारा लाभांश की मंजूरी प्रदान करने पर विचारा जाएगा।

लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर बाद में मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर लाभांश को मान्यता 'लाभांश आय' शीर्ष के अंतर्गत अलग से दी जाती है।

अन्य सेवाएं

ऋण परिसंपत्तियों पर शुल्क/प्रभारों को, ईआईआर के लिए विचारित किसी समायोजन को छोड़कर, उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है। पूर्व–भुगतान प्रीमियम का हिसाब प्राप्ति वर्ष में कंपनी द्वारा किया जाता है।

सेवाएं प्रदान करने (बिक्री) से राजस्व

राजस्व को इस हद तक मान्यता दी जाती है कि इस बात की संभावना बनी रहे है कि समूह को आर्थिक लाभ प्रवाहित होते रहेंगे और राजस्व को विश्वसनीयता के साथ मापा जा सकता है।

समूह भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 115 द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उपयोग करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि राजस्व को कितनी और कब मान्यता दी जानी है, राजस्व की प्रकृति, राशि, समय अनुसूची और अनिश्चितता आदि क्या है। उसी के अनुसार, राजस्व को पाँच चरण वाले दृष्टिकोण के माध्यम से मान्यता दी जाती है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(i) ग्राहक के साथ संविदा (संविदाओं) की पहचान करना;

(iii) संविदा में अलग–अलग कार्यनिष्पादन दायित्वों की पहचान करना;

(iii) लेन–देन का मूल्य निर्धारित करना;

(iv) कार्यनिष्पादन दायित्वों के लिए लेनदेन की कीमत आवंटित करना; तथा

(v) कार्यनिष्पादन की बाध्यता के पूरे होने पर राजस्व को मान्यता देना।

राजस्वों का मापन प्राप्त या प्राप्य विचारण, छूटों और अन्य अप्रत्यक्ष करों के निबल के उचित मूल्य पर किया जाता है।

कॉस्ट प्लस संविदाओं में – राजस्व को मान्यता संविदा के अनुसार व्ययों की पात्र संविदात्मक मदों और आनुपातिक मार्जिन को शामिल कर दी जाती है;

निर्धारित मूल्य संविदाओं में – राजस्व को मान्यता संविदा के पूरा होने के चरण के आधार पर दी जाती है। समूह ने आकलन किया है कि संविदा के पूरा होने के चरण का निर्धारण रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उस कार्यनिष्पादन बाध्यता को पूरा करने के लिए अपेक्षित कुल समय के अनुपात के रूप में किया जाता है, जो भारतीय लेखांकन मानक (एएस) 115 के अंतर्गत इन कार्यनिष्पादन बाध्यताओं की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति का एक उपयुक्त मापक है।

यदि हालात बदलते हैं, तो राजस्व, लागत या पूर्ण होने की दिशा में प्रगति के अनुमानों को संशोधित किया जाता है। अनुमानित राजस्व या लागत में कोई भी परिणामी वृद्धि या कमी को उस अवधि में लाभ या हानि में दर्शाया जाता है, जिसमें संशोधन को जन्म देने वाली परिस्थितियां प्रबंधन द्वारा ज्ञात हो जाती हैं।

टैरिफ आधारित बोली प्रक्रिया के तहत पारेषण परियोजनाओं के लिए चयनित बोलीदाताओं/डेवलपर्स से लिए जाने वाले व्यावसायिक प्रभारों की गणना उस वर्ष में की जाती है, जिसमें यह यथोचित रूप से निश्चित होता है कि व्यावसायिक प्रभारों का अंतिम संग्रहण किया जाएगा।

प्रस्तावों के लिए अनुरोध (आरएफपी) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय को संबंधित एसपीवी को क्रेडिट किया जाता है और अर्हता के लिए अनुरोध (आरएफक्यू) दस्तावेजों की बिक्री से होने वाली आय समूह द्वारा अपने पास रखी जाती है और इसकी गणना समूह की आय के रूप में की जाती है।

3.5 उधार लागत

उधार लेने की लागत में ब्याज और ऐसी अन्य लागतें शामिल होती हैं, जिन्हें समूह निधियों की उधारी के संबंध में खर्च करता है। उधार लेने की लागतें, जो एक अर्हकारी परिसंपत्तियों के अधिग्रहण और/या निर्माण के लिए प्रत्यक्ष रूप से तब तक जिम्मेदार हैं जब तक कि ऐसी अर्हकारी परिसंपत्तियों अपने अभीष्ट उपयोग बिक्री के लिए तैयार नहीं हो जाती, पूंजीकृत होती हैं। एक अर्हकारी परिसंपत्तियों वह है जो आवश्यक रूप से अपने अभीष्ट उपयोग के लिए तैयारी के संबंध में पर्याप्त समय लेती है।

अन्य सभी उधार लागतें, प्रभावी ब्याज दर पद्धति के अनुसार उपचित आधार पर लाभ और हानि के विवरण हेतु प्रभारित हैं।

3.6 प्रति शेयर अर्जन

प्रति शेयर मूलभूत आय की गणना, अवधि के दौरान बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या द्वारा इक्विटी शेयरधारकों (आरोप्य करों की कटौती के उपरांत) के लिए देय अवधि के संबंध में निवल लाभ या हानि को विभाजित करके की जाती है।

प्रति शेयर तनूकृत आय की गणना करने के लिए, अवधि के दौरान बकाया शेयरों की भारित औसत संख्या और इक्विटी हेतु देय अवधि के लिए निवल लाभ या हानि को सभी घटाने योग्य संभावित इक्विटी शेयरों के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है।

3.7 विदेशी मुद्रा रूपांतरण

विदेशी मुद्रा लेनदेन और संतुलन

विदेशी मुद्रा लेनदेन को, लेनदेन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों का उपयोग करके समूह की कार्यात्मक मुद्रा में रूपांतरित किया जाता है।

इस तरह के लेन–देन के निपटान के फलस्वरूप विदेशी मुद्रा लाभ और हानियों और अवधि–अंत विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में विभाजित मौद्रिक वस्तुओं के पुनः माप को मान्यता लाभ या हानि विवरण में दी जाती है। हालांकि, 1 अप्रैल 2018 से पूर्व समेकित वित्तीय विवरणों में मान्यतकृत दीर्घकालिक मौद्रिक मदों के लिए, इस तरह के लाभ और हानि को "विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद अंतरण खाते" में संचित किया जाता है और ऐसी प्रत्येक अवधि में आय या व्यय के रूप में पहचान करने के द्वारा, इस प्रकार की दीर्घकालिक मौद्रिक मद की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

गैर–मौद्रिक वस्तुओं को अवधि के अंत में पुनः अंतरित नहीं किया जाता है और उनको ऐतिहासिक लागत (लेनदेन की तिथि को विनिमय दरों के उपयोग द्वारा रूपांतरित) पर मापा जाता है।

3.8 अमूर्त परिसंपत्तियां

मान्यता और प्रारंभिक मापन

अमूर्त संपत्ति में मुख्य रूप से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल होता है, जिसे शुरू में लागत पर मापा जाता है। ऐसी परिसंपत्तियों को मान्यता दी जाती है, जिनमें यह संभावना है कि परिसंपत्तियों के कारण भावी आर्थिक लाभ समूह में प्रवाहित होंगे।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

उत्तरवर्ती माप प्रक्रिया (परिशोधन विधि, उपयोगिता अवधि और शेष मूल्य)

परिमित उपयोगिता अवधि के साथ सभी अमूर्त परिसंपत्तियों को अनुमानित उपयोगिता अवधि से परे एक सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है, और यदि अमूर्त परिसंपत्तियों को क्षति होने का संकेत होता है तो संभावित हानि का आकलन किया जाता है। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए शेष मूल्य और उपयोगिता अवधि की समीक्षा की जाती है। परिवर्तन, यदि कोई हो तो, का लेखांकन प्राक्कलनों में परिवर्तन के रूप में हिसाब लगाया जाता है। प्रबंधन का अनुमान है कि अमूर्त परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि पांच वर्ष होगी।

विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां

ऐसे व्यय, जो अमूर्त परिसंपत्तियों के तहत पूंजीकरण के लिए पात्र हैं, को उनके अभीष्ट उपयोग हेतु तैयार होने तक 'विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियों' के रूप में, रखा जाता है। अमूर्त संपत्ति के अधिग्रहण/विकास के लिए किया गया अग्रिम भुगतान जो तुलन पत्र की तिथि पर बकाया हैं 'उन्हें अग्रिम पूंजी' के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

अमूर्त परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

किसी अमूर्त परिसंपत्तियों को निपटान के समय, या उसके उपयोग या निपटान से कोई भावी आर्थिक लाभ न होने की प्रत्याशा पर अमान्यकृत कर दिया जाता है। किसी अमूर्त परिसंपत्तियों के अमान्यकरण से व्युत्पन्न लाभ या हानि, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में मापित, को परिसंपत्तियों को अमान्यकृत किए जाने पर लाभ एवं हानि के विवरण को मान्यता दी जाती है।

3.9 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई)

मान्यता और प्रारंभिक मापन

भूमि

उपयोग के लिए रखी गई भूमि को प्रारंभ में लागत पर मान्यता दी जाती है। भूमि के लिए, जैसा कि कोई परिमित उपयोगिता अवधि निर्धारित नहीं की जा सकती है, संबंधित वहन राशि का मूल्यह्रास नहीं होता है।

भूमि में भूमि भी शामिल है जिसे उपयोग के अधिकार के रूप में पट्टे के तहत संपत्ति के रूप में माना जाता है जिसे पहले वित्तीय पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया गया था और पट्टे की अवधि में परिशोधित किया गया है।

अन्य मूर्त परिसंपत्तियां

भूमि के अन्यत्र पीपीई को प्रारंभ में अधिग्रहण लागत या निर्माण लागत पर मान्यता दी जाती है, जिसमें ऐसी लागतें जो परिसंपत्तियों को स्थान पर लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य हैं और ऐसी शर्तें जो इसे कंपनी के प्रबंधन द्वारा अभीष्ट ढंग में प्रचालन करने में सक्षम हेतु अनिवार्य बनाती हैं, शामिल हैं।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। पीपीई के अनुरक्षण या सर्विसिंग लागत को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास पद्धति, उपयोगिता अवधि, शेष मूल्य और क्षति)

पीपीई को बाद में कम संचित मूल्यह्रास लागत और क्षतिपूर्ण हानियों पर मापा जाता है। पीपीई पर मूल्यह्रास को, कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग 'ग' के तहत निर्धारित परिसंपत्तियों के उपयोगी अवधि पर सीधी–रेखा पद्धति के अनुसार प्रदान किया जाता है।

वर्ष के दौरान खरीदी/बेची गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास को, उक्त के खरीद/बिक्री की तारीख से यथानुपात आधार पर प्रभारित करने के बजाय, परिसंपत्तियों के 15 दिन से अधिक उपयोग होने पर पूरे महीने के लिए प्रभारित किया जाता है। वर्ष के दौरान खरीदी गई परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास 5,000/– रुपए तक @ 100% की दर से प्रदान किया जाता है।

शेष मूल्यों, उपयोगी अवधि और मूल्यह्रास की पद्धति की समीक्षा प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में की जाती है। भूमि के अन्यत्र पीपीई का क्षति के लिए परीक्षण तब किया जाता है, जब घटनाओं या परिस्थितियों में परिवर्तन से यह इंगित होता है कि वहन राशि वसूली योग्य नहीं हो सकती है।

अमान्यकरण

पीपीई की एक मद तथा प्रारंभ में मान्यता प्राप्त किसी महत्वपूर्ण अंश को, निपटान पर या भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। पीपीई की किसी मद के अमान्यकरण पर उत्पन्न किसी लाभ या हानि का निर्धारण, निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में किया जाता है तथा उसे लाभ एवं हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीगत कार्य में प्रगति

रिपोर्टिंग तिथि को निर्माणाधीन पीपीई की लागत को 'पूंजीगत कार्य में प्रगति' के रूप में प्रकट किया जाता है। लागत में क्रय मूल्य, पूंजीकरण मानदंड पूर्ण होने पर उधार लागत और परिसंपत्तियों को अभीष्ट उपयोग हेतु इसके कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से आरोप्य लागत शामिल होती है। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है। पीपीई के अधिग्रहण/निर्माण के लिए प्रदत्त अग्रिम, जो तुलन–पत्र की तारीख को बकाया हैं, को 'अग्रिम पूंजी' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

3.10 पट्टा लेखांकनः

समूह अल्पकालिक या कम मूल्य के पट्टे के रूप में पहचाने गए पट्टों को छोड़कर सभी पहले से प्रचालनरत पट्टों के संबंध में उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और संबंधित पट्टा देयता को मान्यता देता है।

समूह संविदा की शुरूआत के समय ही इस बात का मूल्यांकन करता है कि क्या कोई संविदापट्टा संविदा है या इसमें कोई पट्टा निहित है। किसी पट्टे को 'एक ऐसी संविदा, या एक संविदा के भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो परिसंपत्तियों (अंतर्निहित परिसंपत्तियों) को विचारण राशि के बदले में अवधि के लिए उपयोग करने का अधिकार प्रदान करता है।'

इस परिभाषा को लागू करने के लिए समूह इस बात आकलन करता है कि क्या संविदा मूल्यांकन की तीन प्रमुख शर्तों को पूरा करती है या नहीं, जो कि क्या :

- संविदा में पहचान की गई एक ऐसी परिसंपत्तियों शामिल होती है, जिसे या तो संविदा में स्पष्ट रूप से मान्यता दी जाती है या यह स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जाता है कि समूह द्वारा परिसंपत्तियों उपलब्ध कराई गई है।
- समूह को संविदा की निर्धारित सीमा के भीतर अपने अधिकारों पर विचार करते हुए उपयोग की अवधि में पहचान की गई परिसंपत्तियों के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।
- समूह के पास यह अधिकार है कि वह इस्तेमाल की गई अवधि के दौरान पहचानी गई परिसंपत्तियों के उपयोग का निर्देश दे। समूह यह आकलन करता है कि क्या उसे यह निदेशित करने का अधिकार है कि उपयोग की संपूर्ण अवधि के दौरान परिसम्पत्ति का उपयोग "कैसे और किस उद्देश्य के लिए" किया जाता है।

पट्टा शुरू होने की तारीख को समूह अपने तुलन पत्र में राइट–ऑफ–यूज परिसम्पत्ति और पट्टा देयता को मान्यता देता है। राइट–ऑफ–यूज परिसम्पत्ति को उस लागत पर मापा जाता है, जो पट्टे की देयता के प्रारंभिक मापन, समूह द्वारा की गई किसी भी प्रारंभिक प्रत्यक्ष लागतों, पट्टा की अवधि की समाप्ति पर परिसंपत्तियों को डिसमेंटल करने और हटाने के लिए किसी भी लागत अनुमान और पट्टा प्रारंभ तिथि (प्राप्त किसी भी प्रोत्साहन का निबल) के अग्रिम तौर पर किए गए किसी भी पट्टा भुगतान से मिलकर बनती है।

समूह पट्टा शुरू होने की तारीख से लेकर राइट–ऑफ–यूज परिसम्पत्ति के उपयोगी जीवन के अंत तक या पट्टा अवधि की समाप्ति तक एक सीधी रेखा पद्धति के आधार पर राइट–ऑफ–यूज़ परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास करता है। समूह ऐसे संकेतक मौजूद होने पर क्षतिपूर्ति के लिए राइट–ऑफ–यूज परिसम्पत्ति का भी आकलन करता है।

प्रारंभ तिथि को समूह उस तिथि पर पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन पट्टा में निहित ब्याज दर का उपयोग करके रियायत देते हुए करता है, बशर्ते कि वह दर आसानी से उपलब्ध दर हो या फिर समूह की वृद्धिशील उधार दर हो।

पट्टा देयता के मापन में शामिल पट्टा भुगतान स्थिर भुगतानों (यथार्थ रूप में स्थिर को शामिल करते हुए), किसी सूचकांक या दर के आधार पर परिवर्ती भुगतानों, अवशिष्ट मूल्य गारंटी के तहत देय राशि और ऐसे अपेक्षित विकल्पों, जिनका प्रयोग किया जाना निश्चित है, से उत्पन्न भुगतानों को मिलाकर बनते हैं।

प्रारंभिक मापन के बाद, किए गए और ब्याज के लिए बढ़ाए गए भुगतानों के लिए देयता कम हो जाएगी। किसी भी पुनर्मूल्यांकन या संशोधन को प्रतिबिंबित करने के लिए या यदि इन–यथार्थ रूप से निश्चित भुगतानों में कोई परिवर्तन होते हैं, तो इसे फिर से मापा जाता है।

जब पट्टा देयता को फिर से मापा जाता है, तो संबंधित समायोजन को राइट–ऑफ़–यूज़ परिसंपत्तियों में और यदि राइट–ऑफ़–यूज़ परिसंपत्तियों पहले से ही शून्य हो जाती है, तो इसे लाभ और हानि में दर्शाया जाता है।

3.11 निवेश संपत्ति

निवेश संपत्तियां वे परिसंपत्तियों हैं जिनका भावी उपयोग अनपेक्षित होता है। लेन–देन की लागत सहित, निवेश संपत्तियों को प्रारंभ में लागत पर मापा जाता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, निवेश संपत्तियों को कम संचित मूल्यह्रास पर वर्णित किया जाता है। लागत में खरीद मूल्य, पूंजीकरण मानदंड की पूर्ति पर उधार लागत और अभीष्ट उपयोग के लिए परिसंपत्तियों को इसकी कार्यशील स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से लाने के लिए आरोप्य लागत शामिल हैं। व्यापार संबंधी किसी बट्टे एवं छूटों को खरीद मूल्य की प्राप्ति से घटा दिया जाता है।

उत्तरवर्ती लागतों को परिसंपत्तियों की वहन राशि शामिल किया जाता है या एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में, यथा उपयुक्त, केवल उसी समय मान्यता दी जाती है, जब यह संभव है कि मद से जुड़े भावी आर्थिक लाभ एक वर्ष से अधिक कंपनी में प्रवाहित होंगे। अन्य सभी मरम्मत एवं अनुरक्षण लागतों को हुए लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

उत्तरवर्ती माप (मूल्यह्रास और उपयोगिता अवधि)

निवेश संपत्ति के रूप में समूह के पास केवल भूमि है, जो कि मूल्यह्रास नहीं है।

अमान्यकरण

किसी निवेश संपत्ति को उसके निपटान पर या निवेश संपत्ति को उपयोग से स्थायी रूप से हटाने पर भविष्य में इसके उपयोग या निपटान से कोई आर्थिक लाभ न होने की संभावना पर, अमान्यकृत किया जाता है। संपत्ति के अमान्यकरण से व्युत्पन्न किसी लाभ या हानि (निवल निपटान आय और परिसंपत्तियों की वहन राशि के बीच अंतर के रूप में परिचालित) में उस अवधि का लाभ या हानि शामिल हैं, जिसमें संपत्ति को अमान्यकृत किया गया है।

3.12 वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट)

वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) एक ऐसा अनुबंध है जो एक एंटिटी की वित्तीय परिसंपत्तियों और अन्य एंटिटी की वित्तीय देयता या इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को जन्म देता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

प्रारंभिक मान्यता और मापन

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को मान्यता तब दी जाती है जब समूह, वित्तीय साधन (इंस्ट्रूमेंट) के संविदात्मक उपबंधों के लिए एक पार्टी बन जाता है और इसे प्रारंभ में लेन–देन की लागतों द्वारा समायोजित उचित मूल्य पर मापा जाता है, इसमें वे शामिल नहीं है जिन्हें लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर शुरू में मापा जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उत्तरवर्ती माप को नीचे वर्णित किया गया है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

उत्तरवर्ती मापन के प्रयोजनार्थ, वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभिक मान्यता पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- ऋण–परिशोधित लागत
- लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियां (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों (एफवीओसीआई)

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों, एफवीटीपीएल पर या एफवीओसीआई में इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स को छोड़कर, पहचान के लिए न्यूनतम प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में क्षति हेतु समीक्षा के अधीन हैं चाहे इसमें कोई वित्तीय साक्ष्य, जो किसी वित्तीय परिसंपत्तियों या वित्तीय परिसंपत्तियों के किसी समूह की क्षति हो। क्षति का निर्धारण करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों की प्रत्येक क्षेणी हेतु विभिन्न मानदंड लागू किए गए हैं, जिन्हें नीचे वर्णित किया गया है।

परिशोधित लागत

एक वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआरआर) के उपयोग द्वारा परिशोधन लागत पर मापा जाता है, यदि निम्नलिखित दोनों निम्न शर्तें पूर्ण होती हैं:

क) वित्तीय परिसंपत्तियों को एक ऐसे बिजनेस मॉडल में रखा जाता है, जिसका उद्देश्य वित्तीय परिसंपत्तियों को धारण करने हेतु संविदात्मक नकदी प्रवाह एकत्र करना है; तथा

ख) वित्तीय परिसंपत्तियों की संविदात्मक शर्तें नकदी प्रवाहों, जो बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज का भुगतान करते हैं, के लिए निर्दिष्ट तिथियों पर जन्म देती हैं।

अपेक्षित क्रेडिट हानियों के लिए क्षति भत्ते को मान्यता परिशोधित लागत पर ली गई वित्तीय परिसंपत्तियों पर दी गई है।

नकदी प्रवाहों का संशोधन

जब किसी वित्तीय परिसंपत्तियों के संविदात्मक नकदी प्रवाह परिवर्तित या अन्यथा संशोधित किए जाते हैं, और परिवर्तन या संशोधन से उक्त वित्तीय परिसंपत्तियों के अमान्यकरण में कोई प्रभाव नहीं डालते हैं, तो समूह वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की पुनःगणना करता है और लाभ या हानि में संशोधित लाभ या हानि की पहचान करता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की सकल वहन राशि की, पुनर्निधारित या संशोधित संविदात्मक नकदी प्रवाहों की वर्तमान मूल्य के रूप में पुनःगणना की जाएगी, जो वित्तीय परिसंपत्तियों के मूल प्रभावी ब्याज दर पर छूट प्रदान करती है। खर्च हुई लागतें या शुल्क संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की वहन राशि को समायोजित करते हैं और उनको संशोधित वित्तीय परिसंपत्तियों की शेष अवधि में परिशोधित किया जाता है।

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां

एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां में, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियां शामिल हैं जो या तो परिशोधित लागत वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करती हैं या वे ट्रेडिंग हेतु रखे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट हैं अथवा जो कुछ शर्तों को पूरा करती हैं और उन्हें प्रारंभिक मान्यता पर एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट किया गया है। सभी व्युत्पन्न वित्तीय इंस्ट्रूमेंट भी इस श्रेणी में आते हैं, नामोद्दिष्ट एवं हेजिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में प्रभावी को छोड़कर, जिनके लिए हेज लेखांकन अपेक्षाएं लागू हो सकती हैं। इस श्रेणी में परिसंपत्तियों को, लाभ या हानि में मान्यताकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है। इस श्रेणी में वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य को, सक्रिय बाजार लेनदेन के संदर्भ में या कोई सक्रिय बाजार न होने की स्थिति में मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है।

अंतर्निहित व्युत्पन्न

एक अंतर्निहित व्युत्पन्न हाइब्रिड लिखत का एक घटक है जिसमें एक गैर–व्युत्पन्न मेजबान अनुबंध भी इस प्रभाव से शामिल है कि संयुक्त लिखत के कुछ नकदी प्रवाह एक स्टैंड–अलोन व्युत्पन्न के समान भिन्न होते हैं। एक अंतर्निहित व्युत्पन्न कुछ या सभी नकदी प्रवाह का कारण बनता है जो अन्यथा अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट ब्याज दर, विदेशी विनिमय दर, या अन्य परिवर्तकों के अनुसार संशोधित करने की आवश्यकता होगी, बशर्ते कि गैर–वित्तीय परिवर्तकों के मामले में, यह एक पार्टी के अनुबंध के लिए विशिष्ट नहीं है।

सभी मेजबान अनुबंधों में अंतर्निहित व्युत्पन्न को अलग–अलग व्युत्पन्न के रूप में गिना जाता है और उचित मूल्य पर दर्ज किया जाता है यदि उनकी आर्थिक विशेषताएँ और जोखिम मेजबान अनुबंधों से निकटता से संबंधित नहीं हैं या यदि अंतर्निहित व्युत्पन्न सुविधा से जोखिम में वृद्धि होती है और हालांकि लाभ या हानि पर मेजबान अनुबंध व्यापार के लिए आयोजित नहीं हैं या उचित मूल्य पर नामित नहीं हैं। इन अंतर्निहित व्युत्पन्न को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त उचित मूल्य में परिवर्तन होते हैं, जब तक कि प्रभावी हेजिंग लिखत के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एफवीओसीआई में वित्तीय परिसंपत्तियों

एफवीओसीआई वित्तीय परिसंपत्तियों में उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी इंस्ट्रूमेंट शामिल हैं। एफवीओसीआई के रूप में वर्गीकृत एक इक्विटी निवेश को प्रारंभ में उचित मूल्य एवं लेनदेन लागतों पर मापा जाता है। लाभ एवं हानियों को, अन्य व्यापक आय और इक्विटी के तहत एफवीओसीआई आरक्षित के अंतर्गत रिपोर्ट की गई राशि में मान्यता प्रदान की जाती है। इसमें लाभांश आय, जिसकी पहचान लाभ या हानि में की गई है, शामिल नहीं है। ओसीआई से लाभ एवं हानि के विवरण, यहां तक कि निवेश के अमान्यकरण से भी ऐसे लाभों और हानियों का कोई पुनर्चक्रण नहीं है। हालांकि, समूह इक्विटी के अंतर्गत उक्त का हस्तांतरण कर सकता है।

वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

नियम एवं शर्तों के पर्याप्त संशोधन के कारण वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

समूह एक वित्तीय परिसंपत्तियों को अमान्य करता है, जैसे कि ग्राहक को ऋण देना, जब नियम एवं शर्तों को इस सीमा तक पुनर्निर्धारित किया जाता है कि, काफी हद तक, यह एक नया ऋण बन जाता है, और अंतर की एक अमान्यकरण लाभ या हानि के रूप में पहचान करना, जिसमें एक सीमा तक कि किसी क्षतिपूर्ण हानि को पूर्व में दर्ज नहीं किया गया है।

पर्याप्त संशोधन के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियों का अमान्यकरण

वित्तीय परिसंपत्तियों (या जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्तियों का एक अंश या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का अंश) को, वित्तीय परिसंपत्तियों से नकदी प्रवाह की प्राप्ति का संविदात्मक अधिकार समाप्त होने पर, या वित्तीय परिसंपत्तियों एवं पर्याप्त रूप से सभी जोखिम और पुरस्कार अंतरित किए जाने पर, अमान्यकृत किया जाता है (अर्थात् समूह के तुलन–पत्र से हटा दिया जाता है)। समूह वित्तीय परिसंपत्तियों को भी अमान्यकृत कर देता है, यदि उसने दोनों वित्तीय परिसंपत्तियों को हस्तांतरित और अमान्यकरण के लिए अंतरण अर्हता प्राप्त कर ली हो।

वित्तीय देयताओं का वर्गीकरण और उत्तरवर्ती मापन

वित्तीय देयताओं को बाद में प्रभावी ब्याज पद्धति के उपयोग द्वारा परिशोधन लागत पर मापा जाता है, इसमें ट्रेडिंग या एफवीटीपीएल में नामोद्दिष्ट के लिए रखी वित्तीय देयताएं शामिल नहीं हैं, जिन्हें लाभ या हानि में मान्यकृत लाभ या हानि के साथ उचित मूल्य पर बाद में ले जाया जाता है।

वित्तीय देयताओं का अमान्यकरण

एक वित्तीय देयता को तब अमान्यकृत कर दिया जाता है जब देयता के तहत दायित्व का निर्वहन या रद्द या समाप्त हो जाता है। जब एक मौजूदा वित्तीय देयता को उसी ऋणदाता से मूलतः भिन्न शर्तों पर प्रतिस्थापित किया जाता है या किसी मौजूदा देयता की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल देयता के अमान्यकरण और नई देयता की मान्यता के रूप में विचारा जाता है। संबंधित वहन राशि में हुए अंतर को लाभ या हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

हेज लेखांकन

हेज लेखांकन के लिए अर्हक होने हेतु हेजिंग के संबंध में निम्नलिखित आवश्यकताओं को पूरा करना अनिवार्य है:

- हेज की गई मद और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध है।
- क्रेडिट जोखिम का प्रभाव ऐसे मूल्य परिवर्तनों पर वर्चस्व कायम नहीं करता है, जो उस आर्थिक संबंध के परिणामस्वरूप उत्पन्न होते हैं।
- हेजिंग संबंध का हेज अनुपात ठीक वैसा ही है, जैसे कि हेज किए गए मद की मात्रा से उत्पन्न होता है, जितनी कंपनी वास्तविक रूप से हेज करती है और उस हेजिंग लिखत की मात्रा से उत्पन्न होता है, जिसका प्रयोग कंपनी वास्तविक रूप से हेज किए गए मद की उस मात्रा को हेज करने के लिए करती है।

हेज लेखांकन के अंतर्गत निर्धारित सभी व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को आरंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग तारीख को उचित मूल्य पर बाद में रिपोर्ट की जाती है। उस सीमा तक जहां तक हेज प्रभावी है, नगदी प्रभाव हेज में हेजिंग लिखतों के रूप में निर्धारित व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तनों को अन्य वृहद आय शीर्ष के अंतर्गत मान्यता दी जाती है और इक्विटी में नगदी प्रवाह हेज रिजर्व में इसे शामिल किया जाता है। हेज संबंध में किसी भी अप्रभावशीलता को तत्काल लाभ अथवा हानि में मान्यता दी जाती है।

जब हेज किया गया मद लाभ अथवा हानि को प्रभावित करता है तो उस समय अन्य वृहद आय में पहले मान्यता प्राप्त किसी लाभ अथवा हानि को इक्विटी से लाभ अथवा हानि में पुनः वर्गीकृत किया जाता है और अन्य वृहद आय में एक पुनः वर्गीकृत समायोजन के रूप में इसे प्रस्तुत किया जाता है।

प्रत्येक हेजिंग संबंध की स्थापना के समय में समूह हेज संबंधों को समूह के जोखिम प्रबंधन लक्ष्य और रणनीतियों के अनुसार औपचारिक रूप से निर्धारित और प्रलेखित करती है। इस प्रलेखन में हेज की गई मद की पहचान, हेजिंग लिखत, हेज किए जा रहे जोखिम (जोखिमों) की प्रकृति, हेज अनुपात और हेजिंग संबंध किस प्रकार से हेजिंग प्रभावशीलता की अपेक्षाओं को पूरा करता है, शामिल हैं।

3.13 वित्तीय परिसंपत्तियों की क्षति

ऋण परिसंपत्तियों

समूह निम्न प्रकार से प्रारंभिक मान्यता से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर क्षति के लिए 'त्रि–स्तरीय' मॉडल का अनुसरण करता है:

- स्तर–1 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हुई है या जिनकी रिपोर्टिंग तिथि में कम क्रेडिट जोखिम है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- स्तर–2 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें प्रारंभिक मान्यता से ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, लेकिन इसमें क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य नहीं है।
- स्तर–3 में ऐसी ऋण परिसंपत्तियां शामिल हैं, जिनमें रिपोर्टिंग तिथि में क्षति के उद्देश्य का साक्ष्य है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि (ईसीएल) को चरण–1 ऋण परिसंपत्तियों के लिए 12–माह ईसीएल और चरण–2 के लिए लाईफटाइम ईसीएल और चरण–3 ऋण परिसंपत्तियों में मापा जाता है। ईसीएल डिफॉल्ट की संभावना, डिफॉल्ट पर एक्सपोजर और डिफॉल्ट के कारण हानि (लॉस गिवन डिफॉल्ट) का उत्पाद है, जिसे निम्नानुसार परिभाषित किया गया है:

डिफॉल्ट की संभावना (पीडी) – डिफॉल्ट की संभावना एक उधारकर्ता के अपने वित्तीय दायित्व, चाहे अगले 12 महीनों (12 महीने पीडी) से अधिक हो, या दायित्व के शेष उपयोग–काल (लाईफटाइम पीडी), पर डिफॉल्ट होने की संभावना को निरूपित करती है।

लॉस गिवेन डिफॉल्ट (एलजीडी) – एलजीडी कंपनी की ऐसी स्वभाविक हानि अपेक्षा का प्रतिनिधित्व करता है, जो अपने आप वाई डिफॉल्ट उत्पन्न होती है। एलजीडी को प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त किया जाता है और यह राशि के उस अनुपात को दर्शाता है जो किसी चूक के मामले में वसूलियों के बाद वास्तविक रूप से क्षतिग्रस्त हो जाएगा।

एक्सपोजर एट डिफॉल्ट (ईएडी) – ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, संचित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कंफर्ट शामिल होते हैं, जिसकी कंपनी को चूक के समय प्राप्त होने की उम्मीद होती है।

दूरंदेशी (फारवर्ड लुकिंग) आर्थिक जानकारी को 12 महीने एवं लाईफटाइम पीडी, ईएडी और एलजीडी के निर्धारण में शामिल किया जाता है। प्रत्याशित क्रेडिट हानि के मुख्य पूर्वानुमानों की निगरानी और समीक्षा सतत् आधार पर की जाती है।

ऋण के अन्यत्र वित्तीय परिसंपत्तियां

अपनी अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के संबंध में, समूह यह आकलन करता है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से उन वित्तीय परिसंपत्तियों पर ऋण जोखिम पर्याप्त रूप से बढ़ गया है। यदि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई है, तो समूह 12–महीने की प्रत्याशित क्रेडिट हानि के बराबर राशि पर, अथवा लाईफटाइम क्रेडिट हानियों के समतुल्य राशि पर नुकसान भत्ते को मापता है।

उक्त मूल्यांकन करने के लिए, समूह वित्तीय परिसंपत्तियों पर होने वाले डिफॉल्ट के जोखिम की तुलना, प्रारंभिक मान्यता की तारीख को वित्तीय परिसंपत्तियों पर डिफॉल्ट रूप से घटित होने वाले जोखिम के साथ तुलन–पत्र की तिथि से करता है। समूह उचित और सहायक जानकारी पर भी विचार करता है, जो अदेय लागत या प्रयास के बिना उपलब्ध है, और जो प्रारंभिक पहचान के बाद से क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि की सूचक है। समूह मानता है कि वित्तीय परिसंपत्तियों पर क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक मान्यता के उपरांत पर्याप्त रूप से बढ़ा नहीं है यदि वित्तीय परिसंपत्तियों तुलन–पत्र की तारीख को निम्न क्रेडिट जोखिम का निर्धारण करती है।

बट्टे खाते

वित्तीय परिसंपत्तियों को आंशिक रूप से या संपूर्ण रूप से बट्टे खाते में तब डाला जाता है जब समूह ने वसूली करना बंद कर दिया हो।

3.14 बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियां/निपटान समूह

गैर–चालू परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली उनके निरंतर उपयोग की बजाय बिक्री लेनदेन के माध्यम से मुख्य रूप से की जाएगी और अगर उनकी बिक्री की प्रबल संभावना है, तो परिसंपत्तियों का वर्गीकरण बिक्री के लिए रखी गयी परिसंपत्तियों के रूप में किया जाता है। एक बिक्री को प्रबल संभावना तब माना जाता है जब ऐसी परिसंपत्तियों को समूह द्वारा बेचे जाने का निर्णय लिया गया है: अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हैं; एक कीमत पर बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है और बिक्री पर सहमति हो गई है या वर्गीकरण की तारीख के एक वर्ष के भीतर समाप्त होने की उम्मीद है। ऐसी गैर–चालू परिसंपत्तियां को कम वहन राशि या कम बिक्री लागत के उचित मूल्य पर मापा जाता है।

बिक्री के लिए रखी गयी गैर–चालू परिसंपत्तियां तुलन पत्र में अन्य परिसम्पत्तियों से इतर दर्शायी जाती है। गैर–चालू परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास तब नहीं किया जाता है, जब उन्हें बिक्री के लिए रखी परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

जहां समूह किसी इकाई के नियंत्रण के नुकसान से युक्त बिक्री योजना के लिए प्रतिबद्ध है, तो वह इकाई में निवेश (अर्थात उस इकाई की सभी परिसंपत्तियों और देनदारियों) को बिक्री के रखी गई परिसम्पत्ति के रूप में वर्गीकृत करता है।

3.15 नकद और नकद समतुल्य

नकद और नकद समतुल्य में नकद रुपया एवं मांग जमा, अन्य अल्पावधि सहित, अत्यधिक लिक्विड निवेश (तीन महीने से कम की मूल परिपक्वता), जो नकदी की ज्ञात राशियों में आसानी से परिवर्तनीय हैं और जो मूल्य में परिवर्तनों के निरर्थक जोखिम के अधीन हैं, शामिल हैं।

3.16 लाभांश और इक्विटी के रूप में वर्गीकृत लिखतों के धारकों को अन्य भुगतान

शेयरधारकों को देय प्रस्तावित लाभांशों और अंतरिम लाभांशों को उस अवधि, जिसमें उन्हें क्रमशः शेयरधारकों की बैठक और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है, के दौरान इक्विटी में हुए परिवर्तनों के रूप में मान्यता दी जाती है। लिखत धारकों को इक्विटी के रूप में वर्गीकृत देयता को भुगतान के लिए उस अवधि में मान्यता दी जाती है जब समूह द्वारा ऐसे भुगतानों को भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है।

3.17 महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियां

महत्वपूर्ण पूर्व अवधि त्रुटियों को प्रस्तुत पूर्व अवधियों, जिसमें त्रुटि हुई है, के लिए तुलनात्मक राशियों को पुनःप्रस्तुत करने के द्वारा पूर्वव्यापी ढंग में

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

सही किया जाता है। यदि त्रुटि प्रस्तुत पूर्व की अवधि से पहले हुई है तो, पूर्व अवधि के लिए प्रस्तुत परिसंपत्तियों के प्रारंभिक शेष, देनदारियों और इक्विटी को पुनः प्रस्तुत किया जाता है।

3.18 पूर्व प्रदत्त व्यय

₹1,00,000/– रुपए तक के पूर्व प्रदत्त व्यय को प्रारंभिक मान्यता पर व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

3.19 कराधान

लाभ या हानि में मान्यकृत कर व्यय में आस्थगित कर और चालू कर का योग शामिल है। इसे लाभ एवं हानि विवरण में मान्यता दी गई है, सिवाय इसके कि जब यह एक ऐसी मद से संबंधित हो, जिसे ओसीआई में या इक्विटी में सीधे मान्यता प्राप्त है, तो ऐसे मामले में, कर को ओसीआई में या इक्विटी में सीधे भी मान्यता प्रदान की जाती है।

चालू कर को, अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित और रिपोर्टिंग तिथि को यथा लागू कर की दरों का उपयोग करते हुए, तथा पिछले वर्षों के संबंध में देय कर के समायोजनों को देखते हुए, वर्ष के लिए कर योग्य आय के संबंध में देय कर के रूप में निर्धारित किया जाता है।

आस्थगित कर को समेकित वित्तीय विवरणों में परिसंपत्तियों और देनदारियों की वहन राशियों और कर योग्य आय की गणना में प्रयुक्त संगत कर आधारों के बीच अस्थायी अंतर पर मान्यता दी जाती है।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों की गणना, छूट के बिना, उन कर दरों पर की जाती है, जिनके संबंधित अवधि की प्राप्ति के लिए लागू होने की प्रत्याशा होती है, बशर्ते कि उन दरों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या निश्चित रूप से अधिनियमित किया जाए। आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देनदारियों ऑफसेट होती है यदि चालू कर देयताओं और परिसंपत्तियों को ऑफसेट करने के लिए कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार है, और वे एक ही कर प्राधिकरण द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

आस्थगित कर देयता, सभी कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए मान्यकृत है। एक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को सभी कटौती योग्य अस्थायी अंतरों के लिए इस हद तक मान्यकृत किया जाता है कि यह संभावना है कि भविष्य में कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा, जिसके समक्ष कटौती योग्य अस्थायी अंतर का उपयोग किया जा सकेगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आस्थगित कर परिसंपत्तियों की समीक्षा की जाती है और उनको इस सीमा तक कम किया जाता है कि अब यह संभावना नहीं है कि संबंधित कर लाभ की प्राप्ति होगी।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों या देनदारियों में परिवर्तनों को मान्यता लाभ या हानि में कर आय या व्यय के एक घटक के रूप में दी जाती है, सिवाय इसके कि वे उन मदों से संबंधित हैं जिन्हें अन्य व्यापक आय में या सीधे इक्विटी में ऐसे मामले में मान्यता दी जाती है, जिनमें संबंधित आस्थगित कर को भी मान्यता क्रमशः अन्य व्यापक आय या इक्विटी में दी जाती है।

3.20 कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभ

अल्पकालिक कर्मचारी हितलाभों में, वेतन, अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियां (अर्थात् प्रदत्त वार्षिक अवकाश) जहां ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने संबंधित सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के अंतर्गत अनुपस्थितियों का घटित होना प्रत्याशित है, और ऐसी अवधि, जिसमें कर्मचारियों ने सेवा प्रस्तुत की है, की समाप्ति के उपरांत बारह महीनों के तहत देय लाभ सहभागिता एवं बोनस तथा वर्तमान कर्मचारियों के लिए गैर–वित्तीय लाभ प्रत्याशित हैं और उन्हें बिना छूट देने के आधार पर मापा जाता है, शामिल हैं।

रोजगार पर्यन्त हितलाभ योजनाओं को निम्नानुसार परिभाषित हितलाभ योजनाओं और परिभाषित अंशदान योजनाओं में वर्गीकृत किया गया है:

परिभाषित अंशदान योजना

परिभाषित अंशदान योजना वह योजना है जिसके तहत समूह एक अलग निधि में कर्मचारियों के संबंध में निश्चित अंशदान का भुगतान करता है। समूह पर ऐसी कोई विधिक या रचनात्मक बाध्यता नहीं है कि वह अपने निर्धारित अंशदान के भुगतान के उपरांत कोई और अंशदान का भुगतान करे। परिभाषित अंशदान योजनाओं के समक्ष समूह द्वारा किए गए अंशदान को उस अवधि के लाभ या हानि से प्रभारित किया जाता है, जिससे अंशदान संबंधित हैं।

परिभाषित हितलाभ योजना

समूह के पास उपदान, सेवानिवृत्ति पर्यन्त चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ) और अन्य परिभाषित सेवानिवृत्ति हितलाभ (ओडीआरबी) के प्रति दायित्व हैं, जिन्हें पात्र कर्मचारियों को शामिल करने वाली परिभाषित हितलाभ योजना के रूप में विचारा जा रहा है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के तहत, एक कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली राशि को, कर्मचारी के सेवाकाल, अंतिम वेतन और अन्य निश्चित मापदंडों के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है। किसी भी लाभ के लिए कानूनी दायित्व समूह का ही रहता है, भले ही परिभाषित लाभ योजना के वित्तपोषण के लिए योजना परिसंपत्तियों को अलग किया गया हो।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

परिभाषित हितलाभ योजनाओं के प्रति समूह के दायित्व को परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है, जिसमें प्रत्येक वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। परिभाषित हितलाभ योजनाओं के लिए वित्तीय स्थिति के विवरण में मान्यकृत दायित्व, रिपोर्टिंग तिथि पर निर्धारित हितलाभ लाभ (डीबीओ) का वर्तमान मूल्य है, जो योजना परिसंपत्तियों का कम उचित मूल्य है। प्रबंधन स्वतंत्र बीमांककों की सहायता से प्रतिवर्ष डीबीओ का अनुमान लगाता है।

देयता/परिसंपत्तियों के पुनःमापन के फलस्वरूप बीमांकिक लाभ/हानियां अन्य व्यापक आय में शामिल हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी हितलाभः

तुलन–पत्र की तारीख के उपरांत एक–वर्ष से अधिक समय के लिए प्राप्त किए जाने वाले देय या प्रत्याशित क्षतिपूर्ति अनुपस्थितियों के संबंध में देयता का अनुमान परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है।

पिछले अनुभव और बीमांकक मान्यताओं में परिवर्तन से उत्पन्न बीमांकिक लाभ एवं हानियों को उस अवधि में लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाता है, जिसमें ऐसे लाभों और हानियों को निर्धारित किया गया है।

कर्मचारियों को रियायती दर पर ऋण

रियायती दर पर कर्मचारियों को दिए गए ऋण को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी गई है और तत्पश्चात उसे परिशोधित लागत पर मापा जाता है। ऐसे ऋणों के प्रारंभिक उचित मूल्य और लेनदेन मूल्य के बीच अंतर को आस्थगित कर्मचारी लागत के रूप में मान्यता दी गई है, जिसे ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि से परे सीधी–रेखा के आधार पर परिशोधित किया जाता है। ऋण की प्रत्याशित शेष अवधि में परिवर्तन के मामले में, परिवर्तन की तिथि को अपरिशोधित आस्थगित कर्मचारी की लागत को संभावित आधार पर ऋण की अद्यतन प्रत्याशित शेष अवधि से अधिक पर परिशोधित किया जाता है।

3.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं, और आकस्मिक परिसंपत्तियां

समूह के पास किसी पिछले वृत्तांत के परिणामस्वरूप वर्तमान कानूनी या रचनात्मक दायित्व होने पर प्रावधानों को मान्यता दी जाती है; यह संभव है कि समूह से आर्थिक संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और धनराशि का अनुमान विश्वसनीय तौर पर लगाया जा सकता है। बहिर्वाह का समय या राशि अभी भी अनिश्चित हो सकती है। वर्तमान दायित्व के साथ जुड़े जोखिमों और अनिश्चितताओं सहित, रिपोर्टिंग तिथि को उपलब्ध सबसे विश्वसनीय साक्ष्य के आधार पर, प्रावधानों को वर्तमान दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमानित खर्च पर मापा जाता है। प्रावधानों में उनके वर्तमान मूल्यों, जहां धन का समय मूल्य महत्वपूर्ण है।

निम्न हेतु आकस्मिक देयता को अनावृत किया गया हैः

- संभावित दायित्व जिनकी पुष्टि केवल भावी घटनाओं द्वारा की जाएगी, समूह के पूर्णतया नियंत्रण में नहीं हैं या
- अतीत की घटनाओं से उत्पन्न वर्तमान दायित्व जहां यह संभव नहीं है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी या दायित्व की राशि का एक विश्वसनीय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

ऐसे मामलों में, जहां वर्तमान दायित्वों के परिणामस्वरूप आर्थिक संसाधनों का बहिर्वाह असंभव या दूरस्थ माना जाता है, वहां किसी दायित्व को मान्यकृत या प्रकट नहीं किया जाता है।

ऐसी किसी प्रतिपूर्ति को, जिसे दायित्व (जैसे कि बीमा से) से संबंधित तीसरे पक्ष से एकत्र करने के लिए समूह को लगभग निर्धारित किया जा सकता है, एक पृथक परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि, यह परिसंपत्तियों संबंधित प्रावधान की राशि से अधिक नहीं हो सकती है।
आकस्मिक परिसंपत्तियों को मान्यता नहीं दी जाती है। हालांकि, आर्थिक हितलाभों के अंतर्वाह की संभावना पर, संबंधित परिसंपत्तियों को प्रकट किया जाता है।

3.22 उचित मूल्य मापन

समूह वित्तीय इंस्ट्रूमेंट, अर्थात् प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में उचित मूल्य पर व्युत्पन्नों को मापता है।

उचित मूल्य वह कीमत है जो किसी परिसंपत्तियों को बेचने पर प्राप्त की जाएगी या जिसका भुगतान मापन तिथि को बाजार भागीदारों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में देयता को अंतरित करने के लिए किया जाएगा। उचित मूल्य मापन ऐसे पूर्वानुमान पर आधारित है जो परिसंपत्तियों को बेचने या निम्न हेतु देयता को अंतरित करने के संबंध में लेनदेन में होता है;

- परिसंपत्तियों या देयता के लिए मुख्य बाजार में, या
- मुख्य बाजार की अनुपस्थिति में, परिसंपत्तियों या देयता के लिए सबसे लाभप्रद बाजार में।

  समूह द्वारा मुख्य या सबसे लाभप्रद बाजार में अभिगम्य होना चाहिए।

किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य को उन पूर्वानुमानों का उपयोग करके मापा जाता है जिन्हें बाजार भागीदार परिसंपत्तियों या देयता, जिसमें जोखिम के बारे में धारणाएं शामिल होती हैं, का मूल्य निर्धारण करने के समय उपयोग करते हैं, और यह मानते हैं कि बाजार प्रतिभागी अपने

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

आर्थिक सर्वोत्तम हित में कार्य करते हैं। गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के उचित मूल्य मापन में एक बाजार प्रतिभागी की परिसंपत्तियों को ध्यान में रखकर किया जाता है ताकि परिसंपत्तियों को उसके उच्चतम और श्रेष्ठतम उपयोग में अथवा उसे किसी अन्य बाजार प्रतिभागी, जो इस परिसंपत्तियों का उपयोग इसके उच्चतम एवं श्रेष्ठ समय में करेगा, को बेचने के द्वारा आर्थिक लाभ सृजित किया जा सके।

समूह ऐसी मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करता है, जो परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त हैं और जिसके लिए उचित मूल्य को मापने के लिए पर्याप्त डेटा उपलब्ध है, जिसमें प्रासंगिक अवलोकन योग्य इनपुटों के उपयोग को अधिकतम और अप्रचलित इनपुटों के उपयोग को कम किया जाता है।

सभी परिसंपत्तियों और देयताएं जिनके लिए समेकित वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य को मापा या प्रकट किया जाता है, को उचित मूल्य पदानुक्रम के भीतर वर्गीकृत किया गया हैं, जो निम्न स्तरीय इनपुट पर आधारित हैं, और जो संपूर्ण रूप से उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण हैं:

- **स्तर 1** – समरूपी परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत (असमायोजित) बाजार मूल्य
- **स्तर 2** – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विचारणीय है
- **स्तर 3** – मूल्यांकन तकनीक जिसके लिए सबसे कम स्तर का इनपुट, जो उचित मूल्य माप के लिए महत्वपूर्ण है, अविचारणीय है।

समेकित वित्तीय विवरणों में नियमित रूप से मान्यकृत परिसंपत्तियों और देनदारियों के लिए, समूह यह निर्धारित करता है कि क्या प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में श्रेणीकरण पुनर्मूल्यांकन (न्यूनतम स्तर इनपुट के आधार पर, जो संपूर्ण मूल्य के लिए महत्वपूर्ण है) द्वारा अनुक्रम में स्तरों के बीच अंतरण हुए हैं।

3.23 वित्तीय लिखतों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने का वर्तमान में प्रवर्तन योग्य कानूनी अधिकार प्राप्त होता है और परिसंपत्तियों को मूर्त रूप देने तथा बाद में देयताओं का निराकरण करने के लिए निबल आधार पर उनका समाधान करने का कोई इरादा होता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं को ऑफसेट किया जाता है और निबल राशि तुलनपत्र में रिपोर्ट की जाती है।

4. नए/संशोधित मानकों का कार्यान्वयन

वर्ष के दौरान, कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कुछ इंड–एएस में संशोधन जारी किए हैं। समूह ने इन संशोधनों के प्रभाव का विश्लेषण किया है जो नीचे उल्लिखित कुछ संशोधनों को छोड़कर, समूह के लिए महत्वपूर्ण नहीं है:

ब्याज दर बेंचमार्क सुधार के संबंध में इंड एएस 107 और इंड एएस 109 में संशोधन

इसका उद्देश्य ब्याज दर बेंचमार्क (आईबीओआर) सुधार के कारण अनिश्चितता के संभावित प्रभावों से राहत प्रदान करने के लिए कुछ विशिष्ट हेज लेखांकन की आवश्यकताओं का संशोधन करना है। ब्याज दर बेंचमार्क सुधार और कंपनी पर इसके प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी वित्तीय विवरणों में उपलब्ध हैं।

5. लेखांकन नीतियों और अनिश्चितता के आकलन को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

समूह के समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को निर्णय लेने, आकलन करने और ऐसे पूर्वानुमान लगाने की आवश्यकता होती है जो राजस्व, व्यय, परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्टकृत राशियों और संबंधित प्रकटीकरण को प्रभावित करते हैं। वास्तविक परिणाम इन आकलनों से अलग हो सकते हैं।

महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय

आस्थगित कर परिसंपत्तियों/देयता को मान्यता – वह सीमा, जिस हद तक आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्यता दी जा सकती है, यह भविष्य की कर योग्य आय की सम्भावना के आकलन पर आधारित है, जिसके विरुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्तियों का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा, प्रबंधन का आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के तहत बनाए गए और अनुरक्षित विशेष रिजर्व से निकासी करने का कोई इरादा नहीं है और इस प्रकार, बनाए गए और रखे गए विशेष रिजर्व प्रत्यावर्तित होने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए, समूह उक्त रिजर्व पर किसी भी तरह की कर देयता सृजित नहीं करता है।

समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर आस्थगित कर देयता की मान्यता – वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा अपने शेयरधारकों के लिए घोषित लाभांश की सीमा तक इक्विटी निवेशों से लाभांश आय के संबंध में लागू कर कटौती के कानूनों में प्रावधान उपलब्ध कराए जाते हैं। कंपनी की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और लाभांश वितरण नीति को ध्यान में रखते हुए कंपनी समूह की कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई कर देयता की उम्मीद तब नहीं करती है जब इस तरह के रिजर्व वितरित कर दिए जाते हैं। इसलिए, कंपनी समूह कंपनियों के अवितरित रिजर्व पर कोई आस्थगित कर देयता नहीं बनाती है।

परिसंपत्तियों की क्षति के लिए संकेतकों का मूल्यांकन – परिसंपत्तियों की क्षति के संकेतकों की प्रयोज्यता का मूल्यांकन करने के लिए कई बाहरी और आंतरिक कारकों का मूल्यांकन करने की आवश्यक है, जिसके परिणामस्वरूप परिसंपत्तियों की वसूलनीय राशि में गिरावट हो सकती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एसपीवी में निवेश – पारेषण परियोजनाओं को भारत सरकार से आदेश के अनुसार प्रबंधित किया जाता है और समूह के पास इन परियोजनाओं की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता उपलब्ध नहीं है। इसलिए समूह संबंधित एसपीवी में अपने निवेश को महत्वपूर्ण प्रभाव रखने वाले सहयोगी प्रतिष्ठानों के रूप में मानता है, जबकि उनकी पदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में कंपनी की शेयरधारिता 100% होती है।

क्रेडिट प्रभावित ऋणों पर ब्याज आय की गैर–मान्यता – क्रेडिट–प्रभावित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज आय को, विवेकपूर्ण विषय, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधानों के लंबित परिणाम के रूप में मान्यता नहीं दी जा रही है।

महत्वपूर्ण आकलन

कोविड–19 महामारी के प्रकोप का प्रभाव – समूह ने इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में कोविड–19 के संभावित प्रभावों पर विचार किया है, जिसमें इसका मूल्यांकन, तरलता और वर्तमान की चिंताओं का पुर्वानुमान, इसकी वित्तीय और गैर–वित्तीय परिसंपत्तियों के वसूली योग्य मूल्य, राजस्व मान्यता और इसके हेजेज की प्रभावशीलता पर प्रभाव शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। समूह ने इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तारीख तक उपलब्ध आंतरिक और बाहरी स्रोतों की सूचना के आधार पर यह आकलन किया है और इनका विश्वास है कि कोविड–19 का प्रभाव इन वित्तीय विवरणों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है और अपनी परिसंपत्तियों की वहन राशि की वसूली की उम्मीद करते है। समेकित वित्तीय विवरणों पर कोविड–19 का प्रभाव कोविड–19 की प्रकृति और अवधि के कारण इन समेकित वित्तीय विवरणों के अनुमोदन की तिथि के अनुमान से भिन्न हो सकता है। कोविड 19 महामारी समूह के प्रचालन को किस हद तक प्रभावित करेगी, यह भावी विकास पर निर्भर करेगा, जो कि अनिश्चित हैं। इसमें अन्य बातों के साथ–साथ कोविड 19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई नई सूचना और सरकार अथवा समूह द्वारा इसके प्रसार को रोकने अथवा इसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए कोई आगामी कार्रवाई शामिल हैं।

मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि – प्रबंधन परिसंपत्तियों की प्रत्याशित उपयोगिता के आधार पर, प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर मूल्यह्रास/परिशोधन योग्य परिसंपत्तियों की उपयोगिता अवधि के संबंध में अपने आकलन की समीक्षा करता है। इन आकलनों में अनिश्चितता, तकनीकी और आर्थिक अप्रचलन से संबंधित है जो परिसंपत्तियों की उपयोगिता को परिवर्तित कर सकती है।

परिभाषित हितलाभ दायित्व (डीबीओ) – डीबीओ के संबंध में प्रबंधन का आकलन कई अंतर्निहित पूर्वानुमानों जैसे मुद्रास्फीति की मानक दरें मृत्यु दर, छूट की दर और भावी वेतन–वृद्धियों की प्रत्याशा पर आधारित है। इन पूर्वानुमानों में भिन्नता डीबीओ राशि और वार्षिक सुनिश्चित हितलाभ व्ययों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है।

उचित मूल्य मापन – वित्तीय इंस्ट्रूमेंटों के उचित मूल्य (जहां सक्रिय बाजार की भाव–दरें उपलब्ध नहीं हैं) निर्धारित करने के लिए प्रबंधन मूल्यांकन तकनीकों को लागू करता है। इसमें ऐसे विकासशील आकलन और पूर्वानुमान शामिल हैं, जो बाजार भागीदारों इंस्ट्रूमेंट की कीमत तय करने के अनुरूप होंगे। किसी परिसंपत्तियों या देयता के उचित मूल्य का आकलन करने में, समूह बाजार–अवलोकनीय डेटा का उपयोग उसके उपलब्ध होने की सीमा तक करता है। बाजार–अवलोकनीय डेटा की अनुपलब्धता के मामले में, उचित मूल्यांकन के लिए स्तर 2 और स्तर 3 पदानुक्रम का उपयोग किया जाता है।

आयकर – आयकरों के प्रावधान को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण आकलन शामिल हैं, जिसमें अनिश्चित कर स्थितियों के लिए भुगतान की जाने वाली राशि/वसूल की जाती है और आस्थगित कर परिसंपत्तियों का आकलन करने के लिए अपेक्षित भावी लाभप्रदता भी शामिल है।

प्रत्याशित क्रेडिट हानि ('ईसीएल') – परिशोधन लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि भत्ते के मापन में जटिल मॉडल और भावी आर्थिक स्थितियों एवं क्रेडिट व्यवहार (अर्थात् डिफॉल्ट रूप से ग्राहकों की संभावना और परिणामी नुकसान) के बारे में महत्वपूर्ण पूर्वानुमानों की आवश्यकता होती है। ईसीएल का आकलन करने के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का मूल्यांकन करते हुए समूह निम्नलिखित के बारे में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है:

- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि के लिए मापदंड का निर्धारण;
- प्रत्येक प्रकार के उत्पाद/बाजार और संबद्ध ईसीएल के लिए दूरंदेशी परिदृश्यों की संख्या और सापेक्ष भार की स्थापना करना; तथा
- ईसीएल को मापने के लिए समरूपी वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों की स्थापना करना;
- डिफॉल्ट की संभाव्यता और डिफॉल्ट फलस्वरूप हानि का आकलन करना (डिफॉल्ट के मामले में वसूलनीय राशि का आकलन करना)।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

6. नकदी एवं नकदी समतुल्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
– कैश इन हैंड (पोस्टेज एवं अग्रदाय सहित)	0.12	0.06
– बैंको में शेष राशि		
– चालू खातों में	247.82	1,195.40
– 3 माह से कम की मूल परिपक्वता के साथ जमा*	931.30	522.25
जोड़ (नकदी एवं नकदी समतुल्य)	**1,179.24**	**1,717.71**

*4 नवंबर 2019 को आरबीआई के परिपत्र के अनुसार ₹262.00 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) की उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्ति (एचक्यूएलए) का रखरखाव शामिल हैं। (टिप्पणी 47.2.4 के सन्दर्भ में)

7 बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
–बैंको में चिन्हित शेष		
–अप्रदत्त लाभांश के लिए	5.79	4.75
–अनुदान के रूप में आगे संवितरण के लिए सरकारी निधि के लिए	1,323.55	1,817.72
– चिन्हित आवधिक जमा राशि		
–इसके अतिरिक्त संवितरण हेतु सरकारी निधि के लिए	-	32.98
–न्यायालय के आदेश के अनुपालन में जमा राशि	0.56	0.53
–बैंक गारंटी पर मार्जिन राशि के रूप में धारित आवधिक जमा राशि	0.25	-
–प्रतिभूतियों के लंबित आवंटन हेतु उपयोग के लिए अनुपलब्ध बैंकों में शेष राशि	856.62	400.19
–अन्य आवधिक जमा राशि	36.81	1.28
जोड़ (अन्य बैंकों में शेष)	**2,223.58**	**2,257.45**
–3 माह से अधिक लेकिन 12 माह से कम की शेष परिपक्वता के साथ आवधिक जमा राशि	70.02	33.90
–12 माह से अधिक की मूल परिपक्वता के साथ आवधिक जमा राशि	0.97	0.36

7.1 31 मार्च 2021 के अनुसार (पिछले वर्ष शून्य) नकदी और नकदी समतुल्य एवं अन्य बैंकों में शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा) के संबंध में कोई रिपैट्रिएशन प्रतिबंध नहीं है।

8 ट्रेड प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
(क)	प्रतिभूति, शोध्य समझे गए	124.45	86.27
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(19.12)	(13.66)
		105.33	**72.61**
(ख)	ट्रेड प्राप्य जिनकी ऋण जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि है	55.32	52.01
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(20.58)	(15.55)
		34.74	**36.46**
(ग)	क्रेडिट इंपेयर्ड प्राप्य	46.80	33.60
	घटाएं : प्रत्याशित क्रेडिट हानि के लिए भत्ते	(46.80)	(33.60)
		-	-
	कुल ट्रेड प्राप्य (क+ख+ग)	**140.07**	**109.07**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

9. व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिमों और ब्याज दर जोखिमों को कम करने (हेजिंग) के लिए व्युत्पन्न लिखतों (डेरिवेटिव) में प्रवेश करती है। जोखिम प्रबंधन उद्देश्यों के लिए आयोजित किए गए डेरिवेटिव्स में ऐसे उपाय (हेजेज) शामिल होते हैं जिन्हें हेज लेखांकन आवश्यकताओं के तहत प्रभावी हेजेज के रूप में नामित किया जाता है या वे ऐसे हेजेज होते हैं, जो मितव्ययी हेजेज हैं। नीचे दी गई सारणी में उनकी आरंभिक राशियों के साथ परिसंपत्तियों या देनदारियों के रूप में रिकॉर्ड किए गए व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों के उचित मूल्य दर्शाए गए हैं।

व्युत्पन्नों के संबंध में जोखिम प्रबंधन प्रकटनों के लिए नोट 51 देखें।

भाग I

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य देयताएं
(i) मुद्रा व्युत्पन्न						
स्पॉट एवं अग्रिम	-	-	-	565.39	27.62	-
– मुद्रा स्वैप	2,854.54	43.07	121.08	3,094.32	432.94	-
– अन्य						
– कॉल स्प्रेड	4,263.27	271.36	-	6,068.56	504.12	-
सीगुल विकल्प	20,482.08	1,657.19	43.25	22,321.22	2,212.46	-
उप – जोड़ (i)	**27,599.89**	**1,971.62**	**164.33**	**32,049.49**	**3,177.14**	**-**
(ii) ब्याज दर व्युत्पन्न						
– अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप	25,035.68	339.60	403.65	29,056.52	141.71	586.06
उप जोड़ (ii)	**25,035.68**	**339.60**	**403.65**	**29,056.52**	**141.71**	**586.06**
(iii) अन्य व्युत्पन्न						
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	4,547.00	-	278.33	4,347.00	-	739.67
कुल व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii + iii)	**57,182.57**	**2,311.22**	**846.31**	**65,453.01**	**3,318.85**	**1,325.73**

भाग II

भाग– I में शामिल डेरिवेटिव्स ऐसे हैं जो हेजिंग और जोखिम प्रबंधन के प्रयोजन से धारित हैं, जो इस प्रकार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य– देयताएं	कल्पित राशि	उचित मूल्य– परिसंपत्तियां	उचित मूल्य– देयताएं
(i) **नकदी प्रवाह हेजिंग**						
– मुद्रा व्युत्पन्न						
– मुद्रा स्वैप	2,756.43	23.86	121.08	8,638.68	2.32	303.14
– अन्य						
– कॉल स्प्रेड	1,837.62	77.74	-	1,884.65	97.16	-
– सीगुल विकल्प	20,482.08	1,657.19	43.25	11,348.70	1,662.20	-
ब्याज दर व्युत्पन्न						
– अग्रिम दर करार एवं ब्याज दर स्वैप	13,055.84	-	318.18	9,498.62	5.24	134.45
उप – जोड़ (i)	**38,131.97**	**1,758.79**	**482.51**	**31,370.65**	**1,766.92**	**437.59**
(ii) गैर– नामोदिष्ट व्युत्पन्न	19,050.60	552.43	363.80	34,082.36	1,551.93	888.14
कुल – व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें (i + ii)	**57,182.57**	**2,311.22**	**846.31**	**65,453.01**	**3,318.85**	**1,325.73**

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि को व्युत्पन्न वित्तीय लिखतों को उचित मूल्य पर मापा जाता है। प्रभावी नकदी प्रवाह हेज में हेजिंग लिखत के रूप में नामित व्युत्पन्न लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है। गैर–नामित व्युत्पन्न के लिए उचित मूल्य में परिवर्तन को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

10. ऋण

कंपनी ने भारतीय–लेखांकन मानक 109 की अपेक्षाओं के अनुसार सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–2021 के अनुसार		31–03–2020 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	**ऋण**				
(i)	आवधिक ऋण	377,041.98	378,090.36	321,526.76	323,177.53
(ii)	कार्यशील पूंजीगत ऋण	376.17	377.24	897.92	902.01
	कुल (क)– सकल ऋण	**377,418.15**	**378,467.60**	**322,424.68**	**324,079.54**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
	कुल (क)– निवल ऋण	**364,212.04**	**365,261.49**	**310,428.64**	**312,083.50**
(ख)	**प्रतिभूति ब्यौरा**				
(i)	मूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	256,744.52	257,329.46	244,034.67	245,113.22
(ii)	अमूर्त परिसंपत्तियों द्वारा प्रतिभूत	-	-	-	-
(iii)	बैंक/सरकारी गारंटी के अंतर्गत	101,071.53	101,456.48	58,166.76	58,684.29
(iv)	अप्रतिभूत	19,602.10	19,681.67	20,223.25	20,282.03
	कुल (ख)– सकल ऋण	**377,418.15**	**378,467.60**	**322,424.68**	**324,079.54**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
	कुल (ख) – निवल ऋण	**364,212.04**	**365,261.49**	**310,428.64**	**312,083.50**
(ग) (I)	**भारत में ऋण**				
(i)	सार्वजनिक क्षेत्र	338,810.31	339,877.44	284,644.05	286,210.40
(ii)	निजी क्षेत्र	38,607.84	38,590.16	37,780.63	37,869.14
	कुल (ग) (I) – सकल ऋण	**377,418.15**	**378,467.60**	**322,424.68**	**324,079.54**
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	(13,206.11)	(13,206.11)	(11,996.04)	(11,996.04)
	कुल (ग) (I)– निवल ऋण	**364,212.04**	**365,261.49**	**310,428.64**	**312,083.50**
(ग)(II)	**भारत से बाहर ऋण**	-	-	-	-
	घटाएं: इंपेयरमेंट हानि भत्ते	-	-	-	-
	कुल (ग) (II) – निवल ऋण	-	-	-	-
	कुल (ग) (I) एवं (ग) (II)	**364,212.04**	**365,261.49**	**310,428.64**	**312,083.50**

10.1 भारतीय–लेखांकन मानक के तहत सूचित किए गए आंकड़ों और ऋणों के संबंध में बकाया संविदा राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
निवल ऋण	**365,261.49**	**312,083.50**
घटाएं : भारतीय–लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बकाया राशि	(504.10)	(1,351.75)
घटाएं : भारतीय–लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत ऋणों पर अर्जित ब्याज और बिन बकाया राशि	(635.00)	(382.63)
जोड़ें : भारतीय– लेखांकन मानक के तहत बंद की गई संभावित ऋण हानि के लिए भत्ता	13,206.11	11,996.04
जोड़ें : प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर शुल्क आधारित आय के संबंध में भारतीय–लेखांकन मानक समायोजन	89.65	79.52
सकल ऋण	**377,418.15**	**322,424.68**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

10.2 ऋणों के संबंध में इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**11,996.04**	**11,497.93**
जोड़े : वर्ष के दौरान प्रदान किया गया इंपेयरमेंट हानि भत्ते (टिप्पणी 39 के संदर्भ में)	2,362.62	876.52
घटाएं : ऋणों के राइट ऑफ में प्रयुक्त भत्ते	(1,152.55)	(378.41)
अंतिम शेष	**13,206.11**	**11,996.04**

10.3 इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) की कार्यवाही/वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत निपटान के संदर्भ में कंपनी ने ₹1,152.55 करोड़ (पिछले वर्ष ₹378.41 करोड़) की राशि के ऋणों को बट्टेखाते में डाला है। चालू वर्ष के लिए राइट–ऑफ का विवरण निम्नानुसार हैः

(i) चालू वर्ष के दौरान

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के संबंध में 4 जून 2020 को किए गए पुनर्गठन के अनुसरण में कंपनी ने ₹979.56 करोड़ की वसूलियों को विनियोजित करने के बाद ₹65.25 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया है (₹830.00 करोड़ का आवधिक ऋण और ₹149.56 करोड़ का विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर)।

(ख) फेसर पावर लिमिटेड के संबंध में 21 सितंबर 2020 को निष्पादित आईबीसी कार्यवाही के तहत अनुमोदित संकल्प योजना के अनुसरण में कंपनी ने ₹329.12 करोड़ की वसूली को विनियोजित करने के बाद ₹181.86 करोड़ की राशि को बट्टे – खाते में डाल दिया है (₹102.27 करोड़ की नकद राशि, ₹199.72 करोड़ का गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर और ₹27.13 करोड़ की वसूली योग्य राशि)।

(ग) आर.के.एम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड के संबंध में 4 दिसंबर 2020 को निष्पादित पुनर्गठन के अनुसरण में कंपनी ने ₹1,396.55 करोड़ की वसूलियों को विनियोजित करने के बाद ₹905.44 करोड़ की राशि को बट्टे – खाते में डाल दिया है (₹1,396.55 करोड़ का आवधिक ऋण और विकल्पतः परिवर्तनीय डिबेंचर शून्य)।

पुनर्गठन/निपटान पर प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है (टिप्पणी 11 के सन्दर्भ में)।

(ii) पिछले वर्ष के दौरान

(क) माननीय राष्ट्रीय कंपनी कानून विधि अधिकरण (एनसीएलटी), हैदराबाद बेंच द्वारा दिनांक 26 जुलाई, 2019 को लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड के संबंध में पारित किए गए समाधान योजना के अनुमोदन के अनुक्रम में कंपनी ने आदेश के अनुसार इस तरह के इक्विटी शेयरों को निकाले जाने पर ₹112.67 करोड़ (₹124.12 करोड़ की वसूलियों का निबल) की ऋण राशि और ₹102 करोड़ (प्रत्येक ₹10 के 10.20 करोड़ इक्विटी शेयर) के इक्विटी निवेश को बट्टेखाते में डाल दिया है।

(ख) रतन इंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित की गई एक बारगी निपटान (ओटीएस) व्यवस्था के अनुसरण में कंपनी ने ₹478.09 करोड़ की वसूलियों (₹405.90 करोड़ की नकद राशि, ₹17.59 करोड़ के इक्विटी शेयर, ₹22.18 करोड़ के मोचन योग्य वरीयता शेयर और ₹32.42 करोड़ के विकल्पतः परिवर्तनीय संचयी मोचन योग्य वरीयता शेयर) का विनियोजन करने के बाद ₹265.74 करोड़ की राशि को बट्टेखाते में डाल दिया है।

पुनर्गठन/निपटान पर प्राप्त लिखतों को 'निवेश' शीर्ष के अंतर्गत श्रेणीकृत किया गया है (टिप्पणी 11 के सन्दर्भ में)

10.4 कंपनी तुलन पत्र (बैलेंस शीट) की तारीख के अनुसार शेष राशि के लिए ऋणकर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि के लिए उनसे जानकारी प्राप्त करती है। ऋणकर्ताओं से प्राप्त बकाया राशियों की पुष्टियों का सारांश निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 के अनुसार		31–03–2020 के अनुसार	
	%	राशि	%	राशि
कंपनी के सकल ऋण बही		377,418.15		322,424.68
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त हुई है।	92%	348,293.80	88%	285,183.96
ऋण परिसम्पत्तियां जिनके लिए ऋणर्ताओं से शेष राशि की पुष्टि प्राप्त होना बाकी है।	8%	29,124.35	12%	37,240.72
जिसमें से				
मूर्त परिसंपत्तियों के प्रतिभूति ऋण	*71%*	*20,597.00*	*67%*	*25,015.01*
सरकारी गारंटी द्वारा बीमित ऋण/सरकार को दिए गए ऋण।	*10%*	*2,848.13*	*21%*	*7,685.39*
अप्रतिभूति ऋण	*19%*	*5,679.22*	*12%*	*4,540.32*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

11 निवेश

(क) निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिशोधित लागत	उचित मूल्य पर			उप–जोड़	अन्य (लागत पर)	कुल
		अन्य व्यापक आय के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से	लाभ अथवा हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर विनिर्दिष्टित			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5= 1+2+3+4)	(6)	(7)
31 मार्च, 2021 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	649.08	-	-	-	649.08	-	649.08
ऋण प्रतिभूतियां	408.73	-	143.06	-	551.79	-	551.79
इक्विटी दस्तावेज	-	430.13	23.60	-	453.73	-	453.73
वरीयता शेयर	26.09	-	42.99	-	69.08	-	69.08
अन्य	-	-		-	-	-	-
कुल – सकल (क)	**1,083.90**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,723.68**	**-**	**1,723.68**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	1,083.90	430.13	209.65	-	1,723.68	-	1,723.68
कुल – सकल (ख)	**1,083.90**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,723.68**	**-**	**1,723.68**
कुल निवेश	1,083.90	430.13	209.65	-	1,723.68	-	1,723.68
घटाएंः इमपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	-	-	-	-	-	-	-
कुल – निवल (घ=क–ग)	**1,083.90**	**430.13**	**209.65**	**-**	**1,723.68**	**-**	**1,723.68**
31 मार्च, 2020 के अनुसार							
सरकारी प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	-	-
ऋण प्रतिभूतियां	32.10	-	1,500.62	-	1,532.72	-	1,532.72
इक्विटी दस्तावेज	-	507.43	12.50	-	519.93	-	519.93
वरीयता शेयर	22.93	-	45.41	-	68.34	-	68.34
अन्य	-	6.12		-	6.12	-	6.12
कुल – सकल (क)	**55.03**	**513.55**	**1,558.53**	**-**	**2,127.11**	**-**	**2,127.11**
भारत से बाहर निवेश	-	-	-	-	-	-	-
भारत में निवेश	55.03	513.55	1,558.53	-	2,127.11	-	2,127.11
कुल – सकल (ख)	**55.03**	**513.55**	**1,558.53**	**-**	**2,127.11**	**-**	**2,127.11**
कुल निवेश	55.03	513.55	1,558.53	-	2,127.11	-	2,127.11
घटाएंः इमपेयरमेंट हानि भत्ता (ग)	-	-	-	-	-	-	-
कुल – निवल (घ=क–ग)	**55.03**	**513.55**	**1,558.53**	**-**	**2,127.11**	**-**	**2,127.11**

(ख) इक्विटी पद्धति का उपयोग करके लेखाकृत निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
संयुक्त उद्यमों में निवेश		
– एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (प्रत्येक ₹10 के 21,81,00,000 इक्विटी शेयर)	257.74	258.47
कुल	**257.74**	**258.47**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.1 निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31–03–2021 के अनुसार		31–03–2020 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
सरकारी प्रतिभूतियां					
– 5.77% जीएसईसी 2030	परिशोधन लागत	5,000,000	49.95	-	-
– 7.17% जीएसईसी 2028	परिशोधन लागत	5,000,000	54.64	-	-
– 7.27% जीएसईसी 2026	परिशोधन लागत	5,000,000	55.98	-	-
– 5.22% जीएसईसी 2025	परिशोधन लागत	5,000,000	50.99	-	-
– 7.29% कर्नाटक एसडीएल 2039	परिशोधन लागत	10,000,000	100.97	-	-
– 7.24% कर्नाटक एसडीएल 2037	परिशोधन लागत	5,000,000	50.30	-	-
– 6.48% कर्नाटक एसडीएल 2031	परिशोधन लागत	4,000,000	41.26	-	-
– 6.95% तमिलनाडु एसडीएस 2031	परिशोधन लागत	2,500,000	25.02	-	-
– 6.85% राजस्थान एसडीएल 2031	परिशोधन लागत	3,000,000	29.95	-	-
– 6.60% उत्तर प्रदेश एसडीएल 2030	परिशोधन लागत	2,000,000	19.74	-	-
– 6.60% हिमाचल प्रदेश एसडीएल 2030	परिशोधन लागत	5,000,000	51.28	-	-
– 8.35% केरल एसडीएल 2029	परिशोधन लागत	1,000,000	10.86	-	-
– 8.44% झारखंड एसडीएल 2029	परिशोधन लागत	3,000,000	32.53	-	-
– 8.57% राजस्थान एसडीएल 2028	परिशोधन लागत	1,000,000	11.02	-	-
– 8.60% गुजरात एसडीएल 2028	परिशोधन लागत	2,000,000	22.70	-	-
– 6.20% राजस्थान एसडीएल 2027	परिशोधन लागत	2,000,000	20.36	-	-
– 7.20% महाराष्ट्र एसडीएल 2027	परिशोधन लागत	2,000,000	21.53	-	-
उप–जोड़ – सरकारी प्रतिभूतियां			**649.08**		-
ऋण सरकारी प्रतिभूतियां					
– चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 5.78% बांड	परिशोधन लागत	150	15.63	-	-
– भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के 6.11% बांड	परिशोधन लागत	100	10.52	-	-
– एनएमडीसी लिमिटेड के 7.30% बांड	परिशोधन लागत	200	21.71	-	-
– पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के 7.30% बांड	परिशोधन लागत	200	22.65	-	-
– दामोदर घाटी निगम के 8.69% बांड	परिशोधन लागत	200	21.88	-	-
– महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के 7.05% बांड	परिशोधन लागत	850	88.18	-	-
– फूड कारपोरेशन ऑफ इंडिया के 6.65% बांड	परिशोधन लागत	200	20.62	-	-
– टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड के 7.19% बांड	परिशोधन लागत	250	26.33	-	-
– इंडियन बैंक के 11.15% बेमियादी बांड	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.31
– बैंक ऑफ बड़ौदा के 11.25% बेमियादी बांड	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.00
– सिंडिकेट बैंक के 11.25% बेमियादी बांड	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	5,000	500.31
– हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कारपोरेशन (हुडको) के 7.39% कर मुक्त 15 वर्षीय प्रतिभूति मोचन योग्य अपरिवर्तनीय बांड	परिशोधन लागत	86,798	8.81	86,798	8.81
– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.35% कर मुक्त बांड	परिशोधन लागत	42,855	4.60	42,855	4.60
– भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लिमिटेड (एनएचएआई) के 7.39% कर मुक्त बांड	परिशोधन लागत	35,463	3.67	35,463	3.67

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	पर मापे गए निवेश	31–03–2021 के अनुसार		31–03–2020 के अनुसार	
		संख्या	राशि	संख्या	राशि
– इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलेपमेंट एजेंसी (आईआरईडीए) के 7.49% कर मुक्त बांड	परिशोधन लागत	61,308	6.22	61,308	6.22
– इंडियन रेलवे फाइनेंस निगम (आईआरएफसी) के 7.35% कर मुक्त बांड	परिशोधन लागत	22,338	2.31	22,338	2.31
– नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलेपमेंट (नाबार्ड) के 7.35% टैक्स फ्री बांड	परिशोधन लागत	14,028	1.41	14,028	1.40
– हाउसिंग एंड अर्बन डेवलेपमेंट कारपोरेशन (हुडको) के 8.76% कर मुक्त बांड	परिशोधन लागत	50,000	5.09	50,000	5.09
– 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर – एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला ए	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	228,525,079	99.33	-	-
– 3% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर – एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला बी	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	100,612,911	43.73	-	-
– वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर – एस्सार पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड की श्रृंखला सी	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	18,635,162	-	-	-
– फैरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 0% गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी)	परिशोधन लागत	25,291,783	149.10	-	-
– 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर. के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की श्रृंखला ए	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	213,803,170	-	-	-
– 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर. के.एम.पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की श्रृंखला बी	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	6,303,032	-	-	-
– 0.01% वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) आर. के.एम. पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड की श्रृंखला एआई	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	10,474,150	-	-	-
उप–जोड़ – ऋण प्रतिभूतियां			**551.79**		**1,532.72**
इक्विटी दस्तावेज					
– एनएचपीसी लिमिटेड	व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	175,302,206	428.61	175,302,206	349.73
– इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	-	-	12,271,211	157.01
– हुडको लिमिटेड	व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	347,429	1.52	347,429	0.69
– यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड	व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	16,000,000	-	16,000,000	-
– रत्न इंडिया पावर लिमिटेड	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	92,568,105	23.60	92,568,105	12.50
– आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	181,790,667	-	-	-
उप–जोड़ – इक्विटी दस्तावेज			**453.73**		**519.93**
वरीयता शेयर (पीएस)					
– रत्न इंडिया पावर लिमिटेड के विमोचनयोग्य पीएस	परिशोधन लागत	28,720,978	26.09	28,720,978	22.93
– रत्न इंडिया पावर लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय पीएस	लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य	43,303,616	42.99	43,303,616	45.41
उप–जोड़ – वरीयता शेयर			**69.08**		**68.34**
अन्य					
– "स्मॉल इज ब्यूटीफुल" वेंचर कैपिटल फंड की यूनिट	व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	6,152,200	-	6,152,200	6.12
उप–जोड़ – अन्य			**-**		**6.12**
कुल निवेश			**1,723.68**		**2,127.11**

उचित मूल्य पर दर्शाए गए निवेशों की मूल्यांकन तकनीक के लिए टिप्पणी 55.1 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

11.2 वर्ष के दौरान, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने 5 फरवरी, 2021 के अपने आदेश के माध्यम से आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल) ("अंतरक कंपनी") को आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) ("अंतरिती कंपनी") में 1 अप्रैल, 2020 के रूप में नियत तारीख को समामेलन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के अनुसार, आरईसीपीडीसीएल ने कंपनी को प्रत्येक 10 रुपये के 35,500 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों को आरईसीटीपीसीएल के प्रत्येक 10 रुपये के 50,000 पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के निमित्त आवंटित किया है।

11.3 दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) की कार्यवाहीध्वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस)/पुनर्गठन के तहत सेटलमेंट के संदर्भ में, कंपनी को निम्नलिखित निवेश प्राप्त हुए हैं:

(i) वर्तमान वर्ष के दौरान:

(क) एस्सार पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 22,85,25,079 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला–ए, 10,06,12,911 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (3%) श्रृंखला–बी और 1,86,35,162 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0%) श्रृंखला–सी आवंटित किए गए हैं।

(ख) फेकर पावर लि. के संबंध में 21 सितंबर, 2020 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को फैरो अलॉयज कारपोरेशन लिमिटेड के 2,52,91,783 जीरो कूपन गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर आवंटित किए गए हैं।

(ग) आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लि. के संबंध में पुनर्गठन के अनुक्रम में, कंपनी को 21,38,03,170 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–ए, 63,03,032 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0.01%) श्रृंखला–बी और 1,04,74,150 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (0. 01%) श्रृंखला–एआई आवंटित किए गए हैं।

अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 10.3 देखें।

(i) पिछले वर्ष के दौरान:

(क) रतनइंडिया पावर लिमिटेड के संबंध में 23 दिसंबर, 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था के अनुक्रम में, कंपनी को 9,25,68,105 इक्विटी शेयर, 2,87,20,978 मोचनयोग्य वरीयता शेयर और 4,33,03,616 वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी मोचन योग्य प्राथमिकता शेयर आवंटित किए गए हैं। अधिक जानकारी के लिए टिप्पणी 10.3 देखें।

11.4 कंपनी ने एफवीओसीआई (अन्य आय के माध्यम से उचित मूल्य) पर कुछ इक्विटी लिखतों को नामित करने के लिए एक अपरिवर्तनीय विकल्प चुना है। कंपनी का मुख्य कार्य (प्रचालन) विद्युत क्षेत्र को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस प्रकार, इन लिखतों के मूल्य में उतार–चढ़ाव से लाभ और हानि के स्टैंडअलोन स्टेटमेंट को अलग करने प्रयोजन से, प्रबंधन का मानना है कि यह एफवीटीपीएल (लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य) के वर्गीकरण के बजाय उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक सार्थक प्रस्तुति प्रदान करता है।

वर्ष के दौरान डिरिकग्नाइज्ड एफवीओसीआई निवेशों के ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 2020–21			वित्तीय वर्ष 2019–20		
	डिरिकग्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिकग्नीजशन के समय उचित मूल्य	डिरिकग्नीजशन पर संचयी लाभ/हानि	डिरिकग्नाइज्ड शेयरों की संख्या	डिरिकग्नीजशन के समय उचित मूल्य	डिरिकग्नीजशन पर संचयी लाभ/हानि
इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड	12,271,211.0	249.92	248.69	228,789.00	4.23	4
लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	-	-	-	102,000,000.00	-	(102.00)

वर्ष के दौरान, कंपनी ने इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के ₹1,22,71,211 इक्विटी शेयरों को बाजार परिदृश्य पर विचार करते हुए स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से ₹249.92 करोड़ में बेचा है। इस प्रकार शेयरों को डिरिकग्नाइज्ड किया गया है और ऐसी बिक्री पर संचयी लाभ (कर का निवल) अन्य व्यापक आय से प्रतिधारित आय में अंतरित कर दिया गया है।

12. अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप 'अन्य व्यापक परिसंपत्तियों' के अंतर्गत सभी घटकों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
(क)	कार्मिकों को ऋण (टिप्पणी 12.1 के संदर्भ में)	39.94	34.61
(ख)	कार्मिकों को अग्रिम	0.41	0.30
(ग)	अनुषंगी कंपनियों को ऋण और अग्रिम	-	-
(घ)	प्रतिभूति जमा राशि	1.45	1.88
(ङ)	भारत सरकार से वसूली योग्य		
	– भारत सरकार के पूर्णतया सेवा प्रदत्त बॉण्ड के संबंध में (टिप्पणी 23.5 के संदर्भ में)	24,314.48	21,931.30

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण		31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
(च)	अन्य वसूली योग्य राशि	152.13	164.08
	घटाएं : इंपेयरमेंट हानि के लिए भत्ते (टिप्पणी 12.2 के संदर्भ में)	(88.53)	(30.85)
	अन्य वसूली योग्य राशि (निवल)	**63.60**	**133.23**
	कुल (क से च)	**24,419.88**	**22,101.32**

12.1 कार्मिकों के ऋण के विवरण

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं को अनुरूप कार्मिकों के दिए जाने वाले सभी ऋणों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क) प्रतिभूत ऋण		
– मुख्य प्रबंधन कार्मिकों के अलावा अन्य कार्मिकों को	7.39	7.29
उप – जोड़ (क)	7.39	**7.29**
(ख) अप्रतिभूत ऋण		
– मुख्य प्रबंधन कार्मिकों को	0.28	0.33
– अन्य को	32.27	26.99
उप – जोड़ (ख)	**32.55**	**27.32**
जोड़ (क+ख)	**39.94**	**34.61**

उपरोक्त आंकड़ों में ऐसे ऋणों पर उपचित ब्याज, जिसकी कुल राशि ₹8.16 करोड़ (पिछले वर्ष ₹6.59 करोड़) है, शामिल है।

12.2 अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों पर इंपेयरमेंट हानि भत्ते का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
प्रारम्भिक शेष	**30.85**	**26.69**
जोड़े : वर्ष के दौरान सृजित	64.35	5.78
घटाएं : वर्ष के दौरान वापस बदल दिया गया/समायोजित किया गया	(6.67)	(1.62)
अंतिम शेष	**88.53**	**30.85**

13 चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	**236.26**	**1,889.71**
घटाएंः आय कर हेतु प्रावधान	(72.35)	(1,613.59)
उप– जोड़ (1)	**163.91**	**276.12**
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर पर जमा कर	5.26	201.11
प्रतियोगिता की मांग के अंतर्गत आयकर हेतु प्रावधान	(0.25)	(67.29)
उप– जोड़ (2)	**5.01**	**133.82**
चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	**168.92**	**409.94**

14 आस्थगित कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आस्थगित कर देयताएं (निवल)	**2,461.03**	**2,050.57**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

14.1 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,291.73	473.43	-	-	2,765.16
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.13	0.58	-	-	4.71
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	5.51	(0.25)	-	-	5.26
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	-	0.72	-	-	0.72
निवेशों का उचित मूल्यांकन	10.00	(0.42)	(6.01)	-	3.57
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	439.65	(308.70)	(103.14)	-	27.81
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	0.04	(0.04)	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,751.06**	**165.32**	**(109.15)**	**-**	**2,807.23**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	1.52	0.09	-	-	1.61
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	448.95	(295.69)	-	-	153.26
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	237.45	(46.13)	-	-	191.33
अन्य	12.57	(12.57)	-	-	-
कुल आस्थगित कर देयताएं	**700.49**	**(354.30)**	**-**	**-**	**346.20**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,050.57**	**519.62**	**(109.15)**	**-**	**2,461.03**

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए निवल आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं के महत्वपूर्ण घटक

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	लाभ या हानि में रिकग्नाइज्ड	ओसीआई में रिकग्नाइज्ड	अन्य	अंतिम राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां					
प्रत्याशित ऋण हानियां	2,977.79	(686.06)	-	-	2,291.73
अर्जित अवकाश के लिए प्रावधान	4.19	(0.06)	-	-	4.13
चिकित्सा अवकाश के लिए प्रावधान	7.57	(2.06)	-	-	5.51
अन्य व्यय के लिए प्रावधान	-	-	-	-	-
एफवीओसीआई निवेशों	(0.78)	(1.61)	12.39	-	10.00
ओसीआई हेज रिजर्व	-	-	-	-	-
व्युत्पन्नों का उचित मूल्यांकन	(12.04)	306.79	144.90	-	439.65
परिसंपत्तियों के उपयोग का अधिकार (पट्टा देयताओं का निवल)	-	0.04	-	-	0.04
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**2,976.73**	**(382.96)**	**157.29**	**-**	**2,751.06**
आस्थगित कर देयताएं					
संपत्ति, संयंत्र और उपस्करों के विभिन्न कर आधार में देय	2.82	(1.30)	-	-	1.52
अपरिशोधित विदेशी मुद्रा विनिमय उतार–चढ़ाव	267.26	181.69	-	-	448.95
परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	336.89	(99.44)	-	-	237.45
अनुषंगी कंपनियों का समेकित असंवितरित लाभ का हिस्सा	56.35	(56.35)	-	-	-
इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए लेखाकृत संयुक्त उद्यम का असंवितरित लाभ का हिस्सा	7.48	(7.48)	-	-	-
अन्य	-	12.57	-	-	12.57
कुल आस्थगित कर देयताएं	**670.80**	**29.69**	**-**	**-**	**700.49**
कुल आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	**2,305.93**	**(412.65)**	**157.29**	**-**	**2,050.57**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

15 निवेश संपत्ति

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रारम्भिक शेष	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान बिक्री/समायोजन	अंतिम शेष
31.03.2021 के अनुसार	**0.01**	**-**	**-**	**0.01**
31.03.2020 के अनुसार	**0.01**	**-**	**-**	**0.01**

15.1 कंपनी ने निवेश परिसंपत्ति के रूप में कम आंके गए भावी प्रयोग के लिए रखी गई भूमि वर्गीकृत की है और उस पर कोई किराये की आय अर्जित नहीं कर रही है।

15.2 निवेश संपत्ति का उचित मूल्यः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
धारित मूल्य	0.01	0.01
उचित मूल्य	0.90	0.6 1

कंपनी कम से कम वार्षिक रूप से अपनी निवेश संपत्तियों के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन प्राप्त करती है। उचित मूल्य का सर्वोत्तम साक्ष्य उन संपत्तियों के लिए सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें हैं। जहां वह सूचना उपलब्ध नहीं है, वहां कंपनी विभिन्न स्रोतों से सूचना पर विचार करती है जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- विभिन्न प्रकार की समान परिसंपत्तियों के सक्रिय बाजार में वर्तमान कीमतें अथवा कम सक्रिय बाजारों में समान परिसंपत्तियों की हाल की कीमतें जो उन अंतरों को दर्शाने के लिए समायोजित की गई हैं।
- जिस अधिकार क्षेत्र में निवेश संपत्ति स्थित है, वहां वर्तमान सर्किल दरें।

निवेश संपत्ति का उचित मूल्य स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ता द्वारा निर्धारित किया गया है और प्रयुक्त मुख्य इनपुट समान परिसंपत्तियों की सर्किल दरों और वर्तमान कीमतों का उपयोग किया जाता हैं। निवेश संपत्ति के लिए सभी परिणामी उचित मूल्य आकलन लेवल–3 में शामिल हैं।

16 संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर तथा अमूर्त परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर										पूंजीगत कार्य प्रगति पर है	विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां
	फ्रीहोल्ड भूमि	भूमि के उपयोग का अधिकार	भवन	भवन के उपयोग का अधिकार	फर्नीचर और फिक्सचर्स	ईडीपी उपस्कर	कार्यालय उपस्कर	वाहन	लीजहोल्ड सुधार	कुल	अचल संपत्ति	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर
सकल धारित मूल्य													
31.03.2019 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**-**	**10.99**	**22.45**	**19.90**	**0.40**	**2.48**	**199.94**	**196.94**	**1.59**	**17.38**
परिवर्धन	-	-	-	2.65	1.84	2.84	3.30	-	-	10.63	74.89	-	3.57
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.79	-	-
निपटान	-	-	-	-	0.84	2.35	2.22	-	-	5.41	-	0.82	7.21
31.03.2020 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**31.74**	**2.65**	**11.99**	**22.94**	**20.98**	**0.40**	**2.48**	**205.16**	**287.62**	**0.77**	**13.74**
परिवर्धन	-	-	98.66	0.24	9.65	4.80	5.12	-	-	118.47	131.70	-	0.07
पूंजीगत लागत उधारियां	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.04	-	-
निपटान/समायोजन	-	-	-	2.89	0.75	3.41	8.24	-	2.48	17.77	105.69	-	0.01
31.03.2021 के अनुसार	**110.39**	**1.59**	**130.40**	**-**	**20.89**	**24.33**	**17.86**	**0.40**	**-**	**305.86**	**335.67**	**0.77**	**13.80**
संचित अवमूल्यन / परिशोधन													
31.03.2019 के अनुसार	**-**	**0.31**	**8.58**	**-**	**6.53**	**15.35**	**11.34**	**0.30**	**0.90**	**43.31**	**-**	**-**	**8.83**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.01	0.48	0.77	0.73	3.25	2.78	0.02	0.44	8.48	-	-	3.30
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	-	0.35	2.04	1.21	-	-	3.60	-	-	7.21
31.03.2020 के अनुसार	**-**	**0.32**	**9.06**	**0.77**	**6.91**	**16.56**	**12.91**	**0.32**	**1.34**	**48.19**	**-**	**-**	**4.92**
वर्ष के लिए शुल्क	-	0.03	0.75	0.54	0.99	2.93	2.50	0.02	0.36	8.12	-	-	2.74
निपटान के लिए समायोजन	-	-	-	1.31	0.22	2.72	5.20	-	1.70	11.15	-	-	0.01
31.03.2021 के अनुसार	**-**	**0.35**	**9.81**	**0.00**	**7.68**	**16.77**	**10.21**	**0.34**	**-**	**45.16**	**-**	**-**	**7.65**
31.03.2020 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.27**	**22.68**	**1.88**	**5.08**	**6.38**	**8.07**	**0.08**	**1.14**	**156.97**	**287.62**	**0.77**	**8.82**
31.03.2021 के अनुसार निवल ब्लॉक	**110.39**	**1.24**	**120.59**	**-**	**13.21**	**7.56**	**7.65**	**0.06**	**-**	**260.70**	**335.67**	**0.77**	**6.15**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

16.1 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी द्वारा अधिगृहीत कुछ अचल संपत्तियों के संबंध में कनवेंस डीड के पंजीकरण के संबंध में औपचारिकताएं अभी निष्पादित की जानी हैं। ब्यौरे निम्नलिखित हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	भूमि	भवन	भूमि	भवन
सकल धारित मूल्य	-	4.59	68.31	4.59
निवल धारित मूल्य	-	2.07	68.31	2.14

16.2 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार, कुछ संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार कंपनी के प्रतिभूति उधारों के विरूद्ध प्रतिभूति के रूप में रखे गए हैं।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
सकल धारित मूल्य	3.30	3.45
निवल धारित मूल्य	2.31	2.41

16.3 प्रबंधन के मत में उन परिस्थितियों में कोई परिवर्तन अथवा कोई घटनाएं नहीं हैं जो भारतीय लेखांकन मानक 36 "परिसंपत्तियों की हानि" के संदर्भ में पीपीई और अमूर्त परिसंपत्तियों की हानि दर्शाएं। तद्नुसार, हानि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

16.4 जबकि कंपनी ने किसी अर्हक परिसंपत्ति के निर्माण के लिए कोई विशिष्ट उधार नहीं लिया है, फिर भी कंपनी ने इंड एएस 23 'उधार लेने की लागत' के संदर्भ में कंपनी के लिए 8% (पिछले वर्ष 8.04%) उधार की औसत दर पर सामान्य उधारियों के लिए उधार लेने की कुछ लागतों को पूंजीकृत किया गया है। लागू लेखांकन मार्गदर्शन के अनुसार, कंपनी ने उस अवधि के लिए उधार लेने की लागत को पूंजीकृत नहीं किया है जिसके दौरान निर्माण कार्य को कोविड–19 व्यवधानों के कारण रोक दिया गया है।

16.5 भारतीय लेखांकन मानक 38 "अमूर्त परिसंपत्तियां" के तहत अपेक्षित अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में प्रकटन

परिशोधन दर 20 प्रतिशत (परिसंपत्ति की कुल लागत के मामले में 100 प्रतिशत, 5,000 रुपए अथवा उससे कम है)।

16.6 अपनी निष्क्रिय परिसंपत्ति का मुद्रीकरण करने की दृष्टि से, कंपनी ने कुछ आवासीय भवन की इकाइयों के साथ धारित मूल्य 0.10 करोड़ रुपये की परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर शामिल है, को बेचने का निर्णय लिया है जिसके निपटान के लिए आगे की कार्रवाई 31 मार्च 2021 के बाद की गई है। तदनुसार, इंड–एएस 105 के तहत परिसंपत्ति को "बिक्री के लिए धारित गैर–चालू परिसंपत्ति" के रूप में अपेक्षित ऐसी कार्रवाइयों की शुरूआती तारीख के बाद वर्गीकृत किया जाएगा। ई–नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रक्रिया के वर्ष 2021–22 के दौरान पूरी होने की उम्मीद है।

17 अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अप्रतिभूति, शोध्य समझे गए		
(क) पूंजीगत अग्रिम	8.84	50.38
(ख) अन्य अग्रिम	3.34	5.75
(ग) सरकारी प्राधिकरण के पास शेष	68.06	59.58
(घ) पूर्व–व्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यय	4.03	-
(ङ) पूर्वप्रदत्त व्यय	4.29	0.22
(च) आस्थगित कार्मिक लागत	14.09	13.21
(छ) आस्थगित व्यय	-	3.19
(ज) अन्य परिसंपत्तियां	0.02	0.04
कुल (क से ज)	**102.67**	**132.37**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

18 निपटान समूह

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियां		
(क)	संबंध कंपनियों के लिए निवेश	0.60	0.20
(ख)	संबंध कंपनियों के लिए ऋण	13.45	9.33
	कुल (क+ख)	**14.05**	**9.53**
	बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएँ		
(ग)	संबंध कंपनियों के लिए प्रतिदेय	0.08	0.68
	कुल (ग)	**0.08**	**0.68**
	निपटान समूह – निवल परिसंपत्तियां (क+ख–ग)	**13.97**	**8.85**

18.1 संबद्ध कंपनियों में निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
संबद्ध कंपनियों (पूर्णतया प्रदत्त) के इक्विटी लिखतों में निवेश		
प्रत्येक ₹10 के प्रति इक्विटी शेयर		
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0.05
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड	0.05	-
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज I लिमिटेड	0.05	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड	0.05	-
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	-
कुल	**0.60**	**0.20**

18.2 संबद्ध कंपनियों के लिए ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.53	2.49
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.47	2.18
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.21	2.43
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	2.27	2.23
फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड	0.91	-
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.11	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज I लिमिटेड	1.09	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड	1.07	-
रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	-
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.77	-
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.02	
कुल	**13.45**	**9.33**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

18.3 बिक्री के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से संबद्ध देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
बिदर कर्नाटक लाइन	-	0.10
गडग कर्नाटक पार्ट ए लाइन	-	0.10
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन	-	0.11
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन	-	0.06
सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन	-	0.16
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.03	
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	
राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन	-	0.15
कुल	**0.08**	**0.68**

प्रबंधन ने विद्युत मंत्रालय द्वारा निर्धारित बोली प्रक्रिया के माध्यम से, विद्युत मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार इन कंपनियों को उन्हें बेचने की दृष्टि से निगमित किया था। ऐसी कोई संभावना नहीं है कि प्रबंधन उन्हें बेचने के सिवाय उन कंपनियों से लाभ प्राप्त करेगा। अतः इन सभी निवेशों (संबद्ध परिसंपत्तियों और देयताओं सहित) को "बिक्री के लिए रखी गई" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

19 व्यापार प्राप्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
व्यापार प्राप्य		
एमएसएमई का कुल बकाया देय	0.01	0.15
एमएसएमई से भिन्न जमाकर्ताओं का कुल बकाया देय	61.50	46.00
कुल	**61.51**	**46.15**

20 ऋण प्रतिभूतियां

कंपनी ने इंड एस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(क)	**प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	3,470.00	3,679.52	3,470.00	3,679.51
(ii)	54 ईसी पूंजी लाभ कर मुक्त बॉण्ड	17,264.97	17,901.65	21,976.14	22,781.73
(iii)	कर मुक्त बॉण्ड	12,602.97	13,044.23	12,602.97	13,041.35
(iv)	बॉण्ड आवेदन राशि	856.62	854.71	400.19	399.41
	उप – जोड़ (क)	**34,194.56**	**35,480.11**	**38,449.30**	**39,902.00**
(ख)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	संस्थागत बॉण्ड	169,856.60	175,707.24	148,650.20	153,672.91
(ii)	अवसंरचना बॉण्ड	11.07	21.36	16.46	25.19
(iii)	जीरो कूपन बॉण्ड	-	-	1,364.85	1,363.91
(iv)	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56
	उप – जोड़ (ख)	**196,329.38**	**201,789.00**	**172,647.29**	**177,126.57**
(ग)	**अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियां**				
(i)	कमर्शियल पेपर	-	-	2,925.00	2,889.68
	उप – जोड़ (ग)	**-**	**-**	**2,925.00**	**2,889.68**
	कुल – ऋण प्रतिभूतियां (क+ख+ग)	**230,523.94**	**237,269.11**	**214,021.59**	**219,918.25**
	भारत में / से बाहर निर्गत ऋण प्रतिभूतियां				
(i)	भारत में ऋण प्रतिभूतियां	204,062.23	211,208.71	191,405.81	197,853.69
(ii)	भारत से बाहर में ऋण प्रतिभूतियां	26,461.71	26,060.40	22,615.78	22,064.56
	जोड़– ऋण प्रतिभूतियां	**230,523.94**	**237,269.11**	**214,021.59**	**219,918.25**

अंकित मूल्य में प्रतिबिम्बित आंकडों और परिशोधित लागत के आंकडों के बीच पुनर्मिलान के लिए नोट संख्या 22.2 देखें

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

20.1 प्रतिभूत दीर्घावधि ऋण प्रतिभूतियाँ का विवरण – *प्रतिभूति के विवरण के लिए टिप्पणी 21.5 का संदर्भ लें*

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
123–IIIबी श्रृंखला – 9.34% सममूल्य पर दिनांक 23.08.2024 को विमोचनीय	1,955.00	2,063.91	1,955.00	2,063.95
123–I श्रृंखला – 9.40% सममूल्य पर दिनांक 17.07.2021 को विमोचनीय	1,515.00	1,615.61	1,515.00	1,615.56
जोड़ – संस्थागत बॉण्ड	**3,470.00**	**3,679.52**	**3,470.00**	**3,679.51**

(ii) 54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला XIV (2020–21) 5.75% और 5% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2025–26 के दौरान विमोचनीय	4,455.48	4,550.70	-	-
श्रृंखला XIII (2019–20) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2024–25 के दौरान विमोचनीय	6,157.72	6,415.55	5,759.14	5,907.48
श्रृंखला XII (2018–19) 5.75% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2023–24 के दौरान विमोचनीय	6,651.77	6,935.40	6,651.77	6,934.10
श्रृंखला XI (2017–18) 5.25% सममूल्य पर वित्त वर्ष 2020–21 के दौरान विमोचनीय	-	-	9,565.23	9,940.15
जोड़–54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	**17,264.97**	**17,901.65**	**21,976.14**	**22,781.73**

(iii) कर मुक्त बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2015–16 भाग 1	696.56	699.67	696.56	710.38
वार्षिक रूप से 6.89% से 7.43% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹105.93 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2025 को विमोच्य हैं, ₹172.90 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2030 को विमोच्य है और ₹417.73 करोड़ के बॉण्ड 05.11.2035 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2015–16 श्रृंखला 5ए	300.00	317.75	300.00	306.98
7.17% के सममूल्य पर 23.07.2025 को विमोचनीय हैं।	-	-	-	-
श्रृंखला 2013–14 भाग 2	1,057.40	1,128.99	1,057.40	1,083.38
वार्षिक रूप से 8.19% से 8.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹419.32 करोड़ के बॉण्ड 22.03.2024 को विमोच्य हैं, ₹528.42 करोड़ के बॉण्ड 23.03.2029 को विमोच्य है और ₹109.66 करोड़ के बॉण्ड 24.3.2034 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 4ए एवं 4बी	150.00	161.92	150.00	155.69
वार्षिक रूप से 8.18% से 8.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹105.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 11.10.2023 को विमोच्य हैं और ₹45.00 करोड़ के बॉण्ड 11.10.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2013–14 भाग 1	3,410.60	3,499.86	3,410.60	3,494.00
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.71% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹575.06 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 25.09.2023 को विमोच्य हैं, ₹2,780.26 करोड़ 25.09.2028 को विमोच्य हैं और ₹55.28 करोड़ 26.09.2033 को विमोच्य हैं।				

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
श्रृंखला 2013–14 श्रृंखला 3ए एवं 3बी	1,350.00	1,358.55	1,350.00	1,415.07
वार्षिक रूप से 8.01% से 8.46% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹209.00 करोड़ के बॉण्ड सममूल्य पर 29.08.2023 को विमोच्य हैं और ₹1,141.00 करोड़ के बॉण्ड 29.08.2028 को विमोच्य हैं।				
श्रृंखला 2012–13 भाग 2	131.06	138.66	131.06	133.92
वार्षिक रूप से 6.88% से 7.54% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹81.35 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2023 को विमोचनीय हैं और ₹49.71 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 27.03.2028 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012–13 भाग 1	2,007.35	2,030.86	2,007.35	2,053.10
वार्षिक रूप से 7.22% से 7.88% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹1,165.31 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 19.12.2022 को विमोचनीय हैं और ₹842.04 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 20.12.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2012–13 श्रृंखला 2ए और 2बी	500.00	531.26	500.00	513.01
वार्षिक रूप से क्रमशः 7.21% तथा 7.38% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹255.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 21.11.2022 को विमोचनीय हैं और ₹245.00 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 22.11.2027 को विमोचनीय हैं।				
श्रृंखला 2011–12	3,000.00	3,176.71	3,000.00	3,175.82
वार्षिक रूप से 7.93% से 8.32% की परिवर्ती ब्याज दरों के साथ सममूल्य पर ₹839.67 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 28.03.2022 को विमोचनीय हैं और ₹2,160.33 करोड़ के बॉण्ड दिनांक 29.03.2027 को विमोचनीय हैं।				
जोड़ – कर–मुक्त बॉण्ड	**12,602.97**	**13,044.23**	**12,602.97**	**13,041.35**

(iv) बॉण्ड आवेदन राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
54 ईसी पूंजी लाभ कर छूट बॉण्ड	856.62	854.71	400.19	399.41
5% आबंटन की डीम्ड तिथि से 5 वर्ष के बाद विमोचनीय				
जोड़–बॉण्ड आवेदन राशि	**856.62**	**854.71**	**400.19**	**399.41**

20.2 अप्रतिभूत दीर्घावधिक ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) संस्थागत बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
208वीं श्रृंखला–7.40% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2036 को विमोचनीय	3,613.80	3,627.67	-	-
207वीं श्रृंखला–7.02% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2036 को विमोचनीय	4,589.90	4,644.40	-	-
183वीं श्रृंखला–8.29% सममूल्य पर दिनांक 16.09.2034 को विमोचनीय	3,028.00	3,163.23	3,028.00	3,163.54
182वीं श्रृंखला–8.18% सममूल्य पर दिनांक 22.08.2034 को विमोचनीय	5,063.00	5,314.66	5,063.00	5,315.09
201वीं बी श्रृंखला–6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2031 को विमोचनीय	1,300.00	1,360.02	-	-
204वीं ए श्रृंखला–6.90% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2031 को विमोचनीय	2,500.00	2,527.31	-	-
203वीं ए श्रृंखला–6.80% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2030 को विमोचनीय	5,000.00	5,142.50	-	-
202वीं ए श्रृंखला–7.25% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2030 को विमोचनीय	3,500.00	3,649.96	-	-
198वीं बी श्रृंखला–7.79% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2030 को विमोचनीय	1,569.00	1,673.70	-	-

समेकित संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
197वीं श्रृंखला–7.55% सममूल्य पर दिनांक 11.05.2030 को विमोचनीय	3,740.00	3,989.76	-	-
189वीं श्रृंखला–7.92% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	3,054.90	3,054.85	3,054.90	3,054.80
188वीं बी श्रृंखला–7.89% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2030 को विमोचनीय	1,100.00	1,100.08	1,100.00	1,100.07
192वीं श्रृंखला–7.50% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2030 को विमोचनीय	2,382.00	2,395.75	2,382.00	2,393.16
184वीं–ए श्रृंखला–8.25% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2029 को आंशिक रूप से प्रदत्त डिबेंचर विमोचनीय विमोचनीय	580.40	604.76	290.20	302.31
180वीं–बी श्रृंखला–8.30% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2029 को विमोचनीय	2,070.90	2,166.39	2,070.90	2,163.58
178वीं– श्रृंखला–8.80% सममूल्य पर दिनांक 14.05.2029 को विमोचनीय	1,097.00	1,168.79	1,097.00	1,167.75
176वीं–श्रृंखला–8.85% सममूल्य पर दिनांक 16.04.2029 को विमोचनीय	1,600.70	1,735.65	1,600.70	1,735.59
169वीं श्रृंखला–8.37% सममूल्य पर दिनांक 07.12.2028 को विमोचनीय	2,554.00	2,621.52	2,554.00	2,621.29
168वीं श्रृंखला–8.56% सममूल्य पर दिनांक 29.11.2028 को विमोचनीय	2,552.40	2,624.45	2,552.40	2,626.01
163वीं श्रृंखला–8.63% सममूल्य पर दिनांक 25.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,627.99	2,500.00	2,628.20
162वीं श्रृंखला–8.55% सममूल्य पर दिनांक 09.08.2028 को विमोचनीय	2,500.00	2,637.36	2,500.00	2,637.55
156वीं श्रृंखला–7.70% सममूल्य पर दिनांक 10.12.2027 को विमोचनीय	3,533.00	3,612.72	3,533.00	3,614.64
147वीं श्रृंखला–7.95% सममूल्य पर दिनांक 12.03.2027 को विमोचनीय	2,745.00	2,745.44	2,745.00	2,745.34
142वीं श्रृंखला–7.54% सममूल्य पर दिनांक 30.12.2026 को विमोचनीय	3,000.00	3,055.87	3,000.00	3,056.26
140वीं श्रृंखला–7.52% सममूल्य पर दिनांक 07.11.2026 को विमोचनीय	2,100.00	2,151.65	2,100.00	2,152.27
205वीं–बी श्रृंखला–5.94% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2026 को विमोचनीय	2,000.00	2,024.68	-	-
204वीं बी श्रृंखला–5.81% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2025 को विमोचनीय	2,082.00	2,116.78	-	-
203वीं बी श्रृंखला–5.85% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2025 को विमोचनीय	2,777.00	2,844.16	-	-
136वीं श्रृंखला–8.11% सममूल्य पर दिनांक 07.10.2025 को विमोचनीय	2,585.00	2,671.10	2,585.00	2,671.22
95–II श्रृंखला–8.75% सममूल्य पर दिनांक 14.07.2025 को विमोचनीय	1,800.00	1,913.49	1,800.00	1,913.61
94वीं श्रृंखला–8.75% सममूल्य पर दिनांक 09.06.2025 को विमोचनीय	1,250.00	1,339.00	1,250.00	1,339.05
133वीं श्रृंखला–8.30% सममूल्य पर दिनांक 10.04.2025 को विमोचनीय	2,396.00	2,453.28	2,396.00	2,452.91
201वीं ए श्रृंखला–5.90% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2025 को विमोचनीय	900.00	935.50	-	-
190वीं ए श्रृंखला–6.88% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2025 को विमोचनीय	2,500.00	2,513.83	2,500.00	2,523.03
131वीं श्रृंखला–8.35% सममूल्य पर दिनांक 21.02.2025 को विमोचनीय	2,285.00	2,304.22	2,285.00	2,304.14
130वीं श्रृंखला–8.27% सममूल्य पर दिनांक 06.02.2025 को विमोचनीय	2,325.00	2,493.14	2,325.00	2,493.00
129वीं श्रृंखला–8.23% सममूल्य पर दिनांक 23.01.2025 को विमोचनीय	1,925.00	2,063.52	1,925.00	2,063.40
128वीं श्रृंखला–8.57% सममूल्य पर दिनांक 21.12.2024 को विमोचनीय	2,250.00	2,418.67	2,250.00	2,418.53
186वीं बी श्रृंखला–7.40% सममूल्य पर दिनांक 26.11.2024 को विमोचनीय	1,500.00	1,537.78	1,500.00	1,537.86
191वीं बी श्रृंखला–6.99% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2024 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.18	1,100.00	1,107.13
180वीं ए श्रृंखला–8.10% सममूल्य पर दिनांक 25.06.2024 को विमोचनीय	1,018.00	1,072.68	1,018.00	1,070.52
209वीं श्रृंखला–5.79% सममूल्य पर दिनांक 20.03.2024 को विमोचनीय	1,550.00	1,552.62	-	-
205वीं–ए श्रृंखला–4.99% सममूल्य पर दिनांक 31.01.2024 को विमोचनीय	2,135.00	2,157.04	-	-
202वीं बी श्रृंखला–5.69% सममूल्य पर दिनांक 30.09.2023 को विमोचनीय	2,474.00	2,556.56	-	-
184वीं बी श्रृंखला एसटीआरपीपी–डी–7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2023 को विमोचनीय**	298.00	309.46	298.00	309.47
200वीं श्रृंखला पीपी–एमएलडी–5.36% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय*	500.00	518.94	-	-
191वीं ए श्रृंखला–6.80% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2023 को विमोचनीय	1,100.00	1,106.06	1,100.00	1,106.95
195वीं श्रृंखला–6.92% सममूल्य पर दिनांक 22.04.2023 को विमोचनीय	2,985.00	3,179.21	-	-
114वीं श्रृंखला–8.82% सममूल्य पर दिनांक 12.04.2023 को विमोचनीय	4,300.00	4,666.94	4,300.00	4,666.58
188वीं ए श्रृंखला–7.12% सममूल्य पर दिनांक 31.03.2023 को विमोचनीय	1,400.00	1,400.17	1,400.00	1,400.13
159वीं श्रृंखला–7.99% सममूल्य पर दिनांक 23.02.2023 को विमोचनीय	950.00	957.57	950.00	957.40
187वीं श्रृंखला–7.24% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2022 को विमोचनीय	2,090.00	2,127.24	2,090.00	2,129.37
185वीं श्रृंखला–7.09% सममूल्य पर दिनांक 13.12.2022 को विमोचनीय	2,759.00	2,816.25	2,759.00	2,816.83
155वीं श्रृंखला–7.45% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2022 को विमोचनीय	1,912.00	1,958.74	1,912.00	1,959.12

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
111–II श्रृंखला–9.02% सममूल्य पर दिनांक 19.11.2022 को विमोचनीय	2,211.20	2,283.50	2,211.20	2,283.64
152वीं श्रृंखला–7.09% सममूल्य पर दिनांक 17.10.2022 को विमोचनीय	1,225.00	1,264.18	1,225.00	1,264.12
184वीं–बी श्रृंखला एसटीआरपीपी–सी–7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2022 को विमोचनीय**	300.00	311.56	300.00	311.56
150वीं श्रृंखला–7.03% सममूल्य पर दिनांक 07.09.2022 को विमोचनीय	2,670.00	2,775.38	2,670.00	2,775.25
186वीं ए श्रृंखला–6.90% सममूल्य पर दिनांक 30.06.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,629.63	2,500.00	2,559.27
107वीं श्रृंखला–9.35% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2022 को विमोचनीय	2,378.20	2,554.56	2,378.20	2,554.46
179वीं श्रृंखला–8.15% सममूल्य पर दिनांक 10.06.2022 को विमोचनीय	1,000.00	1,065.70	1,000.00	1,065.61
167वीं श्रृंखला–8.45% सममूल्य पर दिनांक 22.03.2022 को विमोचनीय	2,571.80	2,577.65	2,571.80	2,577.54
198वीं ए श्रृंखला–6.60% सममूल्य पर दिनांक 21.03.2022 को विमोचनीय	2,596.00	2,600.39	-	-
173वीं श्रृंखला–8.35% सममूल्य पर दिनांक 11.03.2022 को विमोचनीय	2,500.00	2,509.41	2,500.00	2,510.23
132वीं श्रृंखला–8.27% सममूल्य पर दिनांक 09.03.2022 को विमोचनीय	700.00	750.81	700.00	750.72
145वीं श्रृंखला–7.46% सममूल्य पर दिनांक 28.02.2022 को विमोचनीय	625.00	628.85	625.00	628.97
165वीं श्रृंखला–8.83% सममूल्य पर दिनांक 21.01.2022 को विमोचनीय	2,171.00	2,207.16	2,171.00	2,207.50
193वीं श्रृंखला–6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	1,115.00	1,121.46	1,115.00	1,118.70
190वीं बी श्रृंखला–6.32% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2021 को विमोचनीय	2,489.40	2,502.64	2,489.40	2,511.05
177वीं श्रृंखला–8.50% सममूल्य पर दिनांक 20.12.2021 को विमोचनीय	1,245.00	1,274.16	1,245.00	1,274.50
141वीं श्रृंखला–7.14% सममूल्य पर दिनांक 09.12.2021 को विमोचनीय	1,020.00	1,038.03	1,020.00	1,038.00
127वीं श्रृंखला–8.44% सममूल्य पर दिनांक 04.12.2021 को विमोचनीय	1,550.00	1,664.92	1,550.00	1,664.78
105वीं श्रृंखला–9.75% सममूल्य पर दिनांक 11.11.2021 को विमोचनीय	3,922.20	4,069.73	3,922.20	4,070.07
139वीं श्रृंखला–7.24% सममूल्य पर दिनांक 21.10.2021 को विमोचनीय	2,500.00	2,575.17	2,500.00	2,575.10
184वीं–बी श्रृंखला एसटीआरपीपी–बी–7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2021 को विमोचनीय**	300.00	311.58	300.00	311.57
101–III श्रृंखला–9.48% सममूल्य पर दिनांक 10.08.2021 को विमोचनीय	3,171.80	3,364.42	3,171.80	3,364.34
100वीं श्रृंखला–9.63% सममूल्य पर दिनांक 15.07.2021 को विमोचनीय	1,500.00	1,602.90	1,500.00	1,603.01
174वीं श्रृंखला–8.15% सममूल्य पर दिनांक 18.06.2021 को विमोचनीय	2,720.00	2,894.23	2,720.00	2,894.03
161बी श्रृंखला–7.73% सममूल्य पर दिनांक 15.06.2021 को विमोचनीय	800.00	849.11	800.00	849.01
154 श्रृंखला–7.18% सममूल्य पर दिनांक 21.05.2021 को विमोचनीय	600.00	637.16	600.00	637.04
157वीं श्रृंखला–7.60% सममूल्य पर दिनांक 17.04.2021 को विमोचनीय	1,055.00	1,131.66	1,055.00	1,131.47
158वीं श्रृंखला–7.70% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	-	-	2,465.00	2,473.46
98वीं श्रृंखला–9.18% सममूल्य पर दिनांक 15.03.2021 को विमोचनीय	-	-	3,000.00	3,012.79
153वां श्रृंखला–6.99% सममूल्य पर दिनांक 31.12.2020 को विमोचनीय	-	-	2,850.00	2,899.77
97वीं श्रृंखला–8.80% सममूल्य पर दिनांक 30.11.2020 को विमोचनीय	-	-	2,120.50	2,183.61
96वीं श्रृंखला–8.80% सममूल्य पर दिनांक 26.10.2020 को विमोचनीय	-	-	1,150.00	1,193.96
184वीं–बी श्रृंखला एसटीआरपीपी–ए–7.55% सममूल्य पर दिनांक 26.09.2020 को विमोचनीय**	-	-	300.00	311.63
149वीं श्रृंखला–6.87% सममूल्य पर दिनांक 24.09.2020 को विमोचनीय	-	-	2,485.00	2,573.44
135वीं श्रृंखला–8.36% सममूल्य पर दिनांक 22.09.2020 को विमोचनीय	-	-	2,750.00	2,817.12
144वीं श्रृंखला–7.13% सममूल्य पर दिनांक 21.09.2020 को विमोचनीय	-	-	835.00	840.30
172वीं श्रृंखला–8.57% सममूल्य पर दिनांक 20.08.2020 को विमोचनीय	-	-	1,790.00	1,884.21
134वीं श्रृंखला–8.37% सममूल्य पर दिनांक 14.08.2020 को विमोचनीय	-	-	2,675.00	2,740.31
143वीं श्रृंखला–6.83% सममूल्य पर दिनांक 29.06.2020 को विमोचनीय	-	-	1,275.00	1,289.46
148वीं श्रृंखला–7.42% सममूल्य पर दिनांक 17.06.2020 को विमोचनीय	-	-	1,200.00	1,203.61
जोड़ – संस्थागत बॉण्ड	**169,856.60**	**175,707.24**	**148,650.20**	**153,672.91**

**पीपी–एमएलडी– प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर*

***एसटीआरपीपी–सेपरेटेली ट्रांस्फेरेबल रिडीमएबल प्रिंसिपल पार्ट्स*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) अवसंरचना बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधन लागत	अंकित मूल्य	परिशोधन लागत
श्रृंखला–II (2011–12) – सममूल्य पर विमोचनीय	11.07	21.36	11.07	19.80
श्रृंखला–I (2010–11) – सममूल्य पर विमोचनीय	-	-	5.39	5.39
जोड़ – अवसरंचना बॉण्ड	**11.07**	**21.36**	**16.46**	**25.19**

जारी किए गए अवसरंचना बॉण्ड का विवरण इस प्रकार है:

15.02.2012 को आबंटित श्रृंखला II (2011–12)

(₹ करोड़ में)

ब्याज दर	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	विमोचन का विवरण
8.95% संचयी	5.73	5.73	आबंटन की तारीख से 10 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
8.95% वार्षिक	1.38	1.38	
9.15% संचयी	2.83	2.83	आबंटन की तारीख से 15 वर्ष पर पड़ने वाली तारीख को विमोचनीय
9.15% वार्षिक	1.13	1.13	
जोड़	**11.07**	**11.07**	

राशि को अंकित मूल्य पर दर्शाया गया है।

(iii) जीरो कूपन बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य	अंकित मूल्य*	परिशोधित मूल्य
जेडसीबी – श्रृंखला II	-	-	250.29	250.14
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 89,510 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 03.02.2021 को विमोचनीय हैं)।				
जेडसीबी – श्रृंखला I	-	-	1,114.56	1,113.77
(अपरिशोधित निवल बट्टे पर 3,92,700 बॉण्ड जिनमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य रु. 30,000 है, जो सममूल्य पर दिनांक 15.12.2020 को विमोचनीय हैं)।				
जोड़– जीरो कूपन बॉण्ड	**-**	**-**	**1,364.85**	**1,363.91**

**जीरो कूपन बाण्ड्स के जारी होने पर अपरिशोधित निवल अंकित मूल्य को दर्शाता है।*

(iv) विदेशी मुद्रा बॉण्ड

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.20 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधन लागत	अंकित मूल्य	परिशोधन लागत
4.625% यूएस $300 मिलियन बॉण्ड–सममूल्य पर दिनांक 22.03.2028 को विमोचनीय	2,205.14	2,007.20	2,261.58	2,035.23
3.875% यूएस $450 मिलियन ग्रीन बॉण्ड–सममूल्य पर दिनांक 07.07.2027 को विमोचनीय	3,307.71	2,956.72	3,392.37	2,982.46
2.25% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 01.09.2026 को विमोचनीय	3,675.24	3,672.19	-	-
3.50% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 12.12.2024 को विमोचनीय	3,675.24	3,703.43	3,769.30	3,795.87
3.375% यूएस $650 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 25.07.2024 को विमोचनीय	4,777.81	4,784.36	4,900.08	4,900.27
5.250% यूएस $700 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 13.11.2023 को विमोचनीय	5,145.33	5,209.90	5,277.01	5,329.61
4.75% यूएस $500 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 19.05.2023 को विमोचनीय	3,675.24	3,726.60	-	-
3.068% यूएस $400 मिलियन बॉण्ड –सममूल्य पर दिनांक 18.12.2020 को विमोचनीय	-	-	3,015.44	3,021.12
जोड़– विदेशी मुद्रा बॉण्ड	**26,461.71**	**26,060.40**	**22,615.78**	**22,064.56**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम

कंपनी के पास 7 बिलियन अमरीकी डॉलर का ग्लोबल मीडियम टर्म नोट (जीएमटीएन) प्रोग्राम है जो एसजीएक्स –एसटी (सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज – सिक्योरिटीज ट्रेडिंग) एलएसई–आईएसएम (लंदन स्टॉक एक्सचेंज – इंटरनेशनल सिक्योरिटीज मार्केट), इंडिया आईएनएक्स (इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज) का ग्लोबल सिक्योरिटीज मार्केट(जीएसएम) और एनएसई आईएफएससी (एनएसई इंटरनेशनल एक्सचेंज) पर सूचीबद्ध है। जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि का सारांश निम्नानुसार है:

विवरण	31–03–2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31–03–2020 को समाप्त वर्ष के लिए
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत वर्ष के दौरान जुटाई गई निधि	यूएसडी 1 बिलियन	यूएसडी 1 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई संचयी राशि	यूएसडी 4 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन
जीएमटीएन कार्यक्रम के तहत जुटाई गई निधि में से बकाया राशि	यूएसडी 3.6 बिलियन	यूएसडी 3 बिलियन

20.3 अप्रतिभूत अल्पावधि ऋण प्रतिभूतियों का विवरण

(i) वाणिज्यिक दस्तावेज

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	2,925.00	2,889.68

बकाया वाणिज्यिक दस्तावेज का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
63वीं श्रृंखला – 7.90% दिनांक 19.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	675.00	664.69
64वीं श्रृंखला – 5.48% दिनांक 15.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	2,250.00	2,224.99
जोड़	**-**	**-**	**2,925.00**	**2,889.68**

21 उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी उधारियों (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(क)	**अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियाँ**				
(i)	बैंकों से आवधिक ऋण	29,938.58	29,953.76	18,899.78	18,900.72
(ii)	वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00
(iii)	विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29
(iv)	एफसीएनआर (बी) ऋण	-	-	1,017.71	1,020.89
(v)	भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81
(vi)	पट्टा देयताएं	0.05	0.05	2.12	2.12
	उप–जोड़ (क)	**66,763.35**	**66,969.87**	**52,682.32**	**52,829.83**
(ख)	**अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ**				
(i)	एफसीएनआर (बी) ऋण	5,329.10	5,335.01	5,955.49	5,964.91
(ii)	बैंकों से मांग पर अल्पावधि ऋण/ऋण प्रतिदेय	10,186.52	10,201.99	2,754.86	2,755.92
(iii)	धारक कंपनी से मांग पर ऋण प्रतिदेय	3,000.00	3,000.49	-	-
	उप–जोड़ (ख)	**18,515.62**	**18,537.49**	**8,710.35**	**8,720.83**
	कुल– उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा) (क से ख)	**85,278.97**	**85,507.36**	**61,392.67**	**61,550.66**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
		मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
	भारत में/से बाहर उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)				
(i)	भारत में उधारियाँ	64,254.25	64,616.42	39,629.96	39,971.37
(ii)	भारत से उधारियाँ	21,024.72	20,890.94	21,762.71	21,579.29
	कुल – उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)	**85,278.97**	**85,507.36**	**61,392.67**	**61,550.66**

21.1 अप्रतिभूत दीर्घावधि उधारियों के विवरण

(i) बैंकों से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– बैंक ऑफ बड़ौदा	2,000.00	2,000.36	2,500.00	2,500.52
12.12.2021 को ₹958.50 करोड़ प्रतिदेय, 12.12.2022 को ₹1041.50 करोड़ प्रतिदेय				
– एचडीएफसी	4,650.00	4,664.47	2,000.00	2,000.42
24.02.2022 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 30.09.2022 को ₹650 करोड़ प्रतिदेय, 19.06.2023 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय, 29.09.2023 को ₹300 करोड़ प्रतिदेय, 11.10.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय, 05.11.2023 को ₹350 करोड़ प्रतिदेय एवं 15.01.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय				
– पंजाब नेशनल बैंक	4,396.84	4,396.84	2,399.87	2,399.87
3 वार्षिक किश्तों में ₹1,999.98 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 15.09.2021 को देय है, 8 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹399.87 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 01.10.2021 को देय है एवं 3 वार्षिक किश्तों में ₹1,996.99 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 27.08.2023 को देय है।				
– स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	10,839.90	10,839.90	7,299.92	7,299.92
4 वार्षिक किश्तों में ₹1,839.97 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 05.09.2021 को देय है, 2 वार्षिक किश्तों में ₹3,999.93 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 15.10.2021 को देय है एवं 7 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹5,000 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 14.07.2022 को देय है।				
– यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	3,399.34	3,399.34	2,199.99	2,199.99
6 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹1,499.70 करोड़ प्रतिदेय एवं पहली किश्त 25.06.2022 को देय है, 6 अर्धवार्षिक किश्तों में ₹1,899.64 करोड़ प्रतिदेय, पहली किश्त 20.02.2023 को देय है।				
– केनरा बैंक	1,000.00	1,000.00	2,500.00	2,500.00
28.02.2023 को ₹150 करोड़ प्रतिदेय, 29.02.2024 को ₹425 करोड़ प्रतिदेय एवं 28.02.2025 को ₹425 करोड़ प्रतिदेय				
– एचएसबीसी	1,652.50	1,652.77	-	-
19.05.2025 को ₹565 करोड़ प्रतिदेय, 18.12.2025 को ₹187.5 करोड़ प्रतिदेय एवं 25.03.2026 को ₹900 करोड़ प्रतिदेय				
– ड्यूश बैंक	500.00	500.08	-	-
18.12.2023 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय				
– जेपी मॉर्गन	1,500.00	1,500.00	-	-
26.03.2024 को ₹1,500 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ – बैंकों से अप्रतिभूत आवधिक ऋण	**29,938.58**	**29,953.76**	**18,899.78**	**18,900.72**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ii) अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल)	5,800.00	5,800.00	1,000.00	1,000.00
04.06.2022 को ₹1,000 करोड़ प्रतिदेय एवं 25.06.2023 को ₹800 करोड़ प्रतिदेय, 23.02.2024 को ₹1500 करोड़ प्रतिदेय, 15.03.2024 को ₹500 करोड़ प्रतिदेय, 26.03.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय एवं 30.03.2026 को ₹1000 करोड़ प्रतिदेय				
जोड़ – अन्य से आवधिक ऋण – वित्तीय संस्थाएं	**5,800.00**	**5,800.00**	**1,000.00**	**1,000.00**

(iii) विदेशी मुद्रा उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
(1) ओडीए ऋण – भारत सरकार द्वारा गारंटीकृत				
जेआईसीए ऋण – 0.65% जेआईसीए–II ऋण दिनांक 20.03.2023 तक छमाही किश्तों में प्रतिदेय, अगली किश्त दिनांक 20.09.2021 को देय ही रही है	50.06	50.07	99.46	99.48
2.89% केएफडब्ल्यू–II ऋण – 30.12.2020 को प्रदत्त	-	-	64.60	65.03
1.86% केएफडब्ल्यू–III ऋण – 30.03.2024 तक €5.26 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 30.12.2020 को देय है।	317.22	317.87	393.41	393.52
उप जोड़ – (1)	**367.28**	**367.94**	**557.47**	**558.03**
(2) ओडीए ऋण – भारत सरकार की गारंटीकृत के बिना				
6 एम यूएसडी एलआईबीओआर +0.13% केएफडब्ल्यू – IV – 15.11.2030 तक € 12.00 मिलियन की समान छमाही किश्तों में प्रतिदेय है, अगली किश्त 15.11.2021 को देय है।	1,241.16	1,243.23	1,220.98	1,227.88
उप जोड़ – (2)	**1,241.16**	**1,243.23**	**1,220.98**	**1,227.88**
(3) द्विपक्षीय/सिंडिकेट ऋण				
यूएस $300 मिलियन– 02.06.2030 को प्रतिदेय	2,205.14	2,216.83	-	-
यूएस $425 मिलियन– 16.03.2026 को प्रतिदेय	3,123.95	3,095.46	-	-
यूएस $170 मिलियन– $100 मिलियन 26.03.2025 को प्रतिदेय एवं **$70 मिलियन**– 06.10.2025 को प्रतिदेय	1,249.58	1,249.55	-	-
¥10,519 मिलियन– 25.09.2025 को प्रतिदेय	698.04	686.00	-	-
यूएस $75 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	551.29	542.57	565.39	554.38
एसजी $72.07 मिलियन– 30.03.2025 को प्रतिदेय	391.79	383.78	380.80	367.22
यूएस $100 मिलियन– 01.07.2024 को प्रतिदेय	735.05	729.68	753.86	749.10
यूएस $150 मिलियन– 29.03.2024 को प्रतिदेय	1,102.57	1,085.82	1,130.79	1,104.53
यूएस $250 मिलियन– 27.03.2024 को प्रतिदेय	1,837.62	1,815.96	1,884.65	1,855.66
¥10,327.012 मिलियन–08.08.2023 को प्रतिदेय	685.31	673.06	719.28	700.98
यूएस $250 मिलियन– 29.08.2023 को प्रतिदेय	1,837.62	1,831.68	1,884.65	1,877.67

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $150 मिलियन – 11.09.2022 को प्रतिदेय	1,102.57	1,097.49	1,130.79	1,121.92
यूएस $200 मिलियन – 28.07.2022 को प्रतिदेय	1,470.09	1,461.67	1,507.72	1,494.21
यूएस $230 मिलियन – 19.01.2022 को प्रतिदेय	1,690.61	1,676.86	1,733.88	1,702.97
यूएस $100 मिलियन – 05.10.2021 को प्रतिदेय	735.05	733.36	753.86	745.81
यूएस $240 मिलियन – 26.03.2021 को प्रतिदेय	-	-	1,809.26	1,793.23
यूएस $160 मिलियन – 26.03.2021 को प्रतिदेय	-	-	1,206.17	1,195.78
यूएस $300 मिलियन – 01.12.2020 को प्रतिदेय	-	-	2,261.58	2,260.75
यूएस $300 मिलियन – 29.07.2020 को प्रतिदेय	-	-	2,261.58	2,269.17
उप– जोड़ – (3)	**19,416.28**	**19,279.77**	**19,984.26**	**19,793.38**
जोड़ – विदेशी मुद्रा उधारियां (1+2+3)	**21,024.72**	**20,890.94**	**21,762.71**	**21,579.29**

(iv) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $135 मिलियन– $60 मिलियन 04.09.2021 को प्रदत्त तथा $75 मिलियन 22.10.2021 को प्रदत्त	-	-	1,017.71	1,020.89
जोड़ – एफसीएनआर (ख) ऋण	**-**	**-**	**1,017.71**	**1,020.89**

(v) भारत सरकार से आवधिक ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
– नेशनल स्माल सेविंग फण्ड (एनएसएसएफ) से ऋण *13.12.2028 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय एवं 04.10.2029 को ₹5000 करोड़ प्रतिदेय*	10,000.00	10,325.12	10,000.00	10,326.81
जोड़ – सरकार से आवधिक ऋण	**10,000.00**	**10,325.12**	**10,000.00**	**10,326.81**

21.2 अप्रतिभूत अल्पावधि उधारियाँ

(i) एफसीएनआर (ख) ऋण

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $200 मिलियन– 20.12.2021 को प्रतिदेय	1,470.09	1,470.15	-	-
यूएस $100 मिलियन– 30.12.2021 को प्रतिदेय	735.05	735.06	-	-
यूएस $75 मिलियन– 15.11.2021 को प्रतिदेय	551.29	551.29	-	-
यूएस $200 मिलियन– 30.12.2021 को प्रतिदेय	1,470.09	1,472.31	-	-
यूएस $75 मिलियन– 20.05.2021 को प्रतिदेय	551.29	553.11	-	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत	मूल ओ/एस	परिशोधित लागत
यूएस $75 मिलियन– 22.04.2021 को प्रतिदेय	551.29	553.09	-	-
यूएस $140 मिलियन– 13.01.2021 को प्रतिदेय	-	-	1,055.40	1,055.51
यूएस $100 मिलियन– 21.12.2020 को प्रतिदेय	-	-	753.86	753.92
यूएस $100 मिलियन– 03.12.2020 को प्रतिदेय	-	-	753.86	753.93
यूएस $200 मिलियन– 21.09.2020 को प्रतिदेय	-	-	753.86	753.86
यूएस $150 मिलियन– 20.05.2020 एवं 25.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	1,507.72	1,512.87
यूएस $150 मिलियन– 20.05.2020 एवं 25.06.2020 को प्रतिदेय	-	-	1,130.79	1,134.82
जोड़ –एफसीएनआर (ख) ऋण	**5,329.10**	**5,335.01**	**5,955.49**	**5,964.91**

21.3 टिप्पणी संख्या 21.1 (i), (ii) तथा (v) में उल्लिखित है कि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/सरकार से आवधिक ऋण 5.15% से 8.29% मासिक/तिमाही/अर्धवार्षिक ब्याज दरों पर प्रतिदेय है।

21.4 टिप्पणी संख्या 21.1 (iii)(3) में विदेशी मुद्रा उधार के 1/3/6 माह के लिए अमेरिकी डॉलर/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर बैंक द्वारा पेश की गई दर), 6 माह के लिए एसओआर (स्वैप ऑफर दर) बाहरी बेंचमार्क सहित 20 बीपीएस से 210 बीपीएस की ब्याज दर पर लिए गए हैं।

21.5 ऋण प्रतिभूतियों एवं उधारियों की प्रतिभूति का विवरण

कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बॉण्ड और जो तुलन पत्र की तारीख के अनुसार बकाया हैं, के लिए, कुछ अचल संपत्तियों पर बंधक के माध्यम से और/या कंपनी की प्राप्तियों पर शुल्क लगाकर 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।

संस्थागत बॉण्डों की बॉण्ड सीरीज़ 123–I और 123–IIIबी को विनिर्दिष्ट अचल संपत्ति पर पहले समरूप प्रभार और जारीकर्ता के बुक ऋण जो अन्य ऋणदाता/ट्रस्टी से प्रभारित किए जाते हैं और जो आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड के पक्ष में देय ब्याज की राशि और हर समय बकाया बॉण्ड की राशि के एकीकृत अंकित मूल्यो के एकबारगी न्यूनतम सुरक्षा कवर के साथ बॉण्ड ट्रस्ट डीड की शर्तों के अनुसार जारीकर्ता और ट्रस्टी के बीच यथा स्वीकृत किए जाते हैं, के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2011–12 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बांडों को शॉप नंबर 12, ग्राउंड फ्लोर, ब्लॉक नंबर 35, चर्च रोड, मायलापुर, चेन्नई में परिसर में प्रथम समरूप (पारीपासु) प्रभार और विस्त्राड आईटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड (जिसे पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड के रूप में जाना जाता रहा है) के पक्ष में एमएसईसीडीएल की 4,998.66 करोड़ रुपए की प्राप्तियों के अनुमान द्वारा सुरक्षित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2013–14 के दौरान जारी किए गए कर मुक्त बॉण्ड्स को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में कंपनी के बही ऋणों (जो उधार दाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2012–13 और 2015–16 के दौरान जारी की गई 54 ईसी कैपिटल गेन कर मुक्त बॉण्ड और टैक्स फ्री बॉण्ड्स की बॉण्ड सीरीज़ XI, XII और XII को (क) उप–प्लॉट नंबर 8, टीपीएस नंबर 2, एफपी नंबर 584 पी, ग्राम – सुभानपुरा, जिला वडोदरा स्थित परिसरों के बंधक और (ख) एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधारदाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

54 ईसी कैपिटल गेन कर मुक्त बॉण्ड की बॉण्ड सीरीज़ XIV को एसबीआई सीएपी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के पक्ष में प्राप्तियों (जो उधार दाताओं/अन्य ट्रस्टियों से विशेष रूप से प्रभारित/के लिए निर्धारित किए जाते हैं, से इतर) के अनुमान पर पहले समरूप प्रभार द्वारा सुरक्षित किया जाता है।

सुरक्षा के रूप में गिरवी रखी गई प्राप्तियों और संपत्ति, प्लांट और उपस्कर (पीपीई) के वहन मूल्य के लिए नोट संख्या 10 और 16.2 देखें।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

22. अधीनस्थ देयताएं

कंपनी ने इंड एएस 109 की अपेक्षाओं के अनुरूप सभी ऋण प्रतिभूतियों को परिशोधित लागत पर श्रेणीकृत किया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
		अंकित मूल्य	परिशोधित लागत	अंकित मूल्य	परिशोधित लागत
(i)	**199वीं श्रृंखला** – अधीनस्थ टियर–II बॉण्ड्स – 7.96% सममूल्य पर 15.06.2030 को विमोचनीय	1,999.50	2,127.54	-	-
(ii)	**175वीं श्रृंखला** – अधीनस्थ टियर–II बॉण्ड्स – 8.97% सममूल्य पर 28.03.2029 को विमोचनीय	2,151.20	2,151.45	2,151.20	2,151.86
(iii)	**115वीं श्रृंखला** – अधीनस्थ टियर–II बॉण्ड्स – 8.06% सममूल्य पर 31.05.2023 को विमोचनीय	2,500.00	2,667.90	2,500.00	2,667.79
	जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	**6,650.70**	**6,946.89**	**4,651.20**	**4,819.65**
	भारत के बाहर / में अधीनस्थ देयताएं				
(i)	भारत में उधारियाँ	6,650.70	6,946.89	4,651.20	4,819.65
(ii)	भारत के बाहर उधारियाँ	-	-	-	-
	जोड़ – अधीनस्थ देयताएं	**6,650.70**	**6,946.89**	**4,651.20**	**4,819.65**

22.1 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा दी गई रेटिंग तथा वर्ष के दौरान रेटिंग में बदलाव

विवरण	रेटिंग
घरेलू दीर्घ–अवधि उधारियां	क्रिसिल एएए, इक्रा एएए, केयर एएए, आईएनडी एएए
घरेलू दीर्घावधि प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड मार्केट लिंक्ड डिबेंचर	क्रिसिल पीपी–एमएलडी एएएआर, इक्रा पीपी–एमएलडी एएए
घरेलू स्थायी बांड	क्रिसिल एएए, केयर एए+
घरेलू अल्पावधि उधारियां	क्रिसिल ए1+, इक्रा ए1+, केयर ए1+, आईएनडी ए1+
अंतर्राष्ट्रीय दीर्घावधि जारीकर्ता रेटिंग	बीबीबी– (फिच), बीएए3 (मूडीज)

वर्ष के दौरान रेटिंग्स में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

22.2 उधारियों के संबंध में वहनीय मूल्य और बकाया संविदात्मक राशि के बीच सामंजस्य:

(₹ करोड़ में)

विवरण	ऋण प्रतिभूतियां	अन्य उधारियां	अधीनस्थ देयताएं	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार				
भारतीय–लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**237,269.11**	**85,507.36**	**6,946.89**	**329,723.36**
घटाएं: भारतीय–लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(7,569.58)	(397.62)	(299.48)	(8,266.68)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय–लेखांकन मानक समायोजन	824.42	169.24	3.29	996.95
कुल बकाया उधारियां	**230,523.95**	**85,278.98**	**6,650.70**	**322,453.63**
31 मार्च 2020 के अनुसार				
भारतीय–लेखांकन मानक के तहत कुल राशि	**219,918.25**	**61,550.66**	**4,819.65**	**286,288.56**
घटाएं: भारतीय–लेखांकन मानक के तहत उसी शीर्ष के अन्तर्गत वर्गीकृत उधारियों पर अर्जित ब्याज	(6,872.67)	(392.52)	(170.57)	(7,435.76)
जोड़ें: प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पर अंतरण लागत के संबंध में भारतीय–लेखांकन मानक समायोजन	976.01	234.53	2.12	1,212.66
कुल बकाया उधारियां	**214,021.59**	**61,392.67**	**4,651.20**	**280,065.46**

22.3 कंपनी बैंकों/वित्तीय संस्थानों/सरकारी एजेंसियों से सावधि ऋणों के मिश्रण और ऋण प्रतिभूतियों के निजी प्लेसमेंट के माध्यम से विभिन्न अवधियों बॉण्ड के माध्यम से विभिन्न मुद्राओं में धन जुटाती है। वर्ष के दौरान जुटाई गई राशि का उपयोग प्रस्ताव दस्तावेज/सूचना ज्ञापन में बताई गई वस्तुओं (प्रयोजनों) के लिए किया गया है। इसके अलावा, ऋण प्रतिभूतियों, उधारियों और अधीनस्थ देनदारियों के पुनर्भुगतान में तुलन पत्र की तारीख की स्थिति के अनुसार कोई चूक नहीं हुई है और कंपनी ने अपने सभी ऋण चुकाने संबंधी सभी बाध्यताओं को पूरा किया है, चाहे वे वर्ष के दौरान मूलधन या ब्याज से संबंधित क्यों न रही हों।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

23 अन्य वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क)	**अप्रदत्त लाभांश**	5.79	4.75
(ख)	**अप्रदत्त मूलधन एवं बॉण्डों पर ब्याज**		
	– परिपक्व बॉण्ड एवं उन पर उपचित ब्याज	49.77	39.13
	– बॉण्डों पर ब्याज	18.95	17.97
	उप–जोड़ (ख)	**68.72**	**57.10**
(ग)	**सब्सिडी/अनुदान (संचयी) के रूप में संवितरण के लिए भारत सरकार से प्राप्त निधिया**	91,398.16	85,431.74
	जोड़ें: ऐसी निधियों पर ब्याज (वापसी का निवल)	28.96	31.96
	घटाएं: लाभार्थियों को संवितरित (संचयी)	(90,098.93)	(83,642.93)
	सब्सिडी/अनुदान के रूप में संवितरित की जाने वाली असंवितरित निधि	**1,328.19**	**1,820.77**
(घ)	**भारत सरकार द्वारा पूर्णतया सेवा प्रदत्त बाण्ड्स हेतु देय**	24,314.43	21,792.32
(च)	निधिपोषित कार्मिक हितलाभों के लिए देय राशियां	9.00	0.38
(छ)	अन्य देयताएं	496.21	106.89
	जोड़ (क से छ तक)	**26,222.35**	**23,782.21**

23.1 बांडों पर भुगतान न किए गए लाभांश, मूलधन और ब्याज में वे राशियां शामिल हैं जो या तो निवेशकों द्वारा दावा नहीं की गई हैं या निवेशकों के दावों आदि से संबंधित लंबित औपचारिकताओं के कारण रुकी हुई हैं। 31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड (आईईपीएफ) में हस्तांतरित होने के लिए देय राशि ₹0.62 करोड़ (31 मार्च 2020 की स्थिति के अनुसार ₹0.47 करोड़) है जो कि निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरित कर दी गई है।

23.2 त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत सब्सिडी:

कंपनी एक ब्याज संबंधी सब्सिडी निधि खाते का रखरखाव कर रही है तथा उसे पात्र योजनाओं की वास्तविक प्रतिदेय समय अनुसूची, ऋण स्थगन वर्ष और प्रतिदेय अवधि की परवाह किए बिना भारत सरकार के पत्र सं. अ.शा. 32024/17/97–पीएफसी दिनांक 23.09.1997 तथा ओ.एम.सं. 32024/23/2001–पीएफसी दिनांक 07.03.2003 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दरों एवं वर्ष के अनुसार परिकल्पित निवल वर्तमान मूल्य पर भारत सरकार द्वारा एजी एवं एसपी सब्सिडी (पात्र उधारकर्ताओं को संवितरण हेतु) दी गयी थी। आहरण के समय विचार में ली गयी विनिर्दिष्ट दर एवं वर्ष और वास्तविक के बीच अंतर का प्रभाव संबंधित योजनाओं के समाप्त होने के पश्चात ही सुनिश्चित किया जा सकेगा।

31 मार्च 2021 की स्थिति के अनुसार रु. 0.71 करोड़ (31 मार्च, 2020 की स्थिति के अनुसार रु. 0.69 करोड़) की निवल राशि ब्याज सब्सिडी निधि की शेष राशि को निरूपित करती है, जिसे त्वरित उत्पादन एवं आपूर्ति कार्यक्रम (एजी एवं एसपी) के तहत उधारकर्ताओं को भविष्य में उत्पन्न होने वाली उनकी ब्याज देयता के लिए दी जानी है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैः–

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज सब्सिडी निधि का आरंभिक शेष	**0.69**	**0.63**
जोड़ेः वर्ष के दौरान अर्जित ब्याज	0.02	0.06
घटाएंः उधारकर्ता को दी गई ब्याज सब्सिडी	-	-
ब्याज सब्सिडी निधि का अंतिम शेष	**0.71**	**0.69**

23.3 भारत सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) और प्रधान मंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के क्रियान्वयन के लिए आरईसी लिमिटेड को नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। योजना के अधीन विभिन्न एजेंसियों का संवितरित करने के लिए प्राप्त निधियों पृथक बैंक खाते में रखी जाती है। स्कीम (पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई स्कीम के अंतर्गत प्राप्त अनुदानों सहित) की असंवितरित निधियों को उन पर अर्जित ब्याज सहित "अन्य वित्तीय देयताओं" शीर्ष "असंवितरित सब्सिडी" के तहत वर्गीकृत किया जाता है।

23.4 सब्सिडी/अनुदान पर ब्याज का संचलन निम्नानुसार स्पष्ट किया गया हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	**31.96**	**42.58**
जोड़ेः वर्ष के दौरान अर्जित/समायोजित ब्याज	30.48	50.09
घटाएंः वर्ष के दौरान सरकार को वापस/समायोजित की गई राशि	33.48	60.71
अंतिम शेष	**28.96**	**31.96**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

23.5 वर्ष के दौरान डीडीयूजीजेवाई स्कीम के लिए भारत सरकार की निधियन आवश्यकता को पूरा करने के लिए कंपनी ने निजी प्लेसमेंट के आधार पर सममूल्य 10 लाख ₹के अंकित मूल्य के डिबेंचर के रूप में अप्रतिभूत, विमोचन, अपरिवर्तनीय, कर योग्य बॉण्ड के माध्यम से कुल ₹2,500 करोड़ (पिछले वर्ष ₹3,782.30) राशि जुटाई गई है। दिनांक 2 दिसंबर 2020 और 3 मार्च 2021 को वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के पत्र के अनुसार उपर्युक्त बॉण्ड के मूल और ब्याज के अदायगी, विद्युत मंत्रालय की मांग पर भारत सरकार द्वारा बजट प्रावधान में की जाएगी। तदनुसार ब्याज के साथ–साथ इस प्रकार के बॉण्ड की राशि भी कंपनी द्वारा भारत सरकार से वसूली योग्य राशि के रूप में शामिल की गई है। (टिप्पणी 12)

भारत सरकार द्वारा पूरी तरह से सेवाप्रदत्त जुटाये गए बॉण्ड्स का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	ब्याज की आवृत्ति	विमोचन का दिनांक	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
जीओआई –I श्रृंखला	8.09%	अर्द्धवार्षिक	21/3/2028	1,837.00	1,837.00
जीओआई –II श्रृंखला	8.01%	अर्द्धवार्षिक	24/3/2028	1,410.00	1,410.00
जीओआई –III श्रृंखला	8.06%	अर्द्धवार्षिक	27/3/2028	753.00	753.00
जीओआई –IV श्रृंखला	8.70%	अर्द्धवार्षिक	28/9/2028	3,000.00	3,000.00
जीओआई –V श्रृंखला	8.54%	अर्द्धवार्षिक	15/11/2028	3,600.00	3,600.00
जीओआई –VI श्रृंखला	8.80%	अर्द्धवार्षिक	22/1/2029	2,027.00	2,027.00
जीओआई –VII श्रृंखला	8.60%	अर्द्धवार्षिक	8/3/2029	1,200.00	1,200.00
जीओआई –VIII श्रृंखला	8.30%	अर्द्धवार्षिक	25/3/2029	4,000.00	4,000.00
जीओआई –IX श्रृंखला	7.14%	अर्द्धवार्षिक	2/3/2030	1,500.00	1,500.00
जीओआई –X श्रृंखला	8.25%	अर्द्धवार्षिक	26/3/2030	532.30	532.30
जीओआई –XI श्रृंखला	7.20%	अर्द्धवार्षिक	31/3/2030	1,750.00	1,750.00
जीओआई –XII श्रृंखला	6.45%	अर्द्धवार्षिक	7/1/2031	1,000.00	-
जीओआई –XIII श्रृंखला	6.63%	अर्द्धवार्षिक	28/1/2031	1,000.00	-
जीओआई –XIV श्रृंखला	6.50%	अर्द्धवार्षिक	26/3/2031	500.00	-
जोड़				**24,109.30**	**21,609.30**

24. चालू कर देयताएं (निवल)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
आयकर के लिए प्रावधान	2,691.90	-
घटाएं: अग्रिम आयकर एवं टीडीएस	(2,677.50)	-
चालू कर देयताएं (निवल)	**14.40**	**-**

25 प्रावधान

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
निम्न के लिए प्रावधान		
(क) कार्मिक हितलाभ		
अर्जित अवकाश देयता	18.57	16.22
चिकित्सा अवकाश देयता	20.91	21.87
निपटान भत्ता	1.89	1.60
आर्थिक पुनर्वास योजना	4.13	4.25
दीर्घ सेवा अवार्ड	2.02	1.89
प्रोत्साहन	47.92	52.57
लॉयल्टी बोनस	0.15	0.31
उप–जोड़ (क)	**95.59**	**98.71**
(ख) अन्य		
सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि	9.09	8.38
अव्ययित निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) खाता	-	-
उप–जोड़ (ख)	**9.09**	**8.38**
जोड़ (क+ख)	**104.68**	**107.09**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

25.1 सुविधा पत्र पर अपेक्षित क्रेडिट हानि प्रावधान का संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
आरंभिक शेष	**8.38**	**-**
जोड़ें: वर्ष के दौरान सृजित	0.75	8.38
घटाएँ: वर्ष के दौरान वापस किया गया / समायोजित किया गया	(0.04)	0.00
अंतिम शेष	**9.09**	**8.38**

25.2 बैंकों को जारी कंपनी का अधिकतम ऋण जोखिम एक्सपोजर ₹2,608.85 करोड़ (पिछले वर्ष ₹951.29 करोड़) वित्तीय गारंटी के रूप में उधारकर्ताओं की ओर से सुविधा पत्रों से संबंधित है।

26. अन्य गैर–वित्तीय देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
(क)	अग्रिम रूप से प्राप्त आय	0.01	0.15
(ख)	सनड्राई देयताओं का लेखा (ब्याज पूंजीकरण)	5.07	6.57
(ग)	पूंजी खाते के प्रति अदेय देयता	28.53	-
(घ)	असंवितरित ऋणों पर अपरिशोधित शुल्क	68.64	46.15
(ङ)	भारत सरकार की तरफ से सरकारी योजनाओं के संबंध में अग्रिम प्राप्य	1.17	4.14
(च)	सांविधिक देय	26.82	24.74
(छ)	अन्य देयताएं	0.01	1.48
	जोड़ (क से छ)	**130.25**	**83.23**

27. इक्विटी शेयर पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 के अनुसार		31–03–2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
प्राधिकृतः				
प्रत्येक रु. 10 के इक्विटी शेयर	5,000,000,000	5,000.00	5,000,000,000	5,000.00
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्तः				
प्रत्येक रु. 10 के पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

27.1 अवधि के प्रारंभ और अंत में बकाया शेयरों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31–03–2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	शेयरों की सं.	राशि	शेयरों की सं.	राशि
अवधि के प्रारंभ में पूंजीगत शेयर	1,974,918,000	1,974.92	1,974,918,000	1,974.92
जोड़ः अवधि के दौरान जारी एवं आबंटित शेयर	-	-	-	-
अवधि के अंत में पूंजीगत शेयर	**1,974,918,000**	**1,974.92**	**1,974,918,000**	**1,974.92**

27.2 वर्ष के दौरान और पिछले पांच वर्षों के दौरान बोनस शेयरों का आबंटन

वित्तीय वर्ष 2016–17 को छोड़कर, जब कंपनी ने बोनस शेयरों के द्वारा पूर्णतया प्रदत्त के रूप में 98,74,59,000 इक्विटी शेयर आबंटित किए थे, पिछले वर्ष और पिछले पांच वर्षों के दौरान कंपनी द्वारा कोई भी बोनस शेयर जारी नहीं किया गया था।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

27.3 कंपनी ने नकद में प्राप्त किए जा रहे भुगतान के बिना ठेके के अनुसरण में न तो कोई इक्विटी शेयर जारी किया है और न ही वर्तमान वर्ष और तुलन–पत्र की तिथि के पूर्व के पांच वर्षों में शेयरों की कोई बायबैक की है।

27.4 इक्विटी शेयर के अधिकार, वरीयता और प्रतिबंध

कंपनी के इक्विटी शेयरों के शेयरधारक कंपनी द्वारा घोषित किए जाने पर लाभांश के हकदार होते हैं और यदि किसी प्रस्ताव पर मतदान लिया जाता है तो उसमें उन्हें आनुपातिक मतदान का अधिकार होता है। इसके अलावा, शेयरधारकों को, यथास्थिति, सूचीबद्ध सरकारी कंपनी के शेयरों को, कंपनी अधिनियम 2013 तथा इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों, कंपनी अधिनियम, 1956 (लागू सीमा में), सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 और संस्था के ज्ञापन तथा एसोसिएशन के अनुच्छेदों के अनुसार ऐसे सभी अधिकार प्राप्त हैं।

27.5 तुलन पत्र की तिथि के अनुसार पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयरों के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकः

(₹ करोड़ में)

शेयरधारकों के नाम	31–03–2021 के अनुसार		31–03–2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस करपोरेशन लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%
एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ए/सी एचडीएफसी हाइब्रिड ऋण निधि	167,255,577	8.47%	139,425,284	7.06%

27.6 अनुषंगी और संबद्ध कंपनियों सहित कंपनी द्वारा धारित इक्विटी शेयरों का विवरण

कंपनी का नाम	31–03–2021 के अनुसार		31–03–2020 के अनुसार	
	शेयरों की सं.	प्रतिशतता	शेयरों की सं.	प्रतिशतता
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड	1,039,495,247	52.63%	1,039,495,247	52.63%

28 लिखत की प्रकृति पूरी तरह से इक्विटी है

विवरण	31–03–2021 के अनुसार		31–03–2020 के अनुसार	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
₹10 लाख प्रत्येक के पूर्णतया देय बेमियादी ऋण लिखत पूरी तरह से प्रकृति में इक्विटी है	5,584	558.40	-	-
जोड़	**5,584**	**558.40**	**-**	**-**

28.1 वर्ष के प्रारंभ और अंत में बकाया बेमियादी प्रतिभूतियों की संख्या का सामंजस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31–03–2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि
वर्ष के प्रारंभ में शेष	-	-	-	-
वर्ष के दौरान जोड़े/(घटाये)	5,584	558.40	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**5,584**	**558.40**	**-**	**-**

28.2 लिखत धारक पूरी तरह से इक्विटी प्रकृति के 5% से अधिक के बेमियादी ऋण लिखतों को धारित तुलन पत्र की तिथिः

शेयरधारक का नाम	31–03–2021 के अनुसार		31–03–2020 के अनुसार	
	सं.	प्रतिशत	सं.	प्रतिशत
एचवीपीएनएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	665	11.91%	-	0.00%
एचपीजीसीएल कर्मचारी पेंशन फंड ट्रस्ट	500	8.95%	-	0.00%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

28.3 वर्ष के दौरान, कंपनी ने ₹10 लाख के अंकित मूल्य के बेमियादी ऋण लिखत जारी किए हैं, जिनमें कोई परिपक्वता नहीं है और केवल 10 वर्षों के बाद कंपनी के विकल्प पर कॉल करने योग्य है। प्रतिभूतियों के धारकों के दावे होंगे (क) जारीकर्ता द्वारा जारी किए गए इक्विटी शेयरों के धारकों के बेहतर दावे; और (ख) जारीकर्ता के अन्य सभी लेनदारों के दावों के अधीनस्थ। 10 वर्षों के बाद नहीं बुलाए जाने पर लिखतों में एक कदम बढ़ाने का प्रावधान है। कूपन के भुगतान को रद्द या कंपनी के विवेक पर निलंबित किया जा सकता है। प्रतिभूतियों का कूपन संचयी नहीं है, सिवाय इसके कि जहां जारीकर्ता करेगा कूपन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा और कूपन के भुगतान को स्थगित कर सकता है, अगर (i) जारीकर्ता की पूंजी जोखिम संपत्ति अनुपात ("सीआरएआर") आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता से कम है; या (ii) आरबीआई द्वारा निर्धारित न्यूनतम नियामक आवश्यकता जारीकर्ता के ऐसे भुगतान के प्रभाव में सीआरएआर नीचे गिरता या नीचे रहता है।

चूंकि ये प्रतिभूतियां प्रकृति में बेमियादी हैं और कंपनी के पास कूपन का भुगतान पर कोई विमोचन दायित्व और विवेक नहीं है, इन्हें इक्विटी के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

जारी किए गए बेमियादी ऋण लिखतों का विवरण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	कूपन दर	बांड्स की संख्या	आवंटन की तिथि	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
श्रृंखला 206	7.97%	5584	22/जनवरी/21	558.40	-

29. अन्य इक्विटी

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(क)	**अन्य आरक्षित निधि**		
(i)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष आरक्षित निधि	19,222.23	16,659.10
(ii)	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अधीन अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधि	2,128.41	2,992.83
(iii)	भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अधीन आरक्षित निधि	3,804.00	2,131.00
(iv)	प्रतिभूति प्रीमियम	2,236.54	2,236.54
(v)	विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता	(573.16)	(1,719.38)
(vi)	पूंजीगत आरक्षित निधि	4.70	4.70
(vii)	सामान्य आरक्षित निधि	9,903.16	6,976.23
(vii)	इंपेयरमेंट आरक्षित निधि	-	793.29
(ख)	**बरकरार रखा गया अर्जन**	**4,606.01**	**3,674.25**
(ग)	**अन्य व्यापक आय (ओसीआई)**		
	– इक्विटी मेथड हेतु लेखाकृत संयुक्त उपक्रमों के अन्य व्यापक आय/(हानि) का शेयर	(1.19)	(2.48)
	– अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी लिखतें	24.07	106.26
	– नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग	(165.61)	(226.08)
	– हेजिंग रिजर्व की लागत	41.45	(204.75)
	जोड़ – अन्य इक्विटी (क+ख+ग)	**41,230.61**	**33,421.51**

'अन्य इक्विटी' के घटक में जोड़ या कटौती का प्रकटन 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' में किया गया है।

29.1 नियामक दिशानिर्देशों और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए बनायी गए आरक्षित निधि के उपयोग के अनुसार, कंपनी ने विभिन्न आरक्षित निधि से सामान्य आरक्षित निधि में निम्नलिखित राशियाँ हस्तांतरित की है:

(i) वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान

(क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹1,152.55 करोड़

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसरण में इम्पेयरमेंट रिजर्व से सामान्य रिजर्व में ₹793.29 करोड़ स्थानांतरित कर दिए गए हैं

(ii) वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान

(क) ऋण परिसंपत्तियों पर वास्तविक बट्टे खाते के संबंध में आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viiए)(सी) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से ₹378.41 करोड़

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ख) कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी दिनांक 16 अगस्त 2019 की अधिसूचना संख्या जी.एस.आर 574 (ई) के अनुसरण में डिबेंचर मोचन रिजर्व (डीआरआर) से ₹1,367.27 करोड़

29.2 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित विशेष रिजर्व कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने के उद्देश्य से रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अनुसार, कंपनी दीर्घावधि वित्तीय क्रियाकलाप से प्राप्त होने वाले लाभ का अधिकतम 20 प्रतिशत तक कटौती के लिए पात्र है बशर्ते ऐसी राशि का अंतरण तथा उसे विशेष रिजर्व खाते में अंकित किया गया हो।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरणः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**16,659.10**	**15,136.78**
जोड़ेः प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	2,563.13	1,522.32
घटाएंः सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**19,222.23**	**16,659.10**

29.3 आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए आरक्षित निधियां

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए रिजर्व, कंपनी द्वारा कर लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी को सक्षम बनाने हेतु रखा जाता है। आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अनुसार कंपनी आयकर अधिनियम के अनुसार कुल आय का अधिकतम पांच प्रतिशत तक अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए किए गए किसी प्रावधान/रिजर्व के संबंध में कटौती प्राप्त करने के लिए पात्र है। इस प्रकार से रखे गए रिजर्व का प्राथमिक रूप से उपयोग वास्तविक अशोध्य ऋण अथवा उसके किसी हिस्से के समायोजन के लिए किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरणः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,992.83**	**3,034.72**
जोड़ेः प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	288.13	336.52
घटाएंः सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(1,152.55)	(378.41)
वर्ष के अंत में शेष	**2,128.41**	**2,992.83**

29.4 भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियां

कंपनी भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के अंतर्गत आरक्षित निधियों की आवश्यकता के अनुसार आरक्षित निधियों का निर्माण कर रही है, जिसमें लाभांश की घोषणा से पहले निबल लाभ के कम से कम 20% के बराबर की राशि अंतरित किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय–समय पर यथाविनिर्दिष्ट किए जा रहे उद्देश्यों को छोड़कर आरक्षित निधि से कोई विनियोग करने की अनुमति नहीं है और इसके अलावा, इस तरह के किसी भी विनियोग के बारे में ऐसे आहरण की तारीख से 21 दिन के भीतर भारतीय रिज़र्व बैंक को सूचित किया जाना आवश्यक है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरणः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,131.00**	**1,153.00**
जोड़ेः प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	1,673.00	978.00
घटाएंः सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**3,804.00**	**2,131.00**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29.5 प्रतिभूति प्रीमियम

प्रतिभूत प्रीमियम कंपनी द्वारा शेयरों और ऋण प्रतिभूतियों को जारी करने पर प्राप्त प्रीमियम को दर्शाता है। इसका प्रयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**2,236.54**	**2,236.54**
जोड़ेः प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	-
घटाएंः सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	-
वर्ष के अंत में शेष	**2,236.54**	**2,236.54**

29.6 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मद परिवर्तन अंतर खाता

कंपनी ने पूववर्ती लागू लेखांकन मानक 11 'विदेशी विनिमय दरों में परिवर्तन के प्रभाव' के पैरा 46क के अनुसार ऐसी मदों की बकाया अवधि में लंबी अवधि की विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर विदेशी मुद्रा विनिमय दरों में उतार–चढ़ाव से नुकसान/लाभ के परिशोधन के लिए एक स्थिर (अपरिवर्तनीय) विकल्प चुना था। कंपनी ने भारतीय लेखांकन मानक के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च 2018 की स्थिति के अनुसार दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों के परिवर्तन से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर के संबंध में पूर्ववर्ती जीएएपी के अनुसार इस तरह के परिशोधन की नीति को जारी रखने का विकल्प चुना। इस खाते में बकाया राशि परिशोधित लाभ/(हानि) का प्रतिनिधित्व करती है, जो पात्र दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक देनदारियों की बकाया अवधि में परिशोधन किया जाएगा।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(1,719.38)**	**(764.82)**
जोड़ेंः वर्ष के दौरान दीर्घावधिक मौद्रिक मदों संबंधी विदेशी मुद्रा अनुवाद लाभ/हानि(–)	437.65	(1,630.51)
घटाएंः वर्ष के दौरान परिशोधन	708.57	675.95
वर्ष के अंत में शेष	**(573.16)**	**(1,719.38)**

29.7 सामान्य आरक्षित निधि (रिजर्व)

सामान्य रिजर्व में कंपनी के मुनाफे से विनियोजित राशि और साथ ही सांविधिक आरक्षित निधियों से हस्तांतरित राशि भी शामिल होती है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**6,976.23**	**5,230.54**
जोड़ेः प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	981.10	-
जोड़ेः आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के अंतर्गत अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए रिजर्व से हस्तांतरित	1,152.55	378.41
जोड़ेः डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व से हस्तांतरित	-	1,367.28
जोड़ेः इम्पेयरमेंट रिजर्व से हस्तांतरित	793.29	-
वर्ष के अंत में शेष	**9,903.17**	**6,976.23**

29.8 क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 109 के तहत क्षतिपूर्ति भत्ता आरबीआई द्वारा जारी किए गए आय निर्धारण, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान (आईआरएसीपी) शर्तों (मानक परिसंपत्ति प्रावधान सहित) के तहत आवश्यक प्रावधान की तुलना में कम है, तो कंपनी को कर के बाद उनके निबल लाभ से अंतर को "क्षतिपूर्ति आरक्षित निधि" में विनियोजित करना आवश्यक है। कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर आवश्यकता की समीक्षा करती है। दिशा–निर्देशों के अनुसरण में, चालू वर्ष के दौरान 31 मार्च, 2020 तक इम्पेयरमेंट रिजर्व आरक्षित के अंतर्गत रखे ₹793.29 करोड़ की राशि को इस दौरान सामान्य आरक्षित निधि में स्थानांतरित कर दिया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**793.29**	**-**
जोड़ः प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	793.29
घटाएंः सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(793.29)	-
वर्ष के अंत में शेष	**-**	**793.29**

29.9 अन्य व्यापक आय (ओसीआई) के माध्यम से इक्विटी लिखत

समूह ने अन्य व्यापक आय के माध्यम से इक्विटी प्रतिभूतियों में कुछ निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन को मान्यता देने का विकल्प चुना है। ये परिवर्तन इक्विटी के भीतर ओसीआई की आरक्षित निधि में संचित किए जाते हैं। जब संबंधित इक्विटी प्रतिभूतियों को मान्यता नहीं दी जाती है तो समूह इस आरक्षित निधि से राशियों को रखी गई में अंतरित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**106.26**	**136.88**
जोड़ः अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	160.52	(116.81)
जोड़ः एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	(242.71)	86.19
वर्ष के अंत में शेष	**24.07**	**106.26**

29.10 नकदी प्रवाह हेजेज का प्रभावी भाग

कंपनी अपने विदेशी मुद्रा जोखिम और उधार पर जुड़े ब्याज दर से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए व्युत्पन्न लिखतों का उपयोग करती है। विदेशी मुद्रा और ब्याज दर के जोखिम को कम करने के लिए कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रेषित संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप, विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं और ब्याज दर स्वैप का उपयोग करती है। हेज लेखांकन के तहत निर्धारित व्युत्पन्न संविदाएं जिस सीमा तक प्रभावी हेज होती हैं, हेजिंग लिखत के उचित मूल्य में परिवर्तन को 'नकदी प्रवाह के हेजेज के प्रभावी भाग' में मान्यता दी जाती है। ऐसी आरक्षित निधि में मान्यता प्राप्त राशियों को लाभ या हानि विवरण में तब पुनः वर्गीकृत किया जाता है जब हेज किए गए आइटम लाभ या हानि को प्रभावित करता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(226.08)**	**-**
जोड़ः अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	60.47	(226.08)
वर्ष के अंत में शेष	**(165.61)**	**(226.08)**

29.11 हेजिंग रिजर्व की लागत

कंपनी 'नकदी प्रवाह हेज' संबंधों में हेजिंग लिखत के रूप में विदेशी मुद्रा विकल्प संविदाओं के आंतरिक मूल्य को निर्धारित करती है। किसी विकल्प के समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तनों को ओसीआई में मान्यता दी जाती है और एक तर्कसंगत आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में परिशोधित (एमोर्टाइज़) किया जाता है।

वर्ष के दौरान संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(204.75)**	**-**
जोड़ः अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	246.20	(204.75)
वर्ष के अंत में शेष	**41.45**	**(204.75)**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29.12 वर्ष के दौरान पूंजीगत आरक्षित निधि में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**4.70**	**-**
जोड़ें: ईईएसएल में हिस्सेदारी में वृद्धि पर लाभ	-	4.70
वर्ष के अंत में शेष	**4.70**	**4.70**

29.13 वर्ष के दौरान इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम लेखांकन की अन्य व्यापक आय/(हानि) के हिस्से में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**(2.48)**	**1.46**
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	1.29	(3.94)
वर्ष के अंत में शेष	**(1.19)**	**(2.48)**

29.14 वर्ष के दौरान डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**-**	**1,318.13**
जोड़ें: प्रतिधारित आय से हस्तांतरित	-	49.15
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	-	(1,367.28)
वर्ष के अंत में शेष	**-**	**-**

29.15 वर्ष के दौरान प्रतिधारित आय में संचलन का विवरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के प्रारंभ में शेष	**3,674.25**	**5,088.19**
जोड़ें: वर्ष के लिए लाभ	8,378.24	4,972.27
जोड़ें: परिभाषित हितलाभ योजनाओं (करों का निवल) का पुनःमापन	(10.67)	(2.15)
जोड़ें: अन्य व्यापक आय (करों का निवल) के माध्यम से मान्यता	(0.05)	(0.12)
घटाएं: सामान्य आरक्षित निधि में हस्तांतरित	(981.10)	-
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत सृजित विशेष रिजर्व में हस्तांतरित	(2,563.13)	(1,522.32)
घटाएं: आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viiए) के तहत अशोध्य ऋण और संदिग्ध ऋण में हस्तांतरित	(288.13)	(336.52)
घटाएं: भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–आईसी के तहत रिजर्व निधि में हस्तांतरित	(1,673.00)	(978.00)
घटाएं: डिबेंचर मोचन रिजर्व में हस्तांतरित	-	(49.15)
घटाएं: इम्पेयरमेंट रिजर्व में हस्तांतरित	-	(793.29)
जोड़ें: एफवीओसीआई इक्विटी दस्तावेज (करों का निवल) की बिक्री/उन्मूलन पर लाभ/(हानि) का पुनः वर्गीकरण	242.71	(86.19)
घटाएं: मियादी ऋण लिखतों (करों का निवल) का निर्गम व्यय	(0.70)	-
घटाएं: वर्ष के दौरान प्रदत्त लाभांश	(2,172.41)	(2,172.41)
घटाएं: लाभांश वितरण कर	-	(446.06)
वर्ष के अंत में शेष	**4,606.01**	**3,674.25**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

29.16 कंपनी द्वारा प्रत्येक 10/- रुपए के इक्विटी शेयरों के लिए प्रस्तावित/घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष के लिए		31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए	
	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹ करोड़ में)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)	प्रति इक्विटी शेयर लाभांश (₹ करोड़ में)	लाभांश राशि (₹ करोड़ में)
अंतरिम लाभांश	11.00	2,172.41	11.00	2,172.41
कुल लाभांश	**11.00**	**2,172.41**	**11.00**	**2,172.41**

30. ब्याज आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष			31.03.2020 को समाप्त वर्ष		
	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	ओसीआई के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान	लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय परिसंपत्तियों के अनुमान
(क) ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज						
(i) दीर्घावधि वित्तपोषण	-	34,232.84	-	-	29,245.18	-
घटाएं: समय पर अदायगी/कार्य पूरा करने आदि के लिए छूट	-	(0.06)	-	-	(0.08)	-
दीर्घावधि वित्तपोषण (निवल)	-	34,232.78	-	-	29,245.10	-
(ii) अल्पावधि वित्तपोषण	-	69.98	-	-	177.23	-
उप-जोड़ (क)	**-**	**34,302.76**	**-**	**-**	**29,422.33**	**-**
(ख) निवेशों पर ब्याज आय						
(i) सीपी/आईसीडी पर ब्याज	-	-	-	-	0.21	-
(ii) सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज	-	7.16	-	-	1.89	-
(iii) दीर्घावधि निवेशों पर ब्याज	-	18.34	195.30	-	3.14	169.75
(iv) अल्पावधि निवेशों पर ब्याज	-	3.90	-	-	-	-
उप-जोड़ (ख)	**-**	**29.40**	**195.30**	**-**	**5.24**	**169.75**
(ग) बैंकों के पास जमाओं पर ब्याज						
(i) जमाओं पर ब्याज	-	161.44	-	-	66.27	-
उप-जोड़ (ग)	**-**	**161.44**	**-**	**-**	**66.27**	**-**
(घ) अन्य आय पर ब्याज						
(i) कार्मिकों को दिए गए अग्रिमों पर ब्याज	-	3.70	-	-	4.45	-
(ii) मोबलाइजेशन अग्रिमों पर ब्याज	-	0.56	-	-	2.39	-
(iii) प्रतिभूति जमा की छूट को समाप्त करना	-	0.03	-	-	0.08	-
(iv) एसपीवी पर ब्याज	-	0.16	-	-	1.27	-
उप-जोड़ (घ)	**-**	**4.45**	**-**	**-**	**8.19**	**-**
जोड़ (क से घ)	**-**	**34,498.05**	**195.30**	**-**	**29,502.03**	**169.75**

31 लाभांश आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
-दीर्घावधि निवेशों से लाभांश	27.97	36.94
जोड़-लाभांश आय	**27.97**	**36.94**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

31.1 एफवीओसीआई में इक्विटी निवेशों पर लाभांश का विवरण

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
–वर्ष के अंत में धारित निवेशों पर	27.63	36.94
–वर्ष के दौरान अमान्य किए गए निवेशों पर	0.34	-
जोड़	**27.97**	**36.94**

32. शुल्क एवं कमीशन आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
शुल्क आधारित आय	26.57	6.68
पूर्व अदायगी प्रीमियम	35.14	12.75
सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए शुल्क	33.67	19.52
जोड़– शुल्क एवं कमीशन आय	**95.38**	**38.95**

33. सेवा की बिक्री

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
कंसल्टेंसी इंजीनियरिंग सर्विसेज	156.98	166.80
आईटी कार्यान्वयन परियोजनाओं का निष्पादन	1.56	7.68
आरईसी से आय – यूई ग्राम परियोजना	5.01	7.63
प्रलेखन शुल्क	0.10	-
जोड़	**163.65**	**182.11**

34. अन्य आय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
–प्रशिक्षण पाठ्यक्रमो से शुल्क	2.77	6.38
–आयकर वापसी से ब्याज	1.00	2.85
–विविध आय	18.95	64.88
जोड़– अन्य आय	**22.72**	**77.27**

35. वित्तीय लागतें

वित्तीय लागतें वित्तीय देयताओं पर खर्च की गई हैं और इनका मापन परिशोधित लागत पर किया गया है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i) **उधारियों पर ब्याज**		
– भारत सरकार से ऋण	820.81	612.97
– बैंकों/वित्तीय संस्थानों से ऋण	2,091.00	1,725.10
– बाह्य वाणिज्यिक दस्तावेज	643.83	917.26
– पट्टा देयता	0.11	0.29
उप–जोड़ (i)	**3,555.75**	**3,255.62**
(ii) **ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज**		
– घरेलू ऋण प्रतिभूतियां	15,418.64	13,923.95
– विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियां	1,183.12	854.73
– वाणिज्यिक दस्तावेज	35.32	463.66
उप–जोड़ (ii)	**16,637.08**	**15,242.34**
(iii) **अधीनस्थ देयताओं पर ब्याज**		
– अधीनस्थ बॉण्ड	394.15	395.36
उप–जोड़ (iii)	**394.15**	**395.36**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(iv) अन्य ब्याज व्यय		
– स्वैप प्रीमियम	894.62	108.83
– आय कर पर ब्याज	22.71	0.21
– कर्मचारी लाभ के प्रति देयता पर ब्याज	2.32	4.60
– विविध ब्याज व्यय	4.37	0.13
उप–जोड़ (iv)	**924.11**	**113.77**
जोड़ – वित्तीय लागतें	**21,511.09**	**19,007.09**
घटाएं: पूंजीकृत वित्तीय लागत	(22.04)	(15.79)
जोड़– वित्तीय लागतें (निवल)	**21,489.05**	**18,991.30**

36. निवल ट्रांसलेशन/लेन–देन विनिमय हानि/(लाभ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
निवल ट्रांसलेशन/लेन–देन विनिमय हानि/(लाभ)	330.26	2,357.90
जोड़	**330.26**	**2,357.90**

उपरोक्त आंकड़ों में 1 अप्रैल 2018 से पहले ₹708.57 करोड़ (पिछले वर्ष ₹675.95 करोड़) की राशि को वित्तीय विवरणों में मान्यता दिए गए दीर्घकालिक विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों पर निबल परिवर्तन/लेनदेन विनिमय हानि/(लाभ) का परिशोधन शामिल है।

36.1 विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में विद्यमान एफबीआईएल (फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड) की संदर्भ दरों पर अंतरित की जाती हैं अथवा जहां एफबीआईएल संदर्भ दरें किसी मुद्रा के लिए उपलब्ध न हों, वहां ब्लूमबर्ग पर उल्लिखित उसी दर के लिए अंतिम दर पर अंतरित की जाती है। रिपोर्ट करने की तारीख को संबंधित दरें निम्नलिखितानुसार हैं:

विनिमय दरें	यूएसडी/ आईएनआर	जेपीवाई/ आईएनआर	यूरो/ आईएनआर	एसजीडी/ आईएनआर
31 मार्च 2021 के अनुसार	73.5047	0.6636	86.0990	54.3581
31 मार्च 2020 के अनुसार	75.3859	0.6965	83.0496	52.8342

37. शुल्क एवं कमीशन व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(i) गारंटी शुल्क	-	13.29
(ii) सूचीकरण एवं ट्रस्टीशिप शुल्क	0.78	1.51
(iii) एजेंसी शुल्क	3.01	1.66
(iv) क्रेडिट रेटिंग व्यय	3.33	3.05
(v) अन्य वित्तीय प्रभार	2.83	5.93
जोड़ (i से v)	**9.95**	**25.44**

38. उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
(क) लाभ या हानि के जरिए उचित मूल्य पर वित्तीय लिखतों पर निवल लाभ/(हानि)		
(i) ट्रेडिंग पोर्टफोलियो पर		
(ii) अन्य	-	-
– व्युत्पन्नों के उचित मूल्य में परिवर्तन	545.92	(47.72)
– दीर्घावधि निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	2.43	6.40
– अल्पावधि म्यूचुअल फंड निवेशों के उचित मूल्य में परिवर्तन	23.98	15.47
उप–जोड़ (ii)	**572.33**	**(25.85)**
जोड़ (क)	**572.33**	**(25.85)**
उचित मूल्य परिवर्तनों का ब्यौरा		
– वसूली की गयी	1,077.91	(60.07)
– वसूली नहीं की गयी	(505.58)	34.22
उचित मूल्य परिवर्तनों पर निवल लाभ/(हानि)	**572.33**	**(25.85)**

इस अनुसूची में उचित मूल्य परिवर्तन उनसे इतर हैं, जो उपार्जित ब्याज आय/व्यय के कारण उत्पन्न होते हैं और ये ऐसी मितव्ययी हेजेज़ के रूप में नामित व्युत्पन्न के उचित मूल्य में परिवर्तनों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो हेज अकाउंटिंग और अप्रभावी हेज के तहत नामित नहीं होते हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

39. वित्तीय लिखतों पर हानि

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर	एफवीओसीआई पर मापित वित्तीय लिखतों पर	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय लिखतों पर
(i) – ऋण *	-	2,363.33	-	884.91
(ii) – अन्य	-	82.61	-	34.58
कुल (i+ii)	**-**	**2,445.94**	**-**	**919.49**

**सुविधा पत्र पर क्षतिपूर्ति भत्ते के मद में ₹0.71 करोड़ (पिछले वर्ष ₹8.38 करोड़) की राशि शामिल है।*

40. प्रदान की गई सेवाओं की लागत

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
परियोजना व्यय	88.51	71.61
जोड़	**88.51**	**71.61**

41 कार्मिक हितलाभ व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– वेतन और भत्ते	119.67	145.83
– भविष्य निधि और अन्य निधियों में अंशदान	13.96	15.49
– सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ संबंधी व्यय	4.87	5.07
– कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा संबंधी किराया	2.19	1.58
– कार्मिक कल्याण व्यय	22.93	25.18
जोड़	**163.62**	**193.15**

42. मूल्यह्रास एवं परिशोधन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– संपत्ति, संयंत्र तथा उपस्कर पर मूल्यह्रास	8.12	8.48
– अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन	2.74	3.29
जोड़	**10.86**	**11.77**

43. कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– प्रत्यक्ष व्यय	141.73	254.53
– ओवरहेड्स	4.54	4.76
जोड़	**146.27**	**259.29**

43.1 कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) संशोधन नियम 2021 को अधिसूचित किया है कि जिसके लिए आवश्यक है कि कोई भी चल रही अन्य परियोजना के अलावा कोई भी अव्ययित सीएसआर राशि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह महीने की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट निधि में स्थानांतरित की जानी चाहिए। यदि ऐसी अव्ययित राशि किसी चल रही परियोजना से संबंधित है, तो इसे अगले वर्ष की 30 अप्रैल तक अव्ययित सीएसआर खाते में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिए। हालांकि, अगर ऐसी राशि का तीन वित्तीय वर्षों के भीतर उपयोग नहीं किया जाता है, तो इसे तीसरे वित्तीय वर्ष के पूरा होने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर अनुसूची VII में निर्दिष्ट फंड में स्थानांतरित करने की आवश्यकता होती है। कंपनी को अधिनियम के तहत आवश्यकता से अधिक की किसी भी राशि को खर्च की जाने वाली राशि के खिलाफ तीन सकल वित्तीय वर्षों के भीतर समायोजित करने का अधिकार भी है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्ष के दौरान, समूह ने कंपनी अधिनियम की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर के लिए बजट के रूप में ₹146.27 करोड़ स्वीकृत किए हैं। जिसके विरूद्ध वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों पर ₹150.31 करोड़ खर्च किए गए हैं। वर्ष के दौरान खर्च की गई ₹4.04 करोड़ की अतिरिक्त राशि को आगे स्थानांतरित किया जाएगा और अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों के लिए समायोजित किया जाएगा।

43.2 समूह द्वारा खर्च की जाने वाली अपेक्षित सकल राशि का विवरणः

(क) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा खर्च की जाने वाली स्वीकृत सकल राशि ₹146.27 करोड़ है

(ख) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 135(5) के अनुसार सीएसआर गतिविधियों पर खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशिः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष
प्रारंभिक शेष	-
वर्ष के दौरान खर्च की जाने वाली अपेक्षित राशि	146.27
वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि	150.31
अंतिम शेष*	**(4.04)**

** अगले तीन सफल वित्तीय वर्षों में समायोजित करने के लिए पात्र*

कंपनी (संशोधन) अधिनियम 2019 और कंपनी (निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) के प्रावधानों के बाद से अव्ययित निधियों के विशिष्ट उपचार की आवश्यकता वाले संशोधन नियम 2021 को चालू वर्ष से लागू किया गया है, तुलनात्मक आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं।

43.3 वर्ष के दौरान खर्च की गई राशि (₹ करोड़ में):

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 को समाप्त वर्ष			31.03.2020 को समाप्त वर्ष		
		नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल	नकद में	अभी प्रदत्त किया जाना है	कुल
(i)	किसी परिसंपत्ति का निर्माण/अधिग्रहण	-	-	-	-	-	-
(ii)	उपरोक्त (i) के अन्यत्र प्रयोजन पर						
	स्वास्थ्य/स्वच्छता/अपशिष्ट प्रबंधन/पेयजल	28.48	-	28.48	55.38	-	55.38
	शिक्षा/व्यावसायिक/कौशल विकास	18.20	-	18.20	41.63	-	41.63
	पर्यावरणीय संधारणीयता (सौर अनुप्रयोग/वनीकरण/ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटिंग)	18.01	-	18.01	32.21	-	32.21
	खेल–कूद	-	-	-	0.02	-	0.02
	पीएम केयर फंड में योगदान	50.04	-	50.04	100.00	-	100.00
	कोविड–19 के कारण प्रवासी श्रमिकों को भोजन/राशन का प्रावधान और कोविड–19 टीके के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराना	7.75	-	7.75	1.59	-	1.59
	अन्य	23.29	-	23.29	23.70	-	23.70
	प्रशिक्षण, प्रभाव मूल्यांकन आदि सहित प्रशासनिक ऊपरी खर्च	4.54	-	4.54	4.76	-	4.76
	जोड़ (ii)	**150.31**	**-**	**150.31**	**259.29**	**-**	**259.29**

कोविड–19 महामारी के खिलाफ लड़ाई के समर्थन में, समूह ने प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और आपातकालीन स्थितियों में राहत निधि (पीएम केयर्स फंड) में राहत के लिए ₹150.04 करोड़ का कुल योगदान किया, जिसमें से ₹100 करोड़ का योगदान वर्ष 2019–20 के दौरान और शेष ₹50.04 करोड़ का योगदान वर्ष 2020–21 के दौरान किया गया है। इसके अलावा, वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रवासी श्रमिकों, गरीब लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को भोजन, राशन, सैनि. टाइज़र, मास्क, पीपीई किट आदि उपलब्ध कराने के लिए ₹7.03 करोड़ और पश्चिम बंगाल, नागालैंड और दादरा और नगर हवेली में कोविड–19 वैक्सीन को जमा करने के लिए कोल्ड चेन उपस्कर उपलब्ध कराने के लिए ₹0.72 करोड़ खर्च किए हैं। महामारी के प्रकोप के खिलाफ राष्ट्र की लड़ाई के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए कंपनी के कर्मचारियों ने अप्रैल 2020 में एक दिन के वेतन का भी पीएम केयर्स फंड में योगदान दिया।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

44. अन्य व्यय

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– यात्रा एवं वाहन सुविधा	9.56	15.80
– प्रचार एवं प्रोन्नति व्यय	5.86	6.03
– मरम्मत और अनुरक्षण	12.61	12.38
– किराया, दरें एवं ऊर्जा लागतें	16.87	15.12
– बीमा प्रभार	0.10	0.13
– संप्रेषण लागत	2.35	3.42
– प्रिंटिंग और स्टेशनरी	0.99	2.92
– निदेशकों के बैठक शुल्क	0.10	0.19
– लेखा परीक्षकों का शुल्क एवं व्यय	1.52	1.62
– विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	11.28	12.21
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के निपटान पर निवल हानि	4.03	1.69
– मॉनिटरिंग व्यय	17.20	12.49
– विविध व्यय	26.91	46.41
जोड़	**109.38**	**130.41**

44.1 लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय के संबंध में प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
सांविधिक लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्कः		
– लेखापरीक्षक के रूप में	0.74	0.50
– कराधान मामलों के लिए*	0.26	0.13
– कंपनी के कानूनी मामलों के लिए (सीमित समीक्षा शुल्क सहित)	0.26	0.35
– अन्य सेवाओं के लिए		
(i) एमटीएन ऑफर दस्तावेज/सुविधा पत्र का प्रमाणन	0.10	0.40
(ii) प्रमाणन के लिए	0.04	0.06
– व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए	-	0.04
उप–जोड़	**1.40**	**1.48**
लेखापरीक्षकों को प्रदत्त शुल्क के संबंध में गैर–वसूली योग्य कर जमा	**0.12**	**0.14**
जोड़– लेखापरीक्षकों के शुल्क और व्यय	**1.52**	**1.62**

**पिछले वर्षों से संबंधित कराधान शुल्क ₹0.12 करोड़ (पिछले वर्ष शून्य) शामिल है।*

45. कर व्यय

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
– चालू कर व्यय	2,698.02	1,579.79
– पिछले वर्षों से संबंधित चालू कर व्यय/(लाभ)	222.95	65.27
उप–जोड़ – चालू कर	**2,920.97**	**1,645.06**
– आस्थगित कर व्यय/(क्रेडिट)	(519.62)	412.65
जोड़	**2,401.35**	**2,057.71**

45.1 वर्ष के दौरान, भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 के तहत शुरू की गई योजना के अनुसार कंपनी ने आकलन वर्ष 1997–98 से आकलन वर्ष 2017–18 अवधि से संबंधित पात्र आयकर विवादों के निपटान का विकल्प चुना है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2020–21 के लिए चालू कर व्यय के रूप ₹208.30 करोड़ की राशि का भुगतान किया गया है और हिसाब किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

45.2 प्रभावी कर दर का सामंजस्य

लाभ एवं हानि विवरण में सूचित किए गए आय कर व्यय की सांविधिक आय कर दर पर अनुमानित आय कर व्यय का पुनर्समाधान निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
कर पूर्व लाभ	**10,779.59**	**7,029.98**
सांविधिक आयकर पर	**25.168%**	**25.168%**
प्रत्याशित आय कर व्यय	**2,713.01**	**1,769.31**
आय कर समायोजनों का कर प्रभाव:		
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के तहत कटौती के लाभ	(645.09)	(383.14)
सीएसआर व्यय की अनुमति न होना एवं अन्य समायोजनों	112.70	20.68
अन्य गैर–कटौती योग्य कर व्यय	6.16	1.94
गैर कर योग्य आय	(8.57)	(11.28)
पूर्व वर्षों का कर व्यय	222.95	65.27
कर दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	661.54
पूर्ववर्ती वर्ष के लिए अनंतिम व्यय का प्रभाव	-	(1.22)
सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यम के अवितरित लाभ पर कर का प्रभाव	-	(63.83)
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम (जेवी) के लाभ पर कर का प्रभाव	0.50	(1.56)
इंट्रा ग्रुप रेवेन्यू रिवर्सल के कर का प्रभाव	(0.31)	-
कर व्यय	**2,401.35**	**2,057.71**

46. अर्जन प्रति शेयर

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
न्यूमरेटर		
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	8,378.24	4,972.27
लाभ तथा हानि विवरण के अनुसार सतत तथा बंद प्रचालनों से वर्ष के लिए लाभ (₹ करोड़ में)	8,378.24	4,972.27
डिनोमिनेटर		
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	1,974,918,000	1,974,918,000
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/– रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत प्रचालनों के लिए)	42.42	25.18
प्रति शेयर मूल तथा कम की गई आय (10/– रुपए प्रति इक्विटी शेयर के लिए रुपए में) (सतत तथा बंद प्रचालनों के लिए)	42.42	25.18

47. आकस्मिक देयताएं और प्रतिबद्धताएं:

47.1 आकस्मिक देयताएं, जिनका निम्न के संबंध में प्रावधान नहीं किया गया है:

विवरण		31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
(क)	**कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है**	29.67	0.22
(ख)	**कराधान मांग**		
	–आय कर विभाग द्वारा की गई मांग	25.41	113.99
	–कंपनी को दी गई राहत के विरुद्ध आय कर विभाग द्वारा दायर अपीलों के विरुद्ध मांग	0.30	38.30
	–सेवा कर के संबंध में की गई मांग	-	-
(ग)	**अन्य**		
	–बैंक गारंटी	38.49	30.78

उपर्युक्त 'क' में उल्लिखित राशि जो विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामलों के संबंध में है और न्यायालय के निर्णय पर निर्भर करती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

उपर्युक्त 'ख' में उल्लिखित राशि दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित मामलों सहित आय कर विभाग/जीएसटी विभाग द्वारा की गई विभिन्न मांगों के विरुद्ध है। कंपनी इन कर मांगों का विरोध कर रही है और प्रबंधन का विश्वास है कि उसकी स्थिति अपील प्रक्रिया में माने जाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, इन कार्यवाहियों के अंतिम परिणाम से कंपनी की वित्तीय स्थिति और प्रचालनों के परिणामों पर वास्तविक प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

47.2 प्रतिबद्धताएं जिनका निम्नलिखित के संबंध में प्रावधान नहीं है:

विवरण	31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
– पूंजीगत लेखे में निष्पादित की जाने वाली शेष संविदा		
– संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के संबंध में	225.95	315.07
– अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में	0.16	-
– अन्य प्रतिबद्धताएं		
– सीएसआर प्रतिबद्धताएं	**260.85**	**291.44**

48. वित्तीय क्षेत्र के नियामकों से प्राप्त पंजीकरण/लाइसेंस/प्राधिकार का ब्योरा:

विवरण		नियामक का नाम	पंजीकरण का ब्यौरा
(i)	कारपोरेट पहचान संख्या	**कारपोरेट कार्य मंत्रालय**	L40101DL1969GOI005095
(ii)	पंजीकरण संख्या	**भारतीय रिजर्व बैंक**	14.000011
(iii)	लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर (एलईआई) कोड	**ग्लोबल लीगल एंटीटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन (जीएलईआईएफ)**	335800B4YRYWAMIJZ374

49. सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन

49.1 प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य)

भारत सरकार ने देश में सार्वभौमिक घरों के विद्युतीकरण के लिए "प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना" – सौभाग्य स्कीम शुरू की है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी शेष गैर–विद्युतीकृत घरों को और शहरी क्षेत्रों में गरीब घरों को अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और विद्युत के कनेक्शन प्रदान करने की परिकल्पना है। सौभाग्य स्कीम का पूंजीगत परिव्यय पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान 12,320 करोड़ रुपए की कुल बजटीय सहायता सहित 16,320 करोड़ रूपए है। विद्युत मंत्रालय ने सौभाग्य स्कीम के प्रचालन के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया है।

49.2 दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) ग्रामीण विद्युत वितरण की सभी पहलों को शामिल करने वाली भारत सरकार की अग्रणी योजना है। इस स्कीम के तहत परियोजना लागत का 60 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 85 प्रतिशत) भारत सरकार के अनुदान के रूप में और निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने पर 15 प्रतिशत (विशेष राज्यों के लिए 5 प्रतिशत) का अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। डीडीयूजीजेवाई निम्नलिखित परियोजना घटकों के माध्यम से देश में 'सभी के लिए 24x7 विद्युत' हासिल करने के लिए सुविधा प्रदान करती है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के लिए पर्याप्त विद्युत आपूर्ति तथा गैर–कृषि उपभोक्ताओं को सतत विद्युत आपूर्ति सुकर बनाने के लिए कृषि तथा गैर–कृषि फीडरों को पृथक करना;

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप–पारेषण तथा वितरण अवसंरचना को सुदृढ़ बनाना और उसकी वृद्धि करना;

(iii) माइक्रो–ग्रिड और ऑफ–ग्रिड वितरण नेटवर्क;

(iv) डीडीयूजीजेवाई में समाहित आरजीजीवीवाई 12वीं एवं 13वीं योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण घटक।

उपर्युक्त योजना के (i) तथा (ii) पर घटकों का अनुमानित परिव्यय 43,033 करोड़ रुपए होगा जिसमें पूरी कार्यान्वयन अवधि के दौरान भारत सरकार से 33,453 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता शामिल है। 12वीं तथा 13वीं योजना में जारी रखने के लिए सीसीईए द्वारा अनुमोदित आरजीजीवीवाई की स्कीम पृथक ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में इस योजना में मिला दी गई है।

49.3 राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ)

वित्तीय वर्ष 2012–13 से राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ), एक ब्याज सब्सिडी योजना, क्रियाशील हुई। योजना को विद्युत क्षेत्र में पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। यह योजना, विद्युत क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न पूंजीगत कार्यों के लिए सार्वजनिक और निजी विद्युत वितरण यूटिलिटियों द्वारा लिए गए ऋणों पर, सुधारात्मक उपायों के संबंध में ब्याज सब्सिडी उपलब्ध करायेगी। राष्ट्रीय विद्युत निधि वर्ष 2012–13 और 2013–14 के दौरान अनुमोदित परियोजनाओं के समक्ष ऋण संवितरण के लिए 14 वर्षों से अधिक में विस्तारित रु. 8,466 करोड़ की समग्र रूप पर ब्याज सब्सिडी (उधारकर्ताओं को ब्याज सब्सिडी, नोडल एजेंसी को सेवा प्रभार, स्वतंत्र मूल्यांककों को भुगतान तथा अन्य प्रासंगिक खर्चों सहित) प्रदान करेगी। संपूर्ण देश में राष्ट्रीय विद्युत निधि योजना को संक्रियात्मक करने के लिए आरईसी को नोडल एजेंसी के रूप में नामोदिष्ट किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

49.4 प्रधानमंत्री की जम्मू व कश्मीर विकास योजना (पीएमडीपी)

जम्मू व कश्मीर सरकार, विद्युत विकास विभाग ने सभी सामग्री एवं सेवा कार्यों की डिजाइन, इंजीनियरी, खरीद, आपूर्ति, इरेक्शन, परीक्षण और आरंभ करने के लिए प्रतिस्पर्धा बोली के माध्यम से निकाली जाने वाली वास्तविक लागत के अनुसार नामांकन आधार पर जम्मू व कश्मीर राज्य और लद्दाख में पीएमडीपी के तहत वितरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी (पीआईए) के रूप में आरईसीपीडीसीएल और आरईसीटीपीसीएल को नियुक्त किया है।

49.5 11 केवी फीडर मॉनीटरिंग योजना

विद्युत् मंत्रालय ने 11 केवी फीडर मॉनिटरिंग योजना को लागू करने के लिए आरईसीपीडीसीएल को नियुक्त किया है। यह स्कीम 66, 33/11 केवी सब–स्टेशनों से सभी बाहर जाने वाले 11 केवी ग्रामीण फीडरों के विभिन्न अनिवार्य मानदंडों की डाटा लॉगिंग के माध्यम से स्वचालित 11 केवी ग्रामीण फीडर मॉनीटरिंग प्रणाली के लिए स्व–संधारित स्वतंत्र वेब आधारित प्रणाली का विकास करने के लिए तथा विद्युत आपूर्ति की मॉनीटरिंग, सावधानी, मीटर के आंकड़ों का विश्लेषण, सूचना प्रसारण और ऊर्जा जांच के लिए वास्तविक समय के आधार पर सार्वजनिक पटल सहित विभिन्न दावेदारों के लिए ऑनलाइन सूचना उपलब्ध कराने के लिए है।

50. पूंजी प्रबंधन

यह कंपनी यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पूंजी का प्रबंधन करता है कि वह दावेदारों को अधिकतम रिटर्न देते हुए एक चलती हुई संस्था के रूप में जारी रहेगा। कंपनी की पूंजीगत संरचना में कंपनी द्वारा किए गए दीर्घावधि उधार तथा इक्विटी शामिल हैं।

प्रबंधन अत्यधिक वृद्धि से बचते हुए दक्ष समग्र वित्तपोषण संरचना बनाए रखने के लिए कंपनी की पूंजीगत आवश्यकताओं का मूल्यांकन करता है। यह कंपनी पूंजीगत संरचना का प्रबंधन करता है और गतिशील व्यापारिक पर्यावरण तथा क्षेत्र के अंतर्गत परिसमाप्यता की स्थिति के आलोक में उपयुक्त साधनों के माध्यम से निधियां जुटाता है। इसके अतिरिक्त, पूंजी पुनर्गठन के संबंध में कंपनी को अन्य बातों के साथ–साथ विनिवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम), वित्त मंत्रालय, लोक उद्यम विभाग द्वारा बोनस शेयर, लाभांश वितरण, इक्विटी शेयरों की वापसी आदि जारी करने के संबंध में जारी किए गए "केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का पूंजी पुनर्गठन" के संबंध में दिशा–निर्देशों से भी दिशानिर्देशित होता है। इस कंपनी ने बाहरी रूप से लगाई गई सभी पूंजीगत आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

समूह का इक्विटी अनुपात निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
निवल ऋण	321,274.39	280,065.46
निवल कीमत	43,763.93	35,396.43
ऋण – इक्विटी अनुपात	**7.34**	**7.91**

निवल ऋण बकाया मूल कम नकद और उपलब्ध नकद समतुल्य को दर्शाता है।

लाभांश वितरण नीति

कंपनी निदेशक मंडल के शेयरधारकों के लाभांश भुगतान की मॉनीटरिंग करता है। कंपनी की लाभांश वितरण नीति विभिन्न कारकों पर जोर देती है जिनमें वर्तमान एवं भावी पूंजीगत आवश्यकताएं, वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) की पूंजी, वैकल्पिक स्रोतों से निधियां जुटाने की लागत, नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन लाभांश पर कर सहित लागू कर नकद प्रवाह स्थिति और समय–समय पर लागू दिशा–निर्देशों के अधीन कंपनी का निवल मूल्य शामिल है, परंतु यह यहीं तक सीमित नहीं है।

डीआईपीएएम, भारत सरकार द्वारा जारी वर्तमान दिशा–निर्देशों के अनुसार कंपनी को पीएटी का 30 प्रतिशत, न्यूनतम वार्षिक लाभांश अथवा निवल मूल्य का 5 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, देना अपेक्षित होता है। यद्यपि, कंपनी इन दिशा–निर्देशों के अनुसार लाभांश घोषित करने का प्रयास करती है, तथापि, विभिन्न वित्तीय मानदंडों, नकद प्रवाह स्थिति और भावी वृद्धि के लिए अपेक्षित निधियों के विश्लेषण के बाद कम लाभांश प्रस्तावित कर सकती है।

कंपनी ने अपने प्रबंधन के लिए विभिन्न नीतियां भी अपनाई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति, व्हीसल ब्लोअर नीति, आरईसी इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों में भीतरी व्यापार के निरोध के लिए संहिता, धोखाधड़ी रोकने के लिए नीति, व्यापक व्यवहार संहिता, बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीतियां, उचित परिपाटी संहिता आदि शामिल हैं।

50.1 जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात में पूंजी

कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित पूंजी पर्याप्तता अपेक्षाओं का पालन कर रही है। एक एनबीएफसी और अवसंरचना वित्तपोषण कंपनी (एनबीएफसी–आईएफसी) होने के नाते आरईसी को 15 प्रतिशत (न्यूनतम 10 प्रतिशत टियर–1 पूंजी के साथ) के जोखिम भारित परिसंपत्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी बनाए रखना अपेक्षित होता है।

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप समूह को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में समूह की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्यों

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह समूह ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार	
(i)	सीआरएआर	19.72%	16.06%
(ii)	सीआरएआर–टियर I पूंजी	16.31%	13.17%
(iii)	सीआरएआर–टियर II पूंजी	3.41%	2.89%

टियर–I पूंजी की मियादी ऋण लिखत की राशि 1.44% (पिछले वर्ष शून्य) है:

वर्ष के दौरान जुटाई टियर–II पूंजी एवं मियादी ऋण लिखत का विवरण निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
टियर–II पूंजी के रूप में जुटाये गए अधीनस्थ ऋण	1,999.50	-
मियादी ऋण लिखत के निर्गम द्वारा जुटायी गयी राशि	558.40	-

52. वित्तीय जोखिम प्रबंधन

इस कंपनी के निदेशक बोर्ड की कंपनी जोखिम प्रबंधन कार्यढांचे की स्थापना और नजर रखने की समग्र जिम्मेदारी है। इस कंपनी ने एक व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ ऋण जोखिम, प्रचालनात्मक जोखिम और संगठन का बाजार जोखिम शामिल है। इस कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियां विभिन्न जोखिम श्रेणियों, स्वतंत्र जोखिम दृष्टि और आवधिक मॉनीटरिंग के लिए उपयुक्त सुपरिभाषित नीतियों द्वारा दिशा–निर्देशित होती हैं। एक स्वतंत्र निदेशक की अध्यक्षता में एक जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) का भी गठन किया गया है जिसका मुख्य कार्य संगठन के विभिन्न जोखिमों की पहचान करना और उनकी मॉनीटरिंग करना तथा उन्हें कम करने के लिए कार्रवाई सुझाव देना है।

इस टिप्पणी में जोखिम के स्रोतों को स्पष्ट किया गया है जिनमें कंपनी दर्शाती है कि कंपनी कैसे वित्तीय विवरण में जोखिम तथा संबंधित प्रभाव का प्रबंधन करती है।

जोखिम	से उत्पन्न होने वाली स्थिति	माप	प्रबंधन
ऋण जोखिम	नकद एवं नकद समतुल्य, ऋण, परिशोधित लागत पर मापी गईं वित्तीय परिसंपत्तियां, सरकारी प्रतिभूतियों के राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश	पुराना विश्लेषण	बैंक जमा, परिसमाप्त निधियां, परिसंपत्ति आधार का विविधीकरण, ऋण सीमाएं एवं पार्श्विक
तरलता जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां, अधीनस्थ देयताएं एवं अन्य वित्तीय देयताएं	चल रहे नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम	मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां तथा भारतीय रुपए (आईएनआर) में न बताई गईं देयताएं	नकद प्रवाह का पूर्वानुमान	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम	उधार, ऋण प्रतिभूतियां और परिवर्तनीय ब्याज दरों पर अधीनस्थ देयाताएं	संवेदनशीलता विश्लेषण	व्युत्पन्न संविदाएं
बाजार जोखिम – इक्विटी कीमत जोखिम	उल्लिखित इक्विटी प्रतिभूतियां में निवेश	संवेदनशीलता विश्लेषण	नीतिगत निवेशों पर जोर देकर पोर्टफोलियो का विविधीकरण

जोखिम के अत्यधिक संकेंद्रण से बचने के लिए कंपनी की नीतियों और प्रक्रियाओं में एक विविधीकृत पोर्टफोलियो बनाए रखने पर जोर देने के लिए विशिष्ट दिशा–निर्देश शामिल हैं। ऋण जोखिमों के अभिज्ञात संकेंद्रणों का नियंत्रण एवं प्रबंधन तदनुसार किया जाता है।

इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए कंपनी ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक एकीकृत उद्यम–व्यापी जोखिम प्रबंधन तंत्र स्थापित किया है कि इन जोखिमों की सावधानीपूर्वक निगरानी की जाए और कुशलता से उनका प्रबंधन किया जाए। कंपनी में जोखिम प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ाने के लिए आरबीआई की अधिसूचना सं. डीएनबीआर (पीडी) सीसी. सं./.099/03.10.001/2018–19 के उद्देश्य से निदेशक मंडल ने एक मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) भी नियुक्त किया है जो जोखिमों की पहचान, माप और शमन की इस प्रक्रिया में शामिल है। जोखिम प्रबंधन दृष्टिकोण यानी कंपनी के उद्देश्यों, नीतियों और उपरोक्त जोखिमों में से प्रत्येक को मापने और प्रबंधित करने की प्रक्रिया बाद के पैराग्राफ में निर्धारित की गई है।

52.1 ऋण जोखिम

ऋण जोखिम उस जोखिम से संबंधित है जिसे प्रतिपक्ष अपने संविदागत दायित्वों के संबंध में चूक करेगा जिसके परिणामस्वरूप कंपनी को वित्तीय हानियां होती हैं। ऋण जोखिम में कंपनी की स्थिति मुख्य रूप से नकद एवं नकद समतुल्य, अन्य बैंक शेषों, निवेशों, ऋण परिसंपत्तियों, व्यापार प्राप्यों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से प्रभावित होती है। यह कंपनी ग्राहकों तथा अन्य प्रतिपक्षकारों की चूकों की निरंतर मॉनीटरिंग करता है और इस सूचना को अपने ऋण जोखिम नियंत्रण में शामिल करता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.1.1 वित्तीय परिसंपत्तियां जो एंटिटी को ऋण जोखिम में दर्शाती हैं

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i)	**वित्तीय रिपोर्टिंग तिथि पर कम ऋण जोखिम**		
	नकद और नकद समतुल्य	1,179.24	1,717.71
	नकद और नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष	2,223.58	2,257.45
	ऋण *	358,891.11	299,697.53
	ट्रेड प्राप्य	124.45	86.27
	निवेश **	1,269.95	1,601.06
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	24,419.88	22,101.32
(ii)	**मध्यम ऋण जोखिम**		
	ऋण *	2,888.05	2,431.27
	ट्रेड प्राप्य	55.32	52.01
(ii)	**उच्च ऋण जोखिम**		
	ऋण*	18,256.93	21,255.55
	ट्रेड प्राप्य	46.80	33.60
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	88.53	30.85

*प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए कटौती के बिना बकाया मूलधन (सुविधा पत्रों के संवितरित न किए गए सहित) दर्शाता है।

**इसमें उल्लिखित इक्विटी निवेशों और उद्यम पूंजी निधियों में निवेश शामिल नहीं है क्योंकि उन्हें एफवीओसीआई या एफवीटीपीएल पर लिया जाता है।

नकद और नकद समतुल्य तथा बैंक जमा

नकद और नकद समतुल्यों और बैंक जमाओं से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन निवेश ग्रेड रेटेड दस्तावेजों तथा अत्यधिक रेटेड बैंकों और पूरे देश में विभिन्न दस्तावेजोंध्बैंकों में निवेश कर जमा आधार का विविधीकरण करके भी पार्किंग निधियों से किया जाता है।

ऋण

उधारकर्ताओं से संबंधित ऋण जोखिम भावी परियोजना ऋण परिसंपत्तियों, प्राप्य, मालसूची अथवा अन्य किसी परिसंपत्ति, सरकारी गारंटी, निगम गारंटी आदि और अतिरिक्त रूप से सहायकों, जहां भी अपेक्षित हो, के हाइपोथिकेशन द्वारा ऋणों के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाओं के माध्यम से कम किए जाते हैं। यह कंपनी उधारकर्ता की ऋण सीमाओं को परिभाषित करने और ऋण जोखिम का मूल्यांकन करने के लिए व्यवस्थित संस्थागत तथा परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया विश्लेषण से बनाए गए सुपरिभाषित कंपनी मूल्यांकन दिशा–निर्देशों के माध्यम से संवर्धकों की ऋण योग्यता का बारीकी से मूल्यांकन करती है जिससे पूर्व परिकलित धनराशि का ऋण जोखिम सीमित होता है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन सिद्धांत, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना तथा ऋण जोखिम कम करने के उपाय, पूर्व संवितरण शर्तों के रूप में शामिल होते हैं।

ट्रेड प्राप्य

व्यापार प्राप्य से संबंधित ऋण जोखिम लेनदारों की ऋण योग्यता का मूल्यांकन करके कम किया जाता है और ऐसी धनराशि को वसूल करने योग्य स्थिति का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों में कार्मिकों तथा सहायक कंपनियों को ऋण एवं अग्रिम, प्रतिभूति जमा तथा अन्य वसूली योग्य धनराशि, भारत सरकार से ली गई राशि सहित शामिल होते हैं। इन अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों से संबंधित ऋण जोखिम का प्रबंधन ऐसी धनराशि को वसूल करने की क्षमता का निरंतर मॉनीटरिंग कर प्रबंधन किया जाता है।

सरकारी प्रतिभूति, राज्य विकास ऋण और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश

निवेश से संबंधित ऋण जोखिम सरकारी प्रतिभूतियां, राज्य विकास ऋणों और पीएसयू बॉन्ड्स में निवेश के साथ अच्छी वित्तीय स्थिति निवेश द्वारा प्रबंधित किया जाता है और विभिन्न परिपक्वता/क्षेत्र में निवेश पोर्टफोलियो का विविधीकरण और नियमित आधार पर वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी भी करता है।

52.1.2 ऋणों एवं व्यापार प्राप्यों को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानियां (ईसीएल)

कंपनी में किसी भी ऋण हानि की प्रत्याशा के लिए अलग वित्तीय दस्तावेज का मूल्यांकन कर ऋण को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों पर प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

– **नकद एवं नकद समतुल्यों और बैंक शेषों के लिए (नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा)** – चूंकि, कंपनी बैंकिंग प्रचालनों के लिए केवल हाई रेटेड बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के साथ कार्य करती है तथा निधियों की श्रेणी को अधिशेष निधियों के अल्पकालिक निवेश के लिए निरंतर उच्च रिकार्ड के साथ ऋण निधियों में परिसमाप्त करती है, अतः नकद एवं नकद समतुल्यों, अन्य बैंक शेषों और बैंक जमाओं के संबंध में ऋण जोखिम बहुत कम मूल्यांकित किया जाता है।

– **निवेश के लिए** – यह मानते हुए कि निवेश सरकारी प्रतिभूतियों/न्यूनतम निवेश ग्रेड वाली सरकारी कंपनियों सहित ऋण प्रतिभूतियों में है, ऋण जोखिम कम माना जाता है।

– **अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए** – ऋण जोखिम का मूल्यांकन उन पक्षकारों की ऋण योग्यता के संबंध में कंपनी की जानकारी के आधार पर किया जाता है और हानि भत्ता आरंभिक माने गए आधार पर 12 माह की प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए मापा जाता है तथा ऋण जोखिम में काफी वृद्धि पर जीवन पर्यन्त प्रत्याशित ऋण हानियों के लिए प्रावधान होता है।

ऋण एवं व्यापार प्राप्य को छोड़कर वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए प्रत्याशित ऋण हानि का ब्यौरा निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	सकल वहन राशि	ईसीएल	निवल वहन राशि	सकल वहन राशि	ईसीएल	निवल वहन राशि
नकद एवं नकद समतुल्य		-	1,179.24	1,717.71	-	1,717.71
बैंक शेष (नकद और नकद समतुल्य के अलावा)	2,223.58	-	2,223.58	2,257.45	-	2,257.45
निवेश	1,269.95	-	1,269.95	1,601.06	-	1,601.06
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ*		88.53	24,419.88	22,132.17	30.85	22,101.32

** हानिग्रस्त क्रेडिट के रूप में स्वीकार की गई "अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों" पर हानि भत्ते पूर्ण रूप में प्रदत्त हैं।*

52.1.3 ऋणों के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

जोखिम प्रबंधन रिपोर्ट करने के प्रयोजनों के लिए कंपनी ऋण जोखिम के निम्नलिखित तत्वों पर विचार करती है और समेकन करती है:

ऋण चूक हानि: ऋणदाता के कारण होने वाले ऋण के जोखिम, जिसे उसके ऋण दायित्वों को पूरी तरह से देने की संभावना नहीं है अथवा किसी वास्तविक ऋण दायित्व के कारण पिछले 90 दिन से अधिक का ऋणदाता है; चूक जोखिम ऋणों एवं प्रतिभूतियों सहित सभी ऋण संवेदी लेन–देनों पर प्रभाव डाल सकता है।

संकेंद्रण जोखिम: किसी एकल निष्पादन से संबंधित जोखिम अथवा कंपनी के प्रमुख प्रचालनों को खतरा पैदा करने के लिए बहुत ज्यादा हानियां करने की संभावना वाले निष्पादन का समूह।

(क) क्रेडिट जोखिम प्रबंधन

क्रेडिट जोखिम विभिन्न स्तरों पर प्रबंधित किया जाता है, जिसमें मूल्यांकन, संवितरण और संवितरण के बाद निगरानी शामिल हैं। कंपनी के पास "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" और "व्यापक जोखिम प्रबंधन नीति" मौजूद है। क्रेडिट जोखिम को कम करने के लिए कंपनी क्रेडिट जोखिम के आकलन हेतु व्यवस्थित संस्थागत और परियोजना मूल्यांकन प्रक्रिया का अनुसरण करती है। इन प्रक्रियाओं में एक विस्तृत मूल्यांकन पद्धति, जोखिमों की पहचान और उपयुक्त संरचना और ऋण जोखिम शमन उपाय शामिल हैं। इसके अलावा, नियमित रूप से परियोजनाओं के जोखिम की समीक्षा भी की जाती है और परियोजना जोखिम को जोखिम फ्रेमवर्क के अनुसार विभिन्न जोखिम मानकों और परियोजना के जोखिम के आधार पर उच्च/मध्यम/निम्न के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। क्रेडिट जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया निम्नानुसार है:

(i) कंपनी के पास क्रेडिट मूल्यांकन, जोखिम ग्रेडिंग, संपार्श्विक आवश्यकताओं, रिपोर्टिंग, निधियों के अंतिम उपयोग की निगरानी आदि को शामिल करते हुए "एकीकृत रेटिंग दिशानिर्देश" उपलब्ध हैं। इसके अलावा, कानूनी जोखिम का प्रभावी प्रलेखन और शमन सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र ऋणदाता कानूनी परामर्शदाता नियुक्त किए जाते हैं।

(ii) सभी मौजूदा निजी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए, जहाँ कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कंपनी ऋणदाता के स्वतंत्र इंजीनियर्स (एलआईई), ऋणदाता के वित्तीय सलाहकार (एलएफए) और ऋणदाता के बीमा सलाहकार (एलआईए) नियोजित करती है, जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं जो विभिन्न ऋणदाताओं और संघ सदस्यों की ओर से कार्य करती हैं। एलआईई ऋणकर्ता के साथ चर्चा और प्रासंगिक दस्तावेजों की जांच/समीक्षा के बाद, परियोजना साइट का दौरा करती है और इसकी प्रगति की स्थिति पर आवधिक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। एलएफए परियोजना में समय–समय पर निधि प्रवाह और धन के उपयोग के विवरण प्रस्तुत करता है। ऐसे मामलों में जहां कंपनी लीड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, एलआईई और एलएफए सेवाओं से संबंधित कार्यों को लीड ऋणदाता के साथ समन्वित किया जा रहा है।

कंपनी वित्तपोषित की जाने वाली नई परियोजनाओं के लिए एक अलग परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) नियुक्त करने का भी प्रयास करती है, जो एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय के लिए एलआईई/परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी), एलएफए और एलआईए के संपूर्ण कार्यों का निर्वाह करती है। परियोजना की प्रगति की निगरानी, ईपीसी/गैर–ईपीसी संविदाओं और बीजकों की समीक्षा, निधि के उपयोग और परियोजना के लिए बीमा

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

सहित परियोजना की विभिन्न गतिविधियों को बारीकी से देख–रेख करने के लिए पीएमए परियोजना स्थल पर दिन–रात तैनात रहती है। पीएमए मूल उपस्कर विनिर्माता/आपूर्तिकर्ता के बिलों, ठेकेदार के समग्र काम की पुष्टि करता है और संवितरण के लिए अपनी सिफारिश करता है। मूल परियोजना लागत और सीओडी सहित तकनीकी और वित्तीय मापदंडों की पवित्रता को बनाए रखते हुए पीएमए द्वारा प्रारंभिक अपेक्षित सतर्कता भी बरती जाती है।

तनावग्रस्त परियोजनाओं के लिए ट्रस्ट और रिटेंशन अकाउंट (टीआरए) की प्रभावी निगरानी के लिए मामले दर मामला आधार पर आरईसी/उधारदाताओं द्वारा विशेष निगरानी/कैश फ्लो मॉनिटरिंग एजेंसियों के लिए समवर्ती लेखापरीक्षकों/एजेंसियों की भी नियुक्ति की जा रही है।

(iii) कंपनी में ऋण सुविधाओं के अनुमोदन और नवीनीकरण के लिए एक प्राधिकार संरचना है। प्राधिकार सीमाएं अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक/कार्यकारी समिधि/ऋण समिति/निदेशक बोर्ड के स्तर पर यथा उपयुक्त जांच समिति की सिफारिश के आधार पर व्यापारिक प्रस्ताव के आकार के अनुरूप स्थापित की गई है।

(iv) कंपनी में उपयुक्त ब्याज दरें और प्रतिभूति पैकेज लगाकर चूक के जोखिम की मात्रा के अनुसार उसके निष्पादनों की श्रेणी बनाने के लिए जोखिम ग्रेडिंग संरचना विकसित की है।

(v) ऋण पोर्टफोलियो की ऋण गुणवत्ता संबंधी नियमित रिपोर्टें जोखिम प्रबंधन समिति तथा बोर्ड को दी जाती हैं जो की जाने वाली उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की मांग कर सकता है।

(vi) ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए पूरी कंपनी में सर्वोत्तम परिपाटी संवर्धित करने के लिए विशेषज्ञ कौशल प्रदान करने के साथ–साथ व्यापारिक यूनिटों द्वारा अपनाए जा रहे दिशा–निर्देशों, नीति और विद्यमान परिपाटियों की समीक्षा करने के लिए समय–समय पर बाहरी एजेंसियां नियुक्त की जाती हैं।

(vii) अलग–अलग और समूह ऋण निष्पादनों का मूल्यांकन संबंधित व्यापारिक यूनिट द्वारा लेनदारों को सुविधाएं प्रतिबद्ध करने से पूर्व निर्धारित सीमाओं के विरुद्ध किया जाता है। अतिरिक्त सुविधाओं की स्वीकृति भी उसी समीक्षा प्रक्रिया के अध्यधीन होती है।

(viii) कंपनी लगातार ऋणकर्ताओं और अन्य समकक्ष पक्षकारों के विलंब और/या चूक और उनकी वसूली क्षमता की निगरानी करती है। ऋणकर्ता के खाते में चूक की घटना होने पर कंपनी चूक को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाती है, जिसमें आगे वर्णित कार्रवाई शामिल हो सकती है, लेकिन ये केवल इतने तक ही सीमित नहीं हैः आरबीआई को रिपोर्टिंग के साथ विशेष उल्लेख खाता (एसएमए), बड़े क्रेडिट पर केंद्रीय सूचना भंडार (सीआरआईएलसी) को जानकारी की रिपोर्टिंग आदि, टीआरए खाते की निगरानी, ऋण समझौते के अनुसार इक्विटी में ऋण के रूपांतरण, ऋण खाते के पुनर्गठन, ऋणकर्ता के साथ संकल्प योजना तैयार करने, स्वामित्व में परिवर्तन, कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेंसी रिज़ॉल्यूशन प्रोसेस (सीआईआरपी), बकाया राशि वसूल करने के लिए गारंटी/प्रतिभूतियों के आह्वान सहित अन्य संस्थाओं/निवेशकों और अन्य वसूली तंत्रों को एक्सपोज़र की बिक्री आदि।

(ख) क्रेडिट जोखिम मापन

ऋण परिसंपत्तियों पर क्षतिपूर्ति हानि भत्ते के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 के अनुसार प्रावधान किया जाता है, जो क्रेडिट गुणवत्ता में सुधार/गिरावट का आकलन करने के लिए प्रमुख वित्तीय और प्रचालन मापदंडों के आधार पर क्रेडिट जोखिम को मापता है। प्रबंधन मॉडल आउटपुट पर ओवरले, यदि कोई है, करता है, जिसे लेखापरीक्षा समिति द्वारा विधिवत दस्तावेजीकृत (प्रलेखित) और अनुमोदित किए जाते हैं। अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मूल्यांकन एक स्वतंत्र एजेंसी, आईसीआरए एनालिटिक्स लिमिटेड (पूर्व में आईसीआरए ऑनलाइन लिमिटेड) द्वारा किया जाता है।

कंपनी के पास राज्य सरकारों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और राज्य विद्युत उपयोगिताओं की ग्रेडिंग के लिए एक आंतरिक प्रणाली मौजूद है। हालाँकि, वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के लिए कंपनी विद्युत मंत्रालय द्वारा रेटिंग की प्रक्रिया को तब अपनाती है, जब वे अद्यतन किए जाते हैं। इन रेटिंग्स को रेटिंग ट्रांज़ीशन मैट्रिक्स के हिस्से के रूप में विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग ग्रेड के साथ मैप किया जाता है। निजी ऋणकर्ताओं के लिए कंपनी या तो विभिन्न क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित बाहरी रेटिंग का उपयोग करती है या फिर ऐसी रेटिंग उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रॉक्सी जोखिम स्कोर का प्रयोग करती है। प्रॉक्सी ज़ोखिम स्कोर मॉडल के अंतर्गत निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया जाता हैः

मात्रात्मक कारक

ऋण/ईबीआईटीडीए (30% भार)

नियोजित पूंजी पर आय (15% भार)

ब्याज कवरेज (25% भार)

गियरिंग (ऋण/इक्विटी) (30% भार)

गुणात्मक कारक

तिमाही–वार प्रचालनात्मक मानदंड, यथा पीपीए, पीएलएफ, एसीएस – एआरआर अंतर और एलएएफ

वास्तविक चूक तिथियाँ

परियोजना की स्थिति

(ग) अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का मापन

भारतीय लेखांकन मानक इंड एएस 109 में नीचे संक्षेप में बताए गए अनुसार प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट गुणवत्ता में परिवर्तन के आधार पर हानि के लिए एक "तीन चरण वाले" मॉडल की रूपरेखा दी गई हैः

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

- एक वित्तीय लिखत जो प्रारंभिक मान्यता पर क्रेडिट क्षतिपूरित नहीं है और जिसका क्रेडिट जोखिम प्रारंभिक चरण "स्टेज 1" के रूप में वर्गीकृत होने के बाद से बहुत अधिक नहीं बढ़ा है।
- यदि इस बात की पहचान हो जाती है कि प्रारंभिक मान्यता के बाद से क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो वित्तीय लिखत को "स्टेज 2" में स्थानांतरित कर दिया गया है, लेकिन अभी भी इसे मानद रूप से क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ नहीं माना जाता है।
- यदि कोई वित्तीय लिखत क्रेडिट क्षतिपूरित हुआ है, तो इसे "स्टेज 3" में ले जाया जाता है।
- स्टेज 1 में वित्तीय लिखत का अपेक्षित क्रेडिट नुकसान के बराबर की राशि पर ईसीएल मापा जा चुका है, जो अगले 12 महीनों के भीतर संभावित चूक की घटनाओं के परिणामस्वरूप हो सकता है। स्टेज 2 या स्टेज 3 मानदंड में लिखत का ईसीएल आजीवन आधार पर मापा जाता है।

(घ) क्रेडिट जोखिम (एसआईसीआर) में महत्वपूर्ण वृद्धि

कंपनी किसी ऐसे वित्तीय लिखत पर विचार करती है जिसने उसके संविदात्मक भुगतानों की देय तारीख से भुगतान 30 दिन से अधिक समय तक देय हो जाने पर किसी वित्तीय लिखत पर क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

(ङ) चूक तथा हानि वाले ऋण की परिसंपत्तियों की परिभाषा

कंपनी चूक के रूप में वित्तीय दस्तावेज को परिभाषित करती है जो पूर्णतः हानियों वाले ऋण की परिभाषा के अनुरूप है जब ऋणखाता अपने संविदागत भुगतानों पर देय पिछले 90 दिनों से अधिक का हो या भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए परिपत्र के अनुसार कंपनी द्वारा दी गई कोई भी अवधि हो।

(च) ईसीएल का मापन – इनपुट, अवधारणाओं और अनुमान तकनीकों की व्याख्या

प्रत्याशित ऋण हानियां चूक की संभावना (पीडी), चूक पर प्रकटन (ईएडी) और हानि देने वाली चूक (एलजीडी) का परिणाम होती हैं जो निम्नलिखित रूप में परिभाषित हैं:

- पीडी अगले 12 महीनों में या लिखत के शेष जीवनकाल में अपनी बाध्यता पर ऋणकर्ता की चूक की संभावना को दर्शाता है।
- ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।
- एलजीडी कंपनी के नुकसान की ऐसी उम्मीद का प्रतिनिधित्व करता है कि कोई चूक हो सकती है। एलजीडी प्रतिशत में व्यक्त किया जाता है और यह उस राशि के अनुपात को दर्शाता है जो वास्तव में चूक के किसी मामले में वसूली के बाद समाप्त हो जाएगी।

चूक की संभावना (पीडी) का निर्धारण

कंपनी ने वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स पर आधारित पीडी की गणना के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों द्वारा प्रकाशित रेटिंग संक्रमण मैट्रिक्स का विश्लेषण किया है। ऋण की अवधि/मैच्योरिटी प्रोफाइल यानी लाइफटाइम पीडी द्वारा विभिन्न रेटिंग ग्रेड की चूक की आजीवन संभावना का पता लगाने के लिए इस वार्षिक संक्रमण मैट्रिक्स को एक्स्ट्रापोलेटेड किया गया।

घाटे को देखते हुए चूक (एलजीडी) कम्प्यूटेशन मॉडल

ऐतिहासिक रुझान, अनुसंधान और उद्योग बेंचमार्किंग के आधार पर कंपनी ने एक एलजीडी मॉडल का निर्माण किया है। एलजीडी मॉडल में समीक्षा किए गए कारकों में प्रति यूनिट परियोजना लागत, पीपीए की स्थिति, एफएसए की स्थिति आदि शामिल हैं। आंतरिक अनुसंधान के आधार पर कंपनी ने निजी क्षेत्र में थर्मल, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए इन कारकों को बेंचमार्क किया है। निजी क्षेत्र के उधारकर्ताओं के मामले में परिसंपत्तियों के वसूल किए जाने वाले वास्तविक मूल्य एलजीडी पर पहुंचने के लिए उपयुक्त अनुमानों, समाधान प्रक्रिया आदि के परिणाम पर मूल्यांकन सहित का उपयोग करके निकाला गया। राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए कंपनी ने राज्य सहायता में उद्घाटित किया है और यह माना कि राज्य/केंद्र सरकारें अतीत में देखी गई राज्य क्षेत्र की उपयोगिताओं (बिजली कंपनियों) के ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए कदम उठाएंगी।

(छ) स्टेज 3 परिसम्पत्तियों के मामले में एलजीडी का संरेखण

स्टेज –3 परिसंपत्तियां जहां आरईसी और पीएफसी (समूह की कंपनियां) स्टेज–3 ऋण खातों के लिए कंसोर्टियम में शामिल हैं, के मामले में एलजीडी निम्नलिखित आधार पर लिया जाता है:

(क) उन मामलों में जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता है, लीड ऋणदाता द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% को अपनाया जाता है।

(ख) ऐसे मामलों, जहां आरईसी या पीएफसी प्रमुख ऋणदाता नहीं हैं, में आरईसी और पीएफसी द्वारा परिकलित किए गए एलजीडी% में से अधिक को अपनाया जाता है।

(ज) ईसीएल के मापन में प्रयुक्त प्रमुख अनुमान

(i) कंपनी प्रारंभिक मान्यता की तारीख को आधार तिथि मानती है जिससे क्रेडिट जोखिम में महत्वपूर्ण वृद्धि निर्धारित की जाती है।

(ii) ईएडी ऐसी राशियों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें बकाया मूलधन, अर्जित ब्याज और बकाया लेटर ऑफ कम्फर्ट शामिल होते हैं, जो कंपनी चूक के समय बकाया होने की उम्मीद करती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(झ) ऋण जोखिम अनावरण

भिन्न क्रेडिट रेटिंग के साथ उधारकर्ताओं के संबंध में ऋण जोखिम अनावरण निम्न है।

(₹ करोड़ में)

बाह्य/मैप्ड क्रेडिट रेटिंग	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
एएए	27,188.09	-	-	27,188.09	37,832.86	-	-	37,832.86
एए	95,722.23	-	-	95,722.23	82,131.73	-	-	82,131.73
ए	92,972.07	1,421.82	-	94,393.89	71,840.30	-	-	71,840.30
बीबीबी	29,817.62	-	-	29,817.62	28,629.56	-	-	28,629.56
बीबी	61,131.32	-	-	61,131.32	60,555.15	36.22	-	60,591.37
बी	17,049.99	69.68	-	17,119.67	9,876.29	23.37	-	9,899.66
सी	28,532.47	-	-	28,532.47	2,215.02	29.68	-	2,244.70
डी	1,874.55	1,396.55	18,256.93	21,528.03	-	2,342.00	21,255.55	23,597.55
सरकारी ऋण	4,602.77	-	-	4,602.77	6,616.62	-	-	6,616.62
सकल अनावरण	**358,891.11**	**2,888.05**	**18,256.93**	**380,036.09**	**299,697.53**	**2,431.27**	**21,255.55**	**323,384.35**
हानि भत्ते	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42
निवल अनावरण	**357,608.65**	**2,746.62**	**6,465.62**	**366,820.89**	**299,209.07**	**1,467.44**	**10,703.42**	**311,379.93**

(ञ) समपार्श्विक तथा अन्य ऋण वृद्धियां

कंपनी ऋण जोखिम को कम करने के लिए कई नीतियां और परिपाटियां लगाती है। इनमें से सबसे सामान्य संवितरित निधियों के लिए समपार्श्विक को स्वीकार करना है। कंपनी में समपार्श्विक अथवा ऋण जोखिम को कम करने की विशेष श्रेणियों की स्वीकार्यता के संबंध में आंतरिक नीतियां हैं। ऋणों और अग्रिमों के लिए प्रमुख समपार्श्विक किस्में निम्नलिखित हैं:

–अचल परिसंपत्तियों का मोर्टगेज

–चल संपत्ति का हाइपोथिकेशन

–परियोजना संविदा दस्तावेजों को सौंपना

–उपस्करों की प्लेज जिसके माध्यम से प्रमोटर का अंशदान परियोजना में लगाया जाता है

–प्रमोटर की शेयरधारिता की प्लेज

–प्रमोटर की व्यक्तिगत तथा कारपोरेट गारंटी

(ट) हानि भत्ते

उस अवधि में माना गया हानि भत्ता कई कारकों से प्रभावित होता है, जैसा कि नीचे वर्णित किया गया है:

- ऋण जोखिम की काफी वृद्धि (अथवा कमी का अनुभव करने वाले) अथवा उस अवधि में ऋण हानि होने वाले वित्तीय दस्तावेजों के कारण स्तर–1 और स्तर –2 अथवा 3 के बीच अंतरण, और 12 माह तथा जीवन पर्यन्त ईसीएल के बीच परिणामी "स्टेप अप" (अथवा स्टेप डाउन)।
- उस अवधि के दौरान माने गए नए वित्तीय दस्तावेजों के लिए अतिरिक्त भत्ते तथा उस अवधि में न माने गए वित्तीय दस्तावेजों के लिए जारी राशियां।
- मॉडल में इनपुट के नियमित नवीनीकरण से उत्पन्न होने वाली, उस अवधि में पीडी, ईएडी और एलजीडी में परिवर्तनों के कारण ईसीएल के मापन पर प्रभाव।
- उस अवधि के दौरान अस्वीकृत वित्तीय परिसंपत्तियां और उस अवधि के दौरान बट्टे खाते में डाली गई परिसंपत्तियों सहित भत्तों को बट्टे खाते में डालना।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिकाएं ऋण परिसंपत्तियों में परिवर्तन (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित) और रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ तथा अंत के बीच तद्नुरूपी ईसीएल भत्ते को स्पष्ट करती हैः

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**299,697.53**	**488.46**	**2,431.27**	**963.83**	**21,255.55**	**10,552.13**	**323,384.35**	**12,004.42**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	2,509.24	353.78	(53.05)	(1.82)	(2,456.18)	(351.96)	0.01	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(1,609.07)	(1.90)	1,609.07	1.90	-	-	-	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	-	-	(36.22)	(0.38)	36.22	0.38	-	-
पीडी /एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	123.92	-	178.15	-	2,037.68	-	2,339.75
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	94,564.60	414.89	264.00	0.47	2.00	0.20	94,830.60	415.56
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(36,271.19)	(96.69)	(421.58)	(95.28)	(333.56)	(200.02)	(37,026.33)	(391.99)
राइट ऑफ	-	-	(905.44)	(905.44)	(247.10)	(247.10)	(1,152.54)	(1,152.54)
अंतिम शेष	**358,891.11**	**1,282.46**	**2,888.05**	**141.43**	**18,256.93**	**11,791.31**	**380,036.09**	**13,215.20**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए	स्तर 1		स्तर 2		स्तर 3		कुल	
	सकल राशि	12 महीने ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	जीवनकाल ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
प्रारंभिक शेष	**256,448.63**	**525.25**	**4,412.61**	**1,273.73**	**20,348.44**	**9,698.95**	**281,209.68**	**11,497.93**
12 महीने के ईसीएल में अंतरण	1,557.46	107.88	(1,549.63)	(105.92)	(7.83)	(1.96)	(0.00)	(0.00)
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त नहीं	(25.11)	(1.64)	92.99	18.61	(67.89)	(16.97)	(0.01)	-
जीवनपर्यंत ईसीएल में अंतरण क्रेडिट हानिग्रस्त	(1,476.62)	(12.99)	(560.99)	(225.13)	2,037.61	238.12	-	-
पीडी /एलजीडी में बदलाव के कारण अतिरिक्त प्रावधान	-	(238.36)	-	(13.90)	-	1,108.09	-	855.83
नई उत्पन्न अथवा खरीदी हुई वित्तीय परिसंपत्तियां (मौजूदा परिसंपत्तियों में अग्रिम संवितरण सहित)	76,579.12	142.28	47.51	16.66	-	-	76,626.63	158.94
वित्तीय परिसंपत्तियां जिन्हें अमान्य कर दिया है (मौजूदा परिसंपत्तियों में वसूली सहित)	(33,385.95)	(33.96)	(11.22)	(0.22)	(676.37)	(95.69)	(34,073.54)	(129.87)
राइट ऑफ	-	-	-	-	(378.41)	(378.41)	(378.41)	(378.41)
अंतिम शेष	**299,697.53**	**488.46**	**2,431.27**	**963.83**	**21,255.55**	**10,552.13**	**323,384.35**	**12,004.42**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(ठ) स्तर वार एक्सपोजर और हानि भत्ता का विवरणः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
कुल एक्सपोजर	358,891.11	2,888.05	18,256.93	380,036.09	299,697.53	2,431.27	21,255.55	323,384.35
हानि भत्ता	1,282.46	141.43	11,791.31	13,215.20	488.46	963.83	10,552.13	12,004.42
ईसीएलः	0.36%	4.90%	64.59%	3.48%	0.16%	39.64%	49.64%	3.71%

(ड) ऋण जोखिम का संकेंद्रण

कंपनी उस किस्म के उद्योग द्वारा ऋण जोखिम (संवितरित न किए गए सुविधा पत्रों सहित ऋण परिसंपत्तियां) के संकेंद्रण की मॉनीटरिंग करती है जिसमें लेनदार प्रचालन करते हैं जिसे लेनदार के प्रकार में आगे बांटा जाता है, भले ही वह सरकारी हो या निजी।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	सकल राशि	ईसीएल	सकल राशि	ईसीएल
उद्योग द्वारा संकेंद्रण				
उत्पादन	156,901.95	12,035.54	147,021.68	11,122.97
नवीकरणीय ऊर्जा	17,388.24	117.88	9,163.65	161.31
ट्रांस्कोज	61,309.37	502.51	49,658.96	503.89
डिस्कॉम्स	139,833.76	557.90	110,923.44	214.26
सरकारी ऋण	4,602.77	1.37	6,616.62	1.99
कुल	**380,036.09**	**13,215.20**	**323,384.35**	**12,004.42**
स्वामित्व द्वारा संकेंद्रण				
राज्य	338,973.84	938.40	284,778.15	297.60
निजी	41,062.25	12,276.80	38,606.20	11,706.82
जोड़	**380,036.09**	**13,215.20**	**323,384.35**	**12,004.42**

(ढ) क्षेत्रवार हानिग्रस्त परिसंपत्तियाँ – उस क्षेत्र में कुल अग्रिमों के चरण–III आस्तियों का प्रतिशत

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
विद्युत क्षेत्र	4.84%	6.59%

(ण) क्रेडिट–इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i)	सकल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	4.84%	6.59%
(ii)	सकल अग्रिमों हेतु निवल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	1.71%	3.32%
(iii)	निवल अग्रिमों हेतु सकल क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियाँ (%)	1.78%	3.45%
(iv)	क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (सकल)		
(क)	प्रारंभिक शेष	21,255.55	20,348.44
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	38.22	2,037.61
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(2,789.74)	(752.09)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट ऑफ	(247.10)	(378.41)
(च)	**अंतिम शेष**	**18,256.93**	**21,255.55**
(v)	क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों का संचलन (निवल)		
(क)	**प्रारंभिक शेष**	10,703.42	10,649.49
(ख)	वर्ष के दौरान जुड़ाव	34.59	691.40
(ग)	वर्ष के दौरान कटौतियां	(4,272.39)	(637.47)
(घ)	वर्ष के दौरान राइट ऑफ	-	-

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(च)	**अंतिम शेष**	**6,465.62**	**10,703.42**
(vi)	**क्रेडिट इंपेयर्ड परिसंपत्तियों हेतु प्रावधानों का संचलन**		
(क)	प्रारंभिक शेष	10,552.13	9,698.95
(ख)	वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2,038.26	1,346.21
(ग)	अतिरिक्त प्रावधानों को राइट ऑफ	(551.98)	(114.62)
(घ)	वर्ष के दौरान असेसट्स रिटेन ऑफ पर प्रावधान	**(247.10)**	**-378.41**
(च)	**अंतिम शेष**	**11,791.31**	**10,552.13**

(त) दिनांक 13.03.2020 को एनबीएफसी द्वारा इंड–एएस के कार्यान्वयन पर आरबीआई परिपत्र के अनुसार, ऋण को क्या अन्यथा एनपीए के रूप में वर्गीकृत करना आवश्यक था जैसे आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार माना जाता है, 31 मार्च 2021 को सकल एनपीए से सकल ऋण अनुपात 5.04% (पिछले वर्ष 6.60%) और निवल एनपीए से निवल ऋण 1.99% (पिछले वर्ष 3.46%) रहा था।

(थ) राइट ऑफ करने से संबंधित नीति

कंपनी उस समय समग्र रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय परिसंपत्तियों को बट्टे खाते में डालती है जब उसके सभी व्यावहारिक वसूली प्रयास समाप्त हो गए हों और इस निष्कर्ष पर पहुँच गई हो कि वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है। वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है, इसके संकेतकों में परिवर्तन क्रियाकलाप को बंद करना शामिल है अथवा जहां कंपनी की वसूली पद्धति समपार्श्विक पर पहले ही बंद हो तथा समपार्श्विक का मूल्य इतना हो कि पूरी तरह से वसूली की कोई उपयुक्त उम्मीद नहीं है।

(द) बिजनेस मॉडल पॉलिसी

कंपनी अपने व्यापार मॉडल को उस स्तर पर निर्धारित करती है जो यह दर्शाता है कि यह अपने व्यावसायिक उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों के समूहों का प्रबंधन कैसे करती है। कंपनी के व्यापार मॉडल का मूल्यांकन लिखत–दर–लिखत आधार पर नहीं किया जाता है, बल्कि कुल पोर्टफोलियो के उच्च स्तर पर किया जाता है।

कंपनी बिजली क्षेत्र की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में ऋण देने के कारोबार में लगी है और इस तरह के ऋणों को ऋण के कार्यकाल में संविदात्मक भुगतान (मूलधन और ब्याज सहित) एकत्रित करके नकदी प्रवाह बनाए रखने के लिए प्रबंधित किया जाता है। इसके अलावा, ऋण निवेश की प्रकृति में निवेश और सहमत शर्तों के अनुसार संविदागत भुगतान एकत्रित करने के लिए कंपनी द्वारा निवेश और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां भी रखी जा सकती हैं।

अतः कंपनी का व्यवसाय मॉडल ऋणों, कुछ वित्तीय निवेशों और अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए "इकट्ठा करने के लिए रोक कर रखें" के सिद्धांत पर आधारित है। यदि संविदागत शर्तें ऐसे नकदी प्रवाह को बढ़ावा देती हैं जो केवल मूलधन और बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान हैं, तो ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को ऋणमोचित लागत पर मापा जाता है।

(ध) ऋणमोचित लागत कारोबार से बिक्री के लिए नीति

"कंपनी व्यवसाय की साधारण प्रक्रिया में ऋण परिसंपत्तियों सहित वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री का सहारा नहीं लेती है।

हालांकि, कंपनी भारत में विनियामक ढांचे के अनुसार, क्रेडिट–क्षतिग्रस्त परिसंपत्ति के संबंध में देय राशि की वसूली के लिए आगे बढ़ सकती है। इसके परिणामस्वरूप, क्रेडिट क्षतिग्रस्त ऋण को आईबीसी की कार्यवाही के हिस्से के रूप में अथवा अन्यथा या तो पुनर्गठित/पुनर्निर्मित या व्यवस्थित किया जा सकता है और भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस) 109 – वित्तीय लिखत की आवश्यकताओं के अनुसार मान्यता रद्द करने के लिए उनका मूल्यांकन किया जाता है।

कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अलावा क्रेडिट–क्षतिग्रस्त परिसंपत्तियों की बिक्री/खरीद के संबंध में कोई भी लेनदेन नहीं किया है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
आईबीसी कार्यवाही के हिस्से के रूप में बेचे / निपटाए गए खातों की संख्या	1	1.00
सकल बकाया (₹ करोड़ में)	510.98	236.80
प्राप्त सकल राशि (₹ करोड़ में)	329.13	124.13

(न) कंपनी ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी भी प्रतिभूतिकरण/असाइनमेंट लेनदेन नहीं किया है। इसके अलावा, परिसंपत्ति के पुनर्निर्माण के लिए किसी भी परिसंपत्ति का प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण करने के लिए नहीं बेचा गया है।

(प) ऐसे खाते, जो 90 दिनों से अधिक की अवधि से अधिदेय (ओवरड्यू), लेकिन उन्हें क्रेडिट क्षतिग्रस्त नहीं माना गया है (आरबीआई के कोविड–19 राहत पैकेज के तहत राहत देने वाले खातों को छोड़कर)।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	खातों की संख्या	कुल बकाया राशि	अधिदेय राशि
31.03.2021 के अनुसार	-	-	-
31.03.2020 के अनुसार	1	2,342.00	2,244.97

वर्ष के दौरान, ऋणकर्ताओं में से एक मेसर्स आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड पुनर्गठित हुआ है और पुनर्रचित अनुसूची के अनुसार देय को पूरा कर रही है। 31 मार्च 2020 को मद्रास के माननीय उच्च न्यायालय के एड–अंतरिम आदेश के कारण इसे ऋण क्षतिग्रस्त के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था।

(फ) आरबीआई के दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के परिपत्र संख्या डी.ओ.आर. नं. बीपी.बीसी. 63/21.04.048/2020–21 के अनुसरण में आ. रबीआई परिपत्र कोविड–19 विनियामक पैकेज के संबंध में अधिस्थगन और परिसंपत्तियाँ वर्गीकरण के संबंध में प्रकटन:

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
(i)	एसएमए/अधिदेय श्रेणियों में संगत राशियां, जहां अधिस्थगन अवधि को बढ़ाया गया।	0	1460.22
(ii)	संगत राशि जहां परिसंपत्ति वर्गीकरण का लाभ बढ़ाया गया।	0	23.37
(iii)	किए गए सामान्य प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में
(iv)	चूक के वर्ष के दौरान समायोजित किए गए सामान्य प्रावधान और अवशिष्ट प्रावधान।	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में	नीचे दी गई टिप्पणी के संदर्भ में

नोट– कंपनी, एनबीएफसी होने के नाते, निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित ईसीएल कार्यप्रणाली के अनुसार भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) 109 के अनुसार अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) का प्रावधान करती है। हालांकि, नीचे नोट (य) में आईआरएसीपी मानदंडों के अनुसार आवश्यक प्रावधानों की गणना के लिए आरबीआई आईआरएसीपी मानदंडों के तहत आवश्यक प्रावधानों पर विचार किया गया है।

(ब) आरबीआई की आय मान्यता, परिसम्पत्ति वर्गीकरण और प्रावधान शर्तों (आईआरएसीपी) के अनुसार आवश्यक प्रावधान और भारतीय लेखांकन मानक (इंड–एएस) के अनुसार क्षतिपूर्ति भत्ते के बीच तुलना

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	इंड–एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड–एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड–एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड–एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	356,273.17	357,285.43	1,273.37	356,012.06	2,304.84	(1031.47)
	स्तर 2	2,888.05	2,925.24	141.43	2,783.81	145.62	-4.19
उप जोड़ (1)		**359,161.22**	**360,210.67**	**1,414.80**	**358,795.87**	**2,450.46**	**(1035.66)**
गैर–प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	36.31	36.31	3.63	32.68	3.63	-
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	560.99	560.99	303.81	257.18	301.24	2.57
1 से 3 वर्ष तक	स्तर 3	13,786.04	13,786.04	8,514.57	5,271.46	6,913.49	1601.08
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,856.37	3,856.37	2,952.08	904.29	2,665.23	286.85
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		**18,203.40**	**18,203.40**	**11,770.46**	**6,432.93**	**9,879.96**	**1890.50**
हानि परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए (2) के लिए उपजोड़		**18,256.93**	**18,256.93**	**11,791.31**	**6,465.61**	**9,900.81**	**1,890.50**
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		**377,418.15**	**378,467.60**	**13,206.11**	**365,261.48**	**12,351.27**	**854.84**
अन्य मदें जो इंड–एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र*	स्तर 1	2,617.94	2,617.94	9.09	2,608.85	-	9.09
उप–जोड़ (3)		**2,617.94**	**2,617.94**	**9.09**	**2,608.85**	**-**	**9.09**
जोड़	**स्तर 1**	**358,891.11**	**359,903.37**	**1,282.46**	**358,620.91**	**2,304.84**	**(1022.38)**
	स्तर 2	**2,888.05**	**2,925.24**	**141.43**	**2,783.81**	**145.62**	**(4.19)**
	स्तर 3	**18,256.93**	**18,256.93**	**11,791.31**	**6,465.61**	**9,900.81**	**1,890.50**
	कुल	**380,036.09**	**381,085.54**	**13,215.20**	**367,870.33**	**12,351.27**	**863.93**

**इंडएएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर–निधि आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आरबीआई मानदंड के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	इंड–एएस 109 के अनुसार वर्गीकृत परिसंपत्तियाँ	बकाया राशि	इंड–एएस के अनुसार सकल धारित राशि	इंड–एएस 109 के अधीन अपेक्षित हानि भत्ते (प्रावधान)	निवल धारित राशि	आईआरएसीपी मानदंड के अनुसार अपेक्षित प्रावधान	इंड–एएस 109 प्रावधान एवं आईआरएसीपी मानदंड के मध्य विभिन्नता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)=(5)-(7)
प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
मानक	स्तर 1	298,737.86	300,392.16	480.08	299,912.08	1,779.27	(1299.19)
	स्तर 2	2,431.27	2,431.83	963.83	1,468.00	702.28	261.55
उप जोड़ (1)		**301,169.13**	**302,823.99**	**1,443.91**	**301,380.08**	**2,481.55**	**(1037.64)**
गैर–प्रदर्शित परिसंपत्तियाँ							
अवमानक परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	2,037.61	2,037.61	468.91	1,568.70	203.76	265.15
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ							
1 वर्ष तक	स्तर 3	3,973.02	3,973.02	1,646.55	2,326.47	1,282.92	363.63
1 से 3 वर्ष तक	स्तर 3	11,276.57	11,276.57	5,724.26	5,552.30	6,024.78	(300.52)
3 वर्ष से अधिक	स्तर 3	3,951.13	3,951.13	2,695.19	1,255.94	2,787.48	-92.29
संदिग्ध परिसंपत्तियाँ के लिए उपजोड़		**19,200.72**	**19,200.72**	**10,066.00**	**9,134.71**	**10,095.18**	**(29.18)**
हानि परिसंपत्तियाँ	स्तर 3	17.22	17.22	17.22	-	17.22	-
एनपीए (2) के लिए उपजोड़		**21,255.55**	**21,255.55**	**10,552.13**	**10,703.41**	**10,316.16**	**235.97**
कुल ऋण परिसंपत्तियाँ		**322,424.68**	**324,079.54**	**11,996.04**	**312,083.49**	**12,797.71**	**(801.67)**
अन्य मदें जो इंड–एस 109 के दायरे में हैं, लेकिन आईआरएसीपी मानदंडों के तहत कवर नहीं किए गए हैं							
सुविधा पत्र*	स्तर 1	959.67	959.67	8.38	951.29	-	8.38
उप–जोड़ (3)		**959.67**	**959.67**	**8.38**	**951.29**	**-**	**8.38**
जोड़	**स्तर 1**	**299,697.53**	**301,351.83**	**488.46**	**300,863.37**	**1,779.27**	**(1290.81)**
	स्तर 2	**2,431.27**	**2,431.83**	**963.83**	**1,468.00**	**702.28**	**261.55**
	स्तर 3	**21,255.55**	**21,255.55**	**10,552.13**	**10,703.41**	**10,316.16**	**235.97**
	कुल	**323,384.35**	**325,039.21**	**12,004.42**	**313,034.78**	**12,797.71**	**(793.29)**

**इंडएएस 109 के अनुसार सुविधा पत्र (एलओसी) के लिए सकल वहन राशि वित्तीय गारंटी के रूप में माने जाने वाले गैर–निधि आधारित अनावरण का प्रतिनिधित्व करती है।*

52.1.4 ट्रेड प्राप्य के लिए प्रत्याशित क्रेडिट हानि

कंपनी आरईसीपीडीसीएल, आरईसी की एक सहायक कंपनी के ट्रेड प्राप्य के संबंध में ईसीएल पद्धति के तहत सरलीकृत दृष्टिकोण का प्रयोग करके जीवन पर्यन्त ऋण हानियों का प्रावधान करती है।

(₹ करोड़ में)

विवरण	1 वर्ष से कम	1 वर्ष – 2 वर्ष	2 वर्ष – 3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	124.45	22.85	32.47	46.80	226.57
प्रत्याशित हानि दरें	15.36%	19.04%	49.98%	100.00%	38.18%
प्रत्याशित ऋण हानि (प्रावधान)	19.12	4.35	16.23	46.80	86.50
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	105.33	18.50	16.24	-	140.07
31 मार्च 2020 के अनुसार					
सकल धारित मूल्य	71.77	50.3	16.48	33.60	171.88
प्रत्याशित हानि दरें	15.61%	23.85%	36.89%	100.00%	36.54%
प्रत्याशित ऋण हानि (प्रावधान)	11.20	11.93	6.08	33.60	62.81
धारित राशि (इंपेयरमेंट का निवल)	60.57	38.10	10.40	-	109.07

52.2 तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिसमें कंपनी को अपनी उन वित्तीय देयताओं से संबद्ध दायित्वों को पूरा करने में कठिनाई का सामना करना होगा जिनका निपटान नकद अथवा अन्य वित्तीय परिसंपत्ति की सुपुर्दगी कर किया जाता है। परिसमापन का प्रबंधन करने में कंपनी का दृष्टिकोण यथासंभव सुनिश्चित करना है कि उसकी देयताएं देय होने पर उन्हें पूरा करने के लिए उसमें पर्याप्त समापन हो।

कंपनी मिश्रित कार्यनीतियों के माध्यम से अपने तरलता जोखिम का प्रबंधन करती है जिनमें प्रस्तावित संवितरणों के आधार पर अग्रवर्ती संसाधन जुटाना और दायित्वों को पूरा करना शामिल है। कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की मॉनीटरिंग करती है।

कंपनी पर्याप्त बैंक शेष, अल्पावधि निवेश बनाए रखती है जो नकद तथा पर्याप्त उधार और निरंतर पूर्वानुमान तथा वास्तविक नकद प्रवाह की मॉनीटरिंग करके ओवरड्राफ्ट सुविधाओं में तैयार रूप से बदले जा सकते हैं।

52.2.1 भविष्य के अनडिस्काउंटेड नकदी प्रवाह का परिपक्वता पैटर्न

नकदी वित्तीय देनदारियों की वस्तुओं की ओर बहती है (भविष्य की अघोषित नकदी प्रवाह मूलधन और ब्याज की ओर प्रस्तुत) जो निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1–7 दिनों तक	8–14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएंः											
रूपी उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियां											
–मूल	-	-	1,055.00	600.00	3,520.00	6,486.80	25,852.18	46,211.21	44,523.75	75,813.29	204,062.23
–ब्याज	-	379.26	429.06	1,313.74	1,981.43	3,293.77	7,839.85	22,724.28	16,731.83	27,588.05	82,281.27
अन्य उधारियाँ											
– मूल	-	350.00	2,400.00	7,099.52	4,137.00	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.90	10,000.00	58,925.15
–ब्याज	208.60	4.26	85.39	199.76	458.88	565.70	1,388.04	4,370.69	2,293.36	2,653.21	12,227.90
अधीनस्थ देयताएं											
– मूल	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	-	4,150.70	6,650.70
–ब्याज	-	-	-	201.50	162.21	-	192.96	1,107.77	704.25	1,375.22	3,743.91
विदेशी मुद्रा उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूल	-	-	-	-	-	-	-	8,820.56	12,128.28	5,512.87	26,461.71
–ब्याज	-	-	-	220.52	64.14	194.94	485.15	1,841.77	670.06	395.99	3,872.57
अन्य उधारियाँ											
– मूल	-	-	551.29	551.29	45.31	12.51	6,797.99	8,043.62	4,575.17	5,776.64	26,353.82
–ब्याज	8.81	1.21	7.27	68.26	60.15	130.44	246.98	841.03	615.06	800.45	2,779.66
व्युत्पन्न देयताएंः											
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	0.00	29.88	343.06	30.71	0.00	403.65
मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	-	16.48	104.60	121.08
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	-	19.67	258.66	278.33
सीगल ऑप्शन	-	-	24.92	18.33	-	-	-	-	-	-	43.25

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	1–7 दिनों तक	8–14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
गैर–व्युत्पन्न वित्तीय देयताएं:											
रुपी उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूल	-	-	463.40	503.64	5,940.51	12,739.42	19,109.00	57,825.05	36,677.47	58,147.32	91,405.81
– ब्याज	-	379.26	242.78	937.01	2,166.66	3,488.47	7,032.41	21,092.29	14,197.97	19,934.11	69,470.96
अन्य उधारियाँ											
– मूल	-	-	505.08	600.08	500.08	2,160.09	1,567.21	11,454.18	5,820.02	10,050.02	32,656.76
– ब्याज	244.00	15.01	83.73	130.49	352.45	383.51	1,107.43	3,565.31	2,027.49	3,708.64	11,618.06
अधीनस्थ देयताएं											
– मूल	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,151.20	4,651.20
–ब्याज	-	-	-	201.50	-	-	192.96	788.93	587.95	772.38	2,543.72
विदेशी मुद्रा उधारियाँ											
ऋण प्रतिभूतियां											
– मूल	-	-	-	-	-	-	3,015.44	-	13,946.39	5,653.95	22,615.78
–ब्याज	-	-	-	138.14	112.53	200.74	453.70	1,620.81	1,261.85	642.18	4,429.95
अन्य उधारियाँ											
– मूल	-	-	-	565.39	609.10	4,013.52	8,505.00	6,642.72	7,812.60	587.58	28,735.91
– ब्याज	22.35	1.76	20.98	36.08	46.93	223.97	236.64	518.73	201.15	17.93	1,326.52
व्युत्पन्न देयताएं:											
ब्याज दर स्वैप	-	-	-	-	-	-	58.63	190.17	337.26	-	586.06
रिवर्स क्रॉस मुद्रा स्वैप	-	-	-	-	-	-	-	-	75.15	664.52	739.67
सीगल ऑप्शन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

पुट एंड कॉल ऑप्शन वाले बॉण्ड्स को सबसे जल्दी क्रियान्वित की जाने वाली तारीख पर विचार करते हुए दर्शाया गया है। व्युत्पन्न वित्तीय देनदारियों के लिए तरलता विश्लेषण व्युत्पन्न अनुबंध के उचित मूल्यों पर आधारित है और परिपक्वता बकेट, संबंधित व्युत्पन्न लिखत के शेष कार्यकाल के आधार पर निकाली गई है।

वित्तीय देयताओं के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण नकद प्रवाह का वित्तपोषण निम्नलिखित रूप में ऋणों से छूटहीन नकद प्रवाहों (मूल तथा ब्याज) के माध्यम से किया जाएगा:

(₹ करोड़ में)

विवरण	1–7 दिनों तक	8–14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
31 मार्च 2021 के अनुसार											
– मूल	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	8,947.33	17,793.88	72,044.11	67,832.43	188,262.69	**364,212.04**
–ब्याज	117.12	4.00	880.36	1,331.57	5,715.61	9,108.12	17,306.39	60,195.92	45,576.96	77,702.45	**217,938.50**
31 मार्च 2020 के अनुसार											
– मूल	29.56	13.40	547.04	306.00	3,638.03	7,626.38	15,889.84	63,791.10	55,014.93	163,572.36	**310,428.64**
–ब्याज	11.86	2.28	598.86	250.00	6,103.36	7,819.74	14,756.16	51,025.65	38,311.76	71,028.36	**189,908.03**

स्तर III की परिसंपत्तियों से संबंधित मूल नकदी प्रवाह, प्रत्याशित क्रेडिट हानि के निवल को परिपक्वता तिथि के बावजूद 5 वर्ष से अधिक के बकेट में विचार किया गया है।

52.2.2 आरबीआई द्वारा यथानिर्धारित, महत्वपूर्ण वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं का परिपक्वता पैटर्न

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2021 के अनुसार	1–7 दिनों तक	8–14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	878.97	-	1,866.73	1,747.68	4,838.22	9,451.43	17,793.88	72,044.11	67,832.43	188,808.04	**365,261.49**
निवेश			0.31	-	-	-	37.80	100.64	136.13	1,448.81	**1,723.68**
रूपी उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां		367.83	1,462.17	1,143.76	5,127.49	8,436.25	28,242.92	46,217.54	44,490.29	75,720.46	**211,208.71**
अन्य उधारियां		350.00	2,431.14	7,099.52	4,462.12	1,526.67	3,658.51	20,600.55	9,152.91	9,999.99	**59,281.41**
अधीनस्थ देयताएं		-	-	168.38	129.51	-	1.60	2,499.52	-	4,147.88	**6,946.89**
विदेशी मुद्रा उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	-	-	62.02	213.39	8,768.94	12,094.51	4,921.54	**26,060.40**
अन्य उधारियां	6.59	-	551.29	557.44	68.01	12.51	6,785.72	7,968.17	4,505.29	5,770.93	**26,225.95**

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2020 के अनुसार	1–7 दिनों तक	8–14 दिनों तक	15 दिनों से अधिक एवं 1 माह तक	1 माह से अधिक एवं 2 माह तक	2 माह से अधिक एवं 3 माह तक	3 माह से अधिक एवं 6 माह तक	6 माह से अधिक एवं 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक एवं 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
ऋण परिसंपत्तियां	29.56	13.40	547.04	306.00	3,638.03	8,565.24	15,889.84	63,791.10	55,014.93	164,288.36	**312,083.50**
इक्विटी पद्धति का उपयोग करके निवेश का लेखांकन	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258.47	**258.47**
निवेश		-	-	-	-	-	1,501.45	22.93	-	602.73	**2,127.11**
रूपी उधारियां											
ऋण प्रतिभूतियां	-	426.00	694.17	712.47	7,589.45	14,788.18	21,131.97	57,816.85	36,641.24	58,053.36	**197,853.69**
अन्य उधारियां	-	-	507.08	600.08	826.89	2,160.09	1,567.21	11,454.18	5,820.02	10,050.02	**32,985.57**
अधीनस्थ देयताएं	-	-	-	168.47	-	-	2.11	-	2,499.33	2,149.74	**4,819.65**
विदेशी मुद्रा उधारियां	-										
ऋण प्रतिभूतियां	-	-	-	106.20	66.41	63.61	2,994.65	-	13,849.28	4,984.41	**22,064.56**
अन्य उधारियां	13.00	1.21	17.17	572.29	611.79	4,032.85	8,471.94	6,567.71	7,689.56	587.57	**28,565.09**

52.2.3 वित्तपोषण उपाय

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में कंपनी के पास आहरित उधारी सुविधाओं तक पहुंच थी:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
एक वर्ष के भीतर की समाप्त हो रही अवधि (नकद ऋण और अन्य सुविधाएं)		
– स्थाई दर	5,547.28	8,780.00
एक वर्ष के बाद समाप्त हो रही अवधि (ऋण/उधार)		
– स्थाई दर	-	497.82

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

52.2.4 तरलता जोखिम प्रबंधन पर आरबीआई के परिपत्र के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

कंपनी ने एक प्रभावी परिसंपत्ति देयता प्रबंधन प्रणाली लागू की है और साथ ही एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति ("एएलसीओ") भी गठित की है जो तरलता अंतराल विश्लेषण की सहायता से तरलता जोखिम की निगरानी करता है। कंपनी लगातार अनुमानित और वास्तविक नकदी प्रवाह की निगरानी करती है और तदनुसार पर्याप्त बैंक शेष, ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, अल्पावधि निवेश को बनाए रखती है जो नकदी में आसानी से परिवर्तनीय और पर्याप्त उधार योजनाएं हैं।

(i) महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष के आधार पर वित्त संकेंद्रण (उधारियाँ)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षों की संख्या*	20	14
राशि (₹ करोड़ में)	182,250.87	125,850.36
कुल देयताओं का %	51.04%	40.38%

(ii) शीर्ष 10 उधारियाँ

(₹ करोड़ में)

	विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल उधारियों का %
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से आवधिक ऋण	10,839.90	3.36%	7,299.92	2.61%
2	भारत सरकार–नेशनल स्माल सेविंग फंड (एनएसएसएफ) से आवधिक ऋण	10,000.00	3.10%	10,000.00	3.57%
3	54 ईसी श्रृंखला XII (2018–19)	6,651.77	2.06%	6,651.77	2.38%
4	54 ईसी श्रृंखला – XIII (2019–20)	6,157.72	1.91%	5,759.14	2.06%
5	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) से आवधिक ऋण	5,800.00	1.80%	-	0.00%
6	विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस $700 मिलियन बॉण्ड	5,145.33	1.60%	5,277.01	1.88%
7	संस्थागत बॉण्ड –182वीं श्रृंखला	5,063.00	1.57%	5,063.00	1.81%
8	संस्थागत बॉण्ड – 203वीं ए श्रृंखला	5,000.00	1.55%	-	0.00%
9	विदेशी मुद्रा बॉण्ड – यूएस $650 मिलियन बॉण्ड	4,777.81	1.48%	4,900.08	1.75%
10	एचडीएफसी से आवधिक ऋण	4,650.00	1.44%	-	0.00%
11	संस्थागत बॉण्ड –114वीं श्रृंखला	-	-	4,300.00	1.54%
12	54 ईसी श्रृंखला XI (2017–18)	-	-	9,565.23	3.42%
13	संस्थागत बॉण्ड – 105वीं श्रृंखला	-	-	3,922.20	1.40%
	कुल	**64,085.53**	**19.87%**	**62,738.35**	**22.40%**

(iii) महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के आधार पर वित्त संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

	महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के नाम*	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
		राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
1.	**ऋण प्रतिभूतियां**				
	संस्थागत बॉण्ड	173,326.60	48.54%	152,120.20	48.81%
	विदेशी मुद्रा बॉण्ड	26,461.71	7.41%	22,615.78	7.26%
	54 ईसी कैपिटल गेन टैक्स एक्जेम्पशन बॉण्ड	18,121.59	5.07%	22,376.33	7.18%
	टैक्स फ्री बॉण्ड	12,602.97	3.53%	12,602.97	4.04%
	उप– जोड़ (1)	**230,512.87**	**64.55%**	**209,715.28**	**67.30%**
	कमर्शियल पेपर	-	-	2,925.00	0.94%
	जीरो कूपन बांड	-	-	1,364.85	0.44%
	इंफ्रास्ट्रक्चर बांड	11.07	0.00	16.46	0.01%
2.	**उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियां के अलावा)**				

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

महत्वपूर्ण इन्स्ट्रुमेंट/उत्पादों के नाम*	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %	राशि (₹ करोड़ में)	कुल देयताओं का %
बैंकों से आवधिक ऋण	29,938.58	8.38%	18,899.78	6.06%
विदेशी मुद्रा उधारियाँ	21,024.72	5.89%	21,762.71	6.98%
बैंकों से मांग पर प्रतिदेय ऋण	10,186.52	2.85%	-	-
भारत सरकार से आवधिक ऋण	10,000.00	2.80%	10,000.00	3.21%
वित्तीय संस्थानों से आवधिक ऋण	5,800.00	1.62%	-	0.00%
एफसीएनआर (ख) ऋण	5,329.10	1.49%	6,973.20	2.24%
उप– जोड़ (2)	**82,278.92**	**23.04%**	**57,635.69**	**18.49%**
3. अधीनस्थ देयताएँ	**6,650.70**	**1.86%**	**4,651.20**	**1.49%**
जोड़ (1+2+3)	**319,442.49**	**89.45%**	**272,002.17**	**87.28%**

(iv) स्टॉक अनुपातः

विवरण	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताएं का %	कुल परिसंपत्तियों का %	राशि (₹ करोड़ में)	सार्वजनिक निधि का %	कुल देयताएं का %	कुल परिसंपत्तियों का %
कमर्शियल पेपर	-	-	-	-	2,925.00	1.04%	0.94%	0.84%
गैर–परिवर्तनीय डिबेंचर जिसमें एक वर्ष से कम की परिपक्वता है	-	-	-	-	-	-	-	-
अन्य अल्पावधि देयताएं	20,849.39	6.47%	5.84%	5.20%	10,829.62	3.87%	3.48%	3.12%

*महत्वपूर्ण प्रतिपक्ष/महत्वपूर्ण लिखत/उत्पाद को कंपनी के कुल देनदारियों के 1% से अधिक के लिए एकीकृत रूप में जुड़े हुए अथवा संबद्ध प्रतिपक्षों के एकल प्रतिपक्ष/एकल लिखत/उत्पाद या समूह जुड़े या संबद्ध प्रतिपक्षों के रूप में परिभाषित किया जाता है।

(v) परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने दिनांक 04 नवंबर, 2019 के परिसमापन ढांचे द्वारा 01 दिसंबर, 2020 से ₹10,000 करोड़ से अधिक की परिसंपत्ति के आकार वाली जमा न करने वाली गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर) बनाए रखे जाना निर्धारित किया है। आरबीआई के इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनी के पास बिना भार वाली उच्च गुणवत्ता वाली परिसमाप्त परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का पर्याप्त स्टॉक है, जिसे काफी गंभीर परिसमापन दबाव के परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस के क्षितिज के लिए अपनी परिसमापन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आसानी से और तत्काल नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है।

एलसीआर निम्नलिखित द्वारा दर्शाया गया हैः

उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों का स्टॉक

अगले 30 कैलेंडर दिवसों में कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह,

जहां,

(i) कुल निवल नकदी बहिर्प्रवाह को अगले 30 कैलेंडर दिवसों के लिए कुल अपेक्षित नकदी बहिर्प्रवाह से कुल अपेक्षित नकदी अंतर्प्रवाह घटाने के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां नकदी प्रवाह को आरबीआई द्वारा निर्धारित एक पूर्वनिर्धारित दबाव प्रतिशत दिया गया है।

(ii) उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों (एचक्यूएलए) का अर्थ ऐसी परिसमापन परिसंपत्तियां हैं जिन्हें आसानी से बेचा जा सकता है अथवा तत्काल बहुत कम अथवा बिना हानि के मूल्य पर नकदी में परिवर्तित किया जा सकता है अथवा दबाव परिदृश्यों की एक श्रृंखला में धनराशि प्राप्त करने के लिए संपार्श्विक के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है।

एलसीआर की आवश्यकता 1 दिसंबर, 2020 से एनबीएफसी के लिए बाध्यकारी है, जिसमें न्यूनतम एचक्यूएलए एलसीआर का 50% होना चाहिए, जो 1 दिसंबर, 2024 तक उत्तरोत्तर 100% के आवश्यक स्तर तक पहुंच जाना चाहिए।

कंपनी 1 दिसंबर, 2021 से 28 फरवरी, 2021 तक मासिक टिप्पणियों पर @50% की दर से एलसीआर बनाए रख रही है और उसके बाद प्रति दिन के आधार पर (तथापि आरबीआई ने केवल 01 अप्रैल, 2021 से प्रति दिन के आधार पर एलसीआर निर्धारित किया है)।

वर्तमान में, एचक्यूएलए निवेश सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक)/राज्य विकास ऋण (एसडीएल) प्रतिभूतियों और एएए/एए कॉरपोरेट बॉन्ड और बैंकों के साथ ऑटो स्वैप बैलेंस के रूप में भारतीय रुपये में किए जाते हैं।

एचक्यूएलए का गठनः

एचक्यूएलए के स्टॉक में से, सरकारी प्रतिभूतियां एचक्यूएलए का उच्चतम अनुपात है जिसके बाद एएए/एए कॉरपोरेट बॉन्ड और ऑटो स्वैप बैलेंस आते हैं। 31 मार्च, 2021 को एचक्यूएलए धारण की स्थिति निम्नलिखित हैः

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एचक्यूएलए मदें	समग्र का %
हेयरकट के बिना परिसंपत्तियां	**82%**
– नकद और नकद समतुल्य	23%
– जी–सेक और एसडीएल	59%
15% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	**18%**
– कॉरपोरेट बॉन्ड	18%
50% हेयरकट वाली परिसंपत्तियां	**-**
कुल	**100%**

परिसमापन कवरेज अनुपात प्रकटन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त तिमाही		31.03.2020 को समाप्त तिमाही	
	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*	कुल अभारित मूल्य (औसत)*	कुल भारित मूल्य (औसत)*
उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां				
कुल उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां (एचक्यूएलए)	2,151.50	2,120.54	2,249.00	2,221.13
– एए/एएए कॉर्पोरेट बांड	206.39	175.43	185.81	157.94
– जी–सेक बांड/राज्य विकास ऋण (एसडीएल)	483.29	483.29	345.69	345.69
– बैंक ऑटोस्वैप	1,461.82	1,461.82	1,717.50	1,717.50
नकदी बहिर्प्रवाह				
अन्य संविदात्मक वित्तपोषण दायित्व	11,720.66	13,478.76	10,418.50	11,981.28
अन्य आकस्मिक वित्तपोषण दायित्व	2,193.98	2,523.08	1,970.25	2,265.78
कुल नकद बहिर्प्रवाह	**13,914.64**	**16,001.84**	**12,388.75**	**14,247.06**
नकदी अंतर्प्रवाह				
पूरी तरह से निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्प्रवाह	7,480.10	5,610.08	6,789.11	5,091.83
अन्य नकदी अंतर्प्रवाह	11,807.52	8,855.64	6,290.00	4,717.50
कुल नकदी अंतर्प्रवाह	**19,287.63**	**11,760.86**	**13,079.11**	**9,809.33**
कुल समायोजित मूल्य				
कुल एचक्यूएलए		**2,120.54**		**2,221.13**
कुल निवल नकद बहिर्प्रवाह		**4,240.98**		**4,437.73**
परिसमापन कवरेज अनुपात (एलसीआर)		**50.00%**		**50.05%**

**औसतन, 31.01.2021, 28.02.2021 को टिप्पणियों और मार्च, 2021 के दौरान दैनिक अवलोकनों पर विचार किया गया है।*

52.3 बाजार जोखिम – मुद्रा जोखिम

कंपनी के समक्ष विदेशी मुद्रा जोखिम का खतरा है, जो मुख्य रूप से यूएस डॉलर, यूरो और जेपीवाई और एसजीडी में विभिन्न विदेशी मुद्रा में लिए गए ऋणों से संबंधित है। इन ऋणों के कारण ब्याज दर का जोखिम भी सामने आया क्योंकि अधिकांश ऋणों पर एलआईबीओआर, एसओआर आदि से जुड़ी ब्याज दर लागू होती है। कंपनी की एक जोखिम प्रबंधन नीति है, जिसका उद्देश्य कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा से इतर किसी अन्य मुद्रा में मूल्यवर्गित ऋणों से उत्पन्न विदेशी मुद्रा और उसके ऋण पर ब्याज दर को हेज़ करना है। कंपनी विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं, अग्रवर्ती संविदाओं, क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप के संयोजन का उपयोग करती है ताकि विदेशी मुद्रा और ब्याज दर जोखिम को कम किया जा सके।

वर्तमान में एक परिसंपत्ति देयता प्रबंधन समिति (एएलसीओ) अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में सदस्यों के रूप में वित्त एवं प्रचालन प्रभागों से निदेशक, कार्यकारी निदेशक और मुख्य महाप्रबंधकों के साथ कार्य कर रही है। एएलसीओ विभिन्न व्युत्पन्नात्मक दस्तावेजों के माध्यम से प्रबंधित विनिमय दर और ब्याज दर के साथ विदेशी मुद्रा जोखिम की मॉनीटरिंग करती है। कंपनी विदेशी मुद्रा अग्रवर्ती संविदाओं, मुद्रा विकल्पों, केवल मूल स्वैप्स और अग्रवर्ती दर करारों जैसे विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से विनिमय दर शामिल करने के लिए विभिन्न व्युत्पन्नात्मक लेन–देन करती है। ये व्युत्पन्नात्मक लेन–देन हेजिंग प्रयोजन के लिए किए जाते हैं न कि व्यापार अथवा सट्टा प्रयोजन के लिए।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

विदेशी मुद्रा ऋण प्रतिभूतियों और उधार के संबंध में कंपनी ने विदेशी मुद्रा स्थिति को घेरने के लिए क्रॉस करेंसी स्वैप (मूल और/अथवा ब्याज) भी निष्पादित किया है। 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार, विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की बकाया स्थिति निम्नलिखित है:

(विदेशी मुद्रा राशि मिलियन में, भारतीय रुपए के समतुल्य ₹ करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	कुल एक्सपोजर	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
अमेरिकी डॉलर $	6,893.85	3,500.00	3,393.85	6,591.96	4,070.00	2,521.96
भारतीय रुपए के समतुल्य	50,673.04	25,726.65	24,946.39	49,694.10	30,682.06	19,012.04
जापानी येन ¥	21,600.36	20,845.99	754.37	11,755.14	10,623.67	1,131.47
भारतीय रुपए के समतुल्य	1,433.40	1,383.34	50.06	818.75	739.94	78.81
यूरो €	36.85	11.40	25.45	55.15	29.70	25.45
भारतीय रुपए के समतुल्य	317.30	98.12	219.18	458.04	246.69	211.35
एसजीडी $	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	391.79	391.79	-	380.80	380.80	-
कुल	**52,815.53**	**27,599.90**	**25,215.63**	**51,351.69**	**32,049.49**	**19,302.20**

संवेदनशीलता विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका अन–हेज्ड एक्सपोजर पर आईएनआर के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनिमय में 5 प्रतिशत परिवर्तन के लिए एफसीएमआईटीडीए (लाभ/(हानि) सहित लाभ एवं हानि पर प्रभाव को दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	अनुकूल	प्रतिकूल	अनुकूल	प्रतिकूल
अमेरिकी डॉलर/भारतीय रुपया	933.39	(933.39)	711.35	(711.35)
जापानी येन/भारतीय रुपया	1.87	(1.87)	2.95	(2.95)
यूरो/भारतीय रुपया	8.20	(8.20)	7.91	(7.91)

अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए

हेज़ एकाउंटिंग (लेखांकन)

कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम और नकदी प्रवाह हेजेज में ब्याज दर जोखिम के संबंध में हेजिंग लिखतों के रूप में कुछ व्युत्पन्न नामित करती है। वैकल्पिक संविदाओं के लिए कंपनी विकल्प के समय मूल्य को छोड़कर हेज आइटम के रूप में वैकल्पिक संविदाओं के केवल आंतरिक मूल्य को ही नामित करती है। विकल्प के संरेखित समय मूल्य के उचित मूल्य में परिवर्तन को अन्य व्यापक आय में मान्यता दी जाती है और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचित किया जाता है। हेजिंग संबंध की शुरुआत में विकल्पों का समय मूल्य एक सीधी रेखा के आधार पर लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

हेज अप्रभावशीलता हेज संबंध की शुरुआत में और समय–समय पर संभावित प्रभावशीलता के आकलन के माध्यम से यह सुनिश्चित करने के लिए कि हेज किए गए आइटम और हेजिंग लिखत के बीच एक आर्थिक संबंध मौजूद है, के माध्यम से निर्धारित की जाती है। कंपनी निम्नलिखित प्रभावशीलता परीक्षण रणनीतियां लागू करती है;

(i) क्रॉस करेंसी स्वैप और ब्याज दर स्वैप, जो हेज की गई मदों की शर्तों से बिल्कुल मेल खाता है, के लिए आर्थिक संबंध और हेज प्रभावशीलता गुणात्मक कारकों पर आधारित हैं जिसमें महत्वपूर्ण शब्दों से मेल वाली पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

(ii) अन्य ब्याज दर स्वैप (देर से पदनामित किए जाने के मामलों में) के लिए कंपनी एक काल्पनिक व्युत्पन्नों (डेरिवेटिव) का उपयोग करके डॉलर ऑफसेट विधि का उपयोग करती है। डॉलर ऑफसेट विधि एक मात्रात्मक विधि है जिसमें हेजिंग लिखत के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन की हेज किए गए जोखिम के कारण हेज किए गए आइटम के उचित मूल्य या नकदी प्रवाह में परिवर्तन के साथ तुलना करना शामिल होता है।

(iii) विकल्प संरचनाओं के लिए, कंपनी डॉलर ऑफसेट पद्धति के आधार पर कठोर प्रतिगमन विश्लेषण आधारित विधि का उपयोग करके हेजिंग लिखत और हेज किए गए आइटम के व्यवहार का विश्लेषण करती है।

कंपनी ने हेजिंग संबंधों के लिए 1:1 का हेज अनुपात स्थापित किया है क्योंकि हेजिंग लिखत के अन्तर्निहित जोखिम और आकस्मिक मात्रा समान है।

हेज लेखांकन का प्रभाव

(क) तुलन पत्र पर हेज लेखांकन पर प्रभाव

(₹ करोड़ में)

31.03.2021 के अनुसार जोखिम एवं हेज के प्रकार		राष्ट्रीय मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के धारित राशि		पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
			परिसंपत्तियाँ	देयताएं					
	नकदी प्रवाह हेज								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i)	**विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं**								
	– सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 2,595	1,458.96	43.25	अप्रैल 2021 - अक्टूबर 2025	1:1	73.32	-611.68	611.68
		जेपीवाई 20,846.12	198.23	-	अगस्त 2023 - सितंबर 2025	1:1	0.66	-131.87	131.87
	– कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	77.74	-	मार्च 2024	1:1	71.94	-93.51	93.51
(ii)	क्रॉस मुद्रा स्वैप	यूएसडी 1,350	-	244.37	दिसंबर 2021 - मार्च 2025	1:1	2.92% और 72.93	(73.78)	73.78
		जेपीवाई 10,327.12	-	4.06	अगस्त 2023	1:1	0.42% और 0.62	(0.08)	0.08
		एसजीडी 72.08	23.86	-	मार्च 2025	1:1	1.44%	21.54	(21.54)
(iii)	केवल मूल स्वैप्स	यूएसडी 375	-	121.08	मार्च 2025 - जून 2030	1:1	7541.00%	-174.62	174.62
(iv)	ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 260	-	69.74	मार्च 2024 - जुलाई 2024	1:1	2.32%	(1.12)	1.12

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

	31.03.2020 के अनुसार	राष्ट्रीय मुद्रा (मिलियन में)	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के धारित राशि		पूर्ण तिथि	हेज अनुपात	भारित औसत स्ट्राइक मूल्य/दर	हेजिंग इन्स्ट्रुमेंट के उचित मूल्य में परिवर्तन	हेज प्रभावशीलता को मान्यता के आधार के रूप में उपयोग किए गए हेज मदों के मूल्य में परिवर्तन
	जोखिम एवं हेज के प्रकार		परिसंपत्तियाँ	देयताएं					
	नकदी प्रवाह हेज								
	विदेशी विनिमय एवं ब्याज दर जोखिम								
(i)	**विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाएं**								
	– सिगुल स्ट्रक्चर	यूएसडी 1,410	1,494.84	-	मई 2020 - मार्च 2025	1:1	71.88	213.14	(213.14)
		जेपीवाई 10,327.10	167.37	-	अगस्त 2023	1:1	0.62	10.30	(10.30)
	– कॉल स्प्रेड	यूएसडी 250	97.16	-	मार्च 2024	1:1	71.94	81.36	(81.36)
(ii)	क्रॉस मुद्रा स्वैप	यूएसडी 1,000	-	297.86	दिसंबर 2020 - मार्च 2025	1:1	3.67%	(175.35)	175.22
		जेपीवाई 10,327.10	-	5.28	अगस्त 2023	1:1	0.42%	(1.29)	1.29
		एसजीडी 72.08	2.32	-	मार्च 2025	1:1	1.18%	2.32	(2.32)
(iii)	ब्याज दर स्वैप	यूएसडी 1,260	5.24	134.45	जुलाई 2020 - जुलाई 2024	1:1	2.35%	(185.91)	185.91

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ख) लाभ एवं हानि पर हेज लेखांकन के प्रभाव

हेज के प्रकार	अन्य व्यापक आय में मान्यता दिए गए हेजिंग लिखत के मूल्य में परिवर्तन	मान्यता प्राप्त हेज अप्रभावशीलता	नकदी प्रवाह हेज रिजर्व से पुनर्वर्गीकृत राशि	पुनर्वर्गीकरण पर प्रभावित लाइन आइटम
31–03–2021 को समाप्त वर्ष				
नकदी प्रवाह हेज				
– मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	-1065.12	-	580.30	विदेशी विनिमय परिवर्तन पर लाभ/ हानि
			179.56	वित्तीय लागत
31–03–2020 को समाप्त वर्ष				
नकदी प्रवाह हेज				विदेशी विनिमय परिवर्तन पर लाभ/ हानि
– मुद्रा जोखिम एवं ब्याज दर जोखिम	55.30	0.13	(629.26)	
			0.03	वित्तीय लागत

(ग) नकदी प्रवाह हेजिंग रिजर्व और हेजिंग रिजर्व की लागत में संचलन

विवरण	31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष
नकदी प्रवाह हेजिंग के प्रभावी भाग		
प्रारम्भिक शेष	(226.08)	-
जोड़ेः विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं के आंतरिक मूल्यों में परिवर्तन	(625.61)	687.21
जोड़ेः क्रॉस मुद्रा स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(52.32)	(174.20)
जोड़ेः ब्याज दर स्वैप के उचित मूल्य में परिवर्तन	(1.12)	(185.90)
घटाएँः पुनः वर्गीकृत राशि के लाभ या हानि	759.86	(629.23)
घटाएँः उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	(20.34)	76.04
अंतिम शेष	**(165.61)**	**(226.08)**
हेजिंग रिजर्व की लागत		
प्रारम्भिक शेष	**(204.75)**	**0.00**
जोड़ेः विदेशी मुद्रा विकल्प संरचनाओं में आस्थगित समय मूल्य में परिवर्तन	(386.06)	(382.41)
घटाएँः समय मूल्य का परिशोधन	715.06	108.80
घटाएँः उपरोक्त (निवल) से संबन्धित आस्थगित कर	(82.80)	68.86
अंतिम शेष	**41.45**	**(204.75)**

52.4 बाजार जोखिम – ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर जोखिम वह जोखिम है जो ब्याज दरों में बदलाव के कारण वित्तीय लिखत के भावी नकदी प्रवाह में उतार–चढ़ाव से उत्पन्न होगा। ब्याज दरें गतिशील और विभिन्न आंतरिक और बाहरी कारकों पर निर्भर होती हैं, जिनमें आरबीआई की नीति में बदलाव, बाजार में तरलता, एएए बॉण्ड/जी–सेक यील्ड/एलआईबीओआर जैसे बाहरी बेंचमार्क की आवाजाही आदि शामिल हैं। कंपनी ब्याज दरों में उतार–चढ़ाव के जोखिम को कम करने के लिए ब्याज दर स्वैप संविदाओं, अग्रेषित ब्याज दर संविदाओं जैसे जैसी विभिन्न व्युत्पन्न संविदाओं के माध्यमों से अपनी ब्याज दर के जोखिम का प्रबंधन करती है। लागत में कमी की रणनीति के रूप में कंपनी विभिन्न मुद्राओं में ब्याज अंतर से लाभ उठाने के लिए क्रॉस–करेंसी ब्याज दर स्वैप का भी उपयोग करती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

निम्नलिखित तालिका निम्नलिखित रूप में 31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार हेज्ड/अन–हेज्ड श्रेणी के तहत विभाजन सहित अस्थिर दर देयताओं पर ब्याज दर जोखिम में कंपनी की समग्र स्थिति दर्शाती है:

(विदेशी मुद्रा राशियां मिलियन में, भारतीय रुपये करोड़ में)

मुद्रा	31.03.2021 के अनुसार			31.03.2020 के अनुसार		
	स्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग	स्थिर ब्याज दर एक्सपोज़र	व्युत्पन्न के माध्यम से प्रतिरक्षित भाग	एक्सपोजर अप्रतिरक्षित भाग
भारतीय रुपए उधारियाँ	35,738.58	-	35,738.58	19,899.78	-	19,899.78
अमेरिकी डॉलर $	2,768.85	1,630.00	1,138.85	3,241.96	2,830.00	411.96
भारतीय रुपए के समतुल्य	20,352.38	11,981.27	8,371.11	24,439.81	21,334.21	3,105.60
जापानी येन ¥	20,846.14	10,327.14	10,519.00	10,327.12	10,327.12	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	1,383.35	685.31	698.04	719.28	719.28	-
सिंगापुर डॉलर $	72.08	72.08	-	72.08	72.08	-
भारतीय रुपए के समतुल्य	391.79	391.79	-	380.83	380.83	-
कुल भारतीय रुपए के समतुल्य	**57,866.10**	**13,058.37**	**44,807.73**	**45,439.70**	**22,434.32**	**23,005.38**

कंपनी के ऋणदाता पोर्टफोलियो में अर्ध–स्थिर दर अर्थात ऋणकर्ता के साथ 1/3/10 वर्ष के रीसेट विकल्प के साथ ब्याज की दर पर ब्याज की दर निर्धारित की जाती है। कंपनी अपनी ऋण दरों की समय–समय पर प्रचलित बाजार की स्थितियों, उधार लेने की लागत, उससे लाभ, प्रसार, प्रतिस्पर्धियों की दरों, मंजूरियों और संवितरण आदि के आधार पर समीक्षा करती है। ऋण के पूर्व भुगतान के मामले में प्री–पेमेंट जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी ऋणकर्ताओं से प्री–पेमेंट प्रीमियम वसूलती है। ब्याज दर संवेदनशीलता का प्रबंधन ब्याज दर संवेदनशीलता अंतर कथनों के विश्लेषण और अचल और अस्थायी ब्याज दरों के मिश्रण के साथ परिसंपत्तियों और देनदारियों के निर्माण का मूल्यांकन करके किया जाता है।

कंपनी निम्नलिखित ऋण परिसंपत्तियों पर ब्याज दर जोखिम की स्थिति में है जो कि अर्ध–निर्धारित दरों पर हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
रुपी ऋण	363,580.03	312,065.92

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका 50 आधार अंकों की वृद्धि अथवा कमी के लिए अथवा अन–हेज्ड एक्सपोजर पर कंपनी की अस्थिर दर परिसंपत्तियों और देयताओं पर ब्याज दर में लाभ एवं हानि प्राप्ति (हानि) पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अस्थिर दर ऋण देयताएं	(167.65)	167.65	(86.08)	86.08
अस्थिर/अर्ध–निर्धारित दर ऋण परिसंपत्तियां	1,360.37	(1,360.37)	1,167.63	(1,167.63)

** अन्य सभी परिवर्तकों को स्थिर रखते हुए*

उपर्युक्त संवेदी विश्लेषण यह मानते हुए तैयार किया गया है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया धनराशि पूरे वर्ष के लिए बकाया रहती है। 50 आधार अंक की वृद्धि अथवा गिरावट ब्याज दर में उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तन के प्रबंधन का मूल्यांकन दर्शाती है।

52.4.1 ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) के संबंध में प्रकटन

कंपनी के पास अलग–अलग निर्धारणों से जुड़ी ब्याज दरों के साथ परिवर्तनीय ब्याज दर उधार है। विदेशी मुद्रा उधार के लिए इस तरह के ब्याज दर निर्धारणों में 1/3/6 माह यूएसडी/जेपीवाई एलआईबीओआर (लंदन इंटर–बैंक ऑफर दर) और 6 माह एसओआर (स्वैप ऑफर दर) शामिल हैं। ऐसे उधारों का सारांश नीचे दिया गया है:

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	राशि (₹ करोड़ में)	राशि (अमेरिकी डॉलर मिलियन के समतुल्य)
1 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	1,690.61	230.00
3 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	5,512.85	750.00
6 मिलियन यूएसडी एलआईबीओआर	13,148.92	1,788.85
6 मिलियन जेपीवाई एलआईबीओआर	1,383.35	188.20
6 मिलियन एसओआर	391.79	53.30
कुल	**22,127.52**	**3,010.35**

यूके फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी (एफसीए) द्वारा 5 मार्च, 2021 को घोषित किए गए अनुसार, जेपीवाई एलआईबीओआर 31 दिसंबर, 2021 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगी और 1 माह, 3 माह और 6 माह अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर 30 जून, 2023 के बाद प्रकाशित होना बंद हो जाएगा। चूंकि एसओआर (सिंगापुर स्वैप ऑफर दर) भी अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर से निर्धारित की जाती है, अतः यह भी 30 जून, 2023 से गैर–प्रतिनिधिकारक हो जाएगी।

i) ब्याज दर निर्धारण सुधार से सीधे ही प्रभावित एक्सपोजर

ब्याज दर निर्धारण सुधार (आईबीओआर) से सीधे प्रभावित होने वाले एक्सपोजर की कुल राशि 13,468.66 करोड़ रुपये है। इसमें से, ऐसी देनदारियों से जुड़े व्युत्पन्न होने वाले एक्सपोजर की नाममात्र राशि और हेज अकाउंटिंग के तहत लेखांकित 4,752.33 करोड़ रुपये है।

ii) वैकल्पिक निर्धारण दरों में जाने की प्रक्रिया का प्रबंधन

ब्याज दर निर्धारण सुधार के अनुसरण में, एलआईबीओआर को वैकल्पिक जोखिम–मुक्त दरों से बदल दिया जाएगा। एसओएफआर (सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट) अमेरिकी डॉलर एलआईबीओआर का प्रतिस्थापन होगा, जबकि टीओएनए (टोक्यो ओवरनाइट एवरेज दर) जेपीवाई एलआईबीओआर की जगह लेगा। आईएसडीए (इंटरनेशनल स्वैप एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन), वैश्विक रूप से मान्यता प्राप्त सांविधिक निकाय है जो वैश्विक व्युत्पन्न सौदों को नियंत्रित करता है, सभी पुराने अनुबंधों को नए निर्धारणों में स्थानांतरित करने के लिए आईएसडीए 2020 आईबीओआर फॉलबैक प्रोटोकॉल (सामान्यतः फॉलबैक प्रोटोकॉल के रूप में संदर्भित) के साथ आया है। कंपनी ने फॉलबैक प्रोटोकॉल का पालन किया है जिसके तहत विभिन्न एलआईबीओआर निर्धारण के लिए फॉलबैक स्वचालित रूप से सभी प्रतिपक्षकारों के साथ मौजूदा व्युत्पन्न ट्रेडों पर लागू हो जाएगा।

iii) ब्याज दर निर्धारण सुधार से प्रभावित एक्सपोजर के लिए महत्वपूर्ण अनुमान

इंड एएस 109 में ब्याज दर निर्धारण सुधार से सीधे प्रभावित सभी हेजिंग संबंधों के लिए अस्थायी अपवादों का प्रावधान है। जबकि उल्लिखित ऋण के लिए निर्धारण अभी तक उधारदाताओं से सहमत नहीं हुए हैं, यह माना जाता है कि उल्लिखित ऋण की वैकल्पिक निर्धारण दरों में कोई परिवर्तन नहीं होगा और इस तरह के परिणाम के रूप में व्युत्पन्न अनुबंध और बचाव प्रभावशीलता में इस सुधार के परिणामस्वरूप कोई परिवर्तन नहीं आता है।

52.5 बाजार जोखिम – कीमत जोखिम

कंपनी उल्लिखित इक्विटी शेयरों और उद्यम पूंजीगत निधियों में निवेशों से उत्पन्न होने वाले कीमत जोखिमों की स्थिति में है। कंपनी के निवेश व्यापारिक प्रयोजनों के बजाए नीतिगत प्रयोजनों के लिए रखे जाते हैं।

संवेदी विश्लेषण

निम्नलिखित तालिका, समूह से बाहर कंपनी के इक्विटी निवेशों पर संबंधित कीमतों में 5 प्रतिशत की वृद्धि अथवा गिरावट के लिए ओसीआई लाभ/(हानि) को पर प्रभाव दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	वृद्धि	(गिरावट)	वृद्धि	(गिरावट)
अन्य व्यापक आय पर प्रभाव (ओसीआई)	21.51	(21.51)	25.68	(25.68)
लाभ एवं हानि लेखा पर प्रभाव (पीएल)	1.18	(1.18)	0.63	(0.63)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

53 व्युत्पन्नों से संबंधित अतिरिक्त प्रकटन

53.1 अग्रवर्ती दर अनुबंध/ब्याज दर स्वैप

विवरण		31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i)	स्वैप अनुबंधों का कल्पित मूल	25,035.68	29,056.52
(ii)	हानियां, जोकि अनुबंधों के तहत उनकी बाध्यताओं को पूरा करने में प्रतिपक्षों के असफल होने पर घटित होंगी	339.60	141.71
(iii)	स्वैप में प्रविष्ट करने पर एनबीएफसी द्वारा अपेक्षित कोलेटरल	शून्य	शून्य
(iv)	स्वैपों के कारण उत्पन्न हुए क्रेडिट जोखिम का संकेंद्रण	कृपया निम्न का संदर्भ लें	कृपया निम्न का संदर्भ लें
(v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	-64.05	-444.35

** आरईसी ने एक एनबीएफसी होने के नाते भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार श्रेणी–1, प्राधिकृत डीलर बैंकों के साथ ही स्वैप करार किया है। बैंकों के साथ किए गए सभी स्वैप करार बोर्ड अनुमोदित जोखिम प्रबंधन नीति में परिभाषित ऋण जोखिम सीमा के अंतर्गत हैं।*

53.2 कंपनी ने किसी भी एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर (आईआर) व्युत्पन्नों में हिस्सा नहीं लिया है।

53.3 परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

विवरण		मुद्रा व्युत्पन्न*		ब्याज दर व्युत्पन्न**		अन्य व्युत्पन्न (रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप)***	
		31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i)	व्युत्पन्न (कल्पित मूल राशि)						
	हेजिंग के लिए	27,599.89	32,049.49	25,035.68	29,056.52	4,547.00	4,347.00
(ii)	मार्केट टु मार्केट स्थितियां						
(क)	परिसंपत्ति (+)	1,971.62	3,177.14	339.60	141.71	-	-
(ख)	देयता (–)	164.33	-	403.65	586.06	278.33	739.67
(iii)	क्रेडिट एक्सपोज़र	4,854.40	5,559.58	574.96	346.42	632.05	602.05
(iv)	अनहेजेड एक्सपोज़र	25,215.63	19,302.20	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**इसमें पूरा हेज, मूल केवल स्वैप और कॉल स्प्रैड शामिल हैं।*
***इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में ब्याज दर व्युत्पन्न शामिल हैं।*
****इसमें लागत में कमी की एक कार्यनीति के रूप में रिवर्स क्रॉस करेंसी स्वैप शामिल हैं।*

54 कंपनी पर कोविड–19 महामारी का प्रभाव

भारत, वर्तमान में भारत में मामलों की संख्या में काफी वृद्धि से कोविड–19 महामारी की दूसरी लहर से जूझ रहा है। परिणामी लॉकडाउन आर्थिक गतिविधियों के लिए कम प्रतिबंधात्मक हैं और सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में केंद्रित हैं। वैश्विक लहरें बताती हैं कि विनिर्माण क्रियाकलाप पर प्रभाव कम विनाशकारी है क्योंकि टीकाकरण का कार्य गति पकड़ रहा है।

कंपनी के पास परिसमापन बफर

मजबूत ऋण प्रोफाइल और उधार के विविध स्रोतों तक पहुंच के कारण कंपनी ने अपनी परिसमापन की स्थिति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं देखा है। कंपनी ने उच्च गुणवत्ता वाली परिसमापन परिसंपत्तियों के अलावा विभिन्न बैंकों से कार्यशील पूंजी/सावधि ऋण सीमा के रूप में पर्याप्त परिसमापन बफर लागू किए हैं।

विद्युत क्षेत्र के लिए कोविड–19 राहत पैकेज

भारत सरकार ने अपने कोविड–19 राहत पैकेज के भाग के रूप में, विद्युत उत्पादन और पारेषण कंपनियों के बकाया देयों को दूर करने के लिए आरईसी और पीएफसी (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के माध्यम से राज्य सरकार के गारंटीशुदा ऋणों के रूप में राज्य डिस्कॉमों को परिसमापन निषेचन घोषित किया था। 15 मई 2021 की स्थिति के अनुसार, कंपनी ने इस परिसमापन पैकेज के भाग के रूप में डिस्कॉमों को क्रमशः ₹67,083 करोड़ और ₹40,766 करोड़ पहले ही संस्वीकृत और संवितरित किए हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

कोविड–19 विनियामक पैकेज की समाप्ति के बाद परिसंपत्ति का वर्गीकरण और आय की पहचान

आरबीआई के परिपत्र संख्या आरबीआई/2021–22/17 डीओआर.एसटीआर.आरईसी.4/21.04.048/2021–22 दिनांक 7 अप्रैल 2021 के अनुसार और भारतीय बैंक एसोसिएशन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के आधार पर ब्याज पर ब्याज की गणना के लिए पद्धति के अनुसार, कंपनी ने 1 मार्च, 2020 से 31 अगस्त, 2020 की स्थगन अवधि के दौरान उधारकर्ताओं से लिए गए ब्याज पर ब्याज को वापस करने/समायोजित करने के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित एक नीति लागू की है। कंपनी ने कुल राशि को वापस/समायोजित करने का अनुमान लगाया है और इस प्रकार 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में प्रावधान किया है। तदनुसार, 31 मार्च, 2021 को समाप्त तिमाही और वर्ष के लिए ब्याज आय ₹129.25 करोड़ तक कम है।

कंपनी का मानना है कि वैश्विक टीकाकरण में तेजी और कोविड के मामलों में धीरे–धीरे कमी से, व्यापार और वाणिज्यिक क्रियाकलाप पुनरुत्थान के लिए तैयार हैं, जिससे विद्युत की मांग और उत्पादन में वृद्धि हुई है। आरईसी की सुविधाजनक परिसमापन स्थिति और धनराशि के विविध स्रोतों तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए, यह मानने का कोई कारण नहीं है कि मौजूदा संकट का कंपनी के प्रचालन को बनाए रखने की क्षमता पर काफी प्रभाव पड़ेगा, जिसमें चल रहे चिंता मूल्यांकन भी शामिल हैं। तथापि, प्रभाव भविष्य के घटनाक्रमों पर निर्भर रहेगा, जो अनिश्चित हैं, जिसमें अन्य बातों के अलावा, कोविड–19 महामारी की गंभीरता से संबंधित कोई भी नई सूचना और सरकार द्वारा आगे कोई कार्रवाई अथवा उसके प्रभाव को कम करने अथवा उसके फैलने को रोकने के लिए कंपनी के क्रियाकलाप शामिल हैं।

55 एक्सपोजर संबंधित प्रकटीकरण

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 12 फरवरी, 2010 के आरबीआई परिपत्र सीसी नं. 168 में निहित अनुदेशों के अनुसार आरईसी को 17 सितंबर, 2010 के अपने पत्र द्वारा एक अवसंरचना वित्तीय कंपनी (आईएफसी) के रूप में श्रेणीकृत किया था। एक आईएफसी के रूप में निजी क्षेत्र में उधार लेने के लिए कुल अनुमत्य ऋण जोखिम एक लेनदार के मामले में ली गई निधियों का 25 प्रतिशत और लेनदारों के एक समूह के मामले में 40 प्रतिशत है तथा उधार देने एवं निवेश करने के लिए एक साथ लिया गया ऋण जोखिम ली गई निधियों का क्रमशः 30 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत तक हो सकता है।

केंद्र/राज्य सरकार की कंपनियों के संबंध में, भारतीय रिजर्व बैंक ने आरईसी को 31 मार्च, 2022 तक ऋण/निवेश मानदंडों के आरबीआई का संकेंद्रण लागू होने से 16 जून, 2016 के पत्र संख्या डीएनबीआर.पीडी.सीओ.नं.2184/03.10.001/2015–16 द्वारा छूट दी है। उपर्युक्त के मद्देनजर, केंद्रीय एवं राज्य विद्युत यूटिलिटियों के लिए हमारी अधिकतम ऋण जोखिम सीमाएं कंपनी मूल्यांकन के आधार पर स्वामित्व निधियों का 50 प्रतिशत से लेकर 250 प्रतिशत तक परिवर्तन जारी है।

निजी क्षेत्र के कंपनियों के संबंध में, एकल लेनदारों और समूह लेनदारों के लिए कंपनी का ऋण जोखिम 31 मार्च, 2021 और 31 मार्च, 2020 को आरबीआई प्रूडेंशियल एक्सपोजर से अधिक नहीं रहा।

55.1 रियल एस्टेट क्षेत्र हेतु एक्सपोजर

कंपनी का 31 मार्च, 2021 को रियल एस्टेट क्षेत्र में कोई एक्सपोजर नहीं है (31 मार्च, 2020 को शून्य)।

55.2 पूंजीगत बाजार हेतु एक्सपोजर

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों, जिनका निगमित ऋण में अनन्य रूप से निवेश नहीं किया गया है, में प्रत्यक्ष निवेश;	711.47	778.40
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड में निवेश हेतु व्यक्ति विशेषों के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष अग्रिम;	-	-
(iii)	अन्य किन्हीं प्रयोजनों के लिए अग्रिम, जहां शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों को मुख्य प्रतिभूति के रूप में लिया गया है;	-	-
(iv)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों अथवा इक्विटी–अनुकूल म्युच्युअल फंड की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत की सीमा तक किसी अन्य प्रयोजनों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉण्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों/इक्विटी अनुकूल म्युच्युअल फंड की यूनिटों के अन्यत्र मुख्य प्रतिभूति, पूर्णतया अग्रिमों को कवर नहीं करती है;	-	-
(v)	स्टॉकब्रोकरों के लिए प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉकब्रोकरों तथा बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां;	-	-
(vi)	संसाधनों को जुटाने की प्रत्याशा में नयी कंपनियों की इक्विटी के प्रति प्रोमोटर के योगदान को पूरा करने के लिए स्वच्छ आधार पर या शेयरों/बॉण्डों/डिबेंचरों की प्रतिभूति या अन्य प्रतिभूतियों के समक्ष कारपोरेटों को स्वीकृत ऋण;	-	-
(vii)	प्रत्याशित इक्विटी प्रवाहों/मामलों के समक्ष कंपनियों को ब्रिज ऋण;	-	-
(viii)	उद्यम पूंजीगत निधियों (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) के लिए समस्त एक्सपोजर	-	6.12
	पूंजीगत बाजार हेतु कुल एक्सपोजर	**711.47**	**784.52**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

55.3 कंपनी के पास वर्तमान और पिछले वर्ष के दौरान मूल कंपनी के उत्पादों का कोई वित्तपोषण नहीं है।

55.4 अग्रिमों, प्रकटनों और क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
(i)	**अग्रिमों का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल अग्रिम (₹ करोड़ में)	228,371.07	184,741.84
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए अग्रिमों का प्रतिशत	60.51%	57.30%
(ii)	**एक्सपोजर का संकेंद्रण**		
	बीस बड़े उधारकर्ताओं हेतु कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	342,453.58	288,397.43
	कंपनी के कुल अग्रिमों हेतु बीस बड़े उधारकर्ताओं के लिए एक्सपोजर का प्रतिशत	62.28%	59.46%
(iii)	**क्रेडिट इम्पेयर्ड परिसंपत्तियों का संकेंद्रण**		
	शीर्ष चार क्रेडिट – इंपेयर्ड परिसंपत्तियों के लिए कुल एक्सपोजर (₹ करोड़ में)	**8,489.02**	**8,618.52**

56. उचित मूल्य प्रकटीकरण

परिशोधित लागत पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य और श्रेणी द्वारा उचित मूल्य पर मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की ली गई लागत निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण		टिप्पणी सं.	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
	वित्तीय परिसंपत्तियों का उचित मूल्य पर मापन			
	पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय साधन			
(i)	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	9	1,758.79	1,766.92
(ii)	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9	552.43	1,551.93
	पर मापित निवेश*			
	(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	11	430.13	513.55
	(ii) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	11	209.65	1,558.53
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	नकद और नकद समतुल्य	6	1,179.24	1,717.71
	बैंक शेष (नकद और नकदी समतुल्य के अलावा)	7	2,223.58	2,257.45
	प्राप्य ट्रेड	8	140.07	109.07
	ऋण परिसंपत्तियां	10	365,261.49	312,083.50
	निवेश	11	1,083.90	55.03
	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	12	24,419.88	22,101.32
	जोड़		**397,259.16**	**343,715.01**
	उचित मूल्य पर मापित वित्तीय देयताएं			
	पर मापित व्युत्पन्न वित्तीय साधन			
	(i) अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	9	482.51	437.59
	(i) लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	9	363.80	888.14
	परिशोधित लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्तियां			
	प्राप्य ट्रेड	0	61.51	46.15
	ऋण प्रतिभूतियाँ	20	237,269.11	219,918.25
	उधार (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	21	85,507.36	61,550.66
	अधीनस्थ देयताएं	22	6,946.89	4,819.65
	अन्य वित्तीय देयताएं	23	26,222.35	23,782.21
	जोड़		**356,853.53**	**311,442.65**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

56.1 उचित मूल्य अनुक्रम

ऊपर उल्लिखित वित्तीय दस्तावेजों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीक में प्रयुक्त इनपुट के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यह अनुक्रम समान परिसंपत्तियों अथवा देयताओं (चरण–1 मापने) के लिए सक्रिय बाजारों में उल्लिखित कीमतों को उच्चतम प्राथमिकता और न लेने योग्य इनपुट (चरण–3 मापने) को निम्न प्राथमिकता देता है।

प्रयुक्त श्रेणियां निम्नलिखित हैं:

चरण 1: सक्रिय बाजार में समान दस्तावेजों के लिए उल्लिखित कीमतें (असमायोजित);

चरण 2: चरण–1 इनपुट को छोड़कर; और प्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों के रूप में) अथवा अप्रत्यक्ष रूप से (अर्थात कीमतों से व्युत्पन्न) लेने योग्य बाजार इनपुट

चरण 3: वे इनपुट जो लेने योग्य बाजार आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं (न लेने योग्य इनपुट)।

कंपनी की नीति क्रियाकलाप अथवा अंतरण के कारण हुए परिस्थितियों में परिवर्तन की तारीख को उचित मूल्य अनुक्रम में अंतरण और उससे बाहर अंतरण को मान्यता देना है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं – आवर्ती उचित मूल्य मापन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार				31.03.2020 के अनुसार			
	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल	चरण 1	चरण 2	चरण 3	कुल
एफवीओसीआई पर निवेश								
इक्विटी निवेश	430.13	-	-	430.13	507.43	6.12	-	513.55
एफवीटीपीएल पर निवेश								
इक्विटी निवेश	23.60	-	-	23.60	12.50	-	-	12.50
परपेचुअल बॉण्ड	-	-	-	-	-	-	1,500.62	1,500.62
डिबेंचर	-	-	143.06	143.06	-	-	-	-
प्रेफरेंस शेयर	-	-	42.99	42.99	-	-	45.41	45.41
एफवीटीपीएल पर परिसंपत्तियां								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	2,311.22	-	2,311.22	-	3,318.85	-	3,318.85
एफवीटीपीएल पर देयताएँ								
व्युत्पन्न वित्तीय लिखतें	-	846.31	-	846.31	-	1,325.73	-	1,325.73

उचित मूल्य प्रकटीकरण के लिए मूल्यांकन तकनीक (चरण 1, चरण 2, चरण 3)

(क) **उद्धृत इक्विटी निवेशों में निवेश–चरण 1** – सूचीबद्ध इक्विटी निवेशों में निवेश का मापन बाजार में उनकी तैयार रूप में उपलब्ध उल्लिखित कीमत पर किया जाता है।

(ख) **व्युत्पन्न वित्तीय लिखत–चरण 2** – बैंकों द्वारा प्रदान किए गए बाजार मूल्य के लिए उचित मूल्य के आधार पर उचित मूल्य निर्धारित किया गया है जो अंतर्निहित जोखिम को कम करने के लिए अनुबंधित है। इस तरह के मूल्यांकन की गणना बाजार में दिखाई देने वाले आदानों (इनपुट्स) के जरिए की जाती है, जिसमें अग्रेषित विनिमय दरें, संविदा की परिपक्वता अवधि के हिसाब से ब्याज दरें और अन्तर्निहित उतार–चढाव शामिल हैं।

(ग) **उद्यम पूंजी निधि में निवेश–चरण 3** – उद्यम पूंजी निधि में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। निधि परिसमापन में जा चुकी है और वसूली योग्य मूल्य अनिश्चित है।

(घ) **गैर – उद्धत इक्विटी शेयरों में निवेश–चरण 3** – यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज लिमिटेड (यूसीएक्स) के गैर उद्धत इक्विटी शेयरों में निवेश को चरण – 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कंपनी द्वारा कंपनी के विशिष्ट कारणों से इसे शून्य मूल्य पर ले जाया गया है। यूसीएक्स को वर्ष 2014 में बंद कर दिया गया था, जिससे यह एक चिंता का विषय बना हुआ है।

(ङ) **गैर उद्धत वरीयता शेयरों में निवेश–चरण 3** – रतन इंडिया पावर लिमिटेड (आरआईपीएल) के गैर उद्धत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय संचयी रिडीमेबल वरीयता शेयरों (ओसीसीआरपीएस) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया। कंपनी को ऋणकर्ता कंपनी के ओसीसीआरपीएस आवंटित किए गए हैं। रतन इंडिया पावर लिमिटेड ने 23 दिसंबर 2019 को निष्पादित वन टाइम सेटलमेंट व्यवस्था का अनुसरण किया। उचित मूल्य

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को समझौते के अनुसार छूट देकर निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

(च) **एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश–चरण** 3 – एस्सार पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के गैर–उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य वर्तमान मूल्य तकनीक द्वारा अनुमानित भविष्य के नकदी प्रवाह को उध ाारकर्ताओं पर लागू ब्याज दर द्वारा निकाला गया है। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

(छ) **आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर में निवेश–चरण** 3 – आर.के.एम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के गैर–उद्धृत वैकल्पिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर (ओसीडी) में निवेश को चरण 3 के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जिसे उधारकर्ता के साथ पुनर्गठन योजना के कार्यान्वयन पर कंपनी को आवंटित किया गया है। उचित मूल्य को शून्य के रूप में लिया गया है इस तरह के डिबेंचर प्रकृति में अस्थिर हैं और भविष्य के नकदी प्रवाह अनिश्चित हैं। भविष्य के नकदी प्रवाह की उम्मीद में कोई भी बदलाव निवेश के उचित मूल्य में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया गया है।

56.2 चरण 3 इनपुट के माध्यम से वित्तीय लिखते के उचित मूल्य का पुनर्समाधान

निम्नलिखित तालिका उचित मूल्य पर मापी गई चरण 3 की वित्तीय परिसंपत्तियों और देयताओं की आरंभिक तथा अंतिम राशि का पुनर्समाधान दर्शाती है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए					
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई		
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	उद्यम पूंजी निधि में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	कुल
आरंभिक शेष	**1,500.62**	**45.41**	**-**	**-**	**-**	**1,546.03**
ऋण समायोजन में प्राप्य *(टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)*	-	-	149.56	-	-	149.56
समायोजन	(1667.94)	-	(28.22)	-	-	(1696.16)
चरण 3 में अंतरण	0.00	0.00	0.00	6.15	-	6.15
चरण 3 से अंतरण	-	-	-	-	-	0.00
ब्याज आय	167.32	6.26	21.72	-	-	195.30
उचित मूल्य परिवर्तन	-	(8.68)	0.00	(6.15)	-	(14.83)
अंतिम शेष	**-**	**42.99**	**143.06**	**-**	**-**	**186.05**
वर्ष के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	-	10.57	12.42	(6.15)	(16.00)	0.84

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए				
	एफवीटीपीएल			एफवीओसीआई	
	परपेचुअल बॉण्ड में निवेश	प्रेफरेन्स शेयर में निवेश	ओसीडी में निवेश	इक्विटी शेयर में निवेश	कुल
आरंभिक शेष	**1,556.87**	**-**		**-**	**1,556.87**
ऋण समायोजन में प्राप्य *(टिप्पणी 10.3 का संदर्भ लें)*	-	32.42		-	32.42
समायोजन	(224.50)	-		-	(224.50)
चरण 3 से अंतरण	-	-		-	-
ब्याज आय	168.25	1.50		-	169.75
उचित मूल्य परिवर्तन	-	11.49		-	11.49
अंतिम शेष	**1,500.62**	**45.41**		**-**	**1,546.03**
अवधि के अंत में अप्राप्त लाभ (हानि)	0.62	12.99		(16.00)	(2.39)

अवधि के दौरान अमान्यकृत अन्य व्यापक आय (एफवीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य के मापन पर इक्विटी शेयर में निवेश के लिए टिप्पणी संख्या 11.4 के संदर्भ में

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

56.3 परिशोधित लागत पर मापे गए लिखतों का उचित मूल्य

परिशोधित लागत जिसके लिए उचित मूल्य प्रकट किया गया है, पर मापे गए दस्तावेजों का उचित मूल्य निम्नलिखितानुसार है। यह उचित मूल्य लेवल 3 इनपुट का प्रयोग करके परिकलित किए जाते हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	धारित मूल्य	उचित मूल्य	धारित मूल्य	उचित मूल्य
वित्तीय परिसंपत्तियां				
नकद एवं नकदी समतुल्य	1,179.24	1,179.24	1,717.71	1,717.71
बैंक शेष (नकदी एवं नकदी समतुल्य के अलावा)	2,223.58	2,223.58	2,257.45	2,257.45
ट्रेड प्राप्य	140.07	140.07	109.07	109.07
ऋण	365,261.49	366,843.62	312,083.50	311,112.33
निवेश	1,083.90	1,096.95	55.03	62.13
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	24,419.88	24,421.76	22,101.32	22,097.09
कुल	**394,308.16**	**395,905.22**	**338,324.08**	**337,355.78**
वित्तीय देयताएं				
ट्रेड प्रतिदेय	61.51	61.51	46.15	46.15
ऋण प्रतिभूतियां	237,269.11	235,683.50	219,918.25	212,067.96
उधारियाँ (ऋण प्रतिभूतियों के अलावा)	85,507.36	85,562.85	61,550.66	61,991.40
अधीनस्थ देयताएं	6,946.89	7,610.21	4,819.65	5,028.88
अन्य वित्तीय देयताएं	26,222.35	26,222.35	23,782.21	23,782.21
कुल	**356,007.22**	**355,140.42**	**310,116.92**	**302,916.60**

उचित मूल्य पर न मापे गए वित्तीय दस्तावेजों की मूल्यांकन पद्धतियां

उपर्युक्त वित्तीय दस्तावेजों, जो रिकार्ड नहीं किए गए हैं और कंपनी के वित्तीय विवरणों में उचित मूल्य पर नहीं मापे गए हैं, के लिए उचित मूल्य निर्धारित करने हेतु प्रयुक्त सिद्धांत तथा अवधारणाएं निम्नलिखित हैं। ये उचित मूल्य केवल प्रकटन प्रयोजन के लिए परिकलित किए गए थे। निम्नलिखित सिद्धांत तथा अवधारणाएं केवल उपर्युक्त तालिकाओं में दस्तावेजों से संबंधित हैं।

वित्तीय परिसंपत्ति और देयताएं

वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देयताओं, जिनकी अल्पावधि परिपक्वता (बारह माह से कम) है, के लिए ली जाने वाली धनराशि जो हानि का निवल हैं, उनके उचित मूल्य के उपयुक्त लगभग हैं। इन दस्तावेजों में नकद एवं शेष, व्यापार प्राप्य, संविदा परिसंपत्तियां, नकद एवं नकद समतुल्य को छोड़कर शेष व्यापार प्राप्य और विशिष्ट परिपक्वता के बिना संविदा देयता शामिल हैं।

ग्राहकों को ऋण एवं अग्रिम

ऋण परिसंपत्तियों पर उचित मूल्य का परिकलन पोर्टफोलियो आधारित दृष्टिकोण का प्रयोग करके, समान विशेषताओं पर आधारित समान समूहों में यथा संभव ऋणों का समूह बनाकर परिकलित किया जाता है। कंपनी फिर छूट वाले नकद प्रवाह मॉडलों, जो ऋणों की सभी महत्वपूर्ण विशेषताओं पर विचार करके ब्याज दर अनुमानों को शामिल करते हैं, का प्रयोग करके पूरे पोर्टफोलियो में उचित मूल्य का परिकलन एवं बहिर्वेशन करती है। जहां यह सूचना उपलब्ध नहीं होती है, कंपनी ऐतिहासिक अनुभव तथा अपने सामूहिक हानि मॉडलों में प्रयुक्त अन्य सूचना का प्रयोग करती है।

परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्तियां

परिशोधित लागत पर मापी गई ऋण प्रतिभूतियों के मूल्य वास्तविक अथवा अनुमानित राशियों का प्रयोग करते हुए और प्रतिपक्षकारों के ऋण जोखिम को शामिल करते हुए उन राशियों में से घटाकर संविदागत नकद प्रवाह पर आधारित छूट वाले नकद प्रवाह मॉडल का प्रयोग कर अनुमानित किए जाते हैं।

जारी किए गए ऋण

कंपनी की निर्धारित ब्याज वाली ऋण प्रतिभूतियों, उधारों और सहायक देयताओं का उचित मूल्य रिपोर्टिंग अवधि के अंत में जारीकर्ता की उधार दर दर्शाने वाली छूट दर का प्रयोग कर छूट वाले नकद प्रवाह ("डीसीएफ") पद्धति लागू कर निर्धारित किया जाता है। 31 मार्च, 2021 को निजी गैर–निष्पादक जोखिम अपर्याप्त मूल्यांकित किया गया था।

सरकारी प्रतिभूतियों (जी–सेक) और राज्य विकास ऋण (एसडीएल) में निवेश

आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियां को बनाए रखने के लिए कंपनी ने जी–सेक और एसडीएल में निवेश किया है। भारत सरकार की प्रतिभूतियों और राज्य विकास ऋण का बाजार मूल्य रिपोर्टिंग तिथि पर उपलब्ध है और अंतिम कूपन तिथि से अर्जित ब्याज की रिपोर्टिंग तिथि को बाजार मूल्य में जोड़ा जाता है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

पीएसयू बॉन्ड में निवेश

आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त उच्च गुणवत्ता वाली तरल परिसंपत्तियों को बनाए रखने के लिए कंपनी ने पीएसयू बॉन्ड में निवेश किया है। कंपनी ने उद्योग प्रक्रिया के अनुसार बाजार के परिणामों का उपयोग करके शेष परिपक्वता के पीएसयू के लिए समान शेष परिपक्वता या क्रेडिट रेटिंग वाइज स्प्रेड अर्थात जी–सेक बांड की यील्ड के लिए उचित मूल्य की गणना की है।

कंपनी द्वारा ली गई अन्य सभी ऋण प्रतिभूतियां, उधार और सहायक देयताएं परिवर्ती दर सुविधाएं हैं जो उल्लिखित ब्याज दर तत्वों में परिवर्तन के अधीन हैं। इसके अधीन, इन सुविधाओं पर पहला ऋण कंपनी के ऋण योग्यता में परिवर्तनीय से परिवर्तन के अधीन है। प्रबंधन का विश्वास है कि इन ऋणों पर ब्याज की वर्तमान दर कंपनी पर लागू बाजार दरों से अनुमानित रूप से निकट हैं। अतः प्रबंधन यह आकलन करता है कि इन उधारों का उचित मूल्य उनके संबंधित लिए जाने वाले मूल्यों के लगभग है।

57. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत प्रकटनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
अवधि के अंत में शेष अप्रदत्त मूल राशि	0.01	0.15
अवधि के अंत में शेष अप्रदत्त पर देय ब्याज	-	-
अवधि के दौरान नियत तारीख के बाद आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि सहित एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार कंपनी द्वारा दिया गया ब्याज	-	-
भुगतान करने में विलंब की अवधि के लिए देय तथा भुगतान योग्य ब्याज परंतु एमएसएमई विभाग अधिनियम, 2006 के तहत निर्धारित ब्याज जोड़े बिना	-	0.14
अवधि के अंत में लगाया गया ब्याज तथा शेष अप्रदत्त	0.53	0.53
जब उपर्युक्त देय ब्याज वास्तविक रूप से लघु उद्यमों को दिया गया हो, उस तारीख तक परवर्ती वर्षों में भी शेष देय तथा भुगतान योग्य अन्य ब्याज	-	-

58. संबंधित पक्षकार प्रकटीकरणः

58.1 संबंधित पक्षकारों की सूची

(1) मुख्य प्रबंधन कार्मिक

श्री संजय मल्होत्रा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 09 नवंबर 2020 से
श्री अजीत कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक और निदेशक (वित्त) 31 मई 2020 तक
श्री संजीव कुमार गुप्ता	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (1 जून 2020 से 8 नवंबर 2020 तक) और निदेशक (तकनीकी)
श्री अजय चौधरी	निदेशक (वित्त) 01 जून 2020 से
श्री प्रवीण कुमार सिंह	पीएफसी के नामित निदेशक (गैर–कार्यकारी निदेशक)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक 05 नवंबर 2020 तक
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 05 नवंबर 2020 से
श्री जे.एस. अमिताभ	कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

(2) मुख्य होल्डिंग कंपनी

पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड

(3) आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की सहायक कंपनियां

दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड

कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड

दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड

कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (28 मई 2020 को निगमित)

फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (2 जून 2020 को निगमित)

गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (2 जून 2020 को निगमित)

राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (6 जून 2020 को निगमित)

बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (8 जून 2020 को निगमित)

सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (11 जून 2020 को निगमित)

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड (4 अगस्त 2020 को निगमित)

एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड (20 अगस्त 2020 को निगमित)

रामगढ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (26 जून 2020 को निगमित की गई और 9 मार्च 2021 को पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को हस्तांतरित की गयी)

(4) संयुक्त उपक्रम

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)

क्रेगटन एनर्जी लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईईएसएल एनर्जीप्रो असेस्ट्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएएल होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना एक्विजिशन लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनेस्को एनर्जी सर्विसेज साउथ लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना आस्ट्रेलिया पीटीवाई लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

स्टेनबैक लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना यूके लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना पावर लिमिटेड लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

अरमौरा होल्डिंग्स लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एडिना मैन्युफैक्चरिंग (ईईएसएल के जरिए)

ईपीएसएल ट्राईजनरेशन प्राइवेट लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल के जरिए)

एनईईएसएल प्राइवेट लिमिटेड

इंटेलीस्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, थाईलैंड

ईईएसएल एनर्जी सॉल्यूशंस एलएलसी, यूएई

(5) नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास

आरईसी लिमिटेड अंशदान भविष्य निधि न्यास

आरईसी उपदान निधि

आरईसी कर्मचारी अधिवर्षिता न्यास

आरईसी सेवानिवृत्त कर्मचारी चिकित्सा न्यास

(6) कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों के अंतर्गत पंजीकृत सोसायटी

आरईसी फाउंडेशन

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(7) वे कंपनियाँ जिनमें मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

एनएचपीसी लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)

एसजेवीएन लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)

खोलोंगछु हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड (4 नवंबर 2020 से संबंधित पक्षकार)

(8) मुख्य धारक कंपनी से जुड़े निम्नलिखित पक्षकार आरईसी के संबंधित पक्षकार के रूप में भी माने जाते हैः

(क) मुख्य धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक

श्री राजीव शर्मा	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (31 मई 2020 तक)
श्री रविन्द्र सिंह ढिल्लोन	निदेशक (परियोजना) 31 मई 2020 तक अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक 1 जून 2020 से
श्री नवीन भूषण गुप्ता	निदेशक (वित्त) (30 जून 2020 तक)
श्रीमती परमिंदर चोपड़ा	निदेशक (वित्त) (1 जुलाई 2020 से)
श्री प्रवीण कुमार सिंह	निदेशक (वाणिज्यिक) और अतिरिक्त प्रभार निदेशक (परियोजना)
श्री मृत्युंजय कुमार नारायण	सरकार द्वारा नामित निदेशक 4 नवंबर 2020 तक
श्री तन्मय कुमार	सरकार द्वारा नामित निदेशक 4 नवंबर 2020 से
श्रीमती गौरी चौधरी	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक 2 नवंबर 2020 तक
श्री राम चन्द्र मिश्रा	अंशकालिक गैर–सरकारी स्वतंत्र निदेशक
श्री मनोहर बलवानी	कंपनी सचिव

(ख) मुख्य धारक कंपनी की अनुषंगी कंपनियां

पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (पीएफसीसीएल)

पावर इक्विटी कैपिटल एडवाइजर्स (प्रा.) लिमिटेड (पीईसीएपी) – कंपनियों के रजिस्टर से हटा दिया गया और एमसीए के तहत भंग कर दिया गया सूचना संख्या–आरओसी/दिल्ली/248(2)/एसटीके–7/10148 दिनांक 30.06.2020)

(ग) मुख्य धारक कंपनी की संबंद्ध कंपनियां

बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड

बिहार मेगा पावर लिमिटेड

चेय्यूर इंफ्रा लिमिटेड

छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड (समापन के लिए अनुमोदन के अधीन)

कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड

देवघर इंफ्रा लिमिटेड

देवघर मेगा पावर लिमिटेड

घोघरापल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड

ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड

सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड

तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड (हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

अनंतपुरम कुरनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से – 13 मई 2020 को निगमित)

भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से – 17 मई 2020 को निगमित)

बिजवाड़–विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से – बंद करने के अनुमोदन के अधीन)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

बीकानेर–II भिवाड़ी ट्रांस्को लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से – 12 मई 2020 को निगमित, 25 मार्च 2021 को बेचा गया)

करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से 20 नवंबर, 2019 को निगमित)

खेत्री–नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से 15 मई 2020 को निगमित)

कोप्पल–नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से 18 नवंबर 2019 को निगमित)

शोंगटोंग करछम–वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से– हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

सीकर–II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफएफसीएल के माध्यम से 17 मई 2020 को निगमित)

टांडा ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से – हड़ताल की प्रक्रिया के अधीन)

वापी–II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पीएफसीसीएल के माध्यम से– 23 जून 2020 को स्टेरलाइट ग्रिड लिमिटेड को हस्तांतरित की गई)

(ङ) धारक कंपनी की नियोजन पश्चात हितलाभ योजना

पीएफसी कर्मचारी भविष्य निधि न्यास

पीएफसी कर्मचारी उपदान न्यास

पीएफसी परिभाषित अंशदान पेंशन योजना 2007

पीएफसी लि. अधिवर्षिता चिकित्सा निधि

(च) अन्य कंपनियां जिनमें मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक निदेशक हैं

पीटीसी इंडिया लिमिटेड

भूटान में पुनात्संगछु–I, जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण

भूटान में पुनात्संगछु–II, जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण

भूटान में मंगदेछु जलविद्युत परियोजना प्राधिकरण

58.2 संबद्ध पक्षकारों से/को बकाया राशिः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड		
मांग पर प्रतिदेय ऋण	3000.49	0
एसोसिएट्स		
एसोसिएट्स को ऋण	13.45	9.33
देय	0.08	0.68
नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	8.70	8.70
ऋण प्रतिभूतियां – धारक कंपनी	19.90	19.90
अन्य वित्तीय देयताएं– भारत सरकार के सर्विस्ड बॉण्ड	29.30	29.30
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां– अन्य	9.00	0.38
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	-	4.21
मुख्य धारक कंपनी का नियोजन पश्चात हितलाभ योजना न्यास		
ऋण प्रतिभूतियां	4.10	4.10
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.15	0.10
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	0.28	0.33
मुख्य धारक कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक		
ऋण प्रतिभूतियां	0.12	0.12
आरईसी फाउंडेशन		
अन्य गैर वित्तीय परिसंपत्तियां	1.54	0.92

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

58.3 संबंधित पत्रकारों के साथ लेन–देनः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष
पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड		
प्रदत्त लाभांश	1,143.44	1,143.44
निदेशक के बैठक का शुल्क	0.10	0.02
मांग पर प्रतिदेय ऋण	3,000.00	-
वित्तीय लागत	0.49	-
नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा किया गया अंशदान	1.50	31.78
कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	5.70
भारत सरकार द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	-
होल्डिंग कंपनी द्वारा दिए गए बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	1.40
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	0.74	1.70
मुख्य धारक कंपनी के नियोजन पश्चात लाभ योजना न्यास		
कंपनी के बॉण्डों में सब्सक्रिप्शन	-	-
वित्त लागत – प्रदत्त ब्याज	0.38	0.33
मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
कर्मचारी ऋण एवं अग्रिम	-	-
कर्मचारी ऋणों पर ब्याज आय	-	0.01
वित्त लागत	0.01	0.02
कर्मचारी लाभ व्यय – प्रबंधकीय पारिश्रमिक	3.21	2.45
निदेशकों का बैठक शुल्क	-	0.17
अल्टिमेट होल्डिंग कंपनी के मुख्य प्रबंधन कार्मिक		
वित्तीय लागत	-	0.01
आरईसी फाउंडेशन		
निगमित सामाजिक जिम्मेदारी (सीएसआर) खर्चों का भुगतान	90.00	152.49

58.4 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की निबंधन और शर्तें

संबंधित पक्षों के साथ लेन–देन आर्मस लेंथ के आधार पर किये जा रहे हैं। मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक और कर्मचारी ऋण कंपनी के सेवा नियमों के अनुरूप दिए जाते हैं। संबंधित पक्षकारों को भुगतान की गई वित्तीय लागत कंपनी की ऋण प्रतिभूतियों में उनके निवेश के कारण उत्पन्न होती है और धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय होता है। ऐसी ऋण प्रतिभूतियों पर देय ब्याज दर सभी बॉण्डधारकों के लिए समान रूप से लागू होती है। इसके अलावा धारक कंपनी से ली गई मांग पर आवधिक ऋण प्रतिदेय बाजार की प्रचलित दर पर उठाया गया था। कंपनी अपनी सहायक कंपनियों को स्थापना और प्रशासनिक खर्चों के अपवर्जन के मद में अग्रिम राशियों का भी भुगतान करती है, जो त्रैमासिक आधार पर वसूल किए जाते हैं। भले ही वर्ष के अंत में सहायक कंपनियों की बकाया शेष राशि असुरक्षित होती हैं, फिर भी कंपनी ने संबंधित पक्षकारों द्वारा बकाया राशि से संबंधित प्राप्तियों पर कोई क्षतिपूर्ति दर्ज नहीं की है। यह आकलन इस प्रकार दिए गए अग्रिमों की अल्पकालिक वसूली के आधार पर किया जाता है।

58.5 प्रबंधकीय पारिश्रमिक

वर्ष के दौरान प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) को पारिश्रमिक के ब्यौरे निम्नलिखित हैंः

(₹ करोड़ में)

विवरण		31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष
(i)	अल्पावधि कार्मिक लाभांश	3.01	2.25
(ii)	नियोजन पश्चात लाभांश	0.20	0.20
(iii)	अन्य दीर्घावधि लाभ		-
	कुल	**3.21**	**2.45**

चूंकि, उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति के लिए देयताएं प्रत्येक अलग–अलग कर्मचारी के बजाए समग्र रूप से कंपनी के लिए वास्तविक आधार पर लिए जाते हैं, अतः विशेष रूप से केएमपी से संबंधित धनराशि ज्ञात नहीं है और इसीलिए उपर्युक्त तालिका में शामिल नहीं की गई है। उपदान तथा क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति उपर्युक्त तालिका में संबंधित वर्ष में वास्तविक भुगतान के आधार पर शामिल की गई है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

58.6 वर्ष के दौरान, कंपनी ने पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (धारक कंपनी) से मांग पर प्रतिदेय ₹3,000 करोड़ की राशि का अल्प अवधि ऋण जुटाया है। ऋण 4% प्रति वर्ष की दर से लिया गया है, जो कंपनी द्वारा उठाई गई मांग पर अन्य अल्पावधि उधार/ऋण प्रतिदेय के साथ तुलनीय है। तब से वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तिथि के संबंध में ऋण पूरी तरह से चुकाया गया है।

58.7 उसी सरकार (सरकार से संबंधित कंपनियों) के नियंत्रणाधीन कंपनियों के संबंध में प्रकटन

सरकार से संबंधित कंपनियों की सूची

वर्ष के दौरान कंपनी का सरकार से संबंधित एंटीटियों से लेन–देन:

भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड

भिलाई इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड

बिहार ग्रिड कंपनी लिमिटेड

दामोदर घाटी निगम

नबीनगर पावर जेनरेटिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड

पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड

टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड

सरकार से संबंधित कंपनियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ऋण का संवितरण	2,837.27	1,437.18
ब्याज आय को मान्यता	2,178.00	2,139.65

सरकार से संबंधित कंपनियों से कुल शेष बकाया निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ऋण परिसंपत्तियां	22,649.28	21,612.09
उपचित ब्याज	7.73	248.04

केंद्र सरकार के साथ वास्तविक लेन–देन के संबंध में टिप्पणी संख्या 12,21.2.(i), 23 और 35 देखें।

59 भारतीय लेखांकन मानक (इंड एएस) 116 'पट्टे' के संबंध में प्रकटन

अल्पावधि पट्टों के अपवाद के साथ और कम–मूल्य वाली अंतर्निहित परिसंपत्तियों के पट्टे, प्रत्येक पट्टा तुलन पत्र पर एक सही–ऑफ़्यूज़ परिसंपत्ति और एक पट्टा देयता के रूप में परिलक्षित होता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं हैं को प्रारंभिक माप के पट्टे की देयता और परिसंपत्ति उपयोग के अधिकार से बाहर रखा गया है। कंपनी अपनी उपयोग के अधिकार की परिसंपत्तियों को अपनी परिसंपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के अनुरूप तरीके से वर्गीकृत करती है।

कंपनी को कार्यालय भवन, गोदाम, कार्यालय उपस्कर और संबंधित सुविधाओं के लिए पट्टे करने होते हैं। प्रत्येक पट्टा आम तौर पर कोई न कोई प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि कंपनी के लिए किसी अन्य पक्षकार को परिसंपत्ति को प्रस्तुत करने का अनुबंधात्मक अधिकार नहीं दिया जाता है, सही–उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति केवल कंपनी द्वारा ही उपयोग में लाई जा सकती है। कुछ पट्टों में पट्टे को आगे के लिए विस्तारित करने का विकल्प होता है। कंपनी को अंतर्निहित पट्टे वाली परिसंपत्तियों को सुरक्षा के रूप में बेचने या गिरवी रखने से प्रतिबंधित किया गया है। कार्यालय भवनों और अन्य परिसरों में पट्टों के लिए कंपनी को उन परिसंपत्तियों की मरम्मत कर उन्हें अच्छी स्थिति में रखना चाहिए और पट्टे के अंत में अपनी मूल स्थिति में परिसंपत्तियों को वापस करना चाहिए। इसके अलावा, कंपनी को पट्टे के संविदाओं के अनुसार रखरखाव शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

क. पट्टा देयता के मापन में पट्टा भुगतान शामिल नहीं है

पट्टे की देयता की मापन में शामिल नहीं किए गए भुगतान से संबंधित व्यय निम्नानुसार हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि पट्टा	15.48	12.84
कम मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे	-	0.02
अस्थाई पट्टा भुगतान	-	-
कुल	**15.48**	**12.86**

ख. पट्टे के लिए नकदी प्रवाह

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
अल्पावधि पट्टा	15.51	12.89
कम मूल्य परिसंपत्तियों के पट्टे	-	0.02
पट्टा देयता का भुगतान	0.81	0.88
कुल	**16.32**	**13.79**

ग. वर्ष के दौरान धारित राशि के पट्टा देयताएं एवं संचलन निम्न निर्धारित हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**2.12**	**2.76**
वर्ष के दौरान उपचित वित्तीय लागत	0.11	0.29
वर्ष के दौरान किए गए भुगतान	(0.84)	(0.93)
पट्टा देयता का पुनर्मूल्यांकन	(1.34)	-
अंतिम शेष	**0.05**	**2.12**

घ. नीचे दी गई तालिका अनडिस्कॉउंटेड पट्टा देयताओं की संविदात्मक परिपक्वता के बारे में विवरण प्रदान करती हैः

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
1 वर्ष तक	0.02	1.00
1–5 वर्ष	0.04	1.43
5 वर्ष से अधिक	-	-

ङ. बढ़ाने और समाप्ति के विकल्प

ऐसी कई पट्टा संविदाएं हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति के विकल्प शामिल हैं जिनके बारे में नीचे पुनः चर्चा की गई है।

कंपनी के कई पट्टे संविदा हैं जिनमें विस्तार और समाप्ति विकल्प शामिल हैं। पट्टा–परिसंपत्ति पोर्टफोलियो के प्रबंधन में लचीलापन प्रदान करने और कंपनी की व्यावसायिक जरूरतों के साथ उन्हें संरेखित करने के लिए प्रबंधन द्वारा इन विकल्पों पर बातचीत की जाती है। प्रबंधन यह निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है कि क्या इन विस्तार और समाप्ति विकल्पों का उचित रूप से प्रयोग किया जाना निश्चित है।

पट्टों का विस्तार करने और समाप्त करने के विकल्पों पर विचार करते समय पट्टा अवधि निर्धारित करने के लिए कंपनी की अंतर्दृष्टि का उपयोग करने से लाभ हुआ है।

पट्टे की अवधि निर्धारित करने में महत्वपूर्ण निर्णय

पट्टे की अवधि निर्धारित करने में, प्रबंधन उन सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करता है जो विस्तार विकल्प का उपयोग करने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करते हैं या किसी समापन विकल्प का उपयोग नहीं करते हैं। विस्तार विकल्प (या समाप्ति के विकल्प के बाद की अवधि) केवल पट्टा अवधि में तब ही शामिल किए जाते हैं जब पट्टे को यथोचित रूप से बढ़ाया जाना निश्चित होता है (या समाप्त नहीं किया गया होता है)।

यदि कोई महत्वपूर्ण घटना या परिस्थितियों में कोई ऐसा महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है जो इस मूल्यांकन को प्रभावित करता है और जो पट्टेदार के नियंत्रण में होता है, तो मूल्यांकन की समीक्षा की जाती है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

60. भारतीय लेखांकन मानक 19 "कर्मचारी लाभ" के तहत अपेक्षित कर्मचारी लाभों के लिए प्रकटन

60.1 परिभाषित अंशदान योजनाएं

क. भविष्य निधि

कंपनी भविष्य निधि अधिनियम, 1925 के तहत पंजीकृत पृथक न्यास को पूर्व निर्धारित दरों पर भविष्य निधि का निर्धारित अंशदान देता है जो निधियों को अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। वह न्यास वर्ष के दौरान निवेशों पर अर्जित आय पर आधारित निधि के सदस्यों को अंशदान कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा निर्धारित की गई दर पर ब्याज की दर निर्धारित करता है। विनिर्दिष्ट के अनुसार ब्याज दर के भुगतान में किसी तरह की कोई कमी पाए जाने पर कंपनी द्वारा मुआवजा दिया जाएगा। कंपनी का अनुमान है कि इस संबंध में कोई देयता उत्पन्न नहीं होगा। अतः निकट भविष्य में कोई और प्रावधान आवश्यक नहीं माना जाएगा।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कोई पृथक न्यास नहीं है और कंपनी परिभाषित अंशदान योजनाओं में भविष्य निधि अंशदान करती है।

ख. परिभाषित अंशदान अधिवर्षिता योजना

कंपनी एनपीएस न्यास/को पूर्व निर्धारित दरों पर अधिवर्षिता योजना के निमित्त निर्धारित अंशदान देती है जो निधियों का अनुमत्य प्रतिभूतियों में निवेश करता है। एनपीएस न्यास/पृथक न्यास में शेष में संचित आय सहित सदस्यों के खाते में मासिक अंशदान शामिल होता है। जब सदस्य को पेंशन देय होती है तो सदस्य के खाते में रही राशि का विनियोजन सदस्य के संचय के निमित्त किया जाता है और सदस्य द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार वार्षिकी आबंटित की जाती है।

समूह ने परिभाषित अंशदान योजनाओं के निमित्त ₹13.87 करोड़ (पिछले वर्ष ₹15.42 करोड़) के व्यय को मान्यता दी है।

60.2 परिभाषित लाभ योजनाएं – नियोजन पश्चात लाभ

क. उपदान

कंपनी में एक परिभाषित उपदान योजना है जिसका प्रबंधन एक पृथक न्यास द्वारा किया जाता है। प्रत्येक कर्मचारी, जिसने पांच वर्ष अथवा उससे अधिक की निरंतर सेवा की है, यथासंशोधित उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के प्रावधानों पर विचार करते हुए अधिवर्षिता, त्याग पत्र, सेवा समाप्ति, अपंगता अथवा मृत्यु पर अधिकतम 0.20 करोड़ रुपए के अधीन पूरी की गई सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिनों के वेतन पर उपदान का हकदार होता है। उपदान की देयताएं वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर पहचानी जाती है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	32.44	36.82
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	30.25	35.47
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	2.19	1.35

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**36.82**	**42.41**	**35.47**	**44.15**	**1.35**	**(1.74)**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	1.93	2.27	-	-	1.93	2.27
ब्याज लागत/आय	2.28	2.95	2.38	3.40	-0.10	-0.45
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**4.21**	**5.22**	**2.38**	**3.4**	**1.83**	**1.82**
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(0.49)	1.82	-	-	(0.49)	1.82
– जनसांख्यिकीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	-	-	-	-	-	-
अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.58	(0.89)	-	-	0.58	(0.89)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/ देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	(0.33)	(0.41)	0.33	0.41
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**0.09**	**0.93**	**(0.33)**	**(0.41)**	**0.42**	**1.34**
भागीदारों द्वारा अंशदान	-	-	-	-	-	-
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	1.42	0.06	(1.42)	(0.06)
भुगतान किए गए हितलाभ	(8.68)	(11.74)	(8.69)	(11.73)	0.01	(0.01)
अंतिम शेष	**32.44**	**36.82**	**30.25**	**35.47**	**2.19**	**1.35**

ख. सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा सुविधा (पीआरएमएफ)

कंपनी में सेवानिवृत्त के बाद चिकित्सा सुविधा है जिसके तहत पात्र सेवानिवृत्त कर्मचारियों एवं उनके आश्रित पारिवारिक सदस्यों को कंपनी के नियमों के अनुसार शामिल किया जाता है। इस योजना का वित्तपोषण कंपनी द्वारा किया जाता है और एक पृथक न्यास द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है। इसके निमित्त देयता को वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है।

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	151.69	136.42
योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	144.06	140.64
निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताएं	7.63	(4.22)

निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	परिभाषित हितलाभ दायित्व		योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य		निवल परिभाषित लाभ (परिसंपत्ति)/देयता	
	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
प्रारम्भिक शेष	**136.42**	**129.77**	**140.64**	**97.99**	**-4.22**	**31.78**
लाभ अथवा हानि में शामिल						
वर्तमान सेवा लागत	2.90	2.80	-	-	2.90	2.80
ब्याज लागत/आय	**8.94**	**9.73**	**9.45**	**7.55**	**-0.51**	**2.18**
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**11.84**	**12.53**	**9.45**	**7.55**	**2.39**	**4.98**
ओसीआई में शामिल						
पुनःमापन हानि (लाभ)						
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	(5.20)	18.85	-	-	(5.20)	18.85
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	19.94	(15.32)	-	-	19.94	(15.32)
ब्याज आय को छोड़कर योजना परिसंपत्तियों पर लाभ	-	-	1.64	3.32	(1.64)	(3.32)
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**14.74**	**3.53**	**1.64**	**3.32**	**13.10**	**0.21**
कर्मचारियों द्वारा अंशदान	-	-	0.08	31.78	(0.08)	(31.78)
भुगतान किए गए हितलाभ	(11.31)	(9.41)	(7.75)	-	(3.56)	(9.41)
अंतिम शेष	**151.69**	**136.42**	**144.06**	**140.64**	**7.63**	**(4.22)**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ग. आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस)

कंपनी में सेवा काल के दौरान किसी कर्मचारी की स्थायी अपंगता/मृत्यु के मामले में परिवार को वित्तीय सहायता देने के लिए एक आर्थिक पुनर्वास योजना (ईआरएस) है। यह योजना वित्तपोषणरहित है और देयता वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां)/देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिभाषित हितलाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य		
–ईआरएस	4.13	4.25

ईआरएस के लिए निवल परिभाषित हितलाभ (परिसंपत्तियां) / देयताओं में संचलन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 को समाप्त वर्ष	31.03.2020 को समाप्त वर्ष
आरंभिक शेष	**4.25**	**3.69**
लाभ अथवा हानि में शामिल		
वर्तमान सेवा लागत	0.20	0.16
ब्याज लागत/आय	0.25	0.26
लाभ अथवा हानि में मानी गई कुल राशि	**0.45**	**0.42**
ओसीआई में शामिल		
पुनःमापन हानि (लाभ)		
– वित्तीय पूर्वानुमानों में परिवर्तन के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.02	0.34
– अनुभव समायोजना के कारण बीमांकिक हानि (लाभ)	0.73	0.99
ओसीआई में मानी गई कुल राशि	**0.75**	**1.33**
भुगतान किए गए हितलाभ	(1.32)	(1.19)
अंतिम शेष	**4.13**	**4.25**

60.2.1 जोखिम प्रकटन

कंपनी अपनी परिभाषित लाभ योजनाओं के माध्यम से कई जोखिमों को प्रकट करती है जिनमें सबसे महत्वपूर्ण नीचे दिए गए हैं:

(i) परिसंपत्ति अस्थिरता

अधिकतर योजना परिसंपत्ति निवेश सरकारी प्रतिभूतियों, उच्च दर वाली ग्रेडों और म्युच्युअल फंडों के साथ अन्य निर्धारित आय प्रतिभूतियों में है। इन परिसंपत्तियों का उचित मूल्य ब्याज दरों तथा अन्य बाजार और सूक्ष्म आर्थिक कारकों में परिवर्तन के कारण अस्थिरता के अधीन होता है।

(ii) छूट दर में परिवर्तन

परिभाषित लाभ योजना देयताओं का वर्तमान मूल्य छूट दर का प्रयोग करके परिकलित किया जाता है जिसे रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार परिणामों के संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। छूट दर में कमी से परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में वृद्धि होगी, यद्यपि यह योजनाओं के निवेशों के मूल्य में वृद्धि से आंशिक रूप से ऑफसेट होगी।

(iii) दीर्घता जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य वर्ष के दौरान योजनागत प्रतिभागियों की मृत्यु और उनके नियोजन और नियोजन के बाद सर्वोत्तम आकलन के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। योजनागत प्रतिभागियों की जीवन आशा में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

(iv) वेतन जोखिम

परिभाषित लाभ योजना देयता का वर्तमान मूल्य योजनागत प्रतिभागियों के भावी वेतनों के संदर्भ से परिकलित किया जाता है। इस प्रकार, योजनागत प्रतिभागियों के वेतन में वृद्धि से योजना की देयता में वृद्धि होगी।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

60.2.2 योजनागत परिसंपत्तियां

प्रत्येक श्रेणी के लिए रिपोर्टिंग अवधि के अंत में योजनागत परिसंपत्तियों का उचित मूल्य निम्नलिखित है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ	
	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
नकद एवं नकदी समतुल्य	**0.01**	**0.93**	**1.90**	**3.40**
अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां				
कारपोरेट बॉण्ड/डिबेंचर	-	-	142.16	137.24
अन्य – बीमाकर्ता का फंड एवं टी–बिल प्रबंधित	30.24	34.54	-	-
उप– जोड़ अनुद्धृत योजनागत परिसंपत्तियां	**30.24**	**34.54**	**142.16**	**137.24**
जोड़	**30.25**	**35.47**	**144.06**	**140.64**

योजनागत परिसंपत्तियों पर वास्तविक आय ₹13.14 करोड़ (पिछले वर्ष ₹13.86 करोड़) है।

60.2.3 महत्वपूर्ण बीमांकिक अवधारणाएं

योजनागत परिसंपत्तियों का सबसे हाल का बीमांकिक मूल्यांकन और परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य मैसर्स ट्रांसवेल्यू कंसल्टेंट्स द्वारा 31 मार्च, 2021 के अनुसार दिया गया था। परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागत तथा विगत सेवा लागत अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करके मापी गई थी। बीमांकिक मूल्यांकनों के लिए प्रयुक्त मूल अवधारणाएं निम्नलिखित हैं:–

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष	31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष	31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष
विधि का उपयोग	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**	**पीयूसीएम**
योजनागत परिसंपत्तियों पर रियायती दर और प्रत्याशित प्रतिफल, यदि वित्त पोषित है	6.99%	6.72%	6.99%	6.72%	6.99%	6.72%
भविष्य की वेतन वृद्धि/चिकित्सा मुद्रास्फीति	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%	6.00%
कर्मचारियों के काम के प्रत्याशित औसत शेष जीवन (वर्ष)	16.03	15.41	16.03	15.41	16.03	15.41

मूल अवधारणाएं छूट दर, वेतन वृद्धि दर और कर्मचारियों के प्रत्याशित औसत शेष कार्यशील जीवन हैं। छूट दर सामान्यतः उस अवधि में रिपोर्टिंग तारीख को सरकारी बांडों पर उपलब्ध बाजार परिणामों के आधार पर होती है जो देयताओं के अनुरूप होती है और वेतन वृद्धि दर दीर्घावधि आधार पर मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति और अन्य संगत कारकों ध्यान में रखती है। उपर्युक्त सूचना बीमांकन द्वारा प्रमाणित है।

60.2.4 संवेदनशीलता विश्लेषण

एक संगत बीमांकिक अवधारणा में रिपोर्टिंग तारीख को उपयुक्त रूप से संभावित परिवर्तनों को अन्य अवधारणाओं को स्थिर रखने से नीचे दर्शाई गई राशि तक परिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित किया होगा।

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	वृद्धि	कमी	वृद्धि	कमी
छूट दर (0.50% संचलन)				
–उपदान	(0.90)	0.97	(0.77)	0.94
–पीआरएमएस	(11.14)	11.66	(10.02)	10.48
–ईआरएस	(0.15)	0.17	(0.15)	0.17
वेतन वृद्धि दर (0.50% संचलन)				
–उपदान	0.14	(0.13)	0.14	(0.11)
–पीआरएमएस	-	-	-	-
–ईआरएस	0.15	(0.14)	0.16	(0.14)
चिकित्सा मुद्रास्फीति दर (0.50% संचलन)				
–पीआरएमएस	10.83	(10.44)	9.74	(9.39)
चिकित्सा लागत (0.10% संचलन)	-	-	-	-
–पीआरएमएस	15.56	(14.92)	13.99	(13.42)

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

उपर्युक्त प्रस्तुत संवेदनशीलता विश्लेषण परिभाषित लाभ दायित्व में वास्तविक परिवर्तन का प्रतिनिधि नहीं हो सकता क्योंकि ऐसी संभावना नहीं है कि अवधारणाओं में परिवर्तन एक–दूसरे के अलग होंगे क्योंकि कुछ अवधारणाएं सह–संबंधित हो सकती हैं।

कंपनी इस बात की सक्रिय रूप से मॉनीटरिंग करती है कि निवेशों की अवधि तथा प्रत्याशित परिणाम कर्मचारी लाभ दायित्वों से उत्पन्न होने वाले प्रत्याशित नकद बहिर्प्रवाह से मेल खा रहे हैं। निवेश ऐसे सुविविधीकृत हैं कि किसी भी एक निवेश की विफलता का परिसंपत्तियों के समग्र स्तर पर वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। पूर्व अवधियों से अपने जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए कंपनी द्वारा उपयुक्त प्रक्रिया में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

60.2.5 भावी वर्षों में परिभाषित लाभ योजनाओं का प्रत्याशित परिपक्वता विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	31.03.2021के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
एक वर्ष से कम	7.87	11.95	12.20	9.89	1.19	1.26
1 से 5 साल तक	20.81	15.95	72.60	47.71	3.00	2.83
5 साल से अधिक	31.10	32.68	285.02	231.09	3.19	5.35
कुल	**59.78**	**60.58**	**369.82**	**288.69**	**7.38**	**9.44**

60.2.6 अगले वर्ष के लिए प्रत्याशित अंशदान

(₹ करोड़ में)

विवरण	उपदान		पीआरएमएफ		ईआरएस	
	31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष	31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष	31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष
प्रत्याशित अंशदान	3.98	3.29	10.91	-	-	-

रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ योजना दायित्व की भारित औसत अवधि 12.54 वर्ष है (31.03.2020 को – 12.57 वर्ष)।

60.3 अन्य दीर्घावधि कर्मचारी लाभ

60.3.1 अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश

आरईसी में कर्मचारियों के खाते में अर्जित अवकाश लाभ तथा अर्धवेतन अवकाश लाभ के लिए प्रावधान है जो अर्धवार्षिक आधार पर क्रमशः 15 दिन और 10 दिन पर होता है। अधिकतम 300 दिन का अर्जित अवकाश सेवाकाल के दौरान किसी समय संचित किया जा सकता है। यद्यपि, अर्धवेतन अवकाश को संचित करने की कोई सीमा नहीं है। आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारी केवल एक वर्ष की सेवा पूरा करने के बाद अवकाश नकदीकरण के पात्र हैं और अलग होने के समय पूरी राशि दी जाती है। इसके लिए देयता को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर माना जाता है। इन कर्मचारी लाभों के निमित्त कुल ₹4.55 करोड़ की व्यय राशि (पिछले वर्ष ₹8 करोड़) दी गई है और बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाली गई है।

60.3.2 अन्य कर्मचारी लाभ

लंबी सेवा पुरस्कार और निपटान भत्ता के निमित्त ₹0.76 करोड़ (पिछले वर्ष ₹0.93 करोड) का व्यय बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ एवं हानि विवरण में नामे डाला गया है।

आरईसीपीडीसीएल के मामले में, कर्मचारियों को ईमानदारी प्रोत्साहन मृत्यु के कारण अलग होने के मामले को छोड़कर केवल निरंतर सेवा के तीन वर्ष पूरा करने के बाद देय होता है। कंपनी से बाहर जाने वाले कर्मचारियों को देयों का भुगतान उनके अलग होने के समय जारी किया जाता है। ₹0.20 करोड़ की राशि का व्यय (पिछले वर्ष ₹0.15 करोड़) बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लाभ तथा हानि विवरण में नामे डाला गया है।

61. राज्य विद्युत बोर्डों के खुलने के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

कुछ पूर्व राज्य विद्युत बोर्ड (एसईबी) को, जिन पर ऋण बकाया था या जिनकी ओर से गारंटी दी गई थी, संबंधित राज्य सरकारों ने पुनर्गठित कर दिया है और पिछले समय नए एंटिटियों का गठन कर दिया है। इसके परिणामतः पूर्व राज्य विद्युत बोर्डों की देयताएं नई एंटिटियों में अंतरित कर दी गई हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के बाद प्रलेखन की स्थिति

जम्मू और कश्मीर राज्य के दो संघ शासित प्रदेशों (संघ राज्य क्षेत्रों) – जम्मू और कश्मीर केन्द्र शासित प्रदेश और लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र के रूप में विभाजन के बाद, जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन राज्य से संबंधित मौजूदा इकाइयों को 23 अक्टूबर 2019 को जारी किए गए विभाजन आदेश के

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

जरिए पुनर्गठित कर दिया गया है। नए पुनर्गठित विभागों के साथ समझौतों पर अमल अभी होना बाकी है। इस तरह से प्रलेखन का निष्पादन लंबित होने के कारण, उत्पादन, टी एंड डी और सरकारी योजनाओं को मौजूदा ऋण समझौतों के अनुरूप सेवाएं प्रदान की जा रही हैं/का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के परिणामस्वरूप प्रलेखीकरण की स्थिति

पूर्ववर्ती आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन होने के परिणामस्वरूप, 02 जून, 2014 को तेलंगाना राज्य का निर्माण हुआ। हालांकि, परिसंपत्तियों और देयताओं को एक औपचारिक राजपत्र अधिसूचना के द्वारा संबंधित विद्युत यूटिलिटियों को अंतरित किया जाना है।

प्रलेखीकरण की स्थिति इस प्रकार है:

(i) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल और एपीजीईएनसीओ को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण का कार्य नहीं किया गया है, इन योजनाओं को नव–निर्मित यूटिलिटियों के नाम से पुनःस्वीकृत किया गया है तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी हैं और तदनुसार कारपोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) के साथ प्रभार को पंजीकृत किया गया है।

(ii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं तथा प्रलेखीकरण औपचारिकताएं पूर्ण कर ली गयी और ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां इन योजनाओं के संबंध में परिवर्तित नाम वाली/नव–निर्मित यूटिलिटी से एक वचनबद्धता प्राप्त कर ली गयी है तथा परिवर्तित नाम वाली/नव–निर्मित यूटिलिटी के नाम में उधारकर्ता के नाम का परिवर्तन करते हुए नव–निर्मित यूटिलिटी को संवितरण कर दिया गया है।

(iii) जहां पर ऋण पूर्ववर्ती एपीसीपीडीसीएल, एपीएनपीडीसीएल को उनका विभाजन होने से पूर्व स्वीकृत किए गए हैं, प्रलेखीकरण औपचारिकताएं सरकारी गारंटी के साथ पूर्ण कर ली गयी हैं तथा ऋण का आहरण कर दिया गया है, वहां आगे इन योजनाओं के लिए राजपत्र अधिसूचना का कार्य किया जाएगा।

(iv) एक बार अंतिम अंतरण योजना के सभी विद्युत यूटिलिटियों को परिसंपत्तियों और देयताओं के विधिवत अंतरण को इंगित करते हुए सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित किए जाने पर, सभी नाम परिवर्तित/नव–निर्मित यूटिलिटियों पर बकाया ऋण के संबंध में प्रलेखीकरण औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जाएगा। उस समय तक, ब्याज/मूलधन के भुगतान हेतु मांग यूटिलिटियों को अलग–अलग भेजा जा रही है तथा तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यूटिलिटियों द्वारा ऋण के संबंधित अंश का भुगतान किया जा रहा है।

62. कंपनी के प्रचालनों में केवल एक क्षेत्र आता है – विद्युत संयंत्रों के निर्माण और विद्युत के उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और पारेषण में लगी विद्युत क्षेत्र के कंपनियों को भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड द्वारा अपेक्षित व्यापार/भौगोलिक क्षेत्रों के संदर्भ में ऋण उधार देना; भारतीय लेखांकन मानक 108 – प्रचालन खंड में परिभाषित "प्रबंधन दृष्टिकोण" के आधार पर मुख्य प्रचालन प्रभार निर्माता एक व्यापारिक क्षेत्र के विभिन्न कारकों के विश्लेषण के आधार पर कंपनी के निष्पादन का मूल्यांकन करता है।

62.1 प्रमुख उत्पादों और सेवाओं से राजस्व के संबंध में सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31–03–2021 को समाप्त वर्ष	31–03–2020 को समाप्त वर्ष
(क) ऋण परिसंपत्तियों से आय	34,364.47	29,441.76
(ख) सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु शुल्क	33.67	19.52
(ग) अल्पावधि अधिशेष फंड के प्रबंधन से आय	185.42	81.95
(घ) सेवाओं की बिक्री से राजस्व	163.65	182.11
कुल	**34,747.21**	**29,725.34**

62.2 इस समूह में कोई रिपोर्ट करने योग्य भौगोलिक क्षेत्र नहीं है क्योंकि समूह के प्राथमिक प्रचालन देश के भीतर किए जाते हैं।

62.3 किसी भी लेनदार ने वित्तीय वर्ष 2020–21 और 2019–20 के दौरान समूह के राजस्व में 10 प्रतिशत अथवा उससे अधिक अंशदान नहीं किया है।

63 समेकन के लिए अनुषंगी कंपनियाँ, संयुक्त उद्यम एवं सहायक कंपनियों हेतु विचारार्थः

क कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनियाः

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड (आरईसीटीपीसीएल)	भारत	0%	100%
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)	भारत	100%	100%

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

ख. संयुक्त उद्यम

(₹ करोड़ में)

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/निगमनो का देश	स्वामित्व हित/समूह द्वारा धारित राशि का वहन	
		31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल)*	भारत		
ओनरशिप इंटरेस्ट		22.18%	22.18%
धारित राशि **		257.74	258.47

*वित्तीय वर्ष 2020–21 और वित्तीय वर्ष 2019–20 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित हैं और समूह के समेकित वित्तीय विवरणों के लिए इन पर विचार किया गया है। वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए आंकड़े लेखापरीक्षा के पूरा होने पर बदल सकते हैं।

**निवेश की उद्धृत कीमत उपलब्ध नहीं है, क्योंकि कंपनी के इक्विटी शेयर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

ग सहायक कंपनियाँ

एंटीटी के नाम	कारोबार का स्थल/निगमनो का देश	समूह द्वारा धारित स्वामित्व हित	
		31–03–2021 के अनुसार	31–03–2020 के अनुसार
दिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	0.00%	100.00%
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	भारत	100.00%	100.00%
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन)	भारत	100.00%	-
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले बीदर कर्नाटक लाइन)	भारत	100.00%	-
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले गडग कर्नाटक भाग ए लाइन)	भारत	100.00%	-
फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (पहले सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन)	भारत	100.00%	-
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन)	भारत	100.00%	-
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन)*	भारत	100.00%	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड	भारत	100.00%	-
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड	भारत	100.00%	-
रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट ए लाइन)*	भारत	-	-

*इन एसपीवी को वर्ष के दौरान बेच दिया गया है।

नोटः उपर्युक्त निवेश भारत सरकार (जीओआई) के अधिदेश के अनुसार प्रबंधित किए जाते हैं और कंपनी के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा (संपार्श्विक) रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिक क्षमता नहीं है। इसलिए, कंपनी संबंधित कंपनियों में अपने निवेश पर विचार करती है क्योंकि कंपनी उनकी प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी का 100% भाग अपने पास रखने के बावजूद भी सहयोगी कंपनियां महत्वपूर्ण प्रभाव रखती हैं।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

घ इक्विटी पद्धति का उपयोग करके संयुक्त उद्यम का लेखांकन

ईईएसएल की सारंशीकृत वित्तीय स्थिति:

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार	31 मार्च 2020 के अनुसार
वित्तीय परिसंपत्तियां		
नकद एवं नकद समतुल्य	211.55	177.73
बैंक शेष (नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा)	526.60	409.41
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	3,726.54	3,564.63
उप – जोड़	**4,464.69**	**4,151.77**
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	5,098.01	4,957.51
कुल परिसंपत्तियाँ	**9,562.70**	**9,109.28**
वित्तीय परिसंपत्तियां	8,215.53	7,554.35
गैर–वित्तीय परिसंपत्तियाँ	213.33	373.84
कुल देयताएँ	**8,428.86**	**7,928.19**
निवल परिसंपत्तियाँ	**1,133.84**	**1,181.09**

**संयुक्त उद्यम के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय स्थितियों के आधार पर*

ईईएसएल का सारंशीकृत वित्तीय निष्पादन :

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*
क. आय		
प्रचालनों से राजस्व	1,471.85	2,487.72
अन्य आय	58.43	87.80
कुल (क)	**1,530.28**	**2,575.52**
ख. व्यय		
वित्तीय लागतें	328.50	354.85
मूल्यह्रास, परिशोधन एवं हानि	533.05	511.17
व्यापारगत माल की खरीद	245.98	1,051.86
मालसूचियों में परिवर्तन	23.93	59.39
अन्य व्यय	354.87	519.23
कुल (ख)	**1,486.32**	**2,496.50**
ग. इक्विटी पद्धति का प्रयोग करने के लिए संयुक्त उद्यमों के परिकलित निवल लाभों/(हानियों) का हिस्सा	-	-
घ. कर पूर्व लाभ (क–ख+ग)	**43.96**	**79.02**
ङ. कर व्यय	11.09	(3.32)
च. अवधि के लिए लाभ (ग–घ)	**32.87**	**82.34**
छ. अन्य व्यापक आय/(हानि)	**(0.29)**	**(21.60)**
ज. कुल व्यापक आय (च+छ)	**32.58**	**60.74**
ईईएसएल से प्राप्त लाभांश	-	2.10

** संयुक्त उद्यम के अलेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय स्थिति के आधार पर*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड की वहनीय राशि के लिए सामजंस्य

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए*	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए*
आरंभिक निवल परिसंपत्तियां	**1,211.05**	**874.58**
अनुवर्ती लेखापरीक्षा के कारण संचयी आरंभिक समायोजन का प्रभाव	(33.99)	(4.65)
शेयर आवेदन राशि – समायोजित		
शेयर पूंजी में वृद्धि	-	308.12
अवधि के लिए लाभ	32.87	44.92
अन्य व्यापक आय (करों का निवल)*	(0.29)	(0.48)
जोड़ें: शेयर आवेदन लंबित आबंटन		
घटाएं: इक्विटी शेयर, करो के निर्माण के निगम पर लेनदेन लागत		
घटाएं: वितरित लाभांश	-	(9.49)
घटाएं: वितरित लाभांश कर	-	(1.95)
अंतिम निवल परिसंपत्तियां	**1,209.64**	**1,211.05**
घटाएं: ईईएसएल के समेकित वित्तीय विवरणों में गैर–नियंत्रित ब्याज	(47.65)	(45.76)
मालिकों के कारण इक्विटी	**1,161.99**	**1,165.29**

** गैर–लेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों को ध्यान में रखते हुए संचालन किया गया है।*

ईईएसएल में निवेश की वहनीय राशि में परिवर्तन

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार*	31 मार्च 2020 के अनुसार*
समूह हिस्सा%	22.18%	22.18%
निवल मूल्य में समूह का हिस्सा	257.74	258.47
वित्तीय विवरणों में निवेश की वहनीय राशि	257.74	258.47

ईईएसएस की आकस्मिक देयताएं

(₹ करोड़ में)

विवरण	31 मार्च 2021 के अनुसार*	31 मार्च 2020 के अनुसार*
(क) ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किये गये कंपनी के विरुद्ध दावे	नीचे नोट देखें*	78.76
(ख) कराधान मांग		
(ग) अन्य		
– लैटर ऑफ क्रेडिट		150.88
– बैंक गारंटी		249.98
कुल आकस्मिक देयताएं		**479.62**
अन्य निवेशकों के साथ सयुंक्त रूप से वहन की गई सयुंक्त उद्यमों की आकस्मिक देयताओं का हिस्सा		106.38

**31.03.2021 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की आकस्मिक देयता का विवरण उपलब्ध नहीं है और इसलिए ऊपर तालिका में प्रस्तुत नहीं किया गया है।*

***31.03.2020 की स्थिति के अनुसार ईईएसएल की आकस्मिक देयता के विवरण को उस वर्ष के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों के आधार पर अद्यतन किया गया है।*

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

64. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची–III के तहत अपेक्षित समेकित कंपनियों के संबंध में प्रकटन

64.1 निवल परिसंपत्तियों अर्थात कुल परिसंपत्तियों माइनस कुल देयताओं में हिस्सा

(₹ करोड़ में)

एंटिटी के नाम	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि	समेकित निवल परिसंपत्तियों के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.23%	43,426.37	99.10%	35,076.56
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.68%	297.99	0.48%	168.20
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	0.32%	112.61
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.59%	257.74	0.73%	258.47
संबद्ध कंपनियां – भारतीय				
चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-	0.05	-	0.05
कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले उस्मानाबाद महाराष्ट्र लाइन)	-	0.05	-	
बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले बीदर कर्नाटक लाइन)	-	0.05	-	
गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले गडग कर्नाटक भाग ए लाइन)	-	0.05	-	
फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड (पहले सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट बी लाइन)	-	0.05	-	
सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले सोलर एनर्जी राजस्थान पार्ट सी लाइन)	-	0.05	-	
राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड (पहले राजगढ़ मध्य प्रदेश लाइन)	-	0.05	-	
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–I लिमिटेड	-	0.05	-	
एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज–II लिमिटेड	-	0.05	-	
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-0.50%	**(218.77)**	-0.62%	**(219.61)**
कुल	100.00%	**43,763.93**	100.00%	**35,396.43**

लाभ एवं हानि में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि	समेकित निवल लाभ के % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.80%	8,361.78	98.27%	4,886.16
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.31%	25.62	0.25%	12.47
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	1.09%	54.44
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-0.02%	-1.97	0.18%	9.14
संबद्ध – भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-0.09%	(7.19)	0.20%	10.06
कुल	**100.00%**	**8,378.24**	**100.00%**	**4,972.27**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

अन्य व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि	समेकित अन्य व्यापक आय % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.73%	456.52	99.27%	(549.79)
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	-	-	-	-
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	0.27%	1.24	0.73%	(4.06)
सहायक कंपनियां – भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-	-	-	-
कुल	**100.00%**	**457.76**	**100.00%**	**(553.85)**

कुल व्यापक आय में शेयर

(₹ करोड़ में)

कंपनी का नाम	31.03.2021 को समाप्त वर्ष		31.03.2020 को समाप्त वर्ष	
	समेकित कुल व्यापक आय % के रूप में	राशि	समेकित कुल व्यापक आय % के रूप में	राशि
मूल				
आरईसी लिमिटेड	99.80%	8,818.30	87.21%	4,336.37
सहायक कंपनियां – भारतीय				
आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	0.29%	25.62	0.25%	12.47
आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड	0.00%	-	1.09%	54.44
संयुक्त उद्यम – भारतीय				
एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड	-0.01%	(0.73)	0.10%	5.08
सहायक कंपनियां – भारतीय	-	-	-	-
समायोजन या उन्मूलन प्रभाव	-0.08%	(7.19)	0.20%	10.06
कुल	**100.00%**	**8,836.00**	**100.00%**	**4,418.42**

65. परिसंपत्ति एवं देयताओं के अंतर्गत प्रत्येक श्रृंखलाबद्ध मद के लिए 12 माह या इससे अधिक समय के भीतर वसूली/निपटान की जाने वाली संभावित राशि

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
	परिसंपत्तियां				
(1)	**वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	नकद एवं नकद समतुल्य	1,179.24	-	1,717.71	-
(ख)	बैंक शेष उपर्युक्त (ए) के अलावा	2,222.36	1.22	2,257.45	-
(ग)	व्यापार प्राप्य	140.07	-	109.07	-
(ii)	अन्य प्राप्य		-	-	-
(घ)	व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	258.94	2,052.28	1,180.60	2,138.25
(ङ)	ऋण	36,576.91	328,684.58	28,989.11	283,094.39
(च)	निवेश	38.10	1,685.58	1,501.45	625.66
(छ)	अन्य वित्तीय परिसंपत्तियां	280.26	24,139.62	466.59	21,634.73
	कुल – वित्तीय परिसंपत्तियां (1)	**40,695.88**	**356,563.28**	**36,221.98**	**307,493.03**

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
		12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में	12 महीनों में	12 से अधिक महीनों में
(2)	**गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां**				
(क)	चालू कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	168.92	-	409.94
(ख)	आस्थगित कर परिसंपत्तियां (निवल)	-	2461.03	-	2,050.57
(ग)	निवेश संपत्ति	-	0.01	-	0.01
(घ)	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	-	260.70	-	156.97
(ङ)	चल रहे पूंजीगत कार्य	-	335.67	-	287.62
(च)	विकास के अधीन अमूर्त परिसंपत्तियां	-	0.77	-	0.77
(छ)	अन्य अमूर्त परिसंपत्तियां	-	6.15	-	8.82
(ज)	अन्य गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां	93.83	8.84	81.96	50.41
(झ)	इक्विटी पद्धति का प्रयोग करके निवेशों का लेखांकन	-	257.74	-	258.47
	कुल – गैर–वित्तीय परिसंपत्तियां (2)	**93.83**	**3,499.83**	**81.96**	**3223.58**
(3)	**बिक्री के लिए धारित रखी गई वर्गीकृत परिसंपत्तियां**	**14.05**	**-**	**9.53**	**-**
	कुल परिसंपत्तियां (1+2+3)	**40,803.76**	**360,063.11**	**36,313.47**	**3,10,716.61**
	देयताएं				
(1)	**वित्तीय देयताएं**				
(क)	व्युत्पन्न वित्तीय दस्तावेज	73.13	773.18	58.63	1,267.10
(ख)	व्यापार देय				
	(I) व्यापार देय				
	(i) एमएसएमई के कुल बकाया देय	0.01	-	0.15	-
	(ii) एमएसएमई के अलावा लेनदारों के कुल बकाया देय	61.50	-	46.00	-
	(II) अन्य देय				
	(i) एमएसएमई के कुल बकाया देय	-	-	-	-
	(ii) एमएसएमई के अलावा लेनदारों के कुल बकाया देय	-	-	-	-
(ग)	ऋण प्रतिभूतियां	45,055.83	192,213.28	48,573.11	171,345.14
(घ)	उधार (ऋण प्रतिभतियों के अलावा)	27,509.52	57,997.84	19,381.60	42,169.06
(ङ)	अधीनस्थ देयताएं	299.49	6,647.40	170.58	4,649.07
(च)	अन्य वित्तीय देयताएं	2,111.72	24,110.63	2,171.72	21,610.49
	कुल – वित्तीय देयताएं (1)	**75,111.20**	**281,742.33**	**70,401.79**	**241,040.86**
(2)	**गैर–वित्तीय देयताएं**				
(क)	चालू कर देयताएं (निवल)	14.40	-	-	-
(ख)	प्रावधान	62.65	42.03	67.96	39.13
(ग)	अन्य गैर–वित्तीय देयताएं	97.89	32.36	77.94	5.29
	कुल – गैर–वित्तीय देयताएं (2)	174.94	74.39	145.90	44.42
(3)	बिक्री के रखी गई देयताओं के रूप में वर्गीकृत परिसंपत्तियों से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी देयताएं	0.08	-	0.68	-
	कुल देयताएं (1+2+3)	**75,286.22**	**281,816.72**	**70,548.37**	**241,085.28**

पिछले वर्ष के आंकड़ों को वर्तमान वर्गीकरण के अनुरूप लाने के लिए पुनः वर्गीकृतः पुनः समूहित किया गया है।

समेकित लेखा संबंधी टिप्पणियां

66 इसमें कंपनी द्वारा प्रायोजित एसपीवी के तुलन–पत्र से बाहर कुछ नहीं है, जिसे लेखाकरण प्रतिमानकों के अनुसार समेकित किए जाने की आवश्यकता है।

67 मास्टर निर्देश – गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी – व्यवस्थित रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा राशि लेने वाली कंपनी और जमा राशि लेने वाली कंपनी (रिज़र्व बैंक) के निर्देश, 2016 के तहत आवश्यक प्रकटन नोट संख्या . 3, 9, 10, 11, 22.1, 29.1, 48, 51, 52.1.3 (ओ), 52.1.3 (एस), 52.1.3 (टी), 52.2.2, 52.3, 53, 55, 58, 66, 68, 69 में किए गए हैं।

68 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) किसी नियामक द्वारा कंपनी पर कोई दंड नहीं लगाया गया है।

हालांकि, कंपनी को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) से अपने पत्र दिनांक 20 अगस्त 2020, 8 सितंबर 2020, 17 नवंबर 2020 और 15 फरवरी 2021 और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) से अपने मेल के माध्यम से दिनांक 20 अगस्त 2020 और 8 सितंबर 2020 को कुल ₹49,44,200 (जीएसटी सहित) सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमों की निगमित प्रशासन आवश्यकताओं के गैर–अनुपालन 2015 के लिए बोर्ड/समितियों की स्थिति/कोरम आवश्यकताओं के संबंध में नोटिस प्राप्त हुआ है।

कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजों से जुर्माना माफ करने का अनुरोध किया है क्योंकि कंपनी के संगम अनुच्छेद के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को नियुक्त करने की शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास निहित है और कंपनी के निदेशक मंडल या कंपनी, कंपनी के निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं कर सकती है।

इस प्रकार, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति में कंपनी की ओर से कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। जबकि स्टॉक एक्सचेंज का जवाब अभी भी प्रतीक्षित है, इसी तरह के कारणों के लिए कंपनी स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अपने अनुरोध के अनुकूल परिणाम की उम्मीद कर रही है जो कि स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा जुर्माना पर पहले की छूट के अनुरूप है।

69 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान (पिछले वर्ष शून्य) उचित संव्यवहार संहिता के अंतर्गत उधारकर्ताओं से कंपनी को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

70 जब तक स्पष्ट रूप से व्यक्त न हो, रुपए में अंकों को दो दशमलव के साथ निकटतम करोड़ रुपयों में पूर्णांकित किया गया है।

लेखा संबंधी 1 से 70 तक टिप्पणियां तुलन–पत्र और लाभ एवं हानि के विवरण के अभिन्न अंग हैं।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव	अजय चौधरी निदेशक (वित्त) डीआईएन–06629871	संजय मल्होत्रा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएन–00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

	कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 001135एन	कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी. सनदी लेखाकार फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091
स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 28 मई 2021	गौरव मित्तल भागीदार सदस्यता सं. : 099387	अतुल अग्रवाल भागीदार सदस्यता सं. : 092656

आरईसी लिमिटेड (पूर्व में रूरल इलेक्ट्रीफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड)

पंजीकृत कार्यालय – कोर–4, स्कोप कांप्लेक्स, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003, सीआईएनः L4010DL1969GOI005095

31 मार्च, 2021 की स्थिति के अनुसार समेकित तुलन–पत्र के साथ संलग्न किया जाने वाला अनुबंध

(भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा यथा निर्धारित)

(गैर–बैंकिंग वित्तीय कंपनी–व्यवस्थागत रूप से महत्वपूर्ण गैर–जमा ग्राही कंपनी और जमा ग्राही कंपनी (रिजर्व बैंक) निर्देश, 2016 के पैराग्राफ 18, जहां तक ये आरईसी लिमिटेड पर लागू हैं, के अनुसार अपेक्षित ब्योरे)

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	बकाया राशि	अतिदेय राशि	बकाया राशि	अतिदेय राशि
देयता पक्षः				
(1) एनबीएफसी द्वारा लिए गए ऋण और अग्रिम				
जिसमें उस पर उपचित लेकिन अदा न किया गया ब्याज शामिल हैं:				
(क) डिबेंचर / बॉण्ड्सः				
– प्रतिभूत	35,534.72	-	39,957.71	-
– अप्रतिभूत	209,508.98	-	182,833.33	-
(ख) आस्थगित क्रेडिट	-	-	-	-
(ग) आवधिक ऋण				
– वित्तीय संस्थाओं से प्रतिभूत ऋण	-	-	-	-
– एनएसएसएफ से अप्रतिभूत ऋण	10,325.12	-	10,326.81	-
– बैंको से अप्रतिभूत ऋण	29,953.76	-	18,900.72	-
– वित्तीय संस्थाओं से अप्रतिभूत ऋण	5,800.00	-	1,000.00	-
(घ) अंतर – कारपोरेट ऋण और उधारियां	-	-	-	-
(च) वाणिज्यिक दस्तावेज	-	-	2,925.00	-
(छ) अन्य ऋण	-	-	-	-
– विदेशी मुद्रा उधारियां	21,060.17	-	21,813.83	-
– एफसीएनआर (बी) ऋण	5,335.01	-	6,985.80	-
– अल्पावधि ऋण / मांग पर ऋण प्रतिदेय	10,201.99	-	2,755.92	-
– धारित कंपनी से अप्रतिभूत ऋण	3,000.49	-	-	-
– फाइनेंस लीज ऑब्लिगेशन	0.05	-	2.12	-
– बैंकों और वित्तीय संस्थानों से मांग पर प्रतिदेय ऋण				

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार
परिसंपत्ति पक्षः		
(2) प्राप्य बिलों सहित ऋणों एवं अग्रिमों का ब्योरा		
(क) प्रतिभूत	247,657.93	235,470.39
(ख) अप्रतिभूत	116,554.11	74,958.25
(3) निवेशः		
चालू निवेश :		
अनुद्धृतः		
(i) शेयरः इक्विटी	23.60	12.50
अनुद्धृतः		
(i) शेयरः (क) प्रेफेरेंस	69.08	68.34
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	292.16	-
दीर्घावधि निवेश		
अनुद्धृतः		
(i) शेयरः इक्विटी	430.13	507.43
(ii) डिबेंचर और बॉण्ड	259.63	1,532.72
अनुद्धृतः		
(i) शेयरः (क) इक्विटी	257.74	258.47
(ii) सरकारी प्रतिभूतियां	649.08	-
(iii) म्यूचुअल फंड की यूनिटें		6.12

(4) उपरोक्त (2) में वित्तपोषित परिसंपत्तियों के उधारकर्ता का समूह–वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

विवरण	प्रावधानों की निवल राशि	
	प्रतिभूत	अप्रतिभूत
31 मार्च 2021 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**247,657.93**	**116,554.11**
जोड़	**247,657.93**	**116,554.11**
31 मार्च 2020 के अनुसार		
1. संबंधित पक्षकार		
(क) अनुषंगी कंपनियां	-	-
(ख) समान समूह की कंपनियां	-	-
(ग) अन्य संबंधित पक्षकार	-	-
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	**235,470.39**	**74,958.25**
जोड़	**235,470.39**	**74,958.25**

(5) शेयर एवं प्रतिभूतियों (उद्धृत एवं अनुद्धृत दोनों) में निवेशों (चालू और दीर्घावधि) के निवेशक का समूह–वार वर्गीकरण:

(₹ करोड़ में)

श्रेणी	31.03.2021 के अनुसार		31.03.2020 के अनुसार	
	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	बुक वैल्यू (प्रावधान का निवल)	बाजार मूल्य/विवरण या उचित मूल्य या एनएवी	बुक वैल्यू (प्रावधान का निवल)
1. संबंधित पक्षकार				
(क) समान समूह की कंपनियां	257.74	257.74	258.47	258.47
2. संबंधित से भिन्न पक्षकार	1,723.68	1,723.68	2,127.11	2,127.11
जोड़	**1,981.42**	**1,981.42**	**2,385.58**	**2,385.58**

(6) अन्य सूचना

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2021 के अनुसार	31.03.2020 के अनुसार	
(i) सकल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां			
(क) संबंधित पक्षकार	-	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	18,256.93	-	21,255.55
(ii) निवल जमा – इंपेयर्ड परिसंपत्तियां			
(क) संबंधित पक्षकार	-	-	-
(ख) संबंधित से भिन्न पक्षकार	6,465.62	-	10,703.42
(iii) ऋण की संतुष्टि हेतु अधिगृहीत परिसंपत्तियाँ	**349.28**		**54.60**

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 099387

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थान: नई दिल्ली
दिनांक: 28 मई 2021

प्रपत्र एओसी – 1

वर्ष 2020–21 के लिए अनुषंगी कंपनियों/संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरणों की प्रमुख विशेषताओं को दर्शाने वाला विवरण

भाग कः अनुषंगी कंपनियां

(₹ करोड़ में)

विवरण		
1	**अनुषंगी कंपनी का नाम**	**आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड**
2.	संबंधित अनुषंगी कंपनी के लिए रिपोर्ट की अवधि, यदि होल्डिंग कंपनी की रिपोर्ट की अवधि से भिन्न है	लागू नहीं
3.	विदेशी अनुषंगी कंपनियों के मामले में संगत वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि के अनुसार रिपोर्टिंग मुद्रा और विनिमिय दर	लागू नहीं
4.	शेयर पूंजी	0.09
5.	आरक्षित एवं अधिशेष	297.90
6.	कुल परिसंपत्तियां	662.79
7.	कुल देयताएं	364.80
8.	निवेश	91.06
9.	टर्नओवर	184.69
10.	लाभ/(हानि) कराधान से पूर्व	32.62
11.	कराधान हेतु प्रावधान	7.00
12.	लाभ/(हानि) कर पश्चात	25.62
13.	प्रस्तावित लाभांश	-
14.	शेयरधारिता का %	100.00%

(1) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं – शून्य

(2) अनुषंगी कंपनियों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है – शून्य

भाग खः संबद्ध और संयुक्त उद्यम

सबद्ध संस्थाओं का विवरण

(₹ करोड़ में)

	संबद्ध संस्था का नाम	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	चंदिल ट्रांसमिशन लिमिटेड*	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड*	फतेहगढ़ भादला ट्रांस्को लिमिटेड*	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड*	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड#	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड*	मंदर ट्रांसमिशन लिमिटेड*	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज I लिमिटेड#	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज II लिमिटेड#	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड*	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड*
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन–पत्र की तिथि	31–मार्च–21	31–मार्च–21	31–मार्च–21	31–मार्च–21	31–मार्च–21	31–मार्च–20	31–मार्च–21	31–मार्च–21	31–मार्च–20	31–मार्च–20	31–मार्च–21	31–मार्च–21
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर												
	संख्या	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	संबद्ध/संयुक्त उद्यम में निवेश की राशि	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
	होल्डिंग की परिसीमा (%)	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव होने पर इसका विवरण	नोट 1 नीचे देखें											
4	संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	0.07	(2.15)	(2.09)	(0.67)	0.05	-	(1.92)	(1.87)	-	-	0.10	(0.54)
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)	0.02	(0.01)	(0.01)	(0.72)	(0.00)	(0.10)	(0.01)	(0.01)	(0.87)	(0.88)	0.05	(0.59)
i.	समेकन में विचारा गया**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii.	समेकन में नहीं विचारा गया	0.02	(0.01)	(0.01)	(0.72)	(0.00)	(0.10)	(0.01)	(0.01)	(0.87)	(0.88)	0.05	(0.59)

* 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सहयोगी संस्थाओं (एसोसिएट्स) के लाभ/(हानि) के आंकड़े लेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सहयोगी संस्थाओं (एसोसिएट्स) के लाभ/(हानि) के आंकड़े अलेखा परीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

** सहयोगी संस्थाओं (एसोसिएट्स) को बिक्री के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया गया है और लागत या उचित बाजार मूल्य बिक्री (बिक्री के लिए कम लागत) जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया जाता है, इसलिए लाभ पर विचार नहीं किया जाता है।

नोटः 1. समूह के पास 100% शेयर पूंजी है लेकिन इन निवेशों का प्रबंधन भारत सरकार के अधिदेश के अनुसार किया जाता है और समूह के पास इन कंपनियों की प्रासंगिक गतिविधियों को एकतरफा रूप से निर्देशित करने की व्यावहारिकता नहीं है, अतः इन कंपनियों को सहयोगी कंपनियों के रूप में माना गया है।

नोटः 2. एक सहयोगी नामतः रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड का 9 मार्च, 2021 को स्थानांतरण किया गया था।

संयुक्त उद्यम का विवरण

(₹ करोड़ में)

संयुक्त उद्यम का नाम		एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
1	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तिथि	31-मार्च-20
2	वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित संबद्ध/संयुक्त उद्यमों के शेयर	
	संख्या	218,100,000
	संबद्ध/संयुक्त उद्यम @ में निवेश की राशि	218.10
	होल्डिंग की परिसीमा (%)	22.18%
3	महत्वपूर्ण प्रभाव कैसे होता है इसका विवरण	22.18% को धारण करना और प्रबंधन में भागीदारी
4	संबद्ध/संयुक्त उद्यम को समेकित नहीं किए जाने का कारण	लागू नहीं
5	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलनपत्र के अनुसार शेयरधारिता का आरोप्य निवल मूल्य	250.51
6	वर्ष के लिए लाभ/(हानि)*	
i	समेकन में विचारा गया	(1.97)
ii	समेकन में नहीं विचारा गया	लागू नहीं

* ये आंकड़े 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के संयुक्त उद्यम के अलेखापरीक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर आधारित हैं।

(1) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिनके प्रचालन अभी शुरू होने हैं – शून्य

(2) संबद्ध या संयुक्त उद्यम के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय कर दिया गया है – शून्य

– एक सहयोगी नामतः रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड का 9 मार्च, 2021 को स्थानांतरण किया गया था।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

जे.एस. अमिताभ
कार्यकारी निदेशक एवं कंपनी सचिव

अजय चौधरी
निदेशक (वित्त)
डीआईएन–06629871

संजय मल्होत्रा
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
डीआईएन–00992744

हमारी इसी तारीख की लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

कृते एस. के. मित्तल एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 001135एन

गौरव मित्तल
भागीदार
सदस्यता सं. : 099387

कृते ओ. पी. बाग्ला एंड कंपनी एलएलपी.
सनदी लेखाकार
फर्म पंजी. सं. : 000018एन/ एन500091

अतुल अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. : 092656

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 28 मई 2021